बी.ए. द्वितीय वर्ष

राजनीति विज्ञान, द्वितीय प्रश्नपत्र

प्रमुख देशों के संविधान

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय – भोपाल

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY - BHOPAL

Reviewer Committee

1. Dr (Prof) Akhilesh Sharma
   OSD RUSA
   Department of Higher Education, Bhopal

2. Dr Amar Nayak
   Associate Professor
   S.N.Girls Autonomous (PG) College, Bhopal

3. Dr Dhananjay Verma
   Professor
   Govt MLB College, Bhopal

Advisory Committee

1. Dr Jayant Sonwalkar
   Hon'ble Vice Chancellor
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal

2. Dr L.S. Solanki
   Registrar
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal

3. Dr L.P. Jharia
   Director Student Support
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal

4. Dr Dhananjay Verma
   Professor
   Govt MLB College, Bhopal

5. Dr (Prof) Akhilesh Sharma
   OSD RUSA
   Department of Higher Education, Bhopal

6. Dr Amar Nayak
   Associate Professor
   S.N.Girls Autonomous (PG) College, Bhopal

COURSE WRITERS

Dr. Pooja Kapoor, Assistant Professor, Symbiosis Law School, Noida (Constituent of Symbiosis International (Deemed University), Pune)
Units (4.4, 5)
Dr. Biswaranjan Mohanty, Asst. Professor, Department of Political Science, SGTB Khalsa College, University of Delhi
Units (1.0-1.3.1, 1.3.2-1.3.3, 1.4-1.9, 2.0-2.3.3, 2.4-2.9, 3, 4.0-4.3, 4.5-4.9)

Copyright © Reserved, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal

All rights reserved. No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the Registrar, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Published by Registrar, MP Bhoj (Open) University, Bhopal in 2020

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 1100 44
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE
प्रमुख देशों के संविधान

Syllabi	Mapping in Book
इकाई–1 ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं राजनीतिक दल।	**इकाई 1** : ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं **(पृष्ठ 3–48)**
इकाई–2 अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं राजनीतिक दल।	**इकाई 2** : अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं **(पृष्ठ 49–90)**
इकाई–3 स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र।	**इकाई 3** : स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं **(पृष्ठ 91–116)**
इकाई–4 जनवादी चीन एवं पाकिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं।	**इकाई 4** : जनवादी चीन एवं पाकिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं **(पृष्ठ 117–163)**
इकाई–5 नेपाल, भूटान एवं अफगानिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं।	**इकाई 5** : नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं **(पृष्ठ 165–236)**

विषय–सूची

परिचय **1**

इकाई 1 ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं **3–48**

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 ब्रिटेन का संविधान : प्रमुख विशेषताएं
1.3 ब्रिटेन : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका
1.3.1 कार्यपालिका
1.3.2 व्यवस्थापिका
1.3.3 न्यायपालिका
1.4 ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल
1.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
1.6 सारांश
1.7 मुख्य शब्दावली
1.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.9 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 2 अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं **49–90**

2.0 परिचय
2.1 उद्देश्य
2.2 अमेरिका का संविधान : प्रमुख विशेषताएं
2.3 अमेरिका : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका
2.3.1 कार्यपालिका
2.3.2 व्यवस्थापिका
2.3.3 न्यायपालिका
2.4 राजनीतिक दल
2.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
2.6 सारांश
2.7 मुख्य शब्दावली
2.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.9 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 3 स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं **91–116**

3.0 परिचय
3.1 उद्देश्य
3.2 स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं
3.3 कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका
3.3.1 कार्यपालिका
3.3.2 व्यवस्थापिका
3.3.3 न्यायपालिका
3.4 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र
3.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
3.6 सारांश

3.7 मुख्य शब्दावली
3.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.9 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 4 जनवादी चीन एवं पाकिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं 117–163

4.0 परिचय
4.1 उद्देश्य
4.2 चीन के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं
4.3 चीन की राज्य संरचना
4.3.1 व्यवस्थापिका
4.3.2 न्यायपालिका
4.3.3 दलीय व्यवस्था
4.4 पाकिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं
4.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
4.6 सारांश
4.7 मुख्य शब्दावली
4.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
4.9 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 5 नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं 165–236

5.0 परिचय
5.1 उद्देश्य
5.2 नेपाल के संविधान की प्रकृति और प्रमुख विशेषताएं
5.3 भूटान के संविधान की प्रकृति और प्रमुख विशेषताएं
5.4 अफगानिस्तान के संविधान की प्रकृति और प्रमुख विशेषताएं
5.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
5.6 सारांश
5.7 मुख्य शब्दावली
5.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
5.9 सहायक पाठ्य सामग्री

परिचय

टिप्पणी

प्रस्तुत पुस्तक 'प्रमुख देशों के संविधान' विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बी.ए. (राजनीति विज्ञान) के पाठ्यक्रम के अनुरूप लिखी गई है।

विश्व के प्रत्येक देश को अपनी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक कुशल संविधान की आवश्यकता होती है।

हर देश की राजनीतिक व्यवस्था उसके संविधान पर निर्भर रहती है, चाहे वह लोकतंत्रात्मक हो या समाजवादी अथवा तानाशाही। हर देश के लिए उसका संविधान महत्वपूर्ण होता है और वह उसी के अनुसार विभिन्न कार्य करता है।

पांच इकाइयों के अंतर्गत समायोजित इस पुस्तक में ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा अफगानिस्तान के संविधानों की प्रकृति एवं विभिन्न विशेषताओं का विस्तृत उल्लेख किया गया है। पुस्तक की हर इकाई की शुरुआत उसके परिचय से होती है, इसके उपरांत इकाई के उद्देश्य बताए गए हैं। पाठों के बीच–बीच में अपनी प्रगति जांचिए के प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। प्रभावी पुनर्कथन हेतु समस्त पाठों के अंत में सारांश, मुख्य शब्दावली तथा स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास दिए गए हैं।

प्रस्तुत पुस्तक की पांचों इकाइयों का विवरण इस प्रकार है–

पहली इकाई में ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया गया है इसमें ब्रिटेन की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा राजनीतिक दलों की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

दूसरी इकाई में अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया गया है। तथा वहां की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों के बारे में बताया गया है।

तीसरी इकाई में स्विट्जरलैंड के संविधान की खास बातों पर प्रकाश डाला गया है तथा वहां की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अध्ययन किया गया है।

चौथी इकाई में जनवादी चीन और पाकिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत विवेचन किया गया है।

पांचवीं और अंतिम इकाई में नेपाल, भूटान एवं अफगानिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं विभिन्न विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है।

हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि प्रस्तुत पुस्तक सभी विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में उपयोगी सिद्ध होगी।

इकाई 1 ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं

टिप्पणी

संरचना

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 ब्रिटेन का संविधान : प्रमुख विशेषताएं
1.3 ब्रिटेन : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका
 1.3.1 कार्यपालिका
 1.3.2 व्यवस्थापिका
 1.3.3 न्यायपालिका
1.4 ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल
1.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
1.6 सारांश
1.7 मुख्य शब्दावली
1.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.9 सहायक पाठ्य सामग्री

1.0 परिचय

भारतीय शिक्षार्थियों के लिए ब्रिटेन वह विशेष देश है जिसने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। इस देश ने भारतीयों की शक्ति को खंडित किया व उन्हें साम्राज्यवाद की बेड़ियों में जकड़ लिया। वैसे ब्रिटेन ही वह देश है जिसके दिए गए संसदीय लोकतंत्र से भारत का वर्तमान शासन संचालित किया जा रहा है। ब्रिटेन जैसे देश अपने साम्राज्यी अतीत को कभी मिटा नहीं सकते। कदाचित यही कारण है कि राज के मुखिया के अस्तित्व से इस देश में अब भी राजतंत्र है। वैसे यहां पर प्रधानमंत्री को शासन का मुखिया माना जाता है।

ब्रिटेन स्कॉटलैंड, वेल्स व उत्तरी आयरलैंड का एक समुच्चय है। इस लोकतंत्र में साठ मिलियंस जनसंख्या है जहां जनमत का आधिक्य है, फ़्री प्रेस है एवं एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऐसा यह ऊपरी रूप से दिखायी देता है। यह अपने देशवासियों को बहुत सारी नागरिक–स्वतंत्रताएं प्रदान करता है परंतु जब आप इसके अतीत से मिलकर इन सबके आधार ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसके वर्तमान का विकास महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तनों की श्रृंखला के परिणामस्वरूप हुआ है। मैग्ना कार्टा अथवा ग्रेट चार्टर वह आधारस्तंभ था जिसने ब्रिटेन को ऐसा राज बना दिया जो अपने नागरिकों के अधिकारों को सम्मान प्रदान करता है। आपको यह जानकर विस्मय होगा कि यह प्रलेख (दस्तावेज) साढ़े पांच शताब्दी पूर्व सन् 1797 में अमेरिकन स्वतंत्रता उद्घोषणा से पूर्व आया। गिरजाघर व राज के मध्य सत्ता–संघर्ष, रोमन कैथोलिक चर्च से संबंध टूटने, संसद की शक्ति बढ़ने, संरक्षित राज की स्थापना, राजतंत्र की पुनर्स्थापना, टोरीज़ व व्हिग्स जैसे गुटों का निर्माण (जो बाद में लिबरल डेमोक्रेट्स व कन्ज़र्वेटिव्स बन गए), राज में लोकतंत्र

का आगमन, कार्यरत वर्गों की शक्ति–वृद्धि इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम व कारक रहे जिनसे ब्रिटेन का इतिहास निर्मित हुआ।

विश्व के अन्य सभी संविधानों की भांति ब्रिटिश संविधान प्राथमिकतया ग्रामीणों का समूह है जो राजनैतिज्ञों को निर्दिष्ट करता है कि देश का संचालन कैसे किया जाए। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है जिसका अर्थ हुआ कि इसे लिखा नहीं गया है वरन अतीत की परंपराओं, रिवाजों व वैधानिकताओं के मूलमार्ग द्वारा इसे तैयार किया गया है। देश में प्रयुक्त विभिन्न विधियां (कानून) लिखित संविधान के रूप में हैं। ब्रिटेन में सांविधिक विधान का निर्माण कौन करता है? इसका उत्तर है– संसद। परिचर्चाओं एवं संशोधनों के पश्चात इसके द्वारा विधेयक पारित किये जाते हैं। वैसे राजा के हस्ताक्षर के उपरांत ही विधेयक विधान का रूप लेता है। ब्रिटेन के विधान अधिकांशतया कन्वेन्शन्स द्वारा परिभाषित किये जाते व गढ़े जाते हैं। उदाहरणार्थ राजा द्वारा अपने राजसी विशेषाधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक कभी भी कर दिया जाता है। ऐसा पाया गया है कि राजतंत्र ने इस शक्ति का लाभ कभी नहीं उठाया बावजूद इसके कि संसद ने राजा के हाथों में विपुल शक्ति सौंपी हुई है। इस शक्ति में बहुत–से नियंत्रण व संतुलन हैं। संसद की शक्तियों की सीमाएं हैं। इतिहास, रिवाजों व परंपराओं से जुड़े रहने से यूनाइटेड किंगडम शासन विश्व के सर्वाधिक दक्ष शासनों में गिना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में अधिक स्वाधीनता व नागरिक–स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं।

इस इकाई में ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं, वहां की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका आदि का अध्ययन किया जा रहा है।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को जान पाएंगे;
- ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के बारे में समझ पाएंगे;
- ब्रिटेन की कार्यपालिका के कार्यों से परिचित हो पाएंगे;
- ब्रिटेन की व्यवस्थापिका के ढांचे को समझ पाएंगे;
- ब्रिटेन की न्यायपालिका के स्वरूप से परिचित हो पाएंगे;
- ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों की समीक्षा कर पाएंगे।

1.2 ब्रिटेन का संविधान : प्रमुख विशेषताएं

यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्रफल न्यूयॉर्क स्टेट से दोगुना है। इस देश में ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड) व उत्तरी आयरलैंड समाहित हैं। 'शेवियट हिल्स डेमोक्रेट इंग्लैंड' ब्रिटिश द्वीप–समूह का दक्षिण–पूर्वी भाग है एवं उत्तरी अंचल में स्कॉटलैंड है। हिल्स से ऊपरी भूभाग की पेनिन श्रृंखला इंग्लैंड के केंद्र से होकर गुज़रती है एवं पश्चिमोत्तर में लेक जनपद में अपने शिखर को प्राप्त होती है। पश्चिम में वेल्स की

सीमा के साथ–साथ खड़ी पहाड़ियों वाली घाटियों में सुरम्य कॅम्ब्रियन पर्वत हैं और कॉट्सवर्ल्ड (ग्लौकेस्टेर्शायर में पहाड़ियों की शृंखला) शायर्स के चारों ओर तक फैली है।

यूनाइटेड किंगडम के समीप स्थित उत्तर सागर अनेक महत्तापूर्ण नदियों का मुख है। ये नदियां हैं– थेम्स, हम्बर, टीज़ व टाएन। पश्चिम में सेवेर्न एवं वाए नदियां अपना जल ब्रिस्टल प्रणाल में डालती हैं व मर्सी एवं रिबल नदियों की भांति उल्लेखनीय हैं।

संसदीय लोकतंत्र

यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजतंत्र व संसदीय लोकतंत्र है जिसकी रानी 'राज–मुखिया' के रूप में है एवं द्विसदनीय संसद में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स व हाउस ऑफ़ कॉमन्स हैं। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में 574 आजीवन शिष्टजन, 92 वंशागत शिष्टजन व 26 धर्माध्यक्ष (बिशप्स) हैं। हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 651 लोकप्रियरूपेण निर्वाचित सदस्य होते हैं। ब्रिटेन में समस्त विधायी शक्तियों का सर्वोच्च केंद्र 'संसद' है। इसका संविलय न किया गया हो तो यह पांच वर्षों तक क्रियाशील बनी रहती है। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स की प्रभावशीलता सन् 1911 में बहुत घट चुकी है तथा वर्तमान में यह प्रमुख रूप से निर्मित विधानों का पुनरीक्षण करता है। जब से प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में वास्तविक शक्ति आयी है, तब से राजाधिराज की कार्यपालिका शक्ति नाममात्र की रह गयी है।

इंग्लैंड को दसवीं शताब्दी में एक बंधु राष्ट्र राज के रूप में स्थापित किया गया था। र्हुड्लान की संविधि की योजना में सन् 1284 में वेल्स व इंग्लैंड का एकीकरण आरंभ किया गया था। इस मेल को सन् 1536 में संघ अधिनियम लाते हुए औपचारिक रूप प्रदान किया गया। बाद में सन् 1707 में इंग्लैंड व स्कॉटलैंड ने मिलकर संघ के अन्य अधिनियम के द्वारा ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया। सन् 1801 में ग्रेट ब्रिटेन व आयरलैंड को साथ लेकर विधायी संघ द्वारा ग्रेट ब्रिटेन 'आयरलैंड व ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम' बन गया। आयरलैंड के विभाजन (सन् 1921 में एंग्लो–आयरिश संधि से) के उपरांत उसका उत्तरी भाग ही औपचारिक रूप में उत्तरी आयरलैंड कहलाता है जो कि यूनाइटेड किंगडम के एक भाग के रूप में है। इसके वर्तमान नाम 'उत्तरी आयरलैंड व ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम' को सन् 1927 में औपचारिकरूपेण अपना लिया गया।

मैग्ना कार्टा एवं हाउस ऑफ़ कॉमन्स

मैग्ना कार्टा एक उपाधि है जो ब्रिटेन के लोगों को प्रदान की जाती है। इसके तहत विशेषतः कुलीनवर्ग के व्यक्तियों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। सन् 1215 में मैग्ना कार्टा अधोहस्ताक्षरित करने के लिए राजा जॉन को विवश किया गया था। उसकी राजसी शक्ति कुलीनवर्ग के व्यय पर केंद्रीयकृत कर दिए जाने के उपरांत ऐसा किया गया। वेल्स को पराजित करने में एडवर्ड–I (1272-1307) सफल रहा। उसकी दृष्टि आयरलैंड व स्कॉटलैंड पर भी थी परंतु वह स्कॉटलैंड को अपने अधिकार में नहीं कर पाया एवं बेनोकबर्न के संग्राम में परास्त हुआ। एक पृथक हाउस ऑफ़ कॉमन्स का गठन किया गया जिसका दायित्व तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध व चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कर जुटाना एवं एकत्र करना था। एडवर्ड–III ने चिंता

जताते हुए कहा कि संघर्षों व युद्धों में सौ वर्ष व्यर्थ चले गए एवं असीम क्षति से फ़्रांस का अधिकांश फ़िरंगी राजक्षेत्र ख़तरे में है। युद्ध के सौ वर्षों (1338-1453) पश्चात काल मृत्यु (ब्लैक डेथ) नामक प्लेग एक महामारी के रूप में फैला जिससे इंग्लैंड की एक–तिहाई जनसंख्या कम हो गयी। इंग्लैंड के राज–सिंहासन के लिए रोज़ेज़ के युद्ध (1455-1485) हाउस ऑफ़ लंकास्टर एवं हाउस ऑफ़ यॉर्क के मध्य लड़े गए थे। इस युद्ध–शृंखला की समाप्ति बॉसवॉर्थ फ़ील्ड पर हेनरी ट्यूडर (हेनरी VII) की विजय (1485) से हुई।

ब्रिटिश संविधान

विधियों (कानूनों) द्वारा बनाये गए संविधान से यहां देश पर शासन किया जाता है। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के विपरीत अथवा यूरोपियन राष्ट्रों के संविधान की भांति ब्रिटेन का संविधान किसी एक प्रलेख में नहीं है किंतु संविधान तो है। इस कारण ऐसे संविधान को अवर्गीकृत संविधान कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रलेख होते हैं। प्रलेखों की इस अनेकता का एकमात्र कारण ऐसा संविधान परिभाषित करना है जिससे किसी भी संशोधन का परिशोधन सरल व सहज रहे। ब्रिटेन में संविधान–संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत प्राप्त करना होता है जिसे बाद में राजसी सम्मति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ब्रिटेन के संविधान के विभिन्न स्रोत निम्नानुसार हैं–

- सन् 1215 के मैग्ना कार्टा जैसी संविधियां,
- सन् 1701 के सुलह का अधिनियम,
- संसदीय विधियां एवं परंपराएं,
- राजनैतिक कन्वेन्शन्स केस लॉ,
- विधि न्यायालय में सुलझाये गए संवैधानिक प्रसंग (मामले),
- संविधान के विषय में लिख चुके अध्येता (स्कॉलर्स)।

ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं

ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

- एकात्मक संविधान,
- संसदीय संप्रभुत्व,
- आंशिकतः लिखित एवं आंशिकतः अलिखित,
- लचीला संविधान,
- विकासवादी,
- धारणा एवं अभ्यास में भेद,
- राजतंत्र, अभिजात–वर्ग एवं लोकतंत्र का सम्मिश्र,
- विधान का राज,
- शासन का संसदीय रूप,

टिप्पणी

- दायित्व सौंपे जाने से संयुक्त शक्तियों का पृथक्करण,
- द्विसदनीय विधायिका,
- संविधान के कन्वेन्शन्स।

ब्रिटिश राजतंत्र

ग्रेट ब्रिटेन में शासन का राजतंत्रात्मक रूप है। वर्तमान में ब्रिटेन का राज रानी एलिजाबेथ द्वितीय के हाथ में है जो 6 फ़रवरी, सन् 1952 को सिंहासनारूढ़ हुई थीं। अपने परिजनों के साथ वे विभिन्न प्रकार के आधिकारिक, औपचारिक व प्रतिनिधित्व–संबंधी दायित्वों का निर्वाह करती हैं। संवैधानिक राजतंत्र होने से रानी द्वारा अ–दलगत कार्य ही किये जाते हैं, यथा उपाधियां व सम्मान सौंपना/प्रदान करना, संसद को भंग करना एवं प्रधानमंत्री को आज्ञा देना। शासन का कार्यवाहक मुखिया 'राजा' (इस देश में रानी) होने के बावजूद व्यवहार में उसे इंग्लैंड के रिवाजों व प्रचलनों के अनुरूप कार्य करने होते हैं। यहां तक कि राजसी विशेषाधिकार भी भूमि की विधियों (कानूनों) के अनुसार प्रयोग करना होता है। ब्रिटिश राजतंत्र का उद्‌भव वास्तव में स्कॉट्स व एंगल्स के राजाओं के साथ हुआ था। सन् 1000 को स्कॉटलैंड व इंग्लैंड के साम्राज्य आरम्भिक मध्ययुगीन ब्रिटेन के छोटे–छोटे साम्राज्यों से उभरे। फिर राजतंत्र पर नॉर्मन्स द्वारा विजय प्राप्त की गयी जिसने सन् 1066 के संग्राम में हेरॉल्ड द्वितीय को पराजित किया। तेरहवीं शताब्दी में वेल्स इंग्लैंड का एक भाग बन गया तथा मैग्ना कार्टा वह साधन बन गया जिससे राजतंत्र को मिली राजनैतिक शक्तियां समाप्त की जा सकती थीं।

स्कॉटिश व फिरंगी साम्राज्यों पर सन् 1609 से एक ही शासक का शासन रहा। इंग्लैंड जब राष्ट्रसंघ बना तो राजतंत्र को एक बड़ा आघात पहुंचा। सुलह अधिनियम 1701 ने रोमन केथोलिक्स व इनसे विवाह किये व्यक्तियों को इंग्लैंड के राज–सिंहासन पर राज्याभिषेक से रोक दिया। आयरलैंड से ग्रेट ब्रिटेन के एकीकरण के पश्चात ब्रिटिश राजा विशाल ब्रिटिश साम्राज्य का नाममात्र मुखिया बन गया।

1920 के दशक में अधिकांश आयरलैंड (अपने उत्तरी राजक्षेत्रों को छोड़कर) संघ से स्वतंत्र हो गया। बाल्फ़ोर उद्‌घोषणा से साम्राज्य के स्वायत्त क्षेत्रों को मान्यता मिली जिन्होंने साथ मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशंस का निर्माण किया। द्वितीय विश्वयुद्ध में अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेशों व राजक्षेत्रों को स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार साम्राज्य का अधिकार–क्षेत्र घटा। जब जियॉर्ज–VI एवं उसकी उत्तराधिकारी एलिज़ाबेथ–II सिंहासनारूढ़ हुईं तो इन दोनों ने राष्ट्रसंघ के मुखिया की उपाधि पायी। इसका अर्थ यह हुआ कि ये राष्ट्रसंघ के ऐसे सदस्य थे जो स्व–शासी राज सदस्य थे।

गणतंत्रों व राजतंत्रों ने मिलकर राष्ट्रसंघ का निर्माण किया। यूनाइटेड किंगडम सहित पंद्रह राष्ट्र एक ही राजतंत्र में हैं।

राजतंत्र की संवैधानिक भूमिका

यूनाइटेड किंगडम के संविधान के अनुसार 'राजा' राज का सर्वोपरि मुखिया है अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि इसी का संप्रभुत्व है। ब्रिटेन का राष्ट्रगान 'भगवान् रानी की रक्षा करे' अथवा 'भगवान् राजा की रक्षा करे' है। सिक्कों, डाक टिकट्स व बैंकनोट्स पर रानी के चित्र देखे जा सकते हैं।

शासन में रानी की सहभागिता सीमित रहती है। उनका यह प्राधिकार है कि वे राजाधिराज के ऐसे मंत्रियों अथवा अधिकारियों को अथवा अन्य सार्वजनिक निकायों को दायित्व, शक्तियां अथवा उत्तरदायित्व सौंप सकती हैं जो रानी के विशेष हैं। रानी की भूमिका को निम्नांकित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

- संसद में भले ही राजाधिराज की विधायी शक्तियां लागू हों किंतु कार्यान्वयन पर परामर्श व प्रभाव तो संसद (हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स व हाउस ऑफ़ कॉमन्स) की अनुमति से ही संपन्न किये जाते हैं।
- रानी का शासन कार्यपालिका शक्ति (जो कि मंत्रियों, प्राथमिकतः प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल से गठित की जाती है) के अधिकार में रहता है जो कि प्रिवी परिषद् की एक समिति है। कार्यपालिका शक्ति परिषद् के पास राजाधिराज के सशस्त्र बल, प्रशासनिक सेवाएं व अन्य राजाधिराज–सेवक होते हैं, यथा कूटनीतिक एवं गुप्त सेवाएं।
- सर्वाधिक प्रभावी शक्ति न्यायपालिका की शक्ति है जिसको संविधान एवं संविधि द्वारा शक्तियां प्रदान की गयी हैं।
- इंग्लैंड के चर्च की मुखिया 'रानी' है। चर्च के अपने शक्ति–पदानुक्रम होते हैं, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शक्तियां व संबंधित ढांचे।
- संविधि अथवा सांविधिक संस्थाएं सार्वजनिक निकायों की शक्तियों के वैधानिक अनुदान को प्रभावित करती हैं।
- संसद व स्थानीय विभागों के सदस्यों के अतिरिक्त किसी सार्वजनिक अधिकारी का निर्वाचन नहीं किया जाता। इस प्रकार पद प्रदान करने के लिए रानी द्वारा अपना अधिकार प्रयोग किया जा सकता है।

ब्रिटिश राजनैतिक ढांचे में रानी की भूमिका व्यापक समीक्षा का विषय है। सन् 1867 में वॉल्टर बेघोट ने राजतंत्र को शासन के 'दक्ष भाग' के बजाय 'सम्मानित भाग' कहा। इंग्लिश बिल ऑफ़ राइट्स ऑफ़ 1689 ने रानी की शासकीय शक्ति में कटौती की।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

प्रधानमंत्री की नियुक्ति रानी द्वारा ही की जाती है। संविधान के अनुसार 'रानी द्वारा प्रधानमंत्रित्व हेतु ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जाना चाहिए जिसे हाउस ऑफ़ कॉमन्स का समर्थन प्राप्त हो। साधारणतया उस हाउस में बहुमत वाले गठबंधन अथवा दल के नेता का समर्थन'। प्रधानमंत्री के पास रानी सहित निजी श्रोतागण होते हैं। पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में वह रानी के हाथों का औपचारिक चुम्बन करता है। कोई अन्य औपचारिकता अथवा पद्धति नहीं होती।

'हंग पार्लियामेंट' एक प्रकार की संसद है जहां किसी एक दल अथवा गठबंधन के पास बहुमत नहीं होता। ऐसी संसद में रानी द्वारा किसी व्यक्ति का चयन व निर्वाचन किया जाता है परंतु प्रायः सबसे बड़े दल के नेता को ही पद सौंपा जाना पूर्वनिर्धारित माना जाता है। सन् 1945 से दो ही हंग पार्लियामेंट्स बनी हैं। पहली हंग पार्लियामेंट फ़रवरी 1974 के साधारण निर्वाचन से बनी तथा दूसरी का निर्माण

मई 2010 के साधारण निर्वाचन से हुआ। 11 मई, सन् 2010 से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड केमरन हैं।

राजसी विशेषाधिकार

राजसी विशेषाधिकार को शासन के कार्यवाहक प्राधिकार के उस विस्तार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो नाममात्र के लिए रानी के पास होता है। राजसी विशेषाधिकार संप्रभुत्व द्वारा प्रदान किया जाता है जो कि कन्वेन्शन व दृष्टांत के पूर्णतया अनुरूप होता है एवं प्रिवी परिषद् अथवा प्रधानमंत्री के माध्यम से ही प्रयोग किया जाता है। व्यवहार में विशेषाधिकार शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री से विचार–विमर्श करने के उपरांत ही किया जाता है जिसके पास वास्तविक नियंत्रणाधिकार है। संप्रभुत्व में प्रशासन एवं मंत्रालय के संबंध में दृष्टिकोणों की परिचर्चा करने हेतु प्रधानमंत्री के साथ साप्ताहिक श्रोता–कार्यक्रम आयोजित किया जाता है परंतु प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के निर्णय कन्वेन्शन के प्रति अधिक बंधनकारी होते हैं।

संवैधानिक राजतंत्र के लेखक व अर्थवेत्ता वॉल्टर बेगहोट के अनुसार– "संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत संप्रभुत्व के पास तीन अधिकार होते हैं– विचार–विमर्श किये जाने का अधिकार, प्रोत्साहित किये जाने का अधिकार एवं चेतावनी देने का अधिकार।"

राजसी विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए संसदीय अनुमोदन औपचारिकरूपेण आवश्यक नहीं होता। यद्यपि यह अत्यंत व्यापक है, यह अभी भी अतिसीमित है। रानी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए संसद के अधिनियम की मान्यता आवश्यक होती है, यथा नवीन करारोपण अथवा कर–एकत्रण। संसदीय प्रतिवेदन में बताया गया है– 'राजाधिराज नवीन विशेषाधिकार शक्तियां नहीं ला सकता।' संसद की शक्ति का अतिक्रमण विधान लाकर किसी विशेषाधिकार शक्ति द्वारा किया जा सकता है।

राजसी विशेषाधिकारों के अंतर्गत निम्नांकित सम्मिलित हैं–

- मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति
- असैनिक / नागरिक / दीवानी सेवाओं का विनियमन
- पासपोर्ट जारी करना
- युद्ध एवं शांतिसमय की उद्घोषणा
- सेना पर नियंत्रण
- संधियों में परिशोधन
- संधियां / गठजोड़ करना एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाचन (मध्यस्थता) को आगे ले जाना।

यूनाइटेड किंगडम के विधायी विधानों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाता जो रानी द्वारा अनुसमर्थित संधि के अनुरूप हो सकता हो क्योंकि विधान को स्वीकृत करना अथवा संशोधित करना संसद का दायित्व है। संप्रभुत्व भी सशस्त्र बलों (राजसी नौसेना, ब्रिटिश थलसेना एवं राजसी वायुसेना) के प्रधान सेनापति के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। ब्रिटिश उच्चायुक्तों एवं राजदूतों को अधिमान्य करने का व विदेशी प्रतिनिधमंडल से मिलने का दायित्व उसका है।

रानी (राजा) के विशेषाधिकार

बुलाये जाने, सत्रावसान् एवं संसद का संविलय रानी के विशेषाधिकार हैं। सभी संसदीय सत्र रानी के बुलाये जाने पर आरंभ किये जाते हैं। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के प्रभाग में सिंहासन से रानी संसद–सदस्यों को संबोधित करती है व नवीन संसदीय सत्र में शासन के कार्यक्रमों की मूल योजना प्रस्तुत करती है। प्रायः सत्र आरंभ किये जाने के एक वर्ष उपरांत सत्रावसान् किया जाता है एवं सत्र के मध्य में ऐसा आधिकारिक रूप में किया जाता है। संविलय किये जाने से संसद के कार्यकाल का समापन हो जाता है जिसे हाउस ऑफ़ कॉमन्स में सभी सीट्स के लिए साधारण निर्वाचन द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। भांति–भांति के कारण संविलय के समय को प्रभावित करते हैं। किसी भी संसद का कार्यकाल पांच वर्ष होता है। संसदीय कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात संसद अधिनियम 1911 के अनुसार आचार का स्थापित रूप संविलय है। विरल आकस्मिकता एवं संसद द्वारा ऐसा अनुमोदित किया जाना अपवाद हैं। इसका एक उदाहरण द्वितीय विश्वयुद्ध है जब संसद में सभी दलों की ओर से अत्यधिक गठबंधन किये गए थे एवं संसद को पांच वर्ष के सामान्य कार्यकाल से अधिक समयावधि तक बनाये रखा गया था। वैसे इस अवधि में तीन प्रधानमंत्री बदल दिए गए थे।

स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री की नियुक्ति वहां की (स्कॉटिश) संसद के अनुमोदन पर निर्भर होती है एवं वेल्स के प्रथम मंत्री को नियुक्त करने की शक्ति वहां की राष्ट्रसभा के पास होती है। उत्तरी आयरलैंड रानी पर निर्भर है। जहां तक स्कॉटलैंड–प्रसंगों का संबंध है तो रानी को स्कॉटलैंड शासन से विचार–विमर्श करते हुए कार्य करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार वेल्स के लिए रानी को यूनाइटेड स्टेट्स के मंत्रिमंडल व प्रधानमंत्री से विचार–विमर्श करना होता है। उत्तरी आयरलैंड सभा द्वारा पारित किसी विधान को अस्वीकृत करने के लिए निषेधाधिकार रानी के पास होता है, यदि कोई विधान उत्तरी आयरलैंड हेतु राज–सचिव को असंवैधानिक प्रतीत हो रहा हो तो।

ब्रिटिश संप्रभुत्व को 'न्याय का स्रोत' होने के लिए टाला जा सकता है। शासित करने की अथवा कोई वास्तविक न्यायिक शक्ति रानी के पास न होने के बावजूद न्यायिक कार्यक्रमों में इसका नाम लिया जाता है। साधारण विधानानुसार 'रानी अनुचित नहीं कर सकती' एवं उस पर कोई भी आपराधिक अभियोजन नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसके द्वारा अनुचित नहीं किया जाता। राजाधिराज कार्यवाही अधिनियम 1947 में राजाधिराज की सार्वजनिक क्षमता में प्रशासनिक मुकदमे (अर्थात शासन के विरुद्ध मुकदमे) दायर किये जाते हैं परंतु संप्रभुत्वयुक्त व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमे नहीं किये जाते। रानी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दोष सिद्ध अपराधियों को क्षमा कर सकती है एवं/अथवा उनके दंड को घटा भी सकती है।

रानी समस्त सम्मानों व प्रतिष्ठाओं का भी स्रोत है। उसे 'सम्मान का स्रोत' भी कहा जाता है। यह दायित्व एवं प्राधिकार रानी का है कि वह कुलीन जन–समुदाय का सृजन करे, शौर्य के क्रम में सदस्यों का चयन करे, वीरतापदक प्रदान करे, पुरस्कार व अन्य सम्मान प्रदान करे। योग्य व्यक्तियों को अधिकांश सम्मान व पुरस्कार सौंपने से पूर्व प्रधानमंत्री से विचार–विमर्श किया जाता है परंतु इनमें से कुछ तो रानी के दायित्व की परिधि में आते हैं। रानी के परामर्श से ही अनुदान दिया जाता है। यह दायित्व

मात्र रानी का होता है कि वह रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ़ द थिस्टल एवं ऑर्डर ऑफ़ द गार्टर के सदस्यों को नियुक्त करे।

तत्कालीन अवस्था में राजतंत्र की स्थिति

तिरेपन राष्ट्रसंघ राज्यों में से यूनाइटेड किंगडम सहित सोलह राज्यों में एक ही प्रकार का राजतंत्र है। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान राजतंत्र में रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय सन् 1952 में अपने पिता के पश्चात सिंहासनारूढ़ हुईं। वे संवैधानिक रानी के रूप में कार्य करती हैं। उनके शासन–काल में उनके कुछ दोषारोपित अनुयायी भी रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज–परिवार का दुष्प्रचार किया गया था परंतु अभी रानी सुदृढ़ होती प्रतीत हो रही हैं।

राजा एवं राजाधिराज

ब्रिटिश समाज में राजा एवं राजाधिराज के मान (स्टेटस) के संबंध में वाद–विवाद अनवरत किये जाते हैं। इक्कीसवीं शताब्दी में इन दोनों के मध्य भेद उतना प्रासंगिक हो अथवा नहीं, ब्रिटेन की राजनैतिक अर्थव्यवस्था में इन दोनों के मध्य भेद किया जाता रहा है। सरल शब्दों में राजाधिराज एक संस्थान है जबकि राजा (अथवा रानी) एक व्यक्ति जिसे इस संस्थान का भौतिक प्रधान माना जाता है। यह भेद समझाने के लिए यह कहावत उपयुक्त है– "राजा मृत है, राजा दीर्घायु हों"। इससे यह तथ्य छलकता है कि राजा की स्थिति धारण करने वाला व्यक्ति मृत है किंतु उसका पद बना रहता है।

मिस्टर सिड्नी लॉ के अनुसार– 'राजाधिराज एक सहज कार्य–परिकल्पना' है। सर मॉरिस एमोज़ के अनुसार– 'राजाधिराज तो संप्रभुत्वयुक्त शक्तियों, विशेषाधिकारों व अधिकारों का एक समुच्चय है'– एक वैध विचार। इस प्रकार राजाधिराज के अधिकार व शक्तियां ऐतिहासिकरूपेण राजा अथवा रानी के अधिकार व शक्तियां हैं। यथार्थ में रानी तो नाममात्र की मुखिया है अर्थात रानी के नाम पर व रानी की ओर से इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों द्वारा किया जाता है। ये मंत्री संसद द्वारा प्राधिकृत होते हैं एवं संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। डॉक्टर फ़िनर के अनुसार– "जब हम राजनीति में राजाधिराज के कार्यों की चर्चा करते हैं तो हमारा आशय प्रजा, संसद व मंत्रिमंडल से होता है जो ऐसा चालक–बल है जिसका निर्माण शताब्दियों से संवैधानिक विकास द्वारा स्थापित की जाती रही औपचारिक व्यवस्थाओं से होकर हुआ है। राजाधिराज तो मात्र एक प्रतीकात्मक आभरण है जो राजनैतिक ऊर्जा के इन समस्त प्रभावी केंद्रों के ऊपर किसी छत्र के रूप में अवस्थित है।" चार्ल्स द्वितीय के शासन–काल में इंग्लैंड के लेखक डेविड ऑग ने राजाधिराज को संसद में संप्रभुत्वयुक्त मंत्रियों (विशेषतया मंत्रिमंडलीय सदस्यों) का एक गूढ़ संयोजन कहा। इस प्रकार रानी राजाधिराज का अमूर्त रूप हुईं और मंत्रिमंडल उनका मूर्त रूप।

ब्रिटिश राजतंत्र की शक्तियां

ब्रिटिश रानी की शक्तियां निम्नलिखित स्रोतों से आती हैं–

(क) विशेषाधिकार

(ख) सांविधिक

पुरातन समय में ब्रिटिश रानी की शक्तियों को 'विशेषाधिकार' माना जाता था एवं संसद के अधिनियम द्वारा उसे सौंपे जाने जैसा कोई विषय नहीं हुआ करता था। काल बीतते–बीतते संसद ने रानी की शक्तियां घटानी आरंभ कर दीं। वर्तमान में रानी के पास चाहे जितनी शक्तियां हों, वे सभी राजाधिराज के विशेषाधिकार हैं।

संवैधानिक विशेषज्ञ ऐ.वी. डिसे के अनुसार विशेषाधिकार तो राजाधिराज के पास वैधानिकरूपेण बची निरंकुश व स्वविवेकाधीन शक्तियों के अवशेष हैं। अर्थात ऐसी शक्तियां जो प्रदान नहीं की गयी हैं वरन पहले से सौंपी गयी शक्तियां हैं जो मात्र इसलिए मिली हुई हैं क्योंकि वे पूर्वनिर्धारित हैं व उपयोग एवं स्वीकार करते हुए पुष्ट की जाती हैं। राजाधिराज की शक्ति का द्वितीय स्रोत संसद के अधिनियम हैं। ब्रिटिश संसद वर्ष बीतते जाने पर रानी की शक्तियां घटा सकती है परंतु उनमें वृद्धि भी करनी होगी। उदाहरणार्थ जब भी संसद द्वारा राजाधिराज पर नवीन कर अथवा प्रशासन का नवीन व्यापार–शुल्क लगाया जाता है तो अव्यक्त रूप से राजाधिराज की शक्तियां बढ़नी आरंभ हो जाती हैं। वैसे विशेषाधिकार अथवा संविधि से प्राप्त शक्ति महत्तापूर्ण नहीं है। राजाधिराज की वास्तविक महत्तापूर्ण शक्तियां तो परिवर्तनों को होने देने अथवा रोक देने से संबंधित हैं। यदा–कदा इन शक्तियों को घटा दिया जाता है तो कभी नवीन उत्कर्ष तक बढ़ने दिया जाता है।

राजाधिराज की शक्तियों को निम्नांकित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

- कार्यवाहक शक्तियां
- विधायी शक्तियां

कार्यवाहक शक्तियां– राजाधिराज की कार्यवाहक शक्तियां निम्नानुसार हैं–

- समस्त न्यायाधीशों, सैन्य व्यक्तियों, प्रशासनिक व कार्यवाहक अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति।
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं व कार्यों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति।
- राष्ट्रीय विधानों का निवर्तन करने की शक्ति।
- सशस्त्र बलों को नियंत्रित करने का प्राधिकार।
- विदेशों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार।
- क्षमा व दंडविराम शक्ति–प्रयोग करने का अधिकार।

उपरोक्त के साथ राजाधिराज के पास ये शक्तियां भी होती हैं कि वह संसद से बिना विचार–विमर्श किये युद्ध में जा सकता है अथवा शांति स्थापित कर सकता है अथवा विदेशों से संधियां अधोहस्ताक्षरित कर सकता है। वैसे कार्यवाहक शक्तियां वास्तव में मंत्रिमंडल अथवा ब्रिटिश शासन के मंत्रियों के पास ही होती हैं। मंत्रिमंडल एवं मंत्रियों का दायित्व देश के प्रशासन को संभालना भी होता है। वे कार्यालय के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं एवं ब्रिटिश विदेश–नीति को निर्दिष्ट करने के साथ ही संसद द्वारा किये जाने वाले व्ययों का भी निर्णय करते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन में वास्तविक सत्ता रानी/राजा के पास नहीं वरन मंत्रिमंडल एवं मंत्रियों के पास होती है।

संसद द्वारा रानी को प्रदत्त वास्तविक शक्ति वास्तव में मंत्रिमंडल को सौंपी जाती है। चूंकि रानी तो नाममात्र के लिए मुखिया है, अतः व्यक्ति के रूप में रानी को

संसद द्वारा कोई प्राधिकार नहीं प्रदान किया जाता। दया के विशेषाधिकार का प्रयोग प्राथमिकतया गृह–सचिव द्वारा किया जाता है। राजसी योगदान तो औपचारिकतामात्र होता है। यहां तक कि जब रानी प्रजा अथवा अपने व्यक्तियों को सम्मान प्रदान कर रही होती है तब भी पूर्व में ही वह अपने मंत्रियों से इस निमित्त अनुमति प्राप्त कर चुकी होती है। सम्मान प्राप्त करने वाले नामों को हटाने/जोड़ने के प्रति भी उत्तरदायी प्रधानमंत्री होता है, न कि रानी।

विधायी शक्तियां– राजाधिराज के पास कार्यवाहक शक्तियों सहित विधायी शक्तियां भी होती हैं। आभासी रूप से तो ब्रिटिश संसद के विधान हाउस ऑफ़ कॉमन्स व हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स से विचार–विमर्श/भेंट उपरांत रानी द्वारा पारित किये जाते हैं परंतु यथार्थ में रानी की कार्यवाहक शक्तियों की भांति विधायी शक्तियां भी नाममात्र की होती हैं। वास्तव में ये राजाधिराज के पास निहित होती हैं। आभासीरूपेण रानी द्वारा निम्नांकित कार्य किये जाते हैं–

- संसद के सत्र बुलाना व समाप्त करना।
- हाउस ऑफ़ कॉमन्स का संविलय।
- संसद द्वारा पारित विधेयकों को अपनी सहमति प्रदान करना।
- ऑर्डर–इन–काउंसिल जारी करना।

विधेयक तब तक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता जब तक कि रानी उस हेतु अपनी सहमति प्रदान न कर दे। वैसे संसद द्वारा विधेयक पारित कर दिए जाने के उपरांत रानी स्वयं निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। रानी द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब उसे 'उसे करने का परामर्श' मंत्रिमंडल ने दिया हो। अतएव वास्तविकता यह है कि मंत्रिमंडल ही वह संस्थान है जो इन समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

ब्रिटेन में राजतंत्र के अस्तित्व के कारण

ब्रिटेन में राजतंत्र के अस्तित्व के संबंध में निम्नांकित मुद्दों पर वाद–विवाद किया जाता है–

- ब्रिटेन में राजतंत्र के विरुद्ध मतदान करने की प्रणाली अब भी अपनायी जाती है। वैसे संसद द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए मतदान किया जा सकता है। राजद्रोहात्मक घोरापराध अधिनियम 1848 के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में व बाहर किसी व्यक्ति द्वारा 'हमारी दयामयी नारी रानी का रूपण, परिकल्पन, अवधारण, मुद्रण अथवा अवहेलना हेतु कोई कृत्य करना अथवा यूनाइटेड किंगडम के साम्राज्यी राजाधिराज के राजसी नाम/शैली अथवा सम्मान के साथ ऐसा कुछ करना राजद्रोहात्मक घोरापराध' होगा। अनेक राजतंत्रवादियों का मत है कि गणराज्य–लोकतंत्र का समर्थन करना राजद्रोहात्मक व अवैध है।
- ब्रिटेन में शासन के वर्तमान ढांचे का अस्तित्व दसवीं शताब्दी से है। प्रणाली अब बदल चुकी है। भले ही रानी को राज–मुखिया अब भी कहा जाता हो परंतु उसके पास अब कोई राजनैतिक शक्ति नहीं है। वर्तमान ढांचे में प्रधानमंत्री

अनुपयोगी कार्यक्रमों से मुक्त हो चुका है एवं राष्ट्र के नियंत्रण के दायित्व का प्रभार अब प्रधानमंत्री के पास है। ब्रिटेन में राजतंत्र के अस्तित्व का एक अन्य कारण यह भी है कि कोई अब तक इसका विकल्प नहीं खोज पाया।

टिप्पणी

वैसे महत्वपूर्ण यह है कि ब्रिटिश समाज में परिवर्तन लाया जाए व उसे प्रभावी एवं आधुनिक राज के रूप में स्थापित किया जाए।

ब्रिटेन में राजतंत्र के विरुद्ध सुझाये जाने वाले कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं–

- किसी विकसित राष्ट्र में वंशागत राजा को न्यायंगत नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह मध्ययुगीन फिरंगी समाज के सामंतवाद का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसी जीर्ण प्रणाली के समान है जो अपने समय व प्रयोजन को साधने में लिप्त हो। यह जनसाधारण को राजतंत्र से पृथक करते हुए वर्ग–दंभ अथवा वैभवलोभ एवं सामाजिक विभाजन को प्रेरित करती है। राजतंत्र प्रतिभातंत्र की प्रणाली का विरोधी है जहां लोगों को उनकी योग्यताओं के अनुसार पारितोषक व पद प्रदान किये जाते हैं, न कि जन्म के आधार पर। ब्रिटेन में जब तक राजतंत्र रहेगा तब तक वर्ग–प्रणाली भी अस्तित्व में रहेगी।
- इस तथ्य का औचित्य नहीं कि राजतंत्र तो मात्र औपचारिक पद है जो कर–दाताओं के धन पर आश्रित है। इस पूंजी का प्रयोग राष्ट्र–विकास के कार्यों में सरलता से किया जा सकता है। इसका निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, परिवहन एवं संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि बकिंघम पैलेस के कायाकल्प के लिए एक बार £50,000 की सार्वजनिक निधि लगा दी गयी थी। प्रासाद (महल/पैलेस) एक पर्यटन–स्थल है। राजतंत्र को समाप्त कर देने से इस पर्यटन केंद्र से प्राप्त धन से राजस्व बढ़ जाएगा। प्रासादों का प्रयोग राज–निवास के बजाय पर्यटन–स्थलों के रूप में किया जा सकता है।
- राजतंत्र में कालगणना की भ्रामक परंपराएं व धारणाएं बनी रहती हैं। इससे विश्व को यह संदेश जाता है कि ब्रिटेन अतीत के मध्यकाल में डूबा हुआ एक देश है व अब भी व्यतीत युग का अवशेष बना हुआ है। राजतंत्र के पनपने से कार्यशील वर्ग का क्षय होता है।
- राजतंत्र को अब अतीत जितना सम्मान प्राप्त नहीं होता। बहुधा ऐसे आरोप लगाये जाते हैं कि यह राज–मुखिया की प्रतिष्ठा का अधिकारी नहीं है क्योंकि इसमें संवेदनशीलता का अभाव है। अतिसीमित व्यक्तियों का ही यह दृष्टिकोण है कि इसे इसके वर्तमान स्वरूप में आगे बढ़ने दिया जाए। ब्रिटेन में राजतंत्र को जारी रखने की चर्चा से ब्रिटिश नागरिक बहुधा हताशा से भर जाते हैं।

ऐसा माना जाता है कि राजतंत्र एक शासन–शैली है परंतु इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है तथापि इसकी उपस्थिति से बहुतों को पीड़ा होती है। निदोर्षों की इस व्यथा के समाधान के लिए राजतंत्र का उन्मूलन अथवा कुछ सीमा तक इसका परिसीमन कर दिया जाए। राजतंत्र व्यर्थ का एक ढांचा है जिससे कोई सार्थक परिणाम नहीं उपजता तथा जातिवाद प्रेरित होता है जो कि स्वयं में एक बहुत बड़ी हानि है।

ऐसी आलोचनाओं के बावजूद यह प्रणाली अब भी अस्तित्व में इसलिए है, क्योंकि–

टिप्पणी

- राजतंत्र अब अपने यथार्थ स्वरूप में रह ही नहीं गया है। राज की प्रजा पर राजतंत्र से कोई प्रत्यक्ष कुप्रभाव नहीं पड़ता।
- ब्रिटेन का सुरक्षा–बोध राजाधिराज में ही है एवं इसके बिना तो घटनाओं की उतनी सार्थकता नहीं रह जाएगी।
- चूंकि वास्तविक अर्थ तो खो चुका है, इसलिए राजाधिराज का व्यवहार अप्रासंगिक है।
- राजतंत्र संवैधानिक है। इससे ब्रिटेन की पहचान अद्वितीय व विशेष देश के रूप में है।
- राजतंत्र में रानी उस स्थिति में है जहां से वह नागरिकों के कल्याणार्थ कार्य करने में समर्थ है।
- राजतंत्र की अपनी कोई सार्थकता नहीं है।
- राजतंत्र से दूर होने का कोई भी प्रयास ब्रिटेन की राष्ट्रीय जीवनशैली का भीषण उत्पीड़न होगा।

राष्ट्रीय पहचान : राजतंत्र एक राजचिह्न है

राजतंत्र उस युग के इतिहास का एक भौतिक प्रस्तुतीकरण है जब राजाओं/रानियों का शासन हुआ करता था। विभिन्न राजाओं के शासन–कालों में राष्ट्र में व्यापक उच्चावचन (उतार–चढ़ाव) आये। ब्रिटेन की रानी एक राष्ट्र–चिह्न है क्योंकि राष्ट्र की रानियों/राजाओं के इतिहास से इसका अभिन्न संबंध है। अन्य राजनैतिज्ञ अथवा व्यक्तित्व द्वारा इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यह अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के मध्य एक सजीव निरंतरता है।

परंपराओं, समारोहों इत्यादि में रानी राष्ट्र का वास्तविक निरूपण करती है। ब्रिटिश राजतंत्र राष्ट्र का एक सांस्कृतिक श्रृंगार है जिसके बिना यह दीन–हीन हो जाएगा।

रानी/राजा राष्ट्र राज में अद्वितीय परंपराओं एवं रीति–रिवाजों का प्रतिनिधि है। जिस विश्व में लोगों का मानना है कि शासन प्रजा के लिए हो व प्रजा द्वारा हो उसी विश्व में राजतंत्र अब भी अस्तित्व में है।

ब्रिटिश राजतंत्र की समाप्ति

ब्रिटेन में राजतंत्र की समाप्ति के लिए निम्नांकित तर्क किये जा सकते हैं–

- राजतंत्र के मूल्य लोकतंत्र के मूल्यों से सर्वथा भिन्न हैं।
- राजाधिकारियों द्वारा बहुत सारा राजधन व्यक्तिगत परिव्ययों में व्यय कर दिया जाता है, विशेषतया विलासपूर्ण समारोहों में।
- राज–परिवार की राजनैतिक शक्ति व हस्तक्षेप को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
- वित्तीय विवेकहीनता बरतने व वैवाहिक विरूपताओं के कारण विभिन्न सैन्यावासों से राज–परिवार की आलोचना की जाती रही है।

- ब्रिटिश समाज में जो भी अवांछित घटित हो उसे वर्तमान में बहुधा राजतंत्र व उसकी राजनैतिक प्रणाली से जोड़कर देखा जाता है।
- वर्तमान में अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्र है। इससे प्रजा में सुदृढ़ता आती है व उसे अपने नेताओं (जन–प्रतिनिधियों) का निर्वाचन करने का अधिकार प्राप्त होता है। विकसित देशों की प्रजा राष्ट्र–निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है। वह ऐसे लोगों को निर्वाचित करती है जो प्रजा के शासन का गठन करते हैं। ब्रिटेन इस विषय में राजतंत्र द्वारा पिछड़ा हुआ है।

अपनी प्रगति जांचिए

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

   (क) रानी (ख) राजा

   (ग) बादशाह (घ) सम्राट

2. रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय कब सिंहासनारूढ़ हुईं?

   (क) 2020 में (ख) 1920 में

   (ग) 1852 में (घ) 1952 में

1.3 ब्रिटेन : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका

ब्रिटेन में शासन का राजतंत्रात्मक रूप है, जो एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। वहां की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका बहुत संतुलित एवं अनुकरणीय है।

1.3.1 कार्यपालिका

आज ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो उत्कृष्ट रूप हमारे सामने है, वह कई ऐतिहासिक परिस्थितियों, अवसरों एवं योजनाओं का परिणाम है तथा इसका निरंतर विकास प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह बहुमत दल के संसदीय प्रमुखों का स्थायी किंतु अनौपचारिक संगठन है। प्रिवी परिषद् से मंत्रिमंडल का विकास हुआ। विस्तृत आकार के कारण प्रिवी परिषद् परामर्शदात्री समिति के योग्य नहीं रह गई थी। फलतः सम्राट ने प्रिवी परिषद् की अपेक्षा उसके कुछ विश्वासपात्र सदस्यों से महल के एक छोटे कमरे में विचार–विमर्श करना शुरू कर दिया। चार्ल्स द्वितीय ने इसके द्वारा मंत्रियों के वेतन भी निर्धारित किये।

मंत्रिमंडल

वैसे तो मंत्रिमंडल, केवल एक परामर्शदात्री संस्था है किंतु व्यवहार में इसे कार्यपालिका की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं। इसे न केवल कार्यपालिका अपितु व्यवस्थापिका की शक्तियां भी प्राप्त हैं। यह विधि निर्माण में सक्रिय भाग लेता है तथा समस्त प्रशासन का संचालन भी करता है। यद्यपि ब्रिटिश अभिसमयों के अनुसार, मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों तथा दृष्टियों के लिए लोकसदन के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु

व्यवहार में मंत्रिमंडल ही इस पर नियंत्रण रखता है। यदि संसद राजनीति रूपी शरीर का ध्येय है तो मंत्रिमंडल इसका मस्तिष्क है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. मंत्रिमंडल द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य तथा निर्णय के लिए कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता वरन् यह एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है।
2. ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में सम्राट को वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। उसे मात्र सम्मानित व्यक्ति के रूप में विशेष दर्जा प्राप्त है। संसदीय शासन पद्धति में राज्याध्यक्ष नाममात्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सम्राट मंत्रिमंडल का अंग नहीं होता और न ही वह इसकी बैठकों में भाग लेता है।
3. व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध : ब्रिटिश मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों का आधार है।
4. राजनीतिक सजातीयता : ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की अन्य विशेषता राजनीतिक सजातीयता है। मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में सभी मंत्री स्वतंत्र रूप से विचार–विमर्श करते हैं, किंतु एक बार निर्णय लिये जाने पर सभी उसका समर्थन करते हैं।

मंत्रिमंडल का संगठन एवं कार्य

मंत्रिमंडल के संगठन की चर्चा से पूर्व मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् के अंतर को समझना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद् का एक भाग मंत्रिमंडल है। मंत्रिपरिषद् एक बड़ा वृत है और उस बड़े वृत में मंत्रिमंडल को एक छोटे वृत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। छोटे–बड़े सभी मंत्रियों को मंत्रिपरिषद् में शामिल किया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल में कुछ प्रमुख विभागों के मंत्री ही होते हैं। मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या 60 से अधिक होती है, जबकि एक आदर्श मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 20 के लगभग होती है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति मंत्रिपरिषद् द्वारा क्रियान्वित की जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों की तरह मंत्रिपरिषद् की बैठकें नियमित रूप से नहीं होतीं।

मंत्रिमंडल का सदस्य सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों तौर से उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के साथ–साथ मंत्रिपरिषद् को भी त्यागपत्र देना पड़ता है।

ब्रिटेन में मंत्रियों की चार प्रमुख श्रेणियां होती हैं–

1. राजमहल के अधिकारी भी मंत्रिपरिषद् के सदस्य होते हैं, जैसे–कोषाध्यक्ष, नियंत्रक इत्यादि।
2. इसके अतिरिक्त कुछ संसदीय सचिव और उपसचिव भी होते हैं, जो कि विभागीय अध्यक्षों की सहायता करते हैं।
3. इनमें कुछ विभागाध्यक्ष होते हैं; जैसे–विदेश मंत्री, गृहमंत्री, वित्तमंत्री, सुरक्षामंत्री इत्यादि।
4. कुछ मंत्री विभाग रहित होते हैं, ये प्रायः वयोवृद्ध, अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। लार्ड चासलर, लार्ड प्रेसिडेंट इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं।

ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य

ब्रिटिश मंत्रिमंडल के मुख्य कार्य अग्रलिखित हैं–

1. **कार्यपालिका संबंधी कार्य :** मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य विदेश नीति तथा गृह नीति का निर्माण करना है। विभिन्न प्रकार की नीतियों के निर्माण के वक्त मंत्रिमंडल को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। नीतियां बनाने के कारण मंत्रिमंडल को देश की सर्वोच्च कार्यपालिका माना जा सकता है। मंत्रिमंडल का कार्य नीतियों को तैयार करना तथा उन पर संसद का अनुमोदन प्राप्त करना है। विभागीय नीतियों के लिए यह संसद के लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है।

2. **वित्त संबंधी कार्य :** पिछले कई वर्षों में मंत्रिमंडल की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई है। इसी कारण ब्रिटिश शासन की संसद प्रणाली में मंत्रिमंडल को केंद्र बिंदु माना जा सकता है। मंत्रिमंडल उस दल के नाम पर समस्त शासन का संचालन करता है, जिसे लोक सदन में बहुमत प्राप्त हुआ है। ताज द्वारा लार्ड चांसलर के परामर्श से महत्वपूर्ण न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सम्राट क्षमा प्रदान करने, दंड को कम करने अथवा स्थगित करने जैसे परमाधिकार का प्रयोग गृहमंत्री के परामर्श से करता है।

3. **व्यवस्थापिका संबंधी कार्य :** आजकल मंत्रिमंडल ही संसद की सहमति से विधि निर्माण करता है। मंत्रिमंडल, संसद में होने वाले वाद–विवाद के द्वारा देश के सम्मुख अपनी नीतियों को प्रतिपादित करता है। संसद के सामने सरकारी नीतियां प्रस्तुत करना, प्रश्नों के उत्तर देना तथा आवश्यक कानूनों का निर्माण करना मंत्रिमंडल के ही कार्य हैं।

मंत्रिमंडल का अधिनायकत्व

आज के युग में मंत्रिमंडल ही लोक सदन पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण इसे बीसवीं शताब्दी का 'मंत्रिमंडलीय अधिनायकत्व युग' कहा गया है। इसके पहले उन्नीसवीं शताब्दी में मंत्रिमंडल, संसद के अधीन रहकर कार्य करता था। वैधानिक दृष्टि में ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी और वास्तव में वह सर्वोच्च सत्ताधारी थी, किंतु दलीय अनुशासन प्रदत्त विधि निर्माण प्रशासकीय न्याय आदि सिद्धांतों के कारण, मंत्रिमंडल बहुत शक्तिशाली हो गया। मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं–

1. **मंत्रिमंडलीय अधिनायकत्व को संवैधानिक अधिनायकत्व :** वैब्सटर, अधिनियम की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि ''जो सरकार की शक्तियों का विशेषकर गणतंत्र में असीमित रूप से प्रयोग करे, उसे संविधानिक तानाशाह की उपाधि दी जा सकती है। मुनरो का कथन है कि लोकसभा, मंत्रिमंडल की इच्छा तथा नेतृत्व के अनुसार कार्य करती है। पिछली दो पीढ़ियों की अपेक्षा अब मंत्रिमंडल अधिनायकत्व ज्यादा कठोर है।

2. **प्रदत्त व्यवस्थापन :** प्रत्येक वर्ष राज्य के कार्यों में अधिकाधिक वृद्धि होने के कारण संसद को प्रतिवर्ष एक बड़ी मात्रा में कानूनों का निर्माण करना पड़ता

टिप्पणी

है। समय की कमी तथा कानूनों की कठिनता के कारण, वह विधि निर्माण की शक्ति कार्यपालिका को दे देती है और स्वयं केवल परिधि तैयार करती है। इसका प्रयोग मंत्रिमंडल सपरिषद् आज्ञा द्वारा करता है।

3. **सामूहिक उत्तरदायित्व** : मंत्रिमंडल के सभी मंत्री एक टीम की भांति काम करते हैं तथा संयुक्त रूप से लोक सदन के प्रति जिम्मेदार होते हैं। संसद में किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास समस्त मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र का कारण बन सकता है।

4. **प्रशासकीय न्याय** : प्रशासकीय न्याय के विकास ने भी मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि की है। कुछ विषयों में अपने से संबंधित अभियोगों के निर्णय का अधिकार विभिन्न मंत्रालयों को दे दिया गया। 1913 में पारित मार्ग यातायात अधिनियम के अनुसार, यातायात तथा परिवहन मंत्री को किराये की मोटर चलाने के लाईसेंस की अस्वीकृति की अपील सुनने का अधिकार है।

5. **संसद को विघटित करने की शक्ति** : मंत्रिमंडल को लोकसभा को विघटित करने का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। ब्रिटिश शासन पद्धति में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जारी किये जाने पर उसे तत्काल त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री, सम्राट से लोक सदन को भंग करने की मांग करने का अधिकार रखता है।

6. **संसदीय जीवन स्तर** : ब्रिटिश संसदीय जीवन स्तर, मंत्रिमंडल पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने में अयोग्य सिद्ध हुआ है। सत्रकालों में ही मंत्रिमंडल, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लगभग 6 माह तथा उससे अधिक समय तक संसद का कोई अधिवेशन नहीं होता और अवकाश काल में जनता को समाचार–पत्रों के अलावा शासकों की किसी भी गतिविधि में कोई जानकारी नहीं होती। संसद के सदस्यों के कई निजी कार्य होते हैं। वे संसदीय कार्यों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। ब्रिटिश प्रजातंत्र में शक्ति जन प्रतिनिधियों के हाथ से निकल कर मंत्रिमंडल के हाथ में पहुंच गई है। इस तालमेल को ही अधिनायकत्व कहा गया है। कई विद्वानों ने इस मंत्रिमंडल को अल्पकालीन अधिनायकत्व कहा है, क्योंकि कभी भी यह जन–भावनाओं की अपेक्षा नहीं कर सकता है। लावेल के शब्दों में मंत्रिमंडलीय निरंकुशता, वह निरंकुशता है जिसे अधिकतम प्रचार के साथ प्रयोग में लाया जाता है जो हमेशा आलोचना की कसौटी पर कसी जाती है और जनमत के अनुकूल ढलती है तथा जिसे अविश्वास प्रस्ताव और आगामी चुनाव का खतरा सदैव बना रहता है।

वित्तीय तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं के फलस्वरूप कार्यपालिका की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई है। लास्की ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रत्येक मंत्री के निर्णयों के पीछे संपूर्ण मंत्रिमंडल की सत्ता होती है। मंत्रिमंडलीय बैठकों में मंत्रियों को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित न होकर प्रधानमंत्री के परामर्श पर सम्राट द्वारा नियुक्त होता है। अतः शासन संचालन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल संसद का अनुगमन न करके उसका नेतृत्व करता है। शासन पद्धति से लोकतंत्र का अर्थ है कि शासन, संसद की सहमति से किया

जाये न कि स्वयं संसद द्वारा। संसद का कार्य केवल इस पर नियंत्रण रखना है। शासन का संचालन जनहित में तथा जनसेवार्थ होना चाहिए।

प्रधानमंत्री

ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति की अति शक्तिशाली पदस्थिति प्राप्त है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री सर्वोच्च शासक होता है। यद्यपि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री जैसी बहुत सी प्राचीन संस्थाएं हैं, किंतु आधुनिक संसदीय प्रणाली के अनुरूप, सन् 1721 में नियुक्त वाल्पोल को प्रथम प्रधानमंत्री माना जाता है। जब सम्राट जार्ज ने कैबिनेट की बैठकों में आना बंद किया, तब से कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री पद बना।

प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यताएं

प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिये—

1. प्रधानमंत्री बनने की पहली योग्यता यह है कि जनसाधारण के बीच उसकी छवि विश्वसनीय तथा लोकप्रिय होनी चाहिए।
2. उसे लोकसभा में बहुमत वाले राजनीतिक दल का नेता होना चाहिए। लार्ड सभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे छः माह में सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। यही शर्त मंत्रिपरिषदों पर भी लागू होती है।
3. यदि कोई सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि के कारण त्यागपत्र देते हैं तो विपक्षी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद का अवसर मिलता है, यदि सदन में उसका बहुमत हो।

पदमुक्ति

अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे सकता है। नये आम चुनावों के पश्चात् नये मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। लोक सदन में प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने अथवा विश्वास मत में हार हो जाने पर प्रधानमंत्री को पद त्याग करना पड़ता है।

प्रधानमंत्री की शक्तियां

प्रधानमंत्री एक ऐसा केंद्र है, जिसके चारों और समस्त शासन तंत्र परिक्रमा करता है। वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, संसद का नेता, सम्राट का प्रमुख परामर्शदाता, अपने दल का सर्वमान्य तथा सर्वोच्च शक्ति का साकार रूप होता है।

1. **मंत्रिमंडल का नेता :** मंत्रिमंडल का नेता व अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। वह ही सम्राट की सहसम्मति से मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उसमें विभिन्न विभागों का वितरण करता है। उसे मंत्रियों के चुनाव में पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। वह उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाध्य भी कर सकता है। सदस्यों की संख्या मंत्रिमंडल में कितनी हो तथा उसमें कौन–कौन से व्यक्ति लिये जायें, आदि सारे निर्णय प्रधानमंत्री संसद तथा दलीय कार्यपालिका के प्रभाव

से मुक्त होकर करता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल को गति प्रदान करता है तथा समस्त गतिविधि पर नियंत्रण रखता है। विभिन्न कार्यों में उत्पन्न मतभेदों का समाधान करता है तथा समन्वय स्थापित करता है। वह समस्याओं पर विचार करता है। यदि प्रधानमंत्री और किसी मंत्री में मतभेद हो जाये तो मंत्री को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। लास्की के अनुसार, ''ब्रिटिश प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के निर्माण, उसके जीवन एवं मृत्यु के लिए केंद्रीय स्थिति रखता है।"

2. **लोकसभा का नेता :** लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। शासन का प्रमुख अधिवक्ता होने के नाते प्रधानमंत्री ही समस्त सरकारी नीतियों पर अधिकारपूर्वक निर्णय देता है व उसका व्यक्तव्य किसी भी विषय पर प्रामाणिक तथा अंतिम माना जाता है। लोक सदन में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना अथवा किसी सहयोगी मंत्री द्वारा दिये भाषण में सुधार लाना, प्रधानमंत्री का कर्त्तव्य होता है। प्रधानमंत्री ही लोक सदन को नेतृत्व प्रदान करता है। बजट तैयार करना, सरकारी विधेयक तैयार करना इत्यादि कार्य प्रधानमंत्री के निरीक्षण में ही संपादित किये जाते हैं।

3. **दल का नेता :** प्रधानमंत्री अपने दल की केंद्रीय समितियों तथा संगठनों का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री के व्यक्तिव के साथ ही दल का भविष्य जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री दल का प्रमुख नेता व बहुमत दल का प्रमुख नेता होने के कारण उसका व्यक्तित्व सार्वजनिक रूप ग्रहण कर लेता है। संसदीय दल का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। एक बार प्रधानमंत्री बन जाने पर उसे राजनीतिक दल द्वारा नेतृत्व से वंचित करना कठिन हो जाता है। मुनरो कहता है "यह कोई नहीं जानता कि अन्य मंत्री कहां रहते हैं, परंतु मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जानता है कि 10 "डाऊनिंग" स्ट्रीट का क्या अर्थ है।

4. **सम्राट तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी :** मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। सम्राट और मंत्रिमंडल के साथ मध्य पक्ष व्यवहार प्रधानमंत्री के माध्यम द्वारा ही होता है। उसका उपनिवेशों के प्रधानमंत्रियों से सीधा संबंध होता है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों से सम्राट को अवगत कराता है। पूर्व में अन्य मंत्री सम्राट से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते थे, किंतु अब केवल प्रधानमंत्री ही ऐसा कर सकता है।

5. **विदेश नीति निर्माता :** प्रधानमंत्री, विदेश नीति का प्रमुख निर्माता होता है। यद्यपि यह विभाग इसके अधीन नहीं होता तथापि विदेश नीति के निर्माण और क्रियान्वयन पर उसका विशेष प्रभाव होता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति की महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है तथा विदेश मंत्री पर पूर्ण नियंत्रण रखता है।

6. **नियुक्ति तथा अवधि संबंधी शक्ति :** प्रधानमंत्री को नियुक्ति संबंधी अपार शक्तियां प्राप्त हैं। साम्राज्यों तथा राज्य की समस्त महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती हैं। वित्त मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री लोक सेवाओं और मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर नियंत्रण रखता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही सम्राट विशिष्टजनों को उपाधियों से विभूषित करता है।

प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत

एक बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पद पर चुन लिये जाने के बाद व्यापक शक्तियों के प्रयोग का अधिकारी हो जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों की मात्रा में अंतर हो सकता है। यह राजनीतिक परिस्थितियों एवं प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री के स्रोत तथा शक्तियों पर प्रतिबंध अग्रलिखित हैं–

1. **दलीय निष्ठा :** बहुमत दल सदैव अपने नेता की सफलता की कामना करता है। प्रधानमंत्री की स्थिति दलीय निष्ठा की मात्रा पर निर्भर करती है तो इससे दल के सदस्यों को भी लाभ पहुंचता है। यदि प्रधानमंत्री की नीतियों और तरीकों की सराहना होती है तो अगले चुनाव में उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लोक सभा में विश्वासघात करने पर सरकार का पतन हो सकता है और अगर नीतियां सही नहीं हो तो प्रधानमंत्री को प्रेस व जनता की आलोचना का सामना करना पड़ता है।
2. **मंत्रिमंडल तथा सेवाओं द्वारा सहयोग :** प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह अपनी इच्छा से मंत्रियों का चुनाव कर सकता है तथा उन्हें त्यागपत्र देने के लिए भी मजबूर कर सकता है। प्रधानमंत्री को लोकसेवाओं के सहयोग तथा मंत्रिमंडल की स्थिति से मजबूती प्राप्त होती है। लोक सेवा आयोग भी प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। यह शासन तंत्र को चलाने में प्रधानमंत्री भी सहायता करता है।
3. **संचार साधनों पर व्यापक प्रभाव :** ब्रिटेन प्रधानमंत्री को समस्त मंत्रिमंडल का अधिवक्ता माना गया है। यह अपने प्रेस सहायक, अधिकारियों के माध्यम से जन संबंधों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। समाचार–पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो और टेलीविजन के रिपोर्टर 10 डाऊनिंग स्ट्रीट को ही सूचना का केंद्र मानकर चलते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री और उसके कर्मचारी बने रहना चाहते हैं। विदेशों से आये मेहमान तथा विदेश यात्राओं का वह संचालन करता है। सत्ता का मुख्य केंद्र होने के कारण प्रधानमंत्री इस बात के लिए स्वतंत्र होता है कि कहां, कब और कैसे बर्ताव किया जाये ताकि विरोधी दल के नेता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके संतुष्ट हो सकें।
4. **आम चुनाव की तिथि निर्धारित करने का अधिकार :** प्रधानमंत्री द्वारा ही चुनाव की तिथि का निर्धारण किया जाता है। राजनीतिक दांवपेचों व परिस्थितियों के लिए प्रधानमंत्री ही उत्तरदायी होता है।

प्रत्येक मंत्रिमंडल का चुनाव प्रधानमंत्री द्वारा ही दिया जाता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, दलीय सचेतकों तथा अन्य दलीय उच्चाधिकारी से परामर्श कर सकता है तथा उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है।

प्रधानमंत्री पद की सीमाएं

प्रधानमंत्री सत्ता का मुख्य केंद्र है, उसको सर्व शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बावजूद वह, अनियंत्रित तथा स्वेच्छाधारी नहीं है क्योंकि व्यावहारिक तौर पर उसके आचरण पर अनेक

सीमाएं हैं, जैसे—दलीय अनुशासन, जनमत, दबाव समूह, सम्राट का परामर्श, साथियों का प्रभाव आदि।

प्रधानमंत्री की स्थिति

प्रधानमंत्री, शासन पद्धति में सबसे शक्तिशाली तथा मुख्य व्यक्ति है। देश का यथार्थ शासक प्रधानमंत्री ही है। वह सम्राट की अनुमति से किसी भी मंत्री का चुनाव कर सकता है तथा किसी भी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है। वह विदेशी नीति को क्रियान्वित करता है। विदेश यात्रा करने, विदेशी मेहमानों से मिलने तथा कई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन करने में प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है। प्रधानमंत्री, लोक सदन का नेता होता है। यदि विशेष कठिन परिस्थितियों में अन्य मंत्री संसद को संतुष्ट नहीं कर पाते तो संसद के सदस्य प्रधानमंत्री से शक्ति के नाते अपील करते हैं।

ब्रिटिश मंत्रिमंडल

अपने गौरव, अपनी सूक्ष्मता, अपनी परिवर्तनशीलता तथा बहुमुखी शक्तियों के कारण ब्रिटिश मंत्रिमंडल को संसदीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल संवैधानिक मशीनरी का सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में राज्य का हर कार्य सम्राट के नाम से किया जाता है परंतु व्यावहारिक रूप में मंत्रिमंडल ही सम्राट तथा मंत्रिमंडल की शक्तियों का उपयोग करता है।

सम्राट या क्राउन

प्राचीन समय के दौरान समस्त राजनीतिक शक्तियां सम्राट के अधीन थीं। लेकिन ज्यों—ज्यों समय बदलता गया व लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे तो प्रजातंत्र की मांग बढ़ने लगी व लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखने लगे। प्रजातंत्र के विकास के साथ सम्राट के अधिकार ताज में रूपांतरित हो गये। राजा, मंत्रिमंडल व संसद के विशेष समागम को ताज के नाम से नवाजा गया व आज के युग में सम्राट को केवल नाममात्र का संवैधानिक अध्यक्ष बना दिया गया तथा समस्त शक्तियों का प्रयोग क्राउन द्वारा होने लगा। सम्राट और ताज के मुख्य अंतर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

सम्राट का पद वंशानुगत होता था तथा इस वंशानुवाद के चलते एक समाज दो भागों में विभाजित हो गया—एक शासक व दूसरा शासित। सम्राट केवल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहे, लेकिन जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूलते गये, जिसके फलस्वरूप प्रजातंत्र की मांग बढ़ने लगी। इसी दौरान समस्त शक्तियां ताज में हस्तान्तरित होती चली गईं और प्रजातंत्र का बोलबाला होने लगा। धीरे—धीरे समस्त अधिकार ताज में परिणीत हो गये व सम्राट को केवल लेशमात्र का संवैधानिक अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया।

समस्त अधिकारों का उपयोग एक व्यक्ति द्वारा नहीं करके समाज के कल्याण हेतु सारे अधिकार एक संस्था को प्रदान कर दिये गये, जिससे कि मानव जाति का उत्थान हो सके व एक व्यक्ति विशेष की निरंकुशता समाप्त की जा सके। फाईनर ने कहा है, जब हम राजनीति में ताज के कार्यों की विवेचना करते हैं, तब हमारा तात्पर्य उस प्रेरक शक्ति से होता है, जिसका निर्माण जनता, संसद तथा मंत्रिमंडल ने शताब्दियों के संवैधानिक विकास द्वारा स्थापित कुछ औपचारिक प्रबंधानुसर किया है। ताज इन राजनीतिक शक्तियों के

असली केंद्र के ऊपर एक अलंकृत उपाधि है, जो 'स्वार्थ हितार्थ नहीं, सर्व हितार्थ' कार्य करने व अधिकारों का उपयोग करने के लिए अग्रसर है।

सम्राट नश्वर है, लेकिन ताज अमर है, ताज एक कृतज्ञ व्यक्ति है। वह संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सलाह से करता है। इसे सामान्य शब्दों में जन इच्छा द्वारा प्रेरित शासन कहा गया है।

क्राउन या ताज का सामान्य अर्थ है कि वह टोपी, जिसको सम्राट राजपद के चिन्ह स्वरूप धारण करता है। यह सम्मान, अधिकार व कर्त्तव्यों का प्रतीक है। यदि सैद्धांतिक तौर से परिभाषित करें तो वर्तमान समय में ब्रिटेन में राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में कर्त्तव्यों में लोकतंत्रात्मक कार्यप्रणाली को लागू किया गया है। आज समस्त शक्तियां सम्राट सहित सांसद को प्राप्त हैं। क्राउन कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। यह जन इच्छा द्वारा निर्मित एक संस्था है, जो जन हितार्थ कार्य करती है। इसके कुछ नियम, अधिकार तथा इसका संविधान है, जो जन हितार्थ कार्य करता है। यह नश्वर है अदृश्य है। यह शासन की समस्त शक्तियों का मिश्रित रूप है। आंग व जिक के शब्दों में, क्राउन सर्वोच्च कार्यपालिका तथा सरकार की नीति का निर्माण करने वाली संस्था है, जो जन हितार्थ कार्य करती है न कि मात्र व्यक्ति विशेष हितार्थ।

क्राउन की शक्तियों के स्रोत

क्राउन की शक्तियों के मुख्य दो स्रोत हैं–

1. परमाधिकार, एवं
2. संविधि।

1. **परमाधिकार :** परमाधिकार विभिन्न विभागों के संचालन एवं नियंत्रण से संबंधित है। यह सामान्य विधि पर आधारित है। जो अवशिष्ट शक्तियां मंत्रिमंडल को हस्तांतरित करने के उपरांत शेष रह गयी हैं, उन्हें सम्राट का परमाधिकार कहा गया है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अनेक रूपों में परिभाषित किया है। डायसी लिखते हैं "परमाधिकार उस स्वेच्छाधारी अथवा निरंकुश शक्ति का अवशेष है, जिसे किसी समय क्राउन के हाथों में छोड़ दिया गया हो। उसी प्रकार ब्लेकस्टोन लिखते हैं "परमाधिकार वह श्रेष्ठ है, जो सम्राट को किसी कानून द्वारा प्राप्त न होकर उसको अपने राजसी महत्त्व के कारण अन्य सभी व्यक्तियों के अतिरिक्त प्राप्त है।"

   परमाधिकारों के फलस्वरूप सम्राट को संसद के अधिवेशन को बुलाने, युद्ध अथवा तटथता की घोषणा करने, संधि और समझौते करने, न्याय करने, सेनाओं का संचालन करने इत्यादि के अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों का प्रयोग सम्राट मंत्रिमंडल की सलाह से करता है।

2. **संविधि :** संविधि में उन शक्तियों को शामिल किया गया है, जिन्हें संसद के द्वारा कार्यपालिका को सुपुर्द किया गया है। क्राउन की शक्तियां, संसद द्वारा निर्मित अधिनियमों पर आधारित हैं। इसमें महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण व विभिन्न विभागों पर नियंत्रण संबंधी अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा क्राउन की कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं, जो न संसदीय

अधिनियमों पर आधारित हैं, न परमाधिकार पर, अपितु वे अनिवार्यतः अधिकार की उपज हैं। किंतु समयोपरांत उन्हें सीमित अथवा परिभाषित कर दिया गया। समय–समय पर परिस्थितियों की मांग के फलस्वरूप उनमें कमी या वृद्धि होती रहती है। आंग और जिंक के शब्दों में ''किसी भी समय क्राउन की शक्तियां इन खींचतान से उत्पन्न अधिकारों का योग है।"

क्राउन की शक्तियां

सम्राट कार्यपालिका में एक नाममात्र का शासक है, जो किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। शासन की समस्त कार्यप्रणाली हो या गतिविधियां, मंत्रिमंडल ही संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। क्राउन की सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से सम्राट द्वारा किया जाता है। क्राउन की विभिन्न शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है–

1. **कार्यपालक शक्तियां :** कार्यपालिका की समस्त शक्तियां क्राउन में समाहित हैं। संपूर्ण देश का उत्तरदायित्व सम्राट पर ही होता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, सेनाध्यक्षों, न्यायधीशों व उच्च अधिकारियों की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती है। सम्राट राष्ट्रीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध अथवा तटस्थता की घोषणा सम्राट द्वारा की जा सकती है। वह अन्य देशों के साथ संधि व समझौते कर सकता है। क्राउन ही विदेशों में ब्रिटेन के राजदूतों और अन्य कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। वह अन्य देशों से आए हुए राजदूतों के प्रमाण–पत्रों को ग्रहण करता है। क्राउन ही राष्ट्रमंडलीय खेलों का औपचारिक अध्यक्ष होता है।

   अधिराज्यों के महाराज्यपाल की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण रखता है। वह संसद की स्वीकृति से राजस्व को एकत्रित कर सकता है।

2. **विधायी शक्तियां :** संवैधानिक दृष्टिकोण से विधि निर्माण का अधिकार सम्राट को प्राप्त है। किसी भी विधेयक को जब संसद द्वारा कानून का रूप दिया जाता है तो उसमें लिखा होता है "यह अधिनियम सम्राट द्वारा लार्ड सभा के सदस्यों की अनुमति से और उनके अधिकार से पारित किया गया है। संसद के अधिवेशन में सम्राट के द्वारा दिये गये प्रथम भाषण को सिंहासन भाषण कहा जाता है। सम्राट के पास प्रथम अधिवेशन बुलाने एवं उसे भंग करने का अधिकार होता है।''

   सिंहासन भाषण में शासन की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर प्रकाश डाला जाता है। इसके अतिरिक्त ताज सपरिषद् आदेश जारी करता है। यह आदेश साधारण प्रशासकीय नियम भी हो सकते हैं अथवा संसद द्वारा आज्ञा प्राप्त अधिनियम भी। सम्राट को विधेयकों पर विशेषाधिकार भी प्राप्त है। परंतु 1707 के बाद से इनका प्रयोग नहीं किया गया है। वैसे अब सम्राट इस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करता।

3. **न्यायिक शक्तियां :** ताज को न्याय का स्रोत माना गया है। ब्रिटेन के समस्त न्यायालयों को सम्राट का न्यायालय माना जाता है। प्राचीन काल में न्याय की अंतिम शक्ति सम्राट के सद्विवेक को मानते थे। यद्यपि ब्रिटेन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना की गई है तथापि ताज को अनेक न्यायिक शक्तियां

प्राप्त हैं। मंत्रिपरिषद् की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट ही करता है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर न्यायाधीशों को पदच्युत भी किया जा सकता है। ताज की ओर से ही समस्त फौजदारी मुकदमों पर विचार–विमर्श होता है। सम्राट प्रिवी कौंसिल की न्याय समिति के आधार पर उपनिवेशों व अधिराज्यों की अपील सुनता है। सम्राट को कई अधिकार प्राप्त है, जैसे–दंड को स्थगित करने, दंड में कमी करने व क्षमादान करने के। प्रशासनिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के उच्च पदाधिकारी भी कुछ क्षेत्रों में ताज के नाम पर न्यायिक निर्णय करते हैं।

4. **धार्मिक शक्तियां :** धर्म का अध्यक्ष ताज है। ब्रिटेन में एंग्लिकन तथा प्रेसबिटेरियन धर्म के ही अंग हैं। फलतः पदाधिकारियों की नियुक्ति, मिशन तथा अन्य धार्मिक कार्यों की अनुमति सम्राट ही प्रदान करता है। धर्म की राष्ट्रीय सभा की समस्त गतिविधियां सम्राट की अनुमति से होती हैं।
5. **अन्य शक्तियां :** सम्राट को सम्मान का स्रोत माना गया है। वह स्वयं समाज में सर्वाधिक सम्मानित व्यक्तिव व राष्ट्र के गौरव व एकता का प्रतीक है। सक्रिय रूप से सम्राट सामाजिक उत्सवों में भाग लेता है। वह अपने जन्म दिवस के तथा नववर्ष के उपलक्ष्य में विशिष्ट नागरिकों को उपाधियों से विभूषित करता है। सम्राट कुछ व्यक्तियों को संरक्षण भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से व नये 'पिअर' की नियुक्ति कर लार्ड सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, जिसका राजनीति में विशेष महत्व हो सकता है।

सम्राट के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां

सम्राट की स्थिति वैधानिक दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके विरुद्ध षड्यंत्र या विद्रोह की सजा मौत है। आंग ने कहा है, राजा को कुछ व्यक्तिगत उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त हैं। किसी न्यायालय में उसके व्यक्तिगत आचरण के विरुद्ध अभियोग नहीं लगाया जा सकता और न ही कोई वैधानिक प्रक्रिया लागू की जा सकती है। न उसे बंदी बनाया जा सकता है, न उसकी संपत्ति नीलाम की जा सकती है। जब तक वह किसी राजमहल में रहता है, उसके विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है।

सम्राट की वास्तविक स्थिति

सम्राट का पद केवल अलंकरण की वस्तु नहीं है और न ही उसकी स्थितिस्वर्णिम शून्य की है। ऐसे कई अवसर हैं कि जहां पर सम्राट अपनी बुद्धमता, निष्पक्षता, कूटनीतिज्ञता व कार्यकुशलता द्वारा शासन पद्धति पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। यद्यपि सम्राट का पद महान, प्रतिष्ठापूर्ण, गौरवशाली तथा प्रभावकारी है तथापि सरकार की वास्तविक सत्ता सम्राट में निहित नहीं होती। राज्य का प्रतीक सम्राट है, वह सुदृढ़ साम्राज्यों की एकता का आधार है। यदि ब्रिटेन में गणराज्य स्थापित हो जाता तो राज्याध्यक्ष को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों में सम्मान नहीं मिलेगा, जो साम्राज्ञी एलिजाबेथ को प्राप्त है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना भी सम्राट का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके प्रयोग के लिए वह निवृत्त होने वाले प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में सम्राट, संसदीय शासन में हस्तक्षेप भी कर सकता है। कीथ के मतानुसार, यदि सम्राट को ऐसा विश्वास दिया जाये कि सत्तारूढ़ दल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह मंत्रिमंडल को त्यागपत्र भेजने अथवा लोक सदन के विघटन पर जोर दे सकता है। कीथ के शब्दों में ''इस शक्ति का प्रयोग बुद्धिमतापूर्वक केवल गंभीर परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए।''

1.3.2 व्यवस्थापिका

ब्रिटिश संसद दुनिया की सबसे प्राचीन विधायी संस्था है। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्वकारी संसदों में से एक है। यह आज भी मतपत्र की सर्वोच्चता को मान्य करती है। संसद वेस्टमिंस्टर के महल में बैठती है। संयोग से, इंग्लैंड सरकार का संसदीय फोरम दुनिया का सबसे प्राचीन है।

संसद की उत्पत्ति और विकास

संसद के अंग्रेजी पर्याय पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द पार्ले से हुई है जिसका अर्थ विचार–विमर्श है। विधायिका, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के मूर्त रूप ब्रिटिश राजशाही में, यह सुविधाजनक पाया गया कि धन जुटाने के लिए लॉर्ड, बैरन (सामंतों) और आम लोगों से सलाह ली जाए। इसकी जड़ें नोमान काल के मैग्नम कॉन्सिलियम (ग्रेटर काउंसिल) में ढूंढ़ी जा सकती हैं। सिमोन डी मॉन्टफोर्ड ने सबसे पहले 1265 में पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल किया था और एडवर्ड फर्स्ट ने 1295 में प्रसिद्ध 'मॉडल पार्लियामेंट' बुलाई थी।

ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास में द्विसदनीय व्यवस्था संयोग से ही हो गई। 1295 में सामंतों और धर्मगुरुओं ने सामान्य लोगों के साथ बैठने से इन्कार कर दिया। ऐसे में दो सदन बनाए गए– हाउस ऑफ लार्ड्स, और हाउस ऑफ कॉमन्स। शुरू में हाउस ऑफ लार्ड्स ज्यादा सशक्त था, लेकिन 1832 के पहले सुधार अधिनियम के साथ ही हुए मताधिकार के विस्तार के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स लोकप्रिय और ताकतवर सदन हो गया। सन् 1832–1971 की अवधि के दौरान अनेक सुधार कानून बने जिनके जरिए धीरे–धीरे अठारह साल से ऊपर के हर युवा को मताधिकार मिल गया और इस प्रकार संसद के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होती गई।

संसद संप्रभु संस्था है। इसके पास कानून बनाने या रद्द करने का अधिकार है, और न्यायपालिका को इसकी अवहेलना करने या इसके कानून को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। सामान्य तौर पर संसद के पास निम्न अधिकार होते हैं–

(i) **कानून बनाने की शक्ति** – ग्रेट ब्रिटेन में सरकार एकल स्वरूप की होती है और इसलिए संसद के दोनों सदनों के पास समूचे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है। यही संसद का मुख्य कार्य है। व्यवहार में, इसके पास न समय होता है और न ही क्षमता और इसलिए पहल करने का काम मंत्रिमंडल का होता है। मंत्रिमंडल का ही विधायिका के साथ–साथ कार्यकारी क्षेत्रों में वर्चस्व होता है। इसके अलावा, विधायिका के क्षेत्र में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास हाउस ऑफ लार्ड्स की तुलना में ज्यादा शक्ति होती है।

(ii) **वित्तीय शक्ति** – संसद राष्ट्रीय कोष की संरक्षक होती है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि धन के मुद्दे पर ही राजा और संसद के बीच अधिकांश लड़ाई हुई है। आखिरकार यह तय किया गया कि वित्तीय मामलों में संसद ही सर्वोच्च होगी। इस तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स अधिक शक्तिशाली है और संसद अधिनियम, 1911 के प्रावधान के मुताबिक हाउस ऑफ लॉर्डस धन विधेयक को अधिकतम एक माह तक रोक सकता है। धन विधेयक पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में ही पेश किया जा सकता है।

(iii) **कार्यपालिका पर नियंत्रण** – कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जिम्मेदारी ही सरकार के संसदीय स्वरूप का आधार है। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां भी हाउस ऑफ लाड्र्स का नहीं, बल्कि हाउस ऑफ कॉमन्स का ही प्रभावी नियंत्रण होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मंत्रिमंडल को हटा सकता है। वह मंत्रिमंडल के किसी बिल या बजट प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। इसके सदस्यों के पास मंत्रियों से प्रश्न करने का अधिकार होता है। वे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

(iv) **जन–समस्याओं का प्रकटीकरण** – संसद सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा का और जन समस्याओं के प्रकटीकरण का मंच है। यह देश का दर्पण है। देश के विभिन्न हिस्सों में जो कुछ भी होता है, उस पर संसद में चर्चा की जा सकती है। यही कारण है कि संसद को देश का लघु चित्र कहा जाता है।

(v) **शिक्षात्मक कार्य** – कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के अलावा संसद शिक्षात्मक कार्य भी करती है। इसकी बहसों से लोगों को बेशकीमती राजनीतिक शिक्षा मिलती है, और उनमें जागरूकता की प्रक्रिया शुरू होती है। समाचार–पत्र, रेडियो और टेलीविजन इस बहस को अधिकाधिक प्रचारित करते हैं। इससे ग्रेट ब्रिटेन में जनमत को शिक्षित करने और तैयार करने में सहायता मिलती है। इसमें विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अवसर मिलता है।

(vi) **विविध कार्य** – संसद अपने सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षण करती है। यह भविष्य के संसदीय नेताओं और मंत्रियों के लिए प्रशिक्षण स्थल भी है। इसके सदस्य, खासतौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य अपनी प्रतिभा, योग्यता, बुद्धि और व्यावहारिक नेतृत्व के गुण दर्शाते हैं।

द्विसदनीय व्यवस्था और संसद

ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्विसदनीय है। इसमें निम्न दो सदन होते हैं–

- हाउस ऑफ कॉमन्स
- हाउस ऑफ लाड्र्स।

हाउस ऑफ कॉमन्स लोकप्रिय सदन है जिसके सदस्य जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित होकर आते हैं। इसे 'ब्रिटिश लोकतंत्र की सर्वाधिक विशिष्ट संस्था' कहना बिलकुल सही है। इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं जो समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स अब पूरी तरह से निर्वाचित सदन है और इसने अपना मौजूदा

टिप्पणी

स्वरूप लोकतंत्रीकरण की लंबी प्रक्रिया के जरिए हासिल किया है। ब्रिटिश लोकतंत्र का आवश्यक आधार स्वतंत्र चुनाव है। हाउस ऑफ कॉमन्स में वर्तमान में 635 सदस्य होते हैं। ये सदस्य एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र से पांच साल के लिए चुने जाते हैं और ये चुनाव क्षेत्र भौगोलिक आधार पर तय होते हैं।

अगर सदन अपने निर्धारित कार्यकाल से पहले भंग हो जाता है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। आम तौर पर सदन का कार्यकाल पांच साल से आगे नहीं बढ़ाया जाता लेकिन युद्ध और आपातकाल जैसे बड़े राष्ट्रीय संकट के समय इसे बढ़ाया जा सकता है। 1910 में निर्वाचित हाउस ऑफ कॉमन्स प्रथम विश्वयुद्ध के कारण 1918 तक काम करता रहा और 1935 में निर्वाचित सदन द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण 1945 तक कार्यरत रहा।

हाउस ऑफ लाड्र्स दुनिया का सबसे पुराना उच्च सदन है। दूसरे सदन के रूप में यह करीब एक हजार साल से भी ज्यादा समय से वजूद में है। इसमें एक हजार से ज्यादा पीयर ऑफ लाड्र्स हैं। पीयर शब्द का आशय 'समान' होता है, और मूल रूप से यह राजशाही के सामंत टेनेंट्स–इन–चीफ (जमींदार, जागीरदार) के लिए इस्तेमाल होता था। टैनेंट्स–इन–चीफ के पास कमोबेश समान विशेषाधिकार होते थे और जब नई संसद की बैठक होती थी, तब राजा उन्हें बुलाता था। यह परंपरा ही बन गई थी कि जब नई संसद बैठती थी, तो राजा उन्हीं पुराने सामंतों को बुलाता था जो पिछली संसद के समय आए थे।

अगर पिछली बार आए सामंतों में से किसी की मौत हो जाती थी, तो उसका सबसे बड़ा बेटा बुलाया जाता था। इस प्रकार पीयरशिप ज्येष्ठाधिकार के कानून के तहत वंशानुगत हो गई, जिसमें सबसे बड़े बेटे को पिता की विरासत मिलती है और वह हाउस ऑफ लाड्र्स का सदस्य बन जाता है।

वर्तमान में हाउस ऑफ लाड्र्स में निम्न श्रेणियों के सामंत शामिल हैं–

- शाही परिवार के राजकुमार
- वंशानुगत सामंत या पीयर्स
- स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि सामंत
- आयरलैंड के प्रतिनिधि सामंत
- अपीलीय लाड्र्स
- आध्यात्मिक लाड्र्स
- लाइफ पीयर्स।

हाउस ऑफ लाड्र्स के सदस्यों के पास कुछ विशेषाधिकार और कुछ अपात्रताएं होती हैं। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और सार्वजनिक मामलों पर चर्चा के लिए वे व्यक्तिगत रूप से राजा से मिल सकते हैं। जब हाउस ऑफ लाड्र्स का सत्र चल रहा हो, उस समय उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लब्ध–प्रतिष्ठित लोगों को ही पीयर बनाया जाता है, ताकि देश उनकी सेवाओं का लाभ उठा सके।

1.3.3 न्यायपालिका

न्यायपालिका का किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत सम्मानित स्थान होता है। अगर किसी लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावशाली होना है तो उसके लिए जरूरी है कि सांसदों के बनाए कानून लागू हों और उनका पालन बिना किसी भय और पक्षपात के हो। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि संसद के कानून स्व–संचालित नहीं होते, इसलिए एक न्यायिक अंग की जरूरत पड़ती है जो इसके संचालन को देख सके। हैमिल्टन का विचार है, 'कानून की स्थिति मृत अक्षरों के समान है जब तक कि अदालतें उनकी व्याख्या न करें और उनका सच्चा अर्थ और संचालन न समझाएं'। इस प्रकार, सभी लोकतांत्रिक देशों में कानून की अदालतें होती हैं, और इंग्लैंड भी इसका अपवाद नहीं है।

ब्रिटिश न्यायपालिका का आज वर्तमान संगठन तुलनात्मक रूप से आधुनिक है। हालांकि अदालतें अपने आप में काफी पुरानी हैं, फिर भी सन् 1873–1876 के जूडिकेचर एक्ट (न्यायाधिकरण अधिनियम) के जरिए इनका पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया था जिसमें 1925 के एक्ट के जरिए संशोधन किया गया था। 1873 के पहले, इंग्लैंड के न्यायिक संगठन में अराजकता की स्थिति थी, जिसमें अनेक अदालतों के पास विशेष कार्य थे, प्रक्रिया लंबी थी और न्याय क्षेत्र एक दूसरे का अतिक्रमण करते थे। 1873 के कानून के जरिए अदालतों का पुनर्गठन किया गया और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

कानून का शासन ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का आधार है। इंग्लैंड में तीन तरह के कानून होते हैं, कॉमन लॉ (सामान्य विधि), स्टेट्यूट लॉ (संविधि) और इक्विटी (स्वाभाविक न्याय)। ब्रिटेन में अदालतें बिना किसी भय या पक्षपात के इन तीन तरह के कानूनों को लागू करती हैं। संविधि को छोड़कर, सामान्य विधि और स्वाभाविक न्याय दोनों ही न्यायपालिका द्वारा निर्धारित दोनों परंपराओं, रिवाजों और नैतिकताओं पर आधारित हैं। ब्रिटिश न्यायपालिका का यह स्वीकार्य सिद्धांत है कि अगर किसी जज ने कोई निर्णय दिया तो वह उसी तरह के अन्य मामलों में भी लागू होना चाहिए, जब तक कि उसे किसी उच्चतर अदालत से रद्द न कर दिया जाए, या संसदीय कानून उस मुद्दे को निपटा न दे।

ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं

ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं–

(i) **अदालतों की निष्पक्षता और अंतर्निर्भरता** – ब्रिटिश न्यायपालिका में सबसे पहली जो चीज दिखती है, वह सच्चाई, निष्पक्षता और शुचिता है। जज बिना किसी भय या पक्षपात के अपने निर्णय सुनाने को स्वतंत्र हैं। 1701 के बंदोबस्त अधिनियम (एक्ट ऑफ सेटलमेंट) के अनुसार, ग्रेट ब्रिटेन में न्यायाधीश अच्छे आचरण के कारण पद पर होता है न कि अधिकारियों की खुशामद करके। इस प्रकार, वहां निष्पक्ष और निर्भय न्याय वितरण की अच्छी परंपरा है।

(ii) **न्यायिक समीक्षा की अनुपस्थिति** – इंग्लैंड में कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होती और इस तरह से न्यायपालिका संसद के किसी कानून को अधिकार से परे घोषित नहीं कर सकती। यह स्थिति अमेरिका से एकदम विपरीत है। इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता होने के कारण संसद कोई भी कानून पारित कर सकती है और कोई भी अदालत उसके अधिकार को चुनौती नहीं दे सकती।

(iii) **पृथक प्रशासनिक अदालत की अनुपस्थिति** – इंग्लैंड में कोई अलग से प्रशासनिक अदालत नहीं होती, जबकि फ्रांस और अन्य महाद्वीपीय देशों में देखें तो अलग प्रशासनिक अदालतें होती हैं। फ्रांस में दो तरह के कानून होते हैं– सामान्य और प्रशासनिक और अदालतें भी दो तरह की होती हैं–सामान्य और प्रशासनिक। प्रशासनिक लोगों पर प्रशासनिक अदालतों में प्रशासनिक कानूनों के तहत मुकदमा चलता है। इंग्लैंड में अधिकारियों और सामान्य नागरिकों के बीच इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता और सभी पर एक ही कानून की अदालत में मुकदमे चलते हैं।

(iv) **एक समान न्यायिक संगठन की अनुपस्थिति** – पूरे देश में कोई एक समान न्यायिक प्रणाली नहीं है। इंग्लैंड और वेल्स में एक तरह की अदालतें हैं, जबकि स्कॉटलैंड के लिए अलग तरह की और उत्तरी आयरलैंड में एक और तरह की अदालतें होती हैं। कई बार तो हर अदालत की भी अपनी विशिष्ट प्रक्रिया और तरीके होते हैं। 1873–76 के न्यायाधिकरण कानूनों के तहत एकरूपता लाने की कोशिश हुई लेकिन ये भी पूरे देश में एक समान न्यायिक संगठन बना पाने में असफल रहे।

(v) **जूरी प्रणाली** – जूरी प्रणाली की मौजूदगी ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की एक और प्रमुख विशेषता है और गंभीर अपराधों के मुकदमों में, इंग्लैंड में सबसे निचली और सबसे ऊंची अदालत को छोड़कर, बाकी सभी अदालतों में जूरी के सामने सुनवाई की मांग की जा सकती है। इंग्लैंड जूरी प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोई न्यायिक अधिकारी आरोप तय करता है और फिर न्यायाधीश, जूरी के सहयोग से सुनवाई करता है। जूरी प्रणाली ने निष्पक्षता, निर्भयता, विद्वता और सामान्य बुद्धि का प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ भी कई निर्णय दिए हैं।

(vi) **इंग्लैंड और वेल्स में अदालतों का एकीकरण** – इंग्लैंड और वेल्स में अदालतों की अलग–अलग संरचनाएं थीं जिनकी प्रक्रियाएं और न्याय क्षेत्र आपस में टकराते थे। अब समूची न्याय प्रणाली की संरचना फिर से की गई है और उसे लॉर्ड चांसलर के अधीन लाया गया है। इस प्रकार, इंग्लैंड और वेल्स की न्यायिक प्रणालियों का एकीकरण किया गया है। न्यायिक प्रणाली को व्यावहारिकता के दायरे में अधिक से अधिक आसान और कम खर्चीला किया गया है।

(vii) **निजी स्वतंत्रता की संरक्षक** – इंग्लैंड में अदालतें लोगों की स्वतंत्रता की संरक्षक होती हैं। लोगों की स्वतंत्रता की गारंटी संसदीय कानूनों के तहत नहीं, बल्कि देश के सामान्य कानून के तहत मिलती है। कानून के शासन की अवधारणा न्यायिक संरचना के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है।

(viii) **न्याय की उच्च गुणवत्ता** – अंग्रेजों को अपनी अदालतों में मिलने वाले न्याय की उच्च गुणवत्ता पर गर्व है। मुकदमों की सुनवाई और फैसले खुली अदालत में होते हैं। न्यायाधीश उच्च स्तर की स्वतंत्रता, योग्यता और ईमानदारी का प्रदर्शन करते हैं। नियम और प्रक्रियाएं भी सरल और तार्किक होते हैं। ब्रिटिश

न्यायिक प्रणाली में स्वतंत्र दृष्टिकोण की जड़ें गहराई तक जमी हैं। न्यायाधीश न्याय और निष्पक्षता के अलावा और किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आते।

इंग्लैंड में अदालतें 'समय बर्बाद करने वाली गप–शप, बाल की खाल निकालने की चाल' को सहन नहीं करतीं, जबकि अमेरिकी अदालतों में वकीलों को इस तरह की चालबाजी की खुली छूट रहती है। न्यायाधीश अदालत में अपने कक्ष में नियम लागू करता है, और अपने फैसलों पर अपील की अनुमति तब तक नहीं देता, जब तक कि ऐसा करने के लिए उसे बहुत उचित कारण न लगे।

ब्रिटिश न्यायपालिका की संरचना

अंग्रेजी या एंग्लो–सेक्सन न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे पुरानी है। इस पर दुनिया की अन्य न्यायिक प्रणालियों का भी बहुत प्रभाव रहा है। इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान तो है नहीं, इसलिए वहां कोई कठोर कानूनी संहिता भी नहीं है। हाल के समय में, न्यायिक प्रणाली को फिर से संरचित करने के प्रयास कुछ हद तक हुए हैं। न्यायाधिकरण कानून, 1873–76 आधुनिक समय में न्यायिक प्रणाली को फिर से संरचित करने के पहले प्रयास थे। इन कानूनों के तहत न्यायाधिकरण की सर्वोच्च अदालत स्थापित की गई जिसमें हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस और अपीलीय अदालत शामिल हैं। 1925 का अधिनियम और अदालत अधिनियम, 1971 ने इसकी संरचना में कुछ बदलाव किए।

ग्रेट ब्रिटेन में अदालतों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है– दीवानी और फौजदारी। ये विभाजन दुनिया की सभी न्यायिक प्रणालियों में तकरीबन समान है।

1. फौजदारी अदालत या क्रिमिनल कोर्ट

फौजदारी अदालत के विभिन्न पहलू नीचे बताए अनुसार हैं–

(i) **शांति के न्यायाधीश (जस्टिस ऑफ पीस)** – निचली फौजदारी अदालतें शांति के न्यायालय या जस्टिस ऑफ पीस हैं। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप होता है तो उसे मुकदमे के लिए एक या अधिक जस्टिस ऑफ पीस के सामने पेश किया जाता है। बड़े शहरों में उसे वैतनिक मजिस्ट्रेट (स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट) के सामने पेश किया जाता है। शांति न्यायाधीश अवैतनिक होते हैं और उनकी नियुक्ति लॉर्ड चांसलर करता है। उन्हें कोई कानूनी प्रशिक्षण नहीं मिला होता है। ये समाज के बिलकुल सामान्य लोग होते हैं जो हर तबके से लिए जाते हैं। स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट वेतनभोगी होते हैं। उनकी नियुक्ति गृहसचिव करता है और उन्हें अपने क्षेत्र या शहरी जिलों से नियमित वेतन मिलता है। उनके पास कम से कम 7 साल का वकालत (बैरिस्टर होने) का अनुभव होना चाहिए। उनकी नियुक्ति राजा करता है।

शांति न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों का न्याय क्षेत्र छोटे अपराधों तक ही होता है जिन पर बीस शिलिंग तक का जुर्माना या 14 दिनों तक की कैद हो सकती है। गंभीर मामलों की सुनवाई दो या अधिक न्यायाधीशों की पीठ करती है। इसे कोर्ट ऑफ पेटी सेशन कहते हैं, जो 100 पाउंड तक का या कुछ खास मामलों में 500 पाउंड तक का जुर्माना अथवा छह माह तक की या कुछ खास मामलों में एक साल तक की कैद की सजा सुना सकती है। अगर सजा तीन माह की

कैद से ज्यादा की है तो आरोपी जूरी के सामने सुनवाई की मांग कर सकता है।

(ii) **कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन (तिमाही सत्र न्यायालय)** – कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन दीवानी मामलों की अगली उच्च अदालत होती है। निचली अदालतों की अपीलें इसमें की जाती हैं। इसमें समूचे देश से दो या अधिक न्यायाधीश होते हैं। बड़े नगरों में इसकी अध्यक्षता एक मजिस्ट्रेट करता है। यह अदालत साल में चार बार लगती है, इसलिए इसे क्वार्टर सेशन या तिमाही सत्र न्यायालय कहते हैं। इसके पास गंभीर आपराधिक मामलों का मूल न्यायाधिकार होता है और वास्तव में इसमें ही अधिकतर गंभीर मामलों की सुनवाई होती है।

(iii) **सत्र न्यायालय या कोर्ट ऑफ एसाइजेज** – सत्र न्यायालय या कोर्ट ऑफ एसाइजेज काउंटी शहरों और कुछ बड़े शहरों में होती हैं और साल में तीन बार लगती हैं। ये अदालतें हाईकोर्ट की खंडपीठें होती हैं। ऐसी हर अदालत की अध्यतक्षता हाईकोर्ट के एक या अक्सर दो न्यायाधीश करते हैं, जो सर्किट में जाते हैं। पूरा देश आठ सर्किटों में विभाजित है। लंदन का कोर्ट ऑफ एसाइजेज सेंट्रल क्रिमिल कोर्ट कहलाता है और आम लोग इसे ओल्ड बैली कहते हैं। एसाइजेज के न्यायाधिकार में हथियारबंद लूट, अपहरण, हत्या जैसे गंभीर अपराध आते हैं। एसाइज कोर्ट की सहायता के लिए दस स्थानीय लोगों की जूरी होती है और जूरी ही निर्णय सुनाती है। चाहे आरोपी दोषी हो या न हो, लेकिन अगर जूरी ने उसे निर्दोष पाया तो उसे तत्काल आरोपमुक्त कर दिया जाता है। दूसरी ओर, अगर वह दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसकी सजा तय करता है।

क्वार्टर सेशन या एसाइजेज के निर्णय के खिलाफ आरोपी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील (आपराधिक अपीलीय अदालत) में अपील कर सकता है। इस अपीलीय अदालत की स्थापना 1907 में की गई थी और उसके पहले आपराधिक मामलों में अपील का कोई प्रावधान था ही नहीं। अपीलीय अदालत में लॉर्ड चीफ जस्टिस होता है और रानी की पीठ (क्वीन्स बेंच) के कम से कम तीन जज होते हैं।

अदालत बिना जूरी के लंदन में लगती है। अगर अदालत पाती है कि न्याय में कोई गंभीर चूक है तो वह सजा में सुधार कर सकती है या सजा को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। आपराधिक अपीलीय अदालत का निर्णय अंतिम होता है, सिवाय कुछ ऐसे दुर्लभ मामलों के जब कोई अपील कानून के प्रश्न पर हाउस ऑफ लार्ड्स में की जा सकती हो और जब अटॉर्नी जनरल ऐसा प्रमाणपत्र दे दे कि ये मुकदमा अपील के योग्य है।

2. दीवानी अदालत या सिविल कोर्ट

(i) **काउंटी कोर्ट :** काउंटी कोर्ट नागरिकों के लिए सबसे निचली अदालत होती है। इसमें वे मुकदमे चलते हैं जिनमें 500 पाउंड से ज्याद की सजा न हो सकती हो। इसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश करता है और जो जरूरत समझे तो जूरी की सहायता ले सकता है। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान होती है। जहां काउंटी कोर्ट लगती है, वहां रजिस्ट्रार होता है जो मुकदमे वापस करवा कर या समझौता कराकर अधिकतर मुकदमे निपटा देता है और उन्हें न्यायाधीशों के सामने पेश

ही नहीं करता। यह ध्यान देने की बात है कि काउंटी कोर्ट काउंटी संरचना का हिस्सा नहीं होते और उनका न्यायाधिकार क्षेत्र एक जिला होता है जो कि एक काउंटी से भी छोटा होता है और उसका काउंटी से कोई संबंध नहीं होता।

टिप्पणी

काउंटी कोर्ट के न्यायाधीशों और रजिस्ट्रारों को राष्ट्रीय कोष से वेतन दिया जाता है और वे अपने अच्छे आचरण के बल पर ये पद पाते हैं।

(ii) **सुप्रीम कोर्ट ऑफ जूडीकेचर :** काउंटी अदालतों का अगला स्तर सुप्रीम कोर्ट होता है जो दो शाखाओं में विभाजित होता है।

(क) हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस

(ख) कोर्ट ऑफ अपील या अपीलीय अदालत

हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस

हाईकोर्ट के तीन खंड या डिवीजन होते हैं–

- क्वीन्स बेंच डिवीजन
- चांसरी डिवीजन
- मृतलेख परीक्षण, तलाक एवं एडमरल्टी डिवीजन जिसे 1971 में फैमिली डिवीजन या पारिवारिक खंड का नाम दिया गया।

इनमें से हर खंड में, निर्णय एक पीठ देती है जिसमें एक या एक से अधिक न्यायाधीश होते हैं। क्वीन्स बेंच की अध्यक्षता इंग्लैंड के लॉर्ड चीफ जस्टिस करते हैं और इसमें बीस अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। हाईकोर्ट में भेजे गए मुकदमों समेत यह पीठ सामान्य विधि के अधिकतर मुकदमों की सुनवाई करती है।

चांसलर डिवीजन की अध्यक्षता लॉर्ड हाई चांसलर करता है और इसमें पांच अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसमें उन मुकदमों की सुनवाई होती है जो पूर्व में कोर्ट्स ऑफ इक्विटी से संबंधित थे अथवा जिनमें निदान या कानून अपर्याप्त हैं।

मृत लेख परीक्षण, तलाक या वैवाहिक खंड की अध्यक्षता सात अन्य न्यायाधीशों समेत एक अध्यक्ष करता है। ये ऊपर बताए तीन मामलों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई खासतौर पर करते हैं। इस खंड को 1971 के बाद से पारिवारिक खंड कहा जाने लगा।

कोई भी न्यायाधीश ऊपर बताई किसी भी डिवीजन में बैठ सकता है और सभी में उनके कर्तव्य के दायरे में सामान्य विधि या इक्विटी को लागू करते हैं।

(iii) **अपीलीय अदालत :** अपीलीय अदालत हाईकोर्ट की तीनों डिवीजनों और काउंटी कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण है। अपील केवल ठोस कानूनी प्रश्नों पर की जाती है, न कि केवल तथ्यों पर। अपीलीय अदालत दो या तीन डिवीजनों में लगती है या कभी–कभार बहुत महत्वपूर्ण मुकदमों में सभी लॉर्ड न्यायाधीश एक साथ बैठते हैं। अपीलीय अदालत में गवाही नहीं होती और न ही जूरी होती है। अपील वाले मुकदमों के लिए अदालत सुनवाई करती है। लॉर्ड चांसलर इसका अध्यक्ष होता है। हाउस ऑफ लाड्र्स अपीलीय अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर सकता है। इस प्रकार, दीवानी

मामलों में, काउंटी कोर्ट होते हैं, हाईकोर्ट होता है, अपीलीय अदालत होती है, और सर्वोच्च अपीलीय अदालत के रूप में हाउस ऑफ लार्ड्स होता है।

(iv) **सर्वोच्च अपीलीय अदालत के रूप में हाउस ऑफ लार्ड्स** : हाउस ऑफ लार्ड्स केवल विधायिका की संस्था नहीं है, बल्कि यह शक्तिशाली न्यायिक अंग भी है। इंग्लैंड में दीवानी और फौजदारी, दोनों तरह के मुकदमों में ये सर्वोच्च अदालत है। जब हाउस ऑफ लार्ड्स अपने न्यायाधिकार से संबंधित कार्य को करता है तो पूरा सदन कभी अदालत के रूप में नहीं बैठता। परंपरा ये है कि अपीलों की सुनवाई लॉर्ड चांसलर और नौ कानूनी लॉर्ड करते हैं। लॉर्ड चांसलर अध्यक्षता करता है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता है। कानूनी लॉर्ड उच्च न्यायविद होते हैं जो न्याय क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखीय योगदान करने वाले होते हैं। ये दस लॉर्ड ही हाउस ऑफ लार्ड्स के नाम पर सर्वोच्च अपीलीय अदालत का काम करते हैं। संसद चल रही हो या नहीं, वे किसी भी समय बैठते हैं और निर्णय देते हैं ।

टिप्पणी

प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति

प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति का जिक्र किए बिना ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की चर्चा अधूरी रह जाएगी। ये समिति उपनिवेशों और कुछ खास उपराज्यों (डोमिनियन) की अदालतों तथा इंग्लैंड की चर्च संबंधी अदालतों में चले मुकदमों के लिए अंतिम अपीलीय अदालत होती है। प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति सामान्य अर्थों में कोई अदालत नहीं है, बल्कि उपनिवेशों और राष्ट्रमंडल की अदालतों से आने वाले मुकदमों की अपील के संबंध में राजा को उसके विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने में सलाह देने वाली एक प्रशासनिक संस्था भर है। इसमें लॉर्ड चांसलर, नौ कानूनी लॉर्ड, प्रिवी काउंसिल का लॉर्ड अध्यक्ष, उच्च पदों पर आसीन या आसीन रहे प्रिवी काउंसलर, तथा समुद्रपारीय उच्च अदालतों से जुड़े अन्य न्यायिक अधिकारी होते हैं। इस समिति में विशिष्ट लोग ही होते हैं, इसलिए यह कानूनी मामलों पर अपील की सुनवाई करने, और ऐसे मामलों में राजा को सलाह देने वाली यह समिति सबसे सक्षम होती है। इसमें करीब बीस जूरी–सदस्य होते हैं, लेकिन ज्यादातर काम हाउस ऑफ लार्ड्स के नौ कानूनी लॉर्ड ही करते हैं। अपील सीधे न्यायिक समिति के पास जाती है जो इसे स्वीकार करने या खारिज करने के बारे में राजा को सलाह देती है। इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। इस समिति का एक विशेष काम होता है। युद्ध के समय, यह नेवल प्राइज के मुकदमों की सर्वोच्च अदालत की भूमिका निभाती है।

ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली देश और विदेश में अपनी उत्कृष्टता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता और तत्परता के लिए जानी जाती है। इंग्लैंड में कानूनी पेशा काफी सम्मानित माना जाता है और देश के सर्वाधिक प्रतिभावान लोग इस क्षेत्र में आते हैं। कानून के शासन की अवधारणा उनकी कानूनी प्रणाली में व्याप्त है और लोग इस बात को नहीं भूलते कि 'जहां पर कानून खत्म होता है, वहीं से निरंकुश शासन शुरू हो जाता है'।

कानून का शासन : स्वतंत्रता का गढ़

ब्रिटिश संविधान की एक सर्वाधिक विलक्षणता कानून के शासन की अवधारणा है। मनुष्य की गरिमा के लिए कुछ निश्चित अधिकार और स्वतंत्रता की जरूरत होती है। अधिकतर

देशों में, अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी और संरक्षण संविधान के जरिए मिलता है। अमेरिका और भारत में संविधान निगरानीकर्ता की भूमिका निभाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का संरक्षण करता है। इंग्लैंड में न तो कोई लिखित संविधान है और न ही अधिकारों का कोई विधेयक है जो निजी स्वतंत्रता के रक्षक की भूमिका निभाता हो। हालांकि, इंग्लैंड लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होने का दावा करता है और ब्रिटिश जनता अन्य लोकतांत्रिक देशों के स्वतंत्र नागरिकों की तरह बिना किसी भय या पक्षपात के अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग करती है।

ग्रेट ब्रिटेन में लोगों की स्वतंत्रता का गढ़ कानून के शासन में है। एक उदारवादी ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक जॉन लॉक ने 17वीं सदी में लिखा था, 'जहां पर कानून खत्म होता है, वहीं पर निरंकुशता शुरू हो जाती है।'

ब्रिटिश इतिहास अत्याचार और निरंकुशता से भरा रहा है और इसीलिए जनता तथा संसद हमेशा कानून के शासन के जरिए लोगों की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि, ब्रिटेन में न कोई लिखित संविधान है और न ही कोई अधिकारों का विधेयक, फिर भी कानून के शासन की अवधारणा का बहुत सावधानीपूर्वक और ईमानदारी से वहां की जनता पालन करती है। पहली नजर में, कानून के शासन का अर्थ यह है कि इंग्लैंड में कानून का राज चलता है और किसी शासक की मनमर्जी नहीं चलती। लॉर्ड हेवर्ट ने कानून के राज की परिभाषा देते हुए कहा था– 'कानून के प्रभुत्व की सर्वोच्चता केवल निरंकुशता से विशिष्ट है।' 19वीं सदी के अंत में प्रो. ए वी डाइसी ने कानून के शासन के विचार की प्रसिद्ध व्याख्या दी थी। उन्होंने इसे ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत माना था और कानून के शासन की अवधारणा की स्पष्ट और जीवंत व्याख्या प्रस्तुत की थी।

डाइसी के अनुसार, कानून के शासन में तीन विशिष्ट प्रस्ताव हैं–

(i) 'जब तक देश की सामान्य अदालतों में, स्थापित कानून का स्पष्ट उल्लंघन न हो, तब तक किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता अथवा उसे किसी तरह से जान–माल की हानि नहीं पहुंचाई जा सकती।' इसका आशय यह है कि इंग्लैंड में किसी भी व्यक्ति को मनमर्जी से केवल इसलिए दंडित नहीं किया जा सकता कि अधिकारी उसे दंड देना चाहते हैं। किसी व्यक्ति को कानून के स्पष्ट उल्लंघन पर ही दंडित किया जा सकता है। इसका यह भी आशय है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से अदालतों के कानून के निर्णय के अलावा और किसी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून की अदालतें लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की संरक्षक होती हैं। इंग्लैंड की अदालतें खुली होती हैं और खुली अदालतों में ही फैसले सुनाए जाते हैं।

(ii) कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति पर कानून का शासन लागू होता है और वह सामान्य अदालतों के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है, चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी हो। डाइसी के अनुसार कानून के शासन का अर्थ कानून के समक्ष समानता अथवा कानून का समान संरक्षण है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी नागरिक कानून की निगाह में बिना किसी भेद के समान हैं और सब कानून की उन्हीं अदालतों के अधीन

आते हैं। डाइसी के अनुसार, 'प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल तक हम सभी के वही समान उत्तरदायित्व हैं, जो कि किसी अन्य नागरिक के हैं। इससे सरकार की निरंकुशता को कम से कम किया जाता है और उस पर रोक लगाई जाती है। कानून के समक्ष यह पूर्ण समानता फ्रांस और यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों में मौजूद प्रशासनिक विधि प्रणाली के विपरीत है। इंग्लैंड में प्रशासनिक अधिकारियों की सुनवाई के लिए अलग से कोई प्रशासनिक अदालत नहीं होती।

(iii) संविधान के सामान्य सिद्धांत अदालतों के सामने लाए गए निजी व्यक्तियों के खास मामलों' के अधिकार तय करने वाले न्यायिक निर्णयों का नतीजा हैं। डाइसी ने कानून के शासन का जो तीसरा अर्थ दिया है, वह यह है कि ब्रिटिश जनता के कानूनी अधिकारों की गारंटी किसी संवैधानिक विधि से नहीं मिलती, बल्कि कानून के शासन के तहत ये अधिकार सुनिश्चित होते हैं। डाइसी का मानना है, 'संविधान ही कानून के सामान्य शासन का परिणाम है।' उन्होंने आगे लिखा है, 'हमारे लिए संवैधानिक कानून स्रोत नहीं है जो कि विदेशों में संवैधानिक संहिता के हिस्सों का निर्माण करते हैं, बल्कि ये अदालतों द्वारा परिभाषित और लागू व्यक्तिगत अधिकारों का नतीजा हैं। ग्रेट ब्रिटेन के नागरिकों के अधिकार संविधान द्वारा नहीं, बल्कि अदालती फैसलों के जरिए संरक्षित होते हैं। अदालतों तक मुक्त पहुंच ही गलत काम करने वालों के खिलाफ गारंटी है।'

इस प्रकार, न्यायपालिका का लोगों की स्वतंत्रता के संरक्षण में बहुत योगदान है। यह सही है कि संसद किसी भी समय इन अधिकारों और स्वतंत्रता को लागू कर सकती है। उदाहरण के लिए, हेबियस कार्पस एक्ट (बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम) 1679 के तहत नागरिकों को गैर–कानूनी गिरफ्तारी और हिरासत में रखे जाने के खिलाफ गारंटी देता है। यह भी सच है कि संसद किसी भी समय, अधिनियम या कानून के आधार पर जनता के अधिकार को सीमित या निरस्त कर सकती है। युद्ध जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद प्रभुता की रक्षा के 1914 के कानून (Defence of the Realm Act of 1914) अथवा 1939 का आपात अधिकार अधिनियम जैसा सामान्य कानून पारित करके लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है।

सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण के अनुसार, ग्रेट ब्रिटेन में जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण कानून के जरिए नहीं, कानून के शासन के जरिए किया जाता है। कानून का शासन लंबी परंपरा पर आधारित होता है और जनमत का उसे मजबूत समर्थन हासिल होता है। यह पाया गया है कि पहली नजर में भले ही नागरिक स्वतंत्रता को ब्रिटेन में अमेरिका और ऐसे ही अन्य देशों में उस तरह का संरक्षण न मिला हो, लेकिन वहां भी दुनिया के अन्य देशों की तरह कानूनी तौर पर और व्यावहारिक तौर पर नागरिक स्वतंत्रता है।

इस तरह से, कानून का शासन ब्रिटिश जनता के अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए सदियों चले संघर्ष का नतीजा है। ग्रेट ब्रिटेन में कानून ही सर्वोच्च है और संविधान, देश के सामान्य कानून और उसके सामान्य सिद्धांतों का परिणाम है। ये सामान्य कानून और उसके सामान्य सिद्धांत विभिन्न मुकदमों में अदालतों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को कायम रखने से विकसित हुए हैं। नागरिकों के अधिकारों की घोषणा करने वाले लिखित संविधान के सामने यह बड़ा विरोधाभास है। अन्य लोकतांत्रिक देशों में लिखित

संविधान के जरिए अधिकार घोषित और सुनिश्चित किये जाते हैं, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में भी वे अतिसुरक्षित हैं और सुनिश्चित हैं।

डाइसी की व्याख्या की आलोचना

कानून के शासन की डाइसी की व्याख्या की कई तरह से आलोचना हुई। उसका रवैया व्यक्तिपरक था और उसने संविधान को विग्स के उदार दर्शन की पृष्ठभूमि में देखा। उसकी किताब लॉ ऑफ कांस्टीट्यूशन 1885 में प्रकाशित हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये विद्वतापूर्ण पुस्तक है लेकिन इसमें लैसेज–फेयर दर्शन (Laissez-Faire philosophy) के दर्शन के बचे हिस्से शामिल हैं। डाइसी स्वयं में उदारवादी था और नियोजित अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी राज्य से अपरिचित था। कल्याणकारी राज्य के उदय से सरकारी अधिकारियों को अधिकार और विशेषाधिकार मिलना निश्चित थे। राज्य की गतिविधियों में असाधारण विस्तार होता है। संसद के पास आधुनिक राज्य की भारी समस्याओं से निपटने के लिए न तो समय रहता है और न ही क्षमता। ऐसे में प्रत्यायोजित कानून का इस्तेमाल बढ़ रहा है, परिणामस्वरूप सरकारी अधिकारियों के पास ज्यादा से ज्यादा विवेकाधिकार होते जा रहे हैं। लॉर्ड हेवर्ट ने नई व्याख्या की निंदा की है, लेकिन हाल के समय में ये अपरिहार्य है। डाइसी को आधुनिक सशक्त राज्य के उदय का पता नहीं था। इस प्रकार, उसकी व्याख्या की कानून के शासन की अवधारणा आधुनिक ग्रेट ब्रिटेन पर कड़ाई से लागू नहीं होती।

सर आइवर जेनिंग्स भी डाइसी की कानून के शासन की अवधारणा के कड़े आलोचक हैं। उन्होंने कानून की समानता की डाइसी की अवधारणा को बहुत अस्पष्ट और महत्वाकांक्षी बताकर आलोचना की। संपूर्ण समानता न तो संभव है और न ही अपेक्षित। जेनिंग्स के अनुसार डाइसी ने समानता का आशय यह लगाया कि कोई कानून किसी अधिकारी पर भी उसी तरह से लागू होता है जिस तरह से किसी सामान्य नागरिक पर। हालांकि, यह इंग्लैंड में सच नहीं है। सरकारी अधिकारियों को कुछ निश्चित विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा मिलती है जो सामान्य नागरिकों को प्राप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में संदिग्ध है तो पुलिस उसके घर में तलाशी के इरादे से घुस सकती है। हालांकि नागरिक होने के बावजूद हर व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

इस तरह से, निजी नागरिकों के अधिकार सरकारी अधिकारियों के समान नहीं है। डाइसी को सांविधिक कानूनों, उपनियमों और आदेशों की जानकारी नहीं थी जो कि आज उपलब्ध हैं। विभिन्न समूहों और संगठनों के सदस्यों को भी सांविधिक निकाय अकसर दंडित करते हैं। एक और उदाहरण लें, जनरल मेडिकल काउंसिल जो कि सांविधिक संस्था है वह चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े किसी सदस्य को गैरपेशेवर कार्य के लिए दंडित कर सकती है और अपने रजिस्टर से उसका नाम तक काट सकती है। इस तरह, व्यक्ति पर समूह और पेशेवर कानून सबसे पहले लागू होते हैं और अंत में देश के कानून लागू होते हैं।

जेनिंग्स के अनुसार, 'कानून के समक्ष समानता' शब्द का आशय यह है कि सभी पर समान कानून लागू होने चाहिए। मुकदमा दायर करने, मुकदमा दायर होने, सुनवाई होने, दंड मिलने जैसे सभी कार्य हर व्यक्ति पर बिना किसी भेदभाव के लागू होने चाहिए। इसके अलावा, कानून के समक्ष कोई पूर्ण समानता नहीं हो सकती क्योंकि केवल धनी लोग ही अच्छे वकील कर सकते हैं और गरीब लोग इसमें पीछे छूट सकते हैं। ये जरूर है कि ब्रिटिश सरकार की कानूनी सहायता योजना इस मामले में गरीबों की सहायता के लिए काफी कुछ कर रही है।

टिप्पणी

डाइसी की यह सोच गलत है कि संविधान देश के सामान्य कानून का परिणाम है। एक बार संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत स्वीकार किए जाने के बाद इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि संसद अदालतों के कानूनों को पलट सकती है। यहां तक कि वह पूर्व प्रभावी तरीके से भी यह कर सकती है और ऐसा लगता है कि जनमत को बचाने के लिए इसमें कोई कारगर उपाय नहीं है। डाइसी की कानून के शासन की व्याख्या ब्रिटिश प्रणाली की प्रशंसा मात्र है जिसे फ्रांस के प्रशासनिक कानून की प्रणाली की आलोचना के रूप में पेश किया गया है। डाइसी ने सोचा था कि कानून का शासन नीतिगत सिद्धांत के रूप में स्वीकार्य किया जाएगा। जेनिंग्स ने उसके इस इरादे तक को स्वीकार नहीं किया। जेनिंग्स ने अपने विश्लेषण में कानून के शासन की अवधारणा से इन्कार नहीं किया लेकिन उसकी आलोचना की। उसने लिखा, सच यह है कि कानून का शासन बिगड़ैल घोड़े की तरह लगता है। अगर यह कानून और व्यवस्था का पर्याय है तो यह सभी सभ्य राज्यों की विशेषता है।

अगर यह तानाशाही से लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकार को विशिष्ट दिखाने का मुहावरा मात्र है तो फिर ऐसा कहना ठीक है। इसके अलावा, अगर कानून के शासन का मतलब यह है कि अधिकार कानून से निकलते हैं, तो अधिकतर आधुनिक राज्यों में यह लागू है। इस तरह से, कानून के शासन की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। डाइसी ने कानून के शासन को 19वीं सदी की उदार पृष्ठभूमि में देखा था। कानून के शासन की उसकी व्याख्या व्यक्तिपरक है। कानून का शासन लोकतंत्र की गारंटी नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र का गुण है। मुक्त और लोकतांत्रिक समाज की यह अनिवार्य शर्त है।

ग्रेट ब्रिटेन को कानून के शासन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ऊपर बताई गई सीमाओं के बावजूद, कानून का शासन लोकतांत्रिक आभूषण माना जाता है। यह सही है कि हाल के समय में इसकी सामग्री में काफी परिवर्तन हुआ है, फिर भी यह ब्रिटिश उदारता के बचाव का काम करता है। स्वतंत्रता सच्चे अर्थों में ब्रिटिश जीवन शैली का अंग है और कोई इससे अलग नहीं होना चाहता। कानून के शासन का आज अर्थ यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल कानून के अधिकार के जरिए ही सीमित होनी चाहिए। न्याय हर किसी को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होना चाहिए। कानून का शासन अब भी ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली का सिद्धांत बना हुआ है और इंग्लैंड की जनता को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है।

आधुनिक आलोचकों के अनुसार, इसमें स्वेच्छाचारी अधिकार, प्रभावी नियंत्रण और सौंपे गए कानून के उचित प्रचार की अनुपस्थिति है, खासकर दंड लगाने की स्थिति में जरूर ऐसा है, क्योंकि जब विवेकाधिकार दिए जाते हैं तो इसे लागू करने का तरीका व्यावहारिक रूप से परिभाषित होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति सामान्य कानून के प्रति जिम्मेदार हो, चाहे वह नागरिक हो या सरकारी अधिकारी और निजी अधिकार निष्पक्षता और स्वतंत्र प्राधिकरणों के जरिए तय होने चाहिए और बुनियादी निजी अधिकारों का देश के कानून के जरिए बचाव होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून का शासन ब्रिटिश संविधान की बेशकीमती अवधारणा है और ब्रिटिश लोगों को इस पर बहुत गर्व है क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता के कवच का काम करता है। निस्संदेह, उत्कृष्ट विश्लेषण के रूप में देखें, तो जनमत ही स्वतंत्रता के संरक्षक का काम करता है।

अगर लोग मनमाने और विवेकाधीन कानूनों का विरोध नहीं करेंगे तो कानून का शासन बेमानी हो जाएगा। न्यायाधीश लर्निड हैंड ने अपने शानदार विचार के जरिए ये कहा था 'स्वतंत्रता स्त्री–पुरुषों के दिलों में वास करती है, जब दिलों में स्वतंत्रता मर जाती है तो कोई भी संविधान, कोई भी कानून, कोई भी अदालत कुछ नहीं कर सकते।' स्वतंत्रता के बारे में जो कहा गया है, वह एक उत्कृष्ट बयान है जो दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों पर समान रूप से सच साबित होता है।

अपनी प्रगति जांचिए

3. विदेश नीति तथा गृह नीति का निर्माण करना किसका मुख्य कार्य है?
   (क) मंत्रिपरिषद् का (ख) प्रधानमंत्री का
   (ग) मंत्रिमंडल का (घ) राष्ट्रपति का
4. दुनिया की सबसे प्राचीन विधायी संस्था क्या है?
   (क) भारतीय संसद (ख) ब्रिटिश संसद
   (ग) हाउस ऑफ लार्ड्स (घ) स्कॉटलैंड

1.4 ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल

ब्रिटिश राजनीतिक जीवन का केंद्र बिंदु इसकी राजनीतिक पार्टियों का स्वरूप है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के पास कोई सरकारी या संवैधानिक उद्देश्य नहीं है। उन्हें कुछ हद तक सरकार से धन भी दिया जाता है। उनका प्राथमिक कार्य वोट हासिल करके सरकार बनाना होता है।

सरकार बनाने का प्रयास करने के अलावा राजनीतिक दल आम चुनावों की स्पष्टता और संसदीय सरकार की एकता सुधारने की कोशिश करते हैं। बिना इन राजनीतिक दलों के आम जनता को बहुत सारे उम्मीदवारों से निपटना होता है। इन सभी राजनीतिक उम्मीदवारों के पास बहुत सारे विचार होते हैं लेकिन उनके सरकार में अमल में ला पाने के आसार बहुत कम होते हैं। ये लोग और उनकी राजनीतिक पार्टियां आम चुनावों को तार्किक बनाती हैं और मतदाताओं को न केवल अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने का मौका देती हैं, बल्कि सरकार चुनने का भी मौका देती हैं।

राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था

ब्रिटेन में रहने वाले लोग बीसवीं सदी की अंतिम तिमाही से ही राजनीतिक प्रणाली से परिचित हैं, जिसमें उस राजनीतिक दल के नेताओं के हाथ में सत्ता रहती है जिसके पास हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं। इन सीटों पर आमतौर पर चार या पांच सालों में आम चुनावों के जरिए चुनाव लड़ा जाता है। इन आम चुनावों में अठारह साल या उससे ज्यादा उम्र के तकरीबन सभी लोग वोट डालने के अधिकारी होते हैं। आम चुनावों के जरिए व्यक्तियों का चुनाव होता है। हालांकि, राजनीतिक दलों का संगठन और अनुशासन इतना व्यापक होता है कि ऐसे उम्मीदवारों का चुना जाना लगभग असंभव ही होता है जो किसी मुख्य पार्टी से संबंधित नहीं होते। वास्तव

में, प्रत्याशी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में ही चुने जाते हैं, न कि निजी हैसियत से। जब ये लोग वेस्टमिंस्टर पहुंचते हैं, तो उनसे निजी प्राथमिकताओं या विचार के आधार पर नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा के अनुसार वोट डालने की अपेक्षा की जाती है।

पार्टी सचेतक (Partywhips) के अति विकसित तरीके से यह सुनिश्चित होता है कि कॉमन्स (हाउस ऑफ कॉमन्स) के प्रतिनिधि पार्टी लाइन पर ही वोट करें। इस प्रकार, वास्तविक सत्ता किन्हीं प्रतिनिधियों में नहीं, बल्कि राजनीतिक दल के हाथ में ही होती है। राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब द्विदलीय प्रणाली की सरकार की बात की जाती है तो इसका अर्थ राज्य सत्ता के लिए दो अग्रणी दलों के बीच संघर्ष से होता है, जो सरकार में एक–एक करके आते रहते हैं। 1920 के दशक से ही ब्रिटेन में दो प्रमुख दल कनजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी हैं। जब मतदाताओं के वोट तीन पार्टियों के बीच बंट जाते हैं तब इस तरह का वर्णन उचित प्रतीत नहीं होता। हालांकि प्रणाली में सफल होने वाले उम्मीदवार को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से केवल एक वोट ज्यादा पाना ही पर्याप्त होता है, फिर भी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं जो किसी तीसरे की कीमत पर दो सबसे बड़े दलों के होने के कारण बहुत लाभ में होते हैं। इस प्रकार, 1983 के चुनावों में लिबरल–सोशल डेमोक्रेटिक गठबंधन को लोकप्रिय मतों का 26 प्रतिशत हिस्सा मिला था जबकि देश भर में फैली सीटों में से उसे केवल 23 ही मिल पाई थीं। जबकि लेबर पार्टी ने 28 प्रतिशत वोट पाकर जबरदस्त बहुमत पा लिया था और 209 सीटों पर जीत ली थीं। इस तरह, सरकार की दो दलीय प्रणाली 1980 के दशक के मध्य तक कायम रही।

ब्रिटेन में सख्त संवैधानिक सिद्धांत में सत्ता तीन तत्वों में बंटी रहती है–राजा, लॉर्ड और कॉमन्स। शुरुआत में पहले दो की भूमिका काफी ज्यादा थी। कुछ मामलों में, यह पुरानी प्रणाली आज भी नई प्रणाली पर हावी हो जाती है। संसदीय विधेयकों को कानून बनने के लिए हाउस ऑफ लाड्र्स और राजा की मंजूरी लेनी होती है। उच्च सदन के अधिकारों को 12वीं सदी में काफी सीमित कर दिया गया। अब ये विधेयकों में देरी लगा सकती है, लेकिन स्थायी रूप से इनकार नहीं कर सकती, जब तक कि न्यायपालिका की अध्यक्षता करने वाला लॉर्ड चांसलर इससे जुड़ा न हो। वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को पीरिज (अमीरों का पद) देने का आमतौर पर अर्थ सक्रिय राजनीति से उनके संन्यास लेने से होता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ हाउस ऑफ लॉड्स को चर्चा की सुंदर दुकान कहते हैं। यह कई बार संसदीय विधेयकों में संशोधन करके उनमें सुधार करता है, लेकिन इसके पास वास्तविक सत्ता नहीं होती।

दलीय राजनीति का बदलता स्वरूप

यह जाना–माना तथ्य है कि ब्रिटिश राजनीतिक जीवन को समझने के लिए मुख्य ध्यान पार्टियों पर ही देना होता है। डिजराइली ने करीब एक सदी पहले ही कहा था कि संसद का मूल आधार पार्टी ही है और पार्टी गतिविधि की मौजूदगी के बिना संसदीय सरकार असंभव होगी। इस विचार के अनुप्रयोग में बीसवीं सदी में केवल दो संकीर्णताएं दिखीं। यह तर्क आसानी से दिया जा सकता है कि आधुनिक ब्रिटिश राजनीति के लगभग सभी पहलुओं में अब पार्टी–गतिविधि अनिवार्य हो चुकी है। उदाहरण के लिए, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दबाव समूहों ने खासकर राजनीति में लोकप्रिय भागीदारी के संदर्भ में पार्टियों के कुछ परंपरागत

कार्यों को अपना लिया है। यह भी स्पष्ट रूप से सही है कि प्रतिनिधत्वपूर्ण लोकतंत्र यूरोपीय संघ की प्रभुसत्ता के ह्रास और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के चलते कमजोर हुआ है। ब्लेयर सरकार के शुरुआती महीनों में सरकार की निर्णय प्रक्रिया के रूप में जनमत संग्रह का इस्तेमाल करने की इच्छा दिखी थी। हालांकि इन घटनाओं के लिए दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। अगर आधुनिक ब्रिटिश राजनीति में इनकी अनदेखी की जाए तो निश्चित ही यह गलती होगी।

ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का सरकारी या संवैधानिक उद्देश्य कभी नहीं रहा, और ब्रिटिश राजनीति में उनके धुंधले–से स्थान का पता इसी बात से चलता है कि तुलनात्मक रूप से कम स्तर तक उन्हें राज्य से धन भी मिलता है। राजनीतिक दलों को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास सावधानीपूर्वक होना चाहिए। हालांकि, यह बात कुछ आत्मविश्वास के साथ कही जा सकती है कि उनका प्राथमिक कार्य वोट हासिल करके सत्ता पाना है। हालांकि, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच यही मुख्य अंतर है क्योंकि दबाव समूह सरकार बनाने की बजाय केवल सरकारों पर दबाव बनाते हैं, जबकि मतदान पेटियों के जरिए अपनी लोकप्रियता का प्रदर्शन वे शायद ही करते हों।

प्लेड साइमरू और स्कॉटिश नेशनल पार्टी–एसएनपी के मामले में देखें, तो इन्होंने वेल्स और स्कॉटलैंड में लेबर पार्टी से जनाधार छीनने में सफलता पाई है। ऐसा लगता है कि हस्तांतरण में लेबर पार्टी की रुचि को प्रभावित करने का काम 1960 के दशक के अंत में आरंभ हुआ। इस प्रभाव के लिए संसदीय सीटें हासिल करना भी जरूरी नहीं है। इसके लिए केवल उतने वोट पाना ही पर्याप्त होता है कि सत्तारूढ़ दलों द्वारा जीती गई सीट खतरे में पड़ जाए। इस संदर्भ में, 1970 के दशक के अंत में नेशनल फ्रंट के लिए उनका सीमित प्रभाव रहा। 1989 में यूरोपीय चुनावों ने सरकार की परिवेशीय नीति में दिलचस्पी बढ़ाई।

यद्यपि, इन पार्टियों में भी दीर्घकालीन उद्देश्य समान रहते हैं, फिर भी सरकार के अधिकारों का वास्तविक इस्तेमाल विकृत संवैधानिक परिवेश में होता है। 'क्षेत्रीय' पार्टियों की वेस्टमिंस्टर की कार्यकारी अधिकार हासिल करने में कम दिलचस्पी होती है, फिर भी सभी का ध्यान ब्लेयर सरकार द्वारा सौंपी गई विधानसभाओं में सत्ता हासिल करने पर रहा। यह भी ध्यान देना चाहिए कि 1970 के बाद मतदान के तरीकों में आए परिवर्तन ने ब्रिटिश सरकार के अंदर और बाहर, छोटी पार्टियों की ताकत बढ़ा दी।

बकौल मनोवैज्ञानिक, क्यूब लॉ की समाप्ति (जिसमें पार्टी की मतों में बढ़त सीटों की और ज्यादा बढ़त में बदल जाती है।) और त्रिशंकु संसदों के आसार बढ़ने से वेस्टमिंस्टर में छोटी पार्टियों के सत्ता–संतुलन में आने का खतरा बढ़ गया और अन्य यूरोपीय देशों में 'तीसरे' दलों को खासी अहमियत हासिल होने लगी। उदाहरण के लिए, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी 1960 के दशक से ही पश्चिम जर्मनी और जर्मनी की सरकारों का अंग रही है, जबकि उसके पास औसतन केवल 10 प्रतिशत वोट ही रहते हैं। दूसरी ओर, आयरलैंड में लेबर पार्टी 1992 से 1997 के बीच देश की गठबंधन सरकार का अटूट हिस्सा रही, जबकि 1992 के आम चुनावों में उसे एक चौथाई से भी कम वोट मिले थे। ब्रिटेन के मामले में, ये महाद्वीपीय परिदृश्य 1974–1979 और 1992–1997, दोनों ही संसदों में देखने को मिले, जो कि लेबर पार्टी और कन्जर्वेटिव पार्टियों के अलावा अन्य पार्टियों के महत्व को साबित करता है।

1997 में लेबर पार्टी की भारी बहुमत की जीत से इन पार्टियों को खतरा हो गया था और वेस्टमिंस्टर में एक पार्टी के प्रभुत्व के दिन वापस आने और 'तीसरी' और 'चौथी' पार्टियों के हाशिये पर जाने की स्थिति बन गई थी। मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि अगर त्रिशंकु संसद से बचना है तो 1950 और 1960 के दशकों में जो अंतर था, उसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। 1945–78 के बीच लेबर पार्टी को जितने प्रतिशत वोटों से भारी जीत मिली थी, उतने प्रतिशत वोटों से 1992 में टोरी पार्टी को एक कमजोर बहुमत ही मिल सका था। कर्टाइस और स्टीड का तर्क है कि टोरी पार्टी को अगले आम चुनावों में जीतने के लिए कम से कम 11 प्रतिशत वोटों की बढ़त की जरूरत होगी।

यह आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर टोनी ब्लेयर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी विचारधारा को मध्य–वाम राजनीति और अधिक विविध पार्टी प्रणाली की ओर शिफ्ट किया। उन्होंने इसका संकेत एक कैबिनेट उप समिति (संवैधानिक सुधारों का काम देख रही) में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को शामिल करके और यूरोपीय तथा क्षेत्रीय चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधत्व प्रणाली का समर्थन करके किया था। परिणामस्वरूप, यह घोषणा करना सुरक्षित नहीं रह गया था कि छोटी पार्टियों का महत्व लेबर पार्टी के दोबारा सत्ता में आने पर कम हो जाएगा।

ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में दलीय राजनीति की भूमिका

सत्ता हासिल करने की बुनियादी भूमिका पूरी करने के लिए राजनीतिक दल आम चुनावों की स्पष्टता और संसदीय सरकार के सामंजस्य में सुधार करना जारी रखते हैं। राजनीतिक दलों के बिना मतदाताओं के सामने उम्मीदवारों की चकरा देने वाली भीड़ मौजूद हो सकती है, जो भिन्न–भिन्न तरह के विचार रखते होंगे, जिनके सरकार में लागू होने के आसार बहुत ही कम होते हैं। पार्टियों के कारण आम चुनाव अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और मतदाताओं को न केवल अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, बल्कि सरकार चुनने का भी मौका मिलता है। इससे मतदाताओं के बीच यह धारणा पुष्ट होती है कि मतदान से वे बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। यही धारणा 1997 के चुनावों में प्रकट हुई जिससे सरकार में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और कुछ राजनीतिक टीकाकारों के मुताबिक, 'समाज के लिए एक नई दिशा ...एक नई शैली की सरकार ...अधिक वर्गरहित ब्रिटेन ... विदेशियों के प्रति डर की भावना का समापन' सामने आया।

अधिक शालीन शब्दों में कहें तो राजनीतिक दलों के घोषणापत्र निश्चित रूप से मतदाताओं के सामने सरकार के सामने कई तरह के प्रस्तावित कार्यक्रमों की पड़ताल करने का मौका देते हैं। इससे उन्हें विभिन्न तरह की नीतियों में से मनपसंद नीतियों के चुनाव करने का भी अच्छा मौका मिलता है।

राजनीतिक भागीदारी

संसद में राजनीतिक दलों की निभाई भूमिका पर जोर देने से लोकतांत्रिक राज्यों की एक मुख्य विशेषता की अनदेखी का खतरा रहता है, मसलन राजनीतिक प्रणाली में जनभागीदारी के माध्यमों की भूमिका। ब्रिटेन में 'जन भागीदारी' शब्द भ्रामक है क्योंकि यह हमेशा याद रखना चाहिए कि करीब 93 प्रतिशत वयस्क किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। इसके बावजूद, जो भी छोटा सा अनुपात है, उसके जरिए

टिप्पणी

भी राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उल्लेखनीय ढंग से शामिल करता है। किसी भी उदार लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक गतिविधि में पूर्णकालिक राजनीतिज्ञों और राज्य अधिकारियों की राजनीतिक गतिविधि शायद ही सेहतकारी होती हो।

हालांकि, दोनों ही राजनीतिक दलों में हाल के वर्षों में सदस्यों की संख्या में कमी आई है, फिर भी ये अनुमान है कि दोनों को मिलाकर करीब 3 लाख लोग ब्रिटिश राजनीति में सक्रिय दिलचस्पी रखते हैं।

हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रमुख राजनीतिक दल

हाउस ऑफ कॉमन्स में तीन मुख्य राजनीतिक दल हैं, जो कि निम्नानुसार हैं–

- कंजर्वेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी, मध्य–दक्षिण विचारधारा
- लेबर पार्टी, मध्य–वाम विचारधारा (परंपरागत रूप से समाजवादीय और अब व्यापक रूप से समाजवादी और मजदूर संघवादी से सोशल लिबरल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी)
- लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, मध्य से मध्य–वाम विचारधारा।

अपनी प्रगति जांचिए

5. कहां पर राजनीतिक दलों के पास कोई सरकारी या संवैधानिक उद्देश्य नहीं है?

   (क) ब्रिटेन में   (ख) नेपाल में

   (ग) दिल्ली में   (घ) अंतरिक्ष में

6. हाउस ऑफ कॉमन्स में कितने मुख्य राजनीतिक दल हैं?

   (क) दो   (ख) तीन

   (ग) चार   (घ) छह

1.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (क)
2. (घ)
3. (ग)
4. (ख)
5. (क)
6. (ख)

टिप्पणी

1.6 सारांश

यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्रफल न्यूयॉर्क स्टेट से दोगुना है। इस देश में ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड) व उत्तरी आयरलैंड समाहित हैं। 'शेवियट हिल्स डेमोक्रेट इंग्लैंड' ब्रिटिश द्वीप–समूह का दक्षिण–पूर्वी भाग है एवं उत्तरी अंचल में स्कॉटलैंड है। हिल्स से ऊपरी भूभाग की पेनिन श्रृंखला इंग्लैंड के केंद्र से होकर गुज़रती है एवं पश्चिमोत्तर में लेक जनपद में अपने शिखर को प्राप्त होती है। पश्चिम में वेल्स की सीमा के साथ–साथ खड़ी पहाड़ियों वाली घाटियों में सुरम्य कॅम्ब्रियन पर्वत हैं और कॉट्सवर्ल्ड (ग्लौकेस्टेर्शायर में पहाड़ियों की श्रृंखला) शायर्स के चारों ओर तक फैली है।

यूनाइटेड किंगडम के समीप स्थित उत्तर सागर अनेक महत्तापूर्ण नदियों का मुख है। ये नदियां हैं– थेम्स, हम्बर, टीज़ व टाएन। पश्चिम में सेवेर्न एवं वाए नदियां अपना जल ब्रिस्टल प्रणाल में डालती हैं व मर्सी एवं रिबल नदियों की भांति उल्लेखनीय हैं।

विधियों (कानूनों) द्वारा बनाये गए संविधान से यहां देश पर शासन किया जाता है। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के विपरीत अथवा यूरोपियन राष्ट्रों के संविधान की भांति ब्रिटेन का संविधान किसी एक प्रलेख में नहीं है किंतु संविधान तो है। इस कारण ऐसे संविधान को अवर्गीकृत संविधान कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रलेख होते हैं। प्रलेखों की इस अनेकता का एकमात्र कारण ऐसा संविधान परिभाषित करना है जिससे किसी भी संशोधन का परिशोधन सरल व सहज रहे। ब्रिटेन में संविधान–संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत प्राप्त करना होता है जिसे बाद में राजसी सम्मति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति रानी द्वारा ही की जाती है। संविधान के अनुसार 'रानी द्वारा प्रधानमंत्रित्व हेतु ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जाना चाहिए जिसे हाउस ऑफ़ कॉमन्स का समर्थन प्राप्त हो। साधारणतया उस हाउस में बहुमत वाले गठबंधन अथवा दल के नेता का समर्थन'। प्रधानमंत्री के पास रानी सहित निजी श्रोतागण होते हैं। पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में वह रानी के हाथों का औपचारिक चुम्बन करता है। कोई अन्य औपचारिकता अथवा पद्धति नहीं होती।

आज ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो उत्कृष्ट रूप हमारे सामने है, वह कई ऐतिहासिक परिस्थितियों, अवसरों एवं योजनाओं का परिणाम है तथा इसका निरंतर विकास प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह बहुमत दल के संसदीय प्रमुखों का स्थायी किंतु अनौपचारिक संगठन है। प्रिवी परिषद् से मंत्रिमंडल का विकास हुआ। विस्तृत आकार के कारण प्रिवी परिषद् परामर्शदात्री समिति के योग्य नहीं रह गई थी। फलतः सम्राट ने प्रिवी परिषद् की अपेक्षा उसके कुछ विश्वासपात्र सदस्यों से महल के एक छोटे कमरे में विचार–विमर्श करना शुरू कर दिया। चार्ल्स द्वितीय ने इसके द्वारा मंत्रियों के वेतन भी निर्धारित किये।

ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास में द्विसदनीय व्यवस्था संयोग से ही हो गई। 1295 में सामंतों और धर्मगुरुओं ने सामान्य लोगों के साथ बैठने से इन्कार कर दिया। ऐसे में दो सदन बनाए गए– हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ कॉमन्स। शुरू

में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ज्यादा सशक्त था, लेकिन 1832 के पहले सुधार अधिनियम के साथ ही हुए मताधिकार के विस्तार के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स लोकप्रिय और ताकतवर सदन हो गया। सन् 1832–1971 की अवधि के दौरान अनेक सुधार कानून बने जिनके जरिए धीरे–धीरे अठारह साल से ऊपर के हर युवा को मताधिकार मिल गया और इस प्रकार संसद के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होती गई।

ब्रिटिश संसद दुनिया की सबसे प्राचीन विधायी संस्था है। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्वकारी संसदों में से एक है। यह आज भी मतपत्र की सर्वोच्चता को मान्य करती है। संसद वेस्टमिंस्टर के महल में बैठती है। संयोग से, इंग्लैंड सरकार का संसदीय फोरम दुनिया का सबसे प्राचीन है।

ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास में द्विसदनीय व्यवस्था संयोग से ही हो गई। 1295 में सामंतों और धर्मगुरुओं ने सामान्य लोगों के साथ बैठने से इन्कार कर दिया। ऐसे में दो सदन बनाए गए– हाउस ऑफ लाड्र्स, और हाउस ऑफ कॉमन्स। शुरू में हाउस ऑफ लाड्र्स ज्यादा सशक्त था, लेकिन 1832 के पहले सुधार अधिनियम के साथ ही हुए मताधिकार के विस्तार के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स लोकप्रिय और ताकतवर सदन हो गया। सन् 1832–1971 की अवधि के दौरान अनेक सुधार कानून बने जिनके जरिए धीरे–धीरे अठारह साल से ऊपर के हर युवा को मताधिकार मिल गया और इस प्रकार संसद के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होती गई।

ब्रिटिश न्यायपालिका का आज वर्तमान संगठन तुलनात्मक रूप से आधुनिक है। हालांकि अदालतें अपने आप में काफी पुरानी हैं, फिर भी सन् 1873–1876 के जूडिकेचर एक्ट (न्यायाधिकरण अधिनियम) के जरिए इनका पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया था जिसमें 1925 के एक्ट के जरिए संशोधन किया गया था। 1873 के पहले, इंग्लैंड के न्यायिक संगठन में अराजकता की स्थिति थी, जिसमें अनेक अदालतों के पास विशेष कार्य थे, प्रक्रिया लंबी थी और न्याय क्षेत्र एक दूसरे का अतिक्रमण करते थे। 1873 के कानून के जरिए अदालतों का पुनर्गठन किया गया और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

1920 के दशक से ही ब्रिटेन में दो प्रमुख दल कनजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी हैं। जब मतदाताओं के वोट तीन पार्टियों के बीच बंट जाते हैं तब इस तरह का वर्णन उचित प्रतीत नहीं होता। हालांकि प्रणाली में सफल होने वाले उम्मीदवार को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से केवल एक वोट ज्यादा पाना ही पर्याप्त होता है, फिर भी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं जो किसी तीसरे की कीमत पर दो सबसे बड़े दलों के होने के कारण बहुत लाभ में होते हैं।

ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का सरकारी या संवैधानिक उद्देश्य कभी नहीं रहा, और ब्रिटिश राजनीति में उनके धुंधले–से स्थान का पता इसी बात से चलता है कि तुलनात्मक रूप से कम स्तर तक उन्हें राज्य से धन भी मिलता है। राजनीतिक दलों को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास सावधानीपूर्वक होना चाहिए।

यद्यपि, इन पार्टियों में भी दीर्घकालीन उद्देश्य समान रहते हैं, फिर भी सरकार के अधिकारों का वास्तविक इस्तेमाल विकृत संवैधानिक परिवेश में होता है। 'क्षेत्रीय' पार्टियों की वेस्टमिंस्टर की कार्यकारी अधिकार हासिल करने में कम दिलचस्पी होती है, फिर भी

सभी का ध्यान ब्लेयर सरकार द्वारा सौंपी गई विधानसभाओं में सत्ता हासिल करने पर रहा। यह भी ध्यान देना चाहिए कि 1970 के बाद मतदान के तरीकों में आए परिवर्तन ने ब्रिटिश सरकार के अंदर और बाहर, छोटी पार्टियों की ताकत बढ़ा दी।

टिप्पणी

पार्टियों के कारण आम चुनाव अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और मतदाताओं को न केवल अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, बल्कि सरकार चुनने का भी मौका मिलता है। इससे मतदाताओं के बीच यह धारणा पुष्ट होती है कि मतदान से वे बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। यही धारणा 1997 के चुनावों में प्रकट हुई जिससे सरकार में आमूलचूल परिवर्तन हुआ।

1.7 मुख्य शब्दावली

- **महत्तापूर्ण** : महत्ववाला।
- **प्रणाल** : पानी बहने का नाला।
- **अध्येता** : अध्ययन करने वाला।
- **सम्मिश्र** : आपस में मिला हुआ।
- **आभरण** : आभूषण।

1.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. मैग्नाकार्टा क्या है?
2. ब्रिटिश रानी की शक्तियां किन स्रोतों से आती हैं?
3. ब्रिटिश मंत्रिमंडल को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं?
4. ब्रिटिश प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है?
5. लगभग कितने लोग ब्रिटिश राजनीति में सक्रिय दिलचस्पी रखते हैं?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
2. ब्रिटिश राजनैतिक ढांचे में रानी की भूमिका की समीक्षा कीजिए।
3. ब्रिटिश संसद की उत्पत्ति और विकास की विवेचना कीजिए।
4. ब्रिटिश न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताओं और उसकी संरचना की समीक्षा कीजिए।
5. ब्रिटेन के राजनीतिक दलों और दलीय व्यवस्था की विवेचना कीजिए।

1.9 सहायक पाठ्य सामग्री

Kapur, A.C. and K.K. Mishra. 2006. *Selected Constitutions*. New Delhi: S Chand Publishing.

Mahajan, V.D. 1998. *Selected Modern Governments*. New Delhi: S Chand And Company.

Bhagwan, Vishnoo, Vidya Bhunan and Vandana Mohla. 2012. *World Constitutions: A Comparative Study*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.

Loughlin, Martin. 2013. *The British Constitution: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.

इकाई 2 अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं

टिप्पणी

संरचना

2.0 परिचय
2.1 उद्देश्य
2.2 अमेरिका का संविधान : प्रमुख विशेषताएं
2.3 अमेरिका : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका
  2.3.1 कार्यपालिका
  2.3.2 व्यवस्थापिका
  2.3.3 न्यायपालिका
2.4 राजनीतिक दल
2.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
2.6 सारांश
2.7 मुख्य शब्दावली
2.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.9 सहायक पाठ्य सामग्री

2.0 परिचय

क्षेत्रीय अथवा समुदाय विशेष के प्रति राग (जुड़ाव) का बोध सदा से राजकीय निष्ठा व क्रिया के सबसे प्रभावी स्रोतों में से एक रहा है। यूएस विभिन्न औपनिवेशिक समुदायों में से उभरा, पूरे महाद्वीप में निरन्तर बढ़ता गया। सन् 1787 में विकसित संघवाद के संवैधानिक व्यवस्थापन से राज्यों के शासनों के माध्यम से क्षेत्रीय निष्ठाओं का वहनीय रूप सामने आता गया। इसीलिये अमेरिकी राजप्रणाली का इतिहास भू–राज्य विशेषों के जनों की गतिविधियों की वर्गगत रूपरेखाओं द्वारा दृढ़ता से उदाहरणरूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है।

इस इकाई में संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं, संघवाद व अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझ पाएंगे;
- अमेरिका की कार्यपालिका के बारे में जान पाएंगे;
- अमेरिका की व्यवस्थापिका के कार्यों की समीक्षा कर पाएंगे;
- अमेरिका की न्यायपालिका के ढांचे से परिचित हो पाएंगे;
- अमेरिका के विभिन्न राजनीतिक दलों की विवेचना कर पाएंगे।

2.2 अमेरिका का संविधान : प्रमुख विशेषताएं

संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में राजकीय व्यवहार के मुख्य निर्धारकों को पहचान पाना दुविधास्पद है क्योंकि अमेरिकी जीवन में वैविध्य अधिक है। राजकीय क्रिया के प्रोटोटाइप्स सहित संवैधानिक संगठन परस्पर बारम्बार क्रिया व प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अमेरिकी राजप्रणाली के लक्षणों को समझने से पहले उन परिकल्पनाओं को देखना आवश्यक है जिनका आकलन उन अभिप्रेरणात्मक बलों के स्पष्टीकरण हेतु किया जाता है जो कि राजकीय प्रणालियों की नींव रहे हैं। अमेरिकी तन्त्र विरोधाभासी विवरणों को संस्था रूप में समझने के लिए सहायक है।

इतिहास में वर्गवाद अमेरिकी राजप्रणाली में एक चालक बल के रूप में बना रहा। वर्ग का मतैक्य कुछ सार्वभौमिक जागृति व साझे स्वार्थों पर निर्भर था जिन्होंने इसे देश के शेष भाग से विलग कर दिया जोकि लोगों के एकीकरण के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे। बहुधा ये साझे स्वार्थ आर्थिक हुआ करते थे जिन पर क्षेत्रीय का समूचा व्यवसाय निर्भर होता था। उदाहरणार्थ दक्षिण में कपास व तम्बाकू अथवा मध्य–पश्चिम के राज्यों के लिये अनाज का महत्व। अतः पूरी उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान कृषिगत वर्गवाद ने अमेरिकी राजकीय वर्चस्व को अत्यधिक प्रभावित किया। वर्गगत निष्ठा का चरम उदाहरण सन् 1860 में स्पष्ट था जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी अब्राहम लिंकन के लिये समस्त दस दक्षिणी राज्यों में एक भी मत नहीं पड़ा।

बीसवीं शताब्दी की अन्तिम तिमाही में वर्गवाद के ऐसे चरम उदाहरण नहीं दिखे तथा वास्तव में यूएस ने राष्ट्रीय पहचान व ऐक्य का बोध विकसित कर लिया जो कि यूरोप में पुराने राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक एकीकृत था। अब तक वर्गगत व क्षेत्रीय कारक अमेरिकी राजप्रणाली की कार्य–प्रणाली में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।

राजकीय अभिप्रेरणा का द्वितीय प्रतिरूप वह है जिसमें समाज की वर्ग–संरचना को राजकीय व्यवहार के मुख्य निर्धारक के रूप में देखा जाता है। वैसे भी लॉक व मांटेस्क्यू जैसे बहुत–से राजकीय विचारकों ने राजकीय व्यवहार के इस परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया जिसमें कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग को लोगों के कृत्यों की चरम व्याख्या के रूप में देखा था। यह घटनाक्रम राजप्रणाली में बल के रूप में वर्गवाद से अत्यधिक अमेलित है। राजकीय निष्ठा यदि वास्तव में सामाजिक वर्ग का विषय हो तो क्षेत्रीय निष्ठाएं राजकीय प्रणाली में कोई भूमिका नहीं निभायेंगी तथा एक सीमा तक इन क्षेत्रीय निष्ठाओं का अस्तित्व बना रहेगा तथा राष्ट्र की वर्ग–एकजुटता क्षीण हो जायेगी। वस्तुतः हाल ही का अमेरिकी राजकीय इतिहास मुख्यतः इन दो राजकीय अभिप्रेरणाओं की जटिल अन्तर्क्रिया है। वर्ग–चेतना बढ़ने से सापेक्ष वर्गवाद घटता है। राजकीय व्यवहार की इनमें से प्रत्येक शैली में दल–प्रणाली के उस प्रकार के लिये बहुत भिन्न निहितार्थ होते हैं जिसे व्यक्ति पाने की अपेक्षा करता है। वस्तुतः यदि किसी वर्गगत अथवा वर्ग राजप्रणाली को चरम पर देखा जाये तो दल–राजप्रणाली बाहर हो जायेगी।

हम राजकीय प्रणाली के तृतीय उपागम को एक बहुलवादी उपागम के रूप में दर्शा सकते हैं। इसमें राजकीय प्रणाली को समूहों की बड़ी संख्या के रूप में देखा जाता है जिनमें से प्रत्येक का स्वार्थ भिन्न होता है जिससे राजप्रणाली वास्तव में कार्यकलापों व अन्योन्य क्रियाओं के सतत् परिवर्तनशील प्रतिरूप समान होती है। आर्थिक, वर्गगत व भौगोलिक कारक प्रारूप

के महत्वपूर्ण भाग होते हैं किन्तु अन्य कई प्रकार के समूह भी महत्वपूर्ण हैं जैसे साम्प्रदायिक समूह, नृजातीय समूह एवं अन्य सामाजिक समूह। वैसे तो चाहे आर्थिक समूहों द्वारा राजप्रणाली में महती भूमिका निभायी जाती है फिर भी ये राजकीय कृत्य के प्रयोजनों के लिये दो अथवा तीन बड़े वर्गों के रूप में एक साथ नहीं आते। ये स्वयं को विभक्त किये रहते हैं। एक संघ दूसरे का विरोधी रहता है। हर प्रकार का उत्पादक अपने प्रतिस्पर्द्धियों को पछाड़ने में लगा होता है, कृषि व उद्योग परस्पर विरुद्ध रहते हैं, छोटे व्यापारियों से बड़े व्यापारियों का बैर रहता है जैसे– खुदरा–व्यवसायी निर्माता के विरुद्ध होते हैं इत्यादि।

वर्गगत व क्षेत्रीय निष्ठाएं अव्यवस्थित होती हैं, प्रत्येक समूह अपने प्रतिस्पर्द्धी को जीतने के लिये सहयोग की बाट जोहता है। इस प्रकार राजप्रणाली का दृश्य कुछ ऐसा बनता है जिसमें समूहों की बड़ी संख्या का एक संकलन–सा नज़र आता है जो अतिरेक आकार व महत्व के होते हैं एवं समाज में स्वार्थ के लिये संघर्षरत रहते हैं जहां किसी एकल समूह का वर्चस्व नहीं होता। चूंकि इन समूहों की सदस्यता अधिक अतिव्याप्ति नहीं होती, अतः कैथोलिक व प्रोटेस्टैण्ट व्यापारी, आयरिश–अमेरिकन व इटेलियन–अमेरिकन श्रमनेता होते हैं। इन समूहों के नेताओं पर पार–दबाव का अनवरत् समुच्चय बना रहता है। इससे उनके मध्य समझौता करने की कार्यविधियों में सहायता होती है एवं मांगों में संतुलन में भी। ऐसे समाज में शासन की भूमिका संतुलन के पलड़ों को थामे रखने की होती है। दो समूहों के मध्य ये भूमिका पंच जैसी होती है जो समूहों के मध्य अपेक्षित मोलभाव करता है व समझौते कराता है। राजकीय कार्यप्रणाली ऐसी कार्य–प्रणाली हो चली है जिसके माध्यम से प्रतिस्पर्द्धारत् स्वार्थों के मध्य साम्य बनाये रखा जाता है। चूंकि शासन का प्रमुख स्वायत्त स्वार्थ विधि व व्यवस्था को बनाये रखना हो जाता है इसलिये राष्ट्रीय नीति के लिये दिशा–निर्देश लाने की दिशा में सक्रिय नेतृत्व की आशा कम ही बचती है तथा राजकीय दल अनुशासन व नियम–पालन में कम रहते हैं। ये तो ऐसे सांगठनिक साधनमात्र बन जाते हैं जिनमें नीतिगत अंश का अभाव है।

'व्यक्तिवाद' राजकीय व्यवहार का अन्तिम प्रतिरूप है जिसे अमेरिकी राजप्रणाली की छांट–परख में प्रयोग किया जाना चाहिए। राजकीय प्रणाली के अन्य वर्गीकरण में वर्ग, तबके अथवा समूह द्वारा व्यक्ति का विलय कर दिया जाता है। राजकीय व्यवहार को वर्ग–विचारधारा, क्षेत्रीय निष्ठा अथवा समूह–स्वार्थों द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा राजकीय परिस्थितियों के परिणाम पर व्यक्ति का नगण्य अथवा शून्य प्रभाव रहता है। राजकीय जीवन की ऐसी व्याख्याओं का सम्बन्ध पारम्परिक लोकतान्त्रिक विचार की मुख्यधारा से कम ही लगता है।

सिद्धांतवादियों (थ्योरिस्ट्स) के अनुसार एक व्यक्ति के रूप में नागरिक राजनीति के केन्द्र में था एवं राजकीय निर्णयों में व्यक्तित्व व व्यक्तिगत पसन्द के महत्वपूर्ण तत्व जॉह्न स्टुअर्ट मिल हुआ करते थे। यह व्यंग्यात्मक है कि अमेरिका (land of individualism par excellence) में राजकीय व्यवहार के शिक्षार्थियों ने लोकतान्त्रिक राजकीय प्रणाली के चिरप्रतिष्ठित विवरण को समाप्त कर दिया। इनका सुझाव है कि बीसवीं शताब्दी में परिवार, वर्ग, स्थानीय समुदाय अथवा अन्य प्रासंगिक सामाजिक समूहन का वर्चस्व मतदान–व्यवहार के निर्धारण में अधिक महत्वपूर्ण था बजाय उन प्रसंगों के ज्ञान का महत्व जिनसे निर्वाचकमण्डल को जूझना पड़ रहा हो। यथार्थ में किसी अन्य आधुनिक

लोकतान्त्रिक राज्य की राजप्रणाली में उसकी भूमिका की तुलना में व्यक्तिवाद द्वारा अमेरिका में बड़ी भूमिका निभायी गयी।

अमेरिका की पुरातन राजकीय परम्परा

टिप्पणी

अमेरिकी राज्य प्रणाली के निर्माण के साथ–साथ पुरातन परम्परा भी अमेरिकी राजकीय परिदृश्य में नज़र आयी। सन् 1787 के संविधान (जो कि संवैधानिक अधिकारों में बुर्जुआ उदारवाद की राजप्रणाली एवं दर्शन की सबसे पूर्ण अभिव्यक्ति बन चुका था) में स्वयं पुरातन विशेषताएं हैं। दशकों तक दासप्रथा के अस्तित्व को महिमामंडन किया जा रहा था एवं इसने उत्तर में बुर्जुआ वर्ग की अविभाज्य सर्वोच्चता को थामे रखा। ये साझे आर्थिक व राजकीय स्वार्थों द्वारा एक गुट में एकजुट थे। तब तक अमेरिका में पूंजीवाद के विकास के लिये आन्तरिक व बाह्य निर्माणकारी स्थितियों से दोनों शासक वर्गों का समरसतापूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित हुआ।

इनकी नीतियों का विरोधी स्वरूप देश में आन्तरिक राजकीय विवादों का प्रमुख विषय प्रसंग था। इससे निम्नांकित की परिचर्चाएं की जाने लगीं–

(अ) संविधान की व्यापक व संकीर्ण व्याख्याएं;

(आ) केन्द्रीय संघीय शासन की सत्ताओं के मध्य सम्बन्ध बनाम राज्य के अधिकार;

(इ) कृषि के बजाय उद्योग को प्राथमिक समझा जाना एवं इसके उलट।

1830 व 1840 के दशक के दौरान औद्योगिक क्रान्ति की आरम्भिक अवस्था में अमेरिकी पूंजीवाद के प्रवेश से वर्ग–संघर्षों की काफ़ी निकासी हुई जो कि दोनों सामाजिक प्रणालियों के सह–अस्तित्व से उपजी थी।

दासप्रथा की समस्या का तात्कालिक समाधान अवश्यंभावी हो गया जो कि अमेरिकी पूंजीवाद के विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा बन चुकी थी और जिसने राजप्रणाली में पुरातन सत्ताओं के संतुलन में विघ्न डाला। अमेरिकी समाज में क्रान्तिकारी प्रवृत्तियां इतनी गहरी पैठ चुकी थीं कि उन्हें विजित करना सम्भव नहीं था। यहां तक कि समझौते की सर्वाधिक परिष्कृत नीतियों से भी नहीं। उस समय का द्वि–दलीय तन्त्र (जो कि 1850 के दशक के मध्य तक सामाजिक–राजकीय विकास में एक अवरोध बन चुका था) क्षतिग्रस्त व असंगठित होने लगा। द्वि–दल संयोजन के विघटन से दासप्रथा के सहयोगियों व विरोधियों के दल छूटकर खुले में आ गये। उनके मध्य का संघर्ष अमेरिकी राजप्रणाली का प्राथमिक अवयव हो चला– गृहयुद्ध के आरम्भ तक। वैसे पुरातन परम्परा के अनुयायी नहीं झुके।

रूढ़िवाद का एक गढ़ रिपब्लिक पार्टी थी जिसने सन् 1856 में पुरातनवाद में राष्ट्रीय राजकीय परिदृश्य में प्रवेश किया। इनका राजकीय मण्डलियों में शक्तिशाली व वर्चस्वशाली समूह था। कन्ज़र्वेटिव गुट में उन दलों के पूर्व प्रतिनिधि थे जिनका पतन हो चुका था। दल में कन्ज़र्वेटिव स्थितियों के लचीलेपन का प्रमाण इंडियाना, पेन्सिलवेनिया व न्यू जर्सी के रिपब्लिकन संगठनों में उनका वर्चस्वयुक्त प्रभाव एवं न्यूयॉर्क, मैसाचुएट्स व इलियांस के पार्टी संगठन के योजना पर स्पष्ट प्रभाव था। 1819–1821 में मिसौरी समझौते की स्थितियों का पुनर्जीवन आवश्यक हो गया। पश्चिम में दासप्रथा के वितरण को वस्तुतः स्वीकार कर लिया गया जो कि सन् 1820 कम्प्रोमाइज़ की कण्डिश्नल लाइन से दक्षिण की ओर विस्तारित थी एवं नवीन दास राज्यों का प्रवेश संघ में हुआ। कन्ज़र्वेटिव्स ने

दासप्रथा के विस्तार का विरोध किया किन्तु इन्होंने संघ पर राजसत्ता के लिये संघर्ष में स्पर्द्धा में दक्षिण एवं उत्तर के मध्य विरोधाभासों की समूची काली छाया को घटाया। यह मुख्य राजकीय प्रसंगों के निर्णय में दक्षिण के आधिपत्य (southerners' hegemony) का अन्त करने की दिशा में एक प्रयास था।

रूढ़िवादियों ने इस ही दृष्टि से दासप्रथा की निन्दा की कि यह दक्षिण की निरंकुश सत्ता की नींव थी। इन्होंने देश में राजकीय स्थिरता पाने के लिये दक्षिण के साथ नवीन समझौते करने अपनी शीघ्रता की घोषणा की।

कन्ज़र्वेटिव रिपब्लिकन्स रूढ़िवादी देश में सामाजिक–आर्थिक विकास की विह्ग संकल्पना का अनुकरण करते रहे। ये शीघ्रगामी औद्योगिकीकरण के समर्थक थे एवं इन्होंने यूएस में आर्थिक बढ़त को प्रेरित करने में शासन के लिये सक्रिय भूमिका के वाद को थामा। रूढ़िवादियों ने भी संरक्षावादी प्रशुल्क लाने एवं केन्द्रीय बैंक प्रणाली बनाने के विचार का भी समर्थन किया।

रूढ़िवादी अपने पार्टी–सहकर्मियों से वस्तुतः अत्यधिक भिन्न थे– रेडिकल व मॉडरेट रिपब्लिकन्स दोनों दासप्रथा के प्रसंग में। रेडिकल्स व मॉडरेट्स दोनों ने सन् 1860 के अभियान के दौरान उस सिद्धान्त को दृढ़ता से थामे रखा जिसने रिपब्लिकन पार्टी के मंच की नींव का निर्माण किया था जिससे दासप्रथा उसकी तत्कालीन सीमाओं में सीमित थी।

डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्ज़र्वेटिव गुट (जिसने राष्ट्रपति हेतु अपने स्वयं के प्रत्याशी के रूप में स्टीफन डगलस को मनोनीत किया था) ने प्रमुखतया पूर्वोत्तर के उन राज्यों से अपना सहयोग वापस छीन लिया जहां व्यापार व वित्त का संकेन्द्रित पूंजीवाद था। उत्तरी राजकीय परम्पराओं की भावना में आये कन्ज़र्वेटिव डेमोक्रेट्स ने दासप्रथा की समस्या के नरक में अस्थिरकारी प्रभाव देखा जिसने कि देश में राजप्रणाली की नींवों को संकटग्रस्त कर दिया। इन्होंने उत्तर व दक्षिण के मध्य संघर्ष को बढ़ाकर चेतावनी के स्तर पर ला दिया एवं अपनी सत्ता से दासप्रथा के विषयप्रसंग को कुचलने का प्रयास किया। इन्होंने दोनों के राजकीय वर्चस्व की बढ़त को परिसंतुलित करने का प्रयास किया।

अमेरिकी संविधान की विशेषताएं

पूर्ववर्ती आधार पर अमेरिकी संविधान की चार विशेषताएं निम्नानुसार समझी जा सकती हैं–

(क) अमेरिकी शासन की विशेषताएं हैं– विधायिका, कांग्रेस, कार्यपालिका, प्रेसीडेंट और विभिन्न शासकीय अभिकरणों एवं सर्वोच्च न्यायालय के मध्य सत्ता का संतुलन। कांग्रेस द्वारा विधि–निर्माण किया जाता है जिस पर प्रेसीडेंट द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा न किया गया तो इन विधियों का प्रवर्तन कार्यपालिका द्वारा कोई शक्ति पाने हेतु किया जाना होता है। कांग्रेस को प्रेसीडेंट पर महाभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त है। न्यायपालिका शाखा तो सत्ताओं के मध्य संतुलन का भाग बनकर उभरी क्योंकि इसके पास विधियों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है परन्तु ऐसा मूल संविधान के प्रकरण में नहीं किया जा सकता।

(ख) यू.एस. संविधान में संघीय शासन को बस उतनी ही शक्तियां मिली हुई थीं जितनी कि उसके लिये संविधान में सूचीबद्ध की गयी थीं एवं असूचीबद्ध शक्तियां राज्यों अथवा जनता के पास थीं।

टिप्पणी

(ग) संघीय शासन की सत्ता पर अंकुश रखने की भूमिका राज्य शासनों द्वारा निभायी जाती थी। संविधान में व्यवस्था थी कि संघीय शासन को प्रदान न किया गया हर अधिकार राज्यों अथवा जनता के पास होगा।

(घ) अधिकारों के विधेयक में वास्तव में उन बातों को सूचीबद्ध किया गया जिनको करने की अनुमति संघीय शासन को नहीं थी।

आरेख में इन विशेषताओं को रेखाचित्रात्मक रूप में दर्शा दिया गया है–

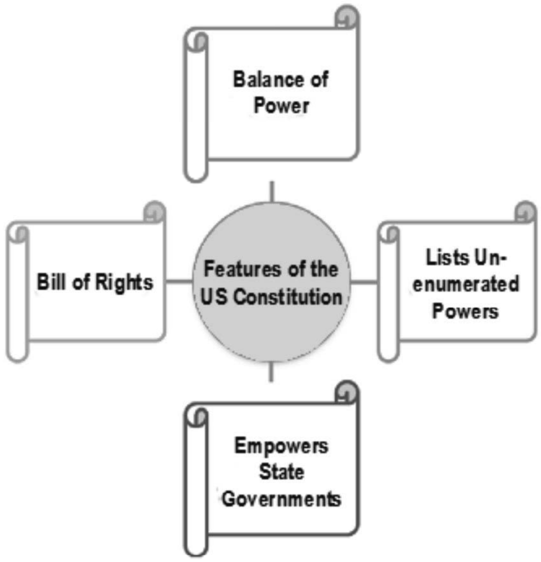

अपनी प्रगति जांचिए

1. अमेरिकी राजप्रणाली में क्या एक चालक बल के रूप में बना रहा?

   (क) समाजवाद (ख) वर्गवाद

   (ग) जातिवाद (घ) धर्मवाद

2. अमेरिकी संविधान में किसे प्रेसीडेंट पर महाभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त है?

   (क) कांग्रेस (ख) डेमोक्रेटिक पार्टी

   (ग) रिपब्लिकन पार्टी (घ) लेबर पार्टी

2.3 अमेरिका : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका

अमेरिका में राष्ट्रपति का महत्व सबसे ज्यादा होता है। वहां की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका पर राष्ट्रपति का पूरा–पूरा दखल रहता है।

2.3.1 कार्यपालिका

संघीय संवैधानिक गणतन्त्र होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रीय शासन के लिये आरक्षित शक्तियां, यूएस प्रेसीडेंट, कांग्रेस व न्यायपालिका द्वारा

साझी नहीं की जातीं। इनके अतिरिक्त संप्रभुत्व को संघीय शासन द्वारा राज्य–शासनों से साझा किया जाता है। प्रेसीडेंट तो कार्यपालिका शाखा का मुखिया है, न कि विधायिका के नियन्त्रण में।

टिप्पणी

विधायिका की सत्ता को कांग्रेस के दो सदनों में विभाजित किया गया हैः राज्यसभा (सीनेट) व लोकसभा (हाउस ऑफ़ रिप्रज़ेंटेटिव)। सर्वोच्च न्यायालय एवं निम्नतर संघीय न्यायालयों द्वारा मिलकर न्यायपालिका शाखा का निर्माण किया जाता है व न्यायिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान एवं इसकी संघीय विधियों व विनियमों की व्याख्या करना इसका कार्य है। इसके द्वारा कार्यपालिका व विधायिका की दो शाखाओं के मध्य के विवादों को भी सुलझाया जाता है। संविधान में संघीय शासन के रूपविन्यास का वर्णन किया गया है। अमेरिकी गृहयुद्ध से अमेरिकी राजप्रणाली पर दो दलों का वर्चस्व रहा हैः डेमोक्रेटिक पार्टी एवं रिपब्लिकन पार्टी, वैसे अन्य दल भी अस्तित्वमान हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स की राजप्रणाली अधिकांश विकसित लोकतन्त्रों से अनेक प्रकार से भिन्न है, यथा–

- विधायिका की राज्यसभा की शक्ति अन्य राष्ट्रों में राज्यसभा की शक्ति से अधिक है।
- सर्वोच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च सत्ता है।
- सत्ता विधायिका व कार्यपालिका के मध्य पृथक्कृत है।
- अमेरिकन राजप्रणाली में मात्र दो प्रमुख दलों का वर्चस्व है।

अमेरिकन संविधान में संघीय अस्तित्व का निर्माण किया गया है। यह अमेरिकी शासकीय तन्त्र का एक मुख्य लक्षण है। वैसे राज्य–शासन भी कई लोगों की पूर्ति करते हैं। इन सबको स्थानीय शासन की विविध इकाइयों के लिये विषयों के रूप में विभाजित किया गया है। काउंटीज़, नगरपालिकाएं व विशेष जिले स्थानीय शासन की इकाइयां हैं। देश का अतीत न्यायाधिकारों की बहुलता द्वारा परिलक्षित होता है। राज्यों द्वारा संघीय शासन का निर्माण किया गया है। ये अपने स्वयं के व स्वतन्त्र शासन युक्त उपनिवेशों के रूप में पृथक्तया स्थापित थे। इन उपनिवेशों ने राज्य के विभिन्न कार्यों के सुचारु संचालन के लिये स्थानीय शासन की अपनी–अपनी इकाइयां बनायीं। देश के विस्तार के दौरान नवीन राज्यों को पूर्ववर्ती राज्यों के आधार पर लाया व संभाला गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति

संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक कार्यपालिका अन्य देशों से भिन्न है। वहां राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है और समस्त कार्यपालिका उसमें निहित होती है। राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गयी है, जो राष्ट्रपति को न केवल आवश्यक परामर्श देता है बल्कि उस पर नियंत्रण भी रखता है। राष्ट्रपति के अनुचित या देश को अहित पहुंचाने वाले कार्यों के क्रियान्वयन पर रोक भी लगाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां विस्तृत हैं। उसका स्वर जनता का स्वर माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति की तुलना, प्राचीनकालीन राजा के समकक्ष कर सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि प्राचीनकालीन राजा निरंकुश

हो सकते थे। अपनी इच्छानुसार दंड देते थे तथा उसे ईश्वरीय स्वरूप माना जाता था। परंतु आधुनिक युग में ऐसा नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली अन्य देशों की तुलना में अलग है। यहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यहां कार्यपालिका नाममात्र की है। संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को इतनी शक्तियां प्रदान नहीं की गयी हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं पदमुक्त किये जा सकते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को दो भागों में बाटा गया है, यथा– राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है और उसकी सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल है।

राष्ट्रपति

विश्व के सबसे प्रभावशाली व शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की पहचान है। डब्ल्यू ए. मुनरो इस संबंध में कहते हैं कि "अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया, जितना कि अमेरिका का राष्ट्रपति करता है।"

अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद–2 में राष्ट्रपति के संबंध में लिखा है कि "अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।" हालांकि उक्त अनुच्छेद में यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति, देश का सर्वेसर्वा होगा और सारी शक्तियां उसे अत्यंत शक्तिशाली बनाने के लिए प्रदान की जायेंगी लेकिन समय की मांग व महत्वांकाक्षी अभिलाषाओं के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तिशाली हो गया।

राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं

अनुच्छेद–2 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति के पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा, जो कि–

1. संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो
2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो
3. संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष निवासी रहा हो (निरंतर निवास आवश्यक नहीं है)

योग्यताओं के संबंध में लार्ड ब्राइस का कथन है कि– "व्यावहारिक रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो सार्वजनिक जीवन में किसी क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए प्रसिद्ध रहा हो। कांग्रेस का सदस्य, किसी राज्य का गवर्नर, किसी बड़े नगर का मेयर, राजदूत, न्यायाधीश या असाधारण रूप से प्रसिद्ध पत्रकार हो सकता है।"

राष्ट्रपति का कार्यकाल

राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्ष का होता है और एक व्यक्ति अधिकतम दो बार राष्ट्रपति पद धारण कर सकता है। तीसरा कार्यकाल न पसंद करने वालों में लोकप्रिय राष्ट्रपति जैफरसन, जेम्स मेंडिसन तथा जेम्स मुनरो थे जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए मना कर दिया था। फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट ऐसे राष्ट्रपति थे, जो लगातार चार बार निर्वाचित हुए थे। सन् 1951 के 22वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया और एक व्यक्ति को अधिकतम दो बार ही राष्ट्रपति पद के

लिय योग्य बना दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आपात परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति धारण करेगा और वह अधिकतम दस वर्ष का ही कार्यकाल पूरा कर सकता है।

टिप्पणी

राष्ट्रपति का निर्वाचन

अमेरिकी संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए प्रत्येक राज्य अपनी विधायिका के आदेशानुसार निर्वाचक चुने, जिनकी संख्या उस राज्य की सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। इसके पश्चात् राज्य लिखित रूप में अपने मत दो व्यक्तियों को देंगे, जिसमें से कम से कम एक उस राज्य का निवासी न हो, जिस राज्य की ओर से वह निर्वाचक नियुक्त किया गया है। प्रत्येक राज्य की ओर से निर्वाचन हो जाने के बाद मतों को एक पेटी में मोहर लगाकर सीनेट अध्यक्ष को भेज दिया जाता है, जो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में मतों की गणना करके परिणाम घोषित करता है। जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत मिलते हैं, वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति से कम मत पाने वाले व्यक्ति को उप–राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया इस प्रकार है–

देश में स्थित सभी राजनीतिक दल अपने–अपने उम्मीदवारों का निर्धारण करते हैं, जिनके माध्यम से राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। इसके पश्चात् घोषित उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को मजबूत बनाने के लिए सभी हथकंडे अपनाता है, जैसे–चुनावी भाषणबाजी, गुटबाजी और देश के पृथक–पृथक हिस्सों में चुनाव प्रचार, जिससे कि मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके।

अमेरिकी राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस मंडल में कुल 538 सदस्य चुने जाते हैं। संविधान संशोधन से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति 4 मार्च को सीनेटरों तथा प्रतिनिध सभा के सदस्यों के साथ (435+100) शपथ ग्रहण करते थे लेकिन संविधान के 20वें संशोधन द्वारा, जो कि 1933 में हुआ, के पश्चात् अब 20 जनवरी, को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी शपथ में कहता है कि–''मै गंभीरपूर्वक शपथ लेता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और अपनी योग्यतानुसार अमेरिका के संविधान का संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा।''

वेतन और भत्ते

कांग्रेस द्वारा ही राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों, निःशुल्क सरकारी आवास व अन्य सुख–सुविधाओं का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रधान के रूप में अनेक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उन्मुक्तियों के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जा रहा है। राष्ट्रपति को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही कोई आदेश दिया जा सकता है। राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में साक्ष्य देने से छूट प्रदान की गयी है। महाभियोग के समय सीनेट में राष्ट्रपति को बुलाया जा सकता है।

पदमुक्ति

राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से पद से त्यागपत्र दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 2(4) के अनुसार, देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराध के मामले में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। उपयुक्त आधारों पर प्रतिनिधि सभा का कोई भी सदस्य या कुछ सदस्य राष्ट्रपति पर आरोप लगा सकते हैं, जिनका कि न्यायिक या विशेष जांच समिति द्वारा परीक्षण किया जाता है। जांच प्रतिवेदन के बाद यदि प्रतिनिधि सभा युक्तियुक्त समझे तो एक प्रस्ताव, जो कि बहुमत द्वारा पारित हो, आरोप पत्र राष्ट्रपति को भेजा जाता है और इन प्रस्तावों की जांच हेतु सीनेट एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सीनेट को प्रस्ताव की विषय–वस्तु के बारे में प्रतिनिधि सभा का सदस्य अवगत करवाता है। अपना पक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अधिवक्ता को भेज सकता है। सीनेट के दो–तिहाई बहुमत प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बहुमत प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा।

सर्वप्रथम सीनेट द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्रयू जॉनसन को हटाने के लिए सन् 1867 में प्रस्ताव पारित किया गया था लेकिन वह मात्र एक वोट के कारण कामयाब नहीं हुआ। सन् 1974 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक चर्चित कांड के कारण बनी प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति की सिफारिश आते ही त्यागपत्र दे दिया था। सन् 1998 को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को मोनिका लेविंस्की द्वारा यौन–शोषण के आरोपों के कारण हटाने के लिए प्रक्रिया आरंभ की गयी थी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ–पत्र द्वारा आरोपों को झुठलाने का असफल प्रयास किया गया, जो कि बाद में मोनिका लेविंस्की द्वारा पेश साक्ष्य, यथा–वस्त्र, टेप इत्यादि के कारण निराधार थे। तब कांग्रेस ने स्वतंत्र वकील केनेथ स्टार द्वारा जांच करवायी। हालांकि जांच सही साबित हुई लेकिन एक बहुत बड़े अमेरिकी तबके द्वारा इस कार्य को महाभियोग के योग्य नहीं समझा गया और राष्ट्रपति ने अपने इस कृत्य के लिए राष्ट्र और अपने परिवार से क्षमा याचना की, जिसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति उसका पद धारण करता है। राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाये जाने पर भी रिक्त हो जाता है। 25वें संविधान से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पद धारण करने पर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता था लेकिन 1967 के संशोधन पश्चात् अब यह व्यवस्था की गयी है कि उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति द्वारा नामजद व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा लेकिन इसके लिए कांग्रेस की स्वीकृति आवश्यक है। इस संशोधन का अनूठा संयोग सन् 1973 में देखने को मिला, जब उपराष्ट्रपति स्पाइसे टी. एग्नू ने त्यागपत्र दे दिया। तब राष्ट्रपति एम. निक्सन ने गेराल्ड आर. को उपराष्ट्रपति के लिए नामजद कर लिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और उसके अगले ही वर्ष राष्ट्रपति निक्सन ने वाटरगेट कांड के कारण त्यागपत्र दे दिया तथा फोर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति बन गये।

राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य

संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक अत्यधिक शक्ति–संपन्न शासनाध्यक्ष है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तिशाली नहीं है लेकिन परंपरा ने उसे शक्तिशाली बना दिया है। इस संबंध में फरगुसन एवं मैक हेनरी का कथन है कि "मंगल ग्रह से आने वाला व्यक्ति, अमेरिका के संविधान को पढ़ते हुए यही समझेगा कि राष्ट्रपति एक निर्बल कार्यपालिका है, जो बहुत सीमा तक कांग्रेस की इच्छा के अधीन है। वह अमेरिका की शासन प्रणाली को कांग्रेस की सरकार कहेगा, किंतु उन शक्तिशाली व्यक्तियों (राष्ट्रपति जैफरसन, जैक्शन, लिंकन, क्लीवलैंड, थियोडर रूजवेल्ट, विल्सन तथा फ्रेंकलिन रूजवेल्ट) जिन्होंने इस पद को धारण किया, ने इस पद को अत्यधिक शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक बना दिया है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां

1. कार्यपालिका शक्तियां

अमेरिकी राष्ट्रपति शासन संचालन के समस्त व्यावहारिक कृत्य संपादित करता है। संविधान के अनुच्छेद–2 के अनुसार, समस्त कार्यपालिका–शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। इनका प्रयोग राष्ट्रपति निम्न प्रकार कर सकता है–

(i) अनुच्छेद–2(3) के अनुसार, सभी संघीय कानूनों का समुचित रूप से क्रियान्वयन करवाने का दायित्व राष्ट्रपति का है। कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों एवं संधियों के निष्ठापूर्वक पालन से प्रशासनिक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं।

(ii) वह समस्त प्रशासनिक तंत्र को संघीय कानून के अंतर्गत नियंत्रित–निर्देशित करता है।

(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व राष्ट्रपति का है। चूंकि संघीय सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य में गणतंत्रात्मक सरकार बनाये रखे और राज्य को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिंसा से बचाये, अतः हिंसा या आपातकाल के समय राष्ट्रपति राज्यों को सहायता प्रदान करता है।

(iv) समस्त उच्च पदों पर नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति ही करता है। जैसे ही कोई नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है तब कांग्रेस दो–तीन हजार महत्वपूर्ण पदों से संबंधित एक सूची तैयार करती है, जो कि "प्लम बुक" कही जाती है। प्लम–बुक की सूची के अनुसार, राष्ट्रपति अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को नियुक्त करता है और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति लोक सेवक है अथवा नहीं।

(v) विदेशी संबंधों एवं नीतियों के निर्धारण के क्रम में समस्त अधिकार राष्ट्रपति में निहित हैं। वह राजदूतों, वाणिज्य दूतों, प्रतिनिधियों तथा प्रतिनिधि मंडलों की नियुक्ति कर सकता है और विदेश नीति निर्धारित कर सकता है। विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करना अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में है और वह अन्य देशों से संधियां कर सकता है, जिनकी पुष्टि सीनेट के दो–तिहाई बहुमत से होना आवश्यक है। उलझनों से बचने के लिए राष्ट्रपति प्रशासनिक समझौते करता है, जिनके लिए सीनेट की पुष्टि आवश्यक नहीं है क्योंकि उक्त कार्य राष्ट्रपति

टिप्पणी

के कार्यपालिका क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रपति देश हित में गुप्त समझौते भी कर सकता है।

(vi) अमेरिकी नागरिकों के विदेश भ्रमण, उनके संरक्षण और समस्याओं के समाधान का भार राष्ट्रपति पर है।

(vii) राष्ट्रपति सेनाओं तथा सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति है। राष्ट्र हित में वह सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। युद्ध का आदेश और उसका संचालन राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है लेकिन युद्ध की उद्घोषणा का कार्य केवल कांग्रेस द्वारा ही किया जा सकता है। आपातकाल में, यथा युद्ध की स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति सर्वेसर्वा हो जाता है।

2. विधायी शक्तियां

राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियों के केवल कुछ अंश ही हैं और समस्त शक्तियां कांग्रेस में निहित हैं। उन्हें निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है—

(i) संविधान के प्रावधानानुसार, राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह संघ की स्थिति के बारे में समय—समय पर कांग्रेस को अवगत कराये और उसके विचारों की अनुशंसा करे, जो कि उसकी नजर में महत्वपूर्ण हो। एक वार्षिक प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को प्रेषित किया जाता है, जिसमें सरकार की नीतियों एवं भावी व वर्तमान कार्यक्रमों के सुझाव होते हैं। सामान्यतः कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा प्रतिपादित बिंदुओं पर गौर करती है।

(ii) यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में किसी बात को लेकर मतभेद है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक विषय पर विचार करने के लिए कांग्रेस के सत्र की अवधि बढाने की सिफारिश कर सकता है और यदि कांग्रेस सत्रावधि स्वीकार न करे तो सत्रावसान के पश्चात् "विशेष अधिवेशन" बुलाया जा सकता है।

(iii) राष्ट्रपति प्रत्येक विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, जो कि कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया है। निषेधाधिकार राष्ट्रपति के पास है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को आपत्तियों सहित सदन को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। लौटाये गये विधयेक पर पुनः प्रक्रिया प्रारंभ से की जाती है और यदि उक्त विधेयक दोनों सदनों के दो—तिहाई बहुमत से पारित हो जाये तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहती। जेबी (Pocket) निषेधाधिकार का अर्थ उस अधिकार से है, जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना निर्णय टाल देता है। ऐसा अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक के लिये किया जा सकता है। इसके पश्चात् विधेयक पारित हुआ समझा जाता है, यदि उस समय तक कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त न हुआ हो।

(iv) कानूनों के संबंध में विस्तृत—विनिमय बनाने का कार्य कार्यपालिका का है। इस प्रावधान के कारण राष्ट्रपति और प्रशासन का कानून निर्माण में योगदान बढ़ जाता है।

(v) राष्ट्रपति अपने राजनीतिक सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा विधान निर्माण एवं अन्य कार्यो में हस्तक्षेप करवा सकता है।

3. न्यायिक शक्तियां

दंड प्राप्त अपराधियों को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जा सकता है या उनका निलंबन, लघुकरण किया जा सकता है। एक ही दंड से दंडनीय अपराधियों को एक साथ क्षमादान दिया जा सकता है। एक साथ क्षमादान सन् 1868 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा गृहयुद्ध में दक्षिण की ओर से लड़ने वाले व्यक्तियों को दिया गया था। सन् 1974 में राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को कानूनी कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व ही क्षमादान दे दिया था। क्षमादान की शक्तियां दो आधारों पर ही दी जा सकती हैं, प्रथम वह केवल संघीय विधि के मामलों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है, राज्यों की विधि के अंतर्गत नहीं और दूसरा महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमादान नहीं दिया सकता है। संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है।

4. संकटकालीन शक्तियां

अमेरिकी राष्ट्रपति सामरिक, वित्तीय, वाणिज्यिक, राजनीतिक, आंतरिक अशांति तथा अन्य संकट के समय तुरंत निर्णय ले सकता है लेकिन उसके लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है–

1. संकट वास्तविक होना चाहिए।
2. संकट के संबंध में कांग्रेस का कोई पूर्व कानून बना हुआ नहीं होना चाहिए। तथा
3. संकट के कारण कांग्रेस को आवश्यक कदम उठाने हेतु अवसर न मिला हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति

अमेरिकी राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रपति को जनता की आवाज कहा जाता है। आंतरिक मामलों में जनता उसी के नेतृत्व, दिशा–निर्देशों की आकांक्षा रखती है। विदेशी मामलों में वह एकमात्र प्रवक्ता होता है। राष्ट्रपति की प्रत्येक घोषणा का न केवल अमेरिका में बल्कि पूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रपति की शक्तियों में व्यक्ति और परिस्थितियों के अनुसार समय–समय पर परिवर्तन होता रहता है। वांशिगटन, जैक्सन, लिंकन, रूजवेल्ट, केनेडी, जॉनसन, निक्सन इत्यादि ने अपने कर्त्तव्यों की अभूतपूर्व व्याख्या की, जिससे उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। इस संबंध में मुनरो ने कहा है कि "दृढ़ व्यक्तित्व और दुर्बल व्यक्तित्व के बीच पेंडुलम की भांति शक्ति संतुलन एक विशेषता रही है।" आदिकाल से आमजन की मनोवृत्ति कमजोर नेतृत्व से शक्तिशाली नेतृत्व और दकियानूसीपन से उदारतावाद तथा विद्रोह से प्रतिक्रिया के बीच की रही है किंतु उन्नति हर हाल में बनी रही। वास्तव में राष्ट्रपति एक इकाई है, जो कि अन्य कार्यों के साथ–साथ कार्य संपादित करता है। उसका प्रत्येक कार्य एक–दूसरे से संबंधित होता है।

राष्ट्रपति की शक्तियों पर प्रतिबंध

राष्ट्रपति की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगाये गये हैं। राष्ट्रपति को एक निरंकुश शासक की भांति नहीं छोड़ा गया है बल्कि उस पर कांग्रेस के माध्यम से अंकुश लगाया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर निम्न प्रतिबंध लगाये गये हैं–

1. राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व करने की उसकी शक्ति नहीं है। वह कांग्रेस को केवल नीति–निर्देश दे सकता है लेकिन अपने दिये गये निर्देश को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
2. अपने दल के सदस्यों पर वह अधिक निर्भर नहीं रह सकता है। कांग्रेस उसके लिए विपक्ष की भूमिका निभाती है, चाहे वह कांग्रेस की पार्टी का हो या अन्य का। वह कांग्रेस के लिए केवल एक प्रतिद्वंद्वी है।
3. कांग्रेस के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रपति के निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न होता है और उनके लक्ष्य भी भिन्न होते हैं। कांग्रेस के सदस्यों को दलीय आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जो कि सीनेट एवं प्रतिनिधि सदन के रूप में संचालित होते हैं।
4. कांग्रेस का स्वरूप अपेक्षाकृत विस्तृत होता है, जो कि प्रादेशिकता प्राप्त होता है। सीनेट के सदस्यों का चुनाव प्रति दो वर्ष की कालावधि के बाद होता है। कांग्रेस एवं राष्ट्रपति में अक्सर टकराव की नौबत आती रहती है, जैसे कि राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वार्ता संधि को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था।
5. राष्ट्रपति प्रशासनिक अधिकारियों को एक सेनापति की भांति आदेश नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति की राह में कांग्रेस के बाद प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा रोड़ा होते हैं। रोबर्ट डहल एवं डिललोम के अनुसार, "नौकरशाही सामान्य उच्चतरों के नियंत्रण के प्रति उत्तरदायी, अनुशासित, अधीनस्थ कर्मचारियों के समूह की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की रंगभूमि के अधिक करीब प्रतीत होती है।" कार्यों के बोझ के तले राष्ट्रपति प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रख पाता है। निर्णय लेने से पूर्व राष्ट्रपति को प्रशासनिक सूचना पर निर्भर रहना पड़ता है।
6. अधीनस्थ कर्मचारियों की छोटी सी भूल का भी खामियाजा राष्ट्रपति को भुगतना पड़ता है क्योंकि यह उसके निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। समर्थन प्राप्त करने के लिए भी राष्ट्रपति को कुछ नियुक्तियां करनी पड़ती हैं।
7. यदि किसी परिस्थिति में सुरक्षित पदाधिकारी राष्ट्रपति की नीतियों से सहमत नहीं हैं तो राष्ट्रपति उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, जब तक कि उसको राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं हो जाता।
8. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर न्यायपालिका भी राष्ट्रपति की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगा सकती है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। राष्ट्रपति जैफर्सन के अनुसार, संविधान निर्माता शासन के तीनों अंगों को स्वतंत्र एवं एक–दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहते थे, अतः न्यायपालिका का राष्ट्रपति के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार, शक्ति पृथक्करण एवं समिति शासन के सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध है। पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सन् 1993 में अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जो कि "न्यू डील" कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। लेकिन कांग्रेस द्वारा पारित अनेक

विधियों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस कार्यक्रम के 12 कानूनों को अंसवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

9. अमेरिका में व्यापारी वर्ग के बढ़ते हुए आधिपत्य के विरुद्ध जनता में असंतोष की भावना भी राष्ट्रपति के विरुद्ध चली। जनता राष्ट्रपति के कृत्यों को संदेह की दृष्टि से देखती है। लॉस्की के अनुसार "कांग्रेस की इच्छाओं से मर्यादित राष्ट्रपति की स्थिति अथाह समुद्र में एक ऐसे नाविक के समान है जो पूर्ण निश्चयपूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता। इसी संबंध में रोबर्ट कार तथा अन्य विचारकों के अनुसार, "बहुत से विधायक एक अलोकप्रिय राष्ट्रपति के कार्यक्रमों का समर्थन करने तथा कार्यपालिका के लोकप्रिय अध्यक्ष के प्रस्तावों का विरोध करने के इच्छुक नहीं होते।" राष्ट्रपति को सफल होने के लिए अपनी लोकप्रियता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल

राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल, उसकी सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य केवल राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देना है लेकिन यह उसके निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता है। इस संबंध में रिचार्ड फेनो ने लिखा है कि "मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अपना साधन है, वह इसे जैसे चाहे प्रयोग में लाए।" इसी संबंध में उनका आगे कथन है कि "मंत्रिमंडल प्राचीन संस्था के लिए आधुनिक शब्दावली है।" वास्तव में मंत्रिमंडल कानून से परे की रचना है, जिसका अस्तित्व संवैधानिक या कानूनी प्रावधानों पर निर्भर नहीं है बल्कि परंपराओं पर आधारित है। देश की घटनाओं, नेताओं के व्यक्तित्व आदि ने मंत्रिमंडल के स्वरूप पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति पर आश्रित है, जो राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता है। मंत्रिमंडल के जीवन का निर्धारण राष्ट्रपति के हाथों में है। जौनेथन डेनील के अनुसार, ''कोई संस्था एक व्यक्ति के समर्थकों का ऐसा निकाय नहीं होती, जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल है।" मंत्रिमंडल एक स्टेपनी के रूप में है, जो राष्ट्रपति को समय–समय पर सहायता प्रदान करता है।

मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति

राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक होती है लेकिन इसमें कई ऐसे तत्व भी विद्यमान हैं, जो राष्ट्रपति के स्वेच्छया प्रयोग को अबाध्य करते हैं। रिचर्ड फेनो के अनुसार, "प्रत्येक मंत्रिमंडल की रचना में पांच तत्व कम या अधिक मात्रा में सक्रिय रहते हैं।" उक्त पांच तत्व निम्नलिखित हैं–

1. राष्ट्रपति का प्रभाव
2. मंत्री पद की प्रेरणाएं एवं असुविधाएं
3. समय की परिस्थितियां
4. मंत्रिमंडल के आदर्श
5. प्राप्य और संतुलन का मापदंड।

राष्ट्रपति का प्रभाव, मंत्रिमंडल की नियुक्ति में केंद्रीय तत्व होता है। वह मंत्रिमंडल की नियुक्ति सीनेट के परामर्श एवं स्वीकृति पर करता है लेकिन उक्त प्रावधान केवल औपचारिकता मात्र है। राष्ट्रपति, मंत्रियों को अपनी टीम में शामिल करते समय समान

टिप्पणी

विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखता है। इसमें राजनीति को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है।

मंत्री पद की कठिनाइयों के कारण राष्ट्रपति अपनी पसंद के व्यक्तियों की नियुक्त नहीं कर पाता है। मंत्री पद का वेतन कम होता है और उसे अन्य सभी लाभ के पदों, व्यवसायों का त्याग करना पड़ता है और तदुपरांत भी उसे कई कार्यों से विरक्त रहना पड़ता है। सामान्य शब्दों में कहें तो एक मंत्री का कार्य केवल एक रबर स्टांप की भांति कागजों और पत्रों पर हस्ताक्षर करना होता है क्योंकि उन्हें रचनात्मक कार्य करने का बहुत कम अवसर मिलता है और दिये गये कार्यों को समय पर पूरा न कर पाने पर तीव्र आलोचना का भी शिकार होना पड़ता है। योग्य व्यक्ति मंत्रिमंडल में आना पंसद नहीं करते हैं।

एक समय में जनमत का दृष्टिकोण, विभागों का तुलनात्मक महत्व और दलीय स्थिति मंत्रिमंडल को प्रभावित करती है। मंत्रिमंडल की रचना के समय मंत्रिमंडल के आदर्श का ध्यान रखना पड़ता है और मंत्रियों के व्यक्तिगत गुणों को भी महत्व दिया जाता है। थियोडर रूजवेल्ट के शब्दों में "मंत्री में विभाग के प्रशासकीय कार्य करने के पर्याप्त गुण होने चाहिए। वह प्रभावशाली नेता हो, मिलकर कार्य करने की योग्यता रखता हो। तदनुसार प्रत्येक पद पर योग्य व्यक्ति नियुक्त किया जाता है और सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं।''

अतः मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है लेकिन यह असीमित या अमर्यादित नहीं हैं। इसे राजनीतिक दल, प्रशासनिक योग्यता और देश की स्थिति प्रभावित करती हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक

जार्ज वाशिंगटन के कार्यकाल में मंत्रिमंडल की बैठकें राष्ट्रपति की इच्छानुसार मंगलवार और शनिवार को होती थीं लेकिन कालांतर में यह परिवर्तित हो गयी। राष्ट्रपति कूलिज तो मंत्रिमंडल की बैठक केवल कुछ मिनटों के लिए करते थे, जो कि खानापूर्ति मात्र होती थी। मंत्रिमंडल की बैठक में उप–राष्ट्रपति नहीं बैठता है। मंत्रिमंडल की बैठक अनौपचारिक होती है, जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती। अतः न तो कभी मतदान करवाया जाता है और न ही उसका कोई अभिलेख आदि रखा जाता है।

मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के समक्ष कार्यसूची प्रस्तुत की जाती है। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक का समय व उसकी समय सीमा एक समस्या है। रिचर्ड फेनो के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक की सफलता उसके नियमित होने पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति की इसमें स्वेच्छापूर्ण शक्ति होनी चाहिए ताकि वह उसे नियमित कर सके। लोचशीलता के लिए बैठक अनौपचारिक होनी चाहिए।

मंत्रिमंडल के कार्य

मंत्रिमंडल के कार्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है–

1. वह राष्ट्रपति को सलाह देता है और उसके निर्णय को सफल बनाने में योगदान देता है।
2. मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है और अपने अनुभवों के आधार पर राष्ट्रपति का कार्य सुलभ करता है।

3. वह राष्ट्रपति द्वारा लिये गये निर्णयों के पक्ष–विपक्ष पहले से ही बता देता है, जिससे कि भविष्य की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके।
4. वह कार्यों के लिए अनेक विकल्प सुझाता है और उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने में सहायता प्रदान करता है।
5. वह विभिन्न सदस्यों एवं प्रशासकों के बीच एक सेतु के रूप कार्य करता है और वार्तालाप में राष्ट्रपति की सहायता करता है।

राष्ट्रपति का सहायक

राष्ट्रपति, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी है। हालांकि उसे अनेक शक्तियां प्रदान की गयी हैं लेकिन उसकी कार्यक्षमताओं पर कुछ प्रतिबंध लगा है। प्रारंभिक काल में राष्ट्रपति के दायित्व और कार्य सीमित थे लेकिन कालांतर में उसकी शक्तियां बढ़ीं तो दायित्व और कार्यों का स्वतः ही विस्तार हो गया। 1939 में कांग्रेस ने एक पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसमें राष्ट्रपति के निष्पादक कार्यालय का जन्म हुआ, जिसे राष्ट्रपति का सचिवालय कहा जाता है। सन् 1969 के संघीय वित्त विधेयक द्वारा राष्ट्रपति के 17 सहायक रखे गये। राष्ट्रपति के निष्पादन कार्यालय में अनेक अभिकरण आते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

1. व्हाइट हाउस कार्यालय
2. बजट ब्यूरो
3. आर्थिक परामर्शदाताओं की परिषद्।

1. व्हाइट हाउस कार्यालय–इस कार्यालय में लगभग चार सौ व्यक्ति कार्य करते हैं। इनमें राष्ट्रपति का सहायक, प्रेस सचिव, पदाधिकारी सचिव, विशेष सहायक, विशेष सलाहकार, प्रशासनिक सहायक, सैनिक सहायक इत्यादि प्रमुख हैं। इस कार्यालय के अधिकारी अनेक कार्य संपन्न करते हैं, यथा–

(i) सार्वजनिक नीति संबंधी विषयों की सूचना प्रदान करना
(ii) कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में समन्वय रखना
(iii) व्यक्तिगत मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना
(iv) समस्त पत्र–व्यवहार का कार्य संपन्न करना।

2. बजट ब्यूरो–बजट ब्यूरो की स्थापना सन् 1921 में हुई, जो कि लेखाकर अधिनियम के तहत की गयी। सन् 1921 से 1939 तक यह राजकीय विभाग में सलंग्न रहा। सन् 1939 की पुनर्गठन योजना में इसको राष्ट्रपति के निष्पादक कार्यालय में हस्तांतरित कर दिया गया। इसके प्रमुख अधिकारी हैं–निदेशक, छः सहायक निदेशक, एक सामान्य परिषद। यह बजट का परिपत्र तैयार करता है और व्यवस्थापिका द्वारा बजट स्वीकृत हो जाने पर उस पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

दिनांक 08 सितम्बर, 1939 को पारित कार्यपालिका आदेशानुसार बजट ब्यूरो के निम्नलिखित कार्य हैं–

(i) सरकार के राजकोषीय एवं वित्तीय कार्यों में राष्ट्रपति की सहायता करना।

(ii) बजट प्रशासन का निरीक्षण करना और उसको नियंत्रित करना।

(iii) प्रशासनिक प्रबंध योजनाओं के विकास में शोध करना तथा विभिन्न कार्यपालिका विभागों को आवश्यक परामर्श देना।

(iv) प्रबंधकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शोध करना।

(v) विभागों एवं अभिकरणों द्वारा रखे गऐ विधायी प्रस्तावों में समन्वय रखना।

(vi) समस्त कार्यपालिका आदेशों और निषेधाधिकार संदेशों की तैयारी में राष्ट्रपति की सहायता करना और आवश्यक सुझाव देना।

(vii) सांख्यिकी सेवाओं के अनुसंधान, विकास तथा समन्वय की योजनाएं बनाना एवं उनकी उन्नति के लिये प्रयत्न करना।

(viii) सरकारी खर्च को न्यूनतम करने के प्रयास करना।

3. **आर्थिक परामर्शदाताओं की परिषद्**—आर्थिक परामर्शदाताओं की परिषद् की स्थापना 1946 के रोजगार अधिनियम द्वारा की गई थी। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं सीनेट द्वारा स्वीकृत तीन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुरक्षा कवच का कार्य यह परिषद् करती है और आर्थिक विकास के कार्यों में राष्ट्रपति को परामर्श देती है। सरकार की आर्थिक नीतियां एवं कार्यक्रमों का मूल्याकंन करना और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नीतियां सुझाना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। कांग्रेस को भेजी जानी वाली वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट की समीक्षा करना और उसके आगे प्रेषित करने का कार्य भी इस परिषद् का है।

इन सब इकाइयों के अतिरिक्त कुछ और भी इकाइयां हैं, जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उक्त इकाइयों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, केंद्रीय गुप्तचर अभिकरण, कार्यवाई समन्वयकर्ता मंडल इत्यादि सम्मिलित हैं।

अमेरिका में प्रशासन पर नियंत्रण व्यवस्था

अमेरिकी प्रशासन पर नियंत्रण करने हेतु निम्न प्रणालियां हैं :

1. कांग्रेस द्वारा नियंत्रण।
2. न्यायालयों द्वारा नियंत्रण।
3. महालेखा द्वारा नियंत्रण।
4. जनमत एवं अन्य माध्यमों द्वारा नियंत्रण।

1. कांग्रेस द्वारा नियंत्रण

अमेरिका में कांग्रेस ऐसे कानून बनाती है, जिनमें प्रशासनिक जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके तथा कोई भी अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। कांग्रेस में सरकारी क्रियाकलापों तथा नीतियों की चर्चा होती है। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस में राष्ट्रपति संदेश देता है, उसमें सरकारी नीतियों पर सुझाव तथा भावी योजनाओं पर चर्चा, मुख्य विषय होता है। अमेरिका में कांग्रेस महाभियोग चला कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों को कार्य में अनियमितता बरतने पर पद से वंचित कर सकती है। वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने हेतु कांग्रेस ही प्रशासनिक

विभागों के बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। विभिन्न विभागों के आय–व्यय का हिसाब तथा लेखा परीक्षण भी कांग्रेस के ही अधिकार में है। सरकारी संधियों का अनुमोदन, विशेष प्रकरणों की जांच इत्यादि पर भी कांग्रेस का नियंत्रण होता है।

राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण

राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख अंग है, अतः अमेरिका में प्रशासन पर नियंत्रण, निर्देशन, समन्वय, परीक्षण तथा जवाबदेयता का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति को सौंपा गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रशासनिक क्रियाकलापों को संविधान की सीमा में रखते हुए इच्छानुसार परिवर्तन करे। सभी विभागों व मंत्रिमंडलों के सदस्यों का चयन, राष्ट्रपति स्वयं ही करता है ताकि ये अधिकारी राष्ट्रपति के आदेशानुसार समस्त प्रशासनिक संगठनों पर नियंत्रण कर सकें। यदि इन अधिकारियों से संबंधित कोई भी विवादास्पद मामला सामने आता है तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा भी सकते हैं। गंभीर अपराधों की जांच एफ. बी. आई. द्वारा करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त सी. आई. ए. तथा अन्य जासूसी अभिकरण भी दैनिक सूचनाएं राष्ट्रपति तक पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा अन्य प्रशासनिक संगठन भी राष्ट्रपति को कार्य प्रगति के विषय में सूचित करते रहते हैं।

2. न्यायालयों द्वारा नियंत्रण

कानून के विपरीत यदि कोई प्रशासनिक निर्णय, गैर–कानूनी प्रक्रिया तथा अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। कांग्रेस द्वारा बनाये गये तथा कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित कानूनों की व्याख्या का अधिकार भी न्यायालय के पास होता है।

3. महालेखा द्वारा नियंत्रण

अमेरिका में एक स्वतंत्र महालेखा नियंत्रक होता है, जो कि कांग्रेस का ही एक अंग माना जाता है। यह महालेखा नियंत्रक, संघीय आय–व्यय के लेखों की जांच करता है। महालेखा नियंत्रक का चयन राष्ट्रपति करता है तथा वह पंद्रह वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। महालेखा नियंत्रक, प्रशासनिक एवं वित्तीय लेखों, लेन–देन तथा बजट मामलों की छानबीन एवं जांच का अधिकार रखता है। इस प्रकार से वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण किया जा सकता है।

4. जनमत एवं अन्य माध्यमों द्वारा नियंत्रण

किसी भी लोकतांत्रिक शासन में जनता ही सर्वेसर्वा होती है। शासन व्यवस्था चलाने हेतु जनता द्वारा ही प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। ऐसे में यदि जनता की अपेक्षाओं के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो जनमत, शासन के खिलाफ हो जाता है। जनमत में जनता से बढ़कर कोई नहीं होता है, फलतः अनेक प्रशासनिक निर्णय प्रभावित होते हैं। भारत की तरह अमेरिका में भी प्रेस पूर्णरूप से स्वतंत्र है। अतः इस तरह भी प्रशासनिक नियंत्रण बना रहता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी दल, औद्योगिक समूह तथा सभी प्रकार के संघ इत्यादि भी प्रशासन पर नियंत्रण करते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि विश्व शक्ति अमेरिका में भी प्रशासनिक नियंत्रण रखने हेतु कई प्रभावी प्रणालियां हैं। यह जरूरी भी है, अन्यथा नौकरशाही की निरंकुशता बढ़ने में समय नहीं लगता है।

2.3.2 व्यवस्थापिका

व्यवस्थापिका के विभिन्न पक्षों का अध्ययन यहां किया जा रहा है–

अमेरिकी स्पीकर : अधिकार और कार्य

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर या सदन का अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करता है। स्पीकर का कार्यालय अमेरिकी संविधान की धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत 1789 में स्थापित किया गया था, जिसमें कहा गया है, 'प्रतिनिधि सभा अपना अध्यक्ष चुनेगी...' अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के वर्तमान स्पीकर जॉन बोएनर हैं जो ओह्यो की आठवीं कांग्रेस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले रिपब्लिकन हैं। संविधान में वैसे यह नहीं कहा गया है कि स्पीकर सदन का निर्वाचित सदस्य होना ही चाहिए, लेकिन अभी तक किसी गैर सदस्य को स्पीकर नहीं बनाया गया है।

राष्ट्रपति के उत्तराधिकार में उपराष्ट्रपति के बाद और अमेरिकी सीनेट के पार्लियामेंट प्रोटेमपॉर के पहले, स्पीकर का ही क्रम आता है। स्पीकर को पार्टी का विधायी एजेंडा तय करना होता है। स्पीकर आमतौर पर बहस की निगरानी नहीं करता, क्योंकि यह काम कांग्रेस के उसी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों को सौंपा जा सकता है। सदन और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की अध्यक्षता करने के नियमित कर्तव्यों के अलावा, स्पीकर को प्रशासनिक और कार्यवाही संबंधी काम भी करने होते हैं और अपने कांग्रेसी डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करना होता है।

पार्टी संबंधी भूमिका

स्पीकर के राजनीतिक कार्य संविधान में नहीं बताए गए हैं, लेकिन अमेरिका में, प्रतिनिधि सभा में बहुमत दल का नेता परंपरागत रूप से बहुमत का नेता माना जाता है। हालांकि स्पीकर को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन वह कभी बहस में हिस्सा नहीं लेता और न ही किसी बहुत दुर्लभ मामलों के अलावा, कभी मतदान में हिस्सा लेता है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि सदन से पारित बिल को बहुमत दल का समर्थन हासिल हो। ऐसा करने के लिए, स्पीकर को यह तय करने का अधिकार रहता है कि बिल सदन में कब पेश किया जाए। स्पीकर बहुमत दल की सदन संचालन समिति का भी मुखिया होता है। स्पीकर सदन में बहुमत दल की अध्यक्षता करता है, लेकिन वही बात सीनेट के प्रेसीडेंट प्रोटेमपॉर के बारे में नहीं कही जा सकती क्योंकि उसका कार्यालय केवल मानद और दिखावटी होता है।

स्पीकर की भूमिका बहुत हद तक इस पर भी निर्भर करती है कि राष्ट्रपति और स्पीकर एक ही पार्टी के हैं या नहीं। अगर वे दोनों एक ही पार्टी के हैं तो स्पीकर की भूमिका काफी घट जाती है। उदाहरण के लिए, स्पीकर डेनिस हेस्टर्स्ट की भूमिका उनके साथी रिपब्लिक, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपतित्वकाल में कुछ खास नहीं रही। हालांकि, यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति और स्पीकर दोनों के एक ही दल से होने पर भी स्पीकर की भूमिका प्रमुख हो जाए। मसलन, स्पीकर नेंसी पेलॉसी की भूमिका उनके साथी डेमोक्रेट बराक ओबामा के राष्ट्रपतित्वकाल में काफी प्रमुख रही।

इसके विपरीत, जब स्पीकर और राष्ट्रपति विरोधी पार्टियों के हों तो स्पीकर की भूमिका बढ़नी निश्चित होती है। स्पीकर के पास विपक्षी दल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है, और आमतौर पर वह राष्ट्रपति के एजेंडा का मुख्य सार्वजनिक विरोधी होता है।

टिप्पणी

पीठासीन अधिकारी

स्पीकर पीठासीन अधिकारी भी होता है और बहुत सारे दायित्वों के साथ उसे कई अधिकार भी मिलते हैं, जिन्हें वह आमतौर पर दूसरों को सौंप देता है। वह सदन के किसी भी सदस्य को अस्थायी स्पीकर के रूप में चुन सकता है और उससे सदन की अध्यक्षता करा सकता है। पार्टी उचित पाने पर पीठासीन अधिकारी को बदल भी सकती है, जो कि स्पीकर हो भी सकता है और नहीं भी। सदन में उसे नियम के तौर पर मिस्टर स्पीकर या मैडम स्पीकर कहकर पुकारा जाता है। स्पीकर को एक चेयरमैन या अध्यक्ष का भी चुनाव करना होता है जो सदन अपने को कमेटी ऑफ होल के रूप में बदल लेती है तो वह कमेटी की अध्यक्षता करता है। सभा में जो बोलना चाहते हैं, उन्हें पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी होती है। पीठासीन अधिकारी बहस पर नियंत्रण भी करता है और अपनी इच्छानुसार सदस्यों से बोलने के लिए कहता है। पीठासीन अधिकारी को बहस सत्र के दौरान सदन की गरिमा भी बनाए रखनी होती है। वह सार्जेंट–एट–आर्म्स को भी नियमों के अमल के लिए निर्देश दे सकता है।

स्पीकर कमेटी की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है क्योंकि वह नियमों की शक्तिशाली कमेटी के तेरह में से नौ सदस्यों को चुनता है, जो बहुमत दल की सभा के अनुमोदन के बाद चुने जाते हैं। वह चयन समितियों और सभा समितियों के सदस्यों का भी चयन करता है। उसे इस पर विचार करने वाली समिति भी तय करनी होती है। स्पीकर बहस में हिस्सा ले सकता है और वोट भी दे सकता है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। आमतौर पर स्पीकर तभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है, जब उसका वोट निर्णायक हो और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला हो।

विभिन्न कार्य

स्पीकर सभी संयुक्त सत्रों और बैठकों की अध्यक्षता करता है। हालांकि, बारहवें संशोधन में कहा गया है कि इलेक्टोरल वोटों की गिनती और राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को मान्यता देने के लिए जब कांग्रेस का संयुक्त सत्र हो तो उसकी अध्यक्षता सीनेट का प्रेसीडेंट करेगा। स्पीकर का निगरानी संबंधी कार्य और भी बढ़ जाता है क्योंकि उसे सदन के अधिकारियों–क्लर्क, सार्जेंट–एट–आर्म्स, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और चैप्लेन का भी प्रशासन देखना होता है। स्पीकर को इनमें से किसी भी अधिकारी को हटा देने का अधिकार रहता है। वह हाउस हिस्टोरियन और जनरल काउंसेल की भी नियुक्ति करता है और बहुमत तथा अल्पमत नेताओं के साथ मिलकर, सदन के महानिरीक्षक की भी नियुक्ति करता है।

हालांकि, अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब राष्ट्रपति का पद उत्तराधिकार में किसी स्पीकर को मिला है। 25वें संविधान संशोधन के अनुसार, राष्ट्रपति का पद संभालने की योग्यता या अयोग्यता के बारे में उसे घोषणा करनी पड़ती है।

अमेरिकी कमेटी सिस्टम

अमेरिकी कानूनों का निर्धारण और उन पर बहस कांग्रेस में होती है। आमतौर पर यह समितियों में होता है। कांग्रेस के हर चैंबर में समितियां गठित की जाती है और उन्हें विशिष्ट कार्य करने होते हैं और विधेयक तैयार करने होते हैं। वे छोटे समूह बनाकर विधायी निकायों को उनका काम तेजी से करने में मदद करते हैं।

कांग्रेस में समितियों और उपसमितियों की संख्या 250 के करीब है। उन सभी को अलग–अलग विविध तरह के कार्य सौंपे जाते हैं और उनमें कांग्रेस के सदस्य रखे जाते हैं। कांग्रेस के सभी चैंबरों की अलग–अलग समितियां होती हैं, हालांकि दोनों चैंबरों के सदस्यों को मिलाकर संयुक्त समितियां भी बनाई जाती हैं। इन समितियों के अपने नियम होते हैं, इस तरह से सभी पैनलों का अपना अलग चरित्र होता है।

सीनेट में निम्न विषयों पर स्थायी समितियां होती हैं–

- कृषि, पोषण और वानिकी
- विनियोग, जो संघीय सरकार के वित्त की देखभाल करते हैं, इस तरह से यह सबसे सशक्त सीनेट समितियों में से एक होती है।
- सशस्त्र सेनाएं
- बैंकिंग, आवास और शहरी मामले
- बजट
- वाणिज्य, विज्ञान और परिवहन
- ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन
- पर्यावरण और सार्वजनिक निर्माण
- वित्त, विदेशी मामले
- स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और पेंशन
- गृह सुरक्षा और सरकार संबंधी मामले
- न्यायपालिका
- नियम और प्रशासन
- लघु व्यापार और उद्यमिता
- बुजुर्गों के मामले।

ये स्थायी समितियां स्थायी विधायी पैनलों की तरह काम करती हैं और उनकी विभिन्न उप–समितियां पूर्ण समिति के आवश्यक कार्य निपटाती हैं। सीनेट में विशिष्ट कार्य करने वाली चार चयन समितियां हैं और ये कार्य हैं– भारतीय मामले, आचार, खुफिया और उम्रवृद्धि। इन्हें वे कार्य सौंपे जाते हैं जिन्हें आंतरिक लेखा कार्य कहा जाता है, मसलन, कांग्रेस में ईमानदारी बनी रहे और अमेरिकी–भारतीयों के साथ अच्छा बरताव हो। समितियों की अध्यक्षता बहुमत दल का सदस्य करता है जो अक्सर कांग्रेस का भी वरिष्ठ सदस्य होता है। समितियों के सदस्यों का आवंटन उनकी पार्टियां करती हैं। सीनेट में एक सदस्य कितनी समितियों में सदस्य रह सकता है, इसकी सीमा तय की गई है। समितियों

को अपना स्टाफ नियुक्त करने की अनुमति होती है, लेकिन इसमें अकसर बहुमत दल की ही चलती है।

टिप्पणी

हाउस ऑफ रेप्रेज़ेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा में भी सीनेट की तरह अनेक समितियां होती हैं। इनमें से कुछ के नाम नीचे बताए गए हैं–

- कृषि
- विनियोग
- सशस्त्र सेनाएं
- बजट
- शिक्षा एवं श्रम
- विदेशी मामले
- गृह सुरक्षा
- ऊर्जा और वाणिज्य
- न्यायपालिका
- प्राकृतिक संसाधन
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- लघु व्यापार
- बुजुर्गों के मामले।

कांग्रेस की ज्यादातर समितियां विधेयक तैयार कराती हैं और कानून पारित कराती हैं। उनके काम करने के तरीके निम्नानुसार होते हैं–

- कांग्रेस के दो वर्षीय सत्र में पेश होने वाले बिलों की संख्या बहस के लिए स्वीकार किए जाने वाले बिलों की संख्या की तुलना में काफी ज्यादा होती है। ये अंतर हजारों में होता है।
- स्वीकार किए जाने वाले बिलों को समिति में निम्न चरणों से गुजरना होता है–
  - प्रस्तावित कानून पर कार्यकारी अधिकारी अपनी लिखित टिप्पणी देते हैं।
  - संबंधित समिति द्वारा सुनवाई की जाती है, जहां गवाह अपनी गवाही देते हैं और सवालों के जवाब देते हैं।
  - समिति बिल को ठीक करती है और कभी–कभार कांग्रेस के उन सदस्यों के सुझाव भी लेती है जो समिति में नहीं हैं।
  - बिल की भाषा पर सहमति के बाद इसे पूर्ण चैंबर में भेजा जाता है जहां इस पर बहस होती है।
- सभा समितियों में आमतौर पर सदन और सीनेट की स्थायी समितियों के सदस्य होते हैं और जिन सदस्यों ने विधेयक पर पहले विचार किया था, वे भी पहले सदन के प्रारूप के साथ दूसरे सदन के लिए प्रारूप तय करने में मदद करते हैं।

कांग्रेस की विधायी प्रक्रिया

अमेरिकी संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल का प्रावधान नहीं किया गया है। कथित कैबिनेट परंपराओं और कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों की उपज है। कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल 1793 में राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के कार्यकाल में किया गया था। वे अपने चार सचिवों की सलाह लिया करते थे, जिन्हें वह अपने गोपनीय सलाहकार कहते थे और बाद में यही सलाहकार कैबिनेट कहलाने लगे।

अमेरिकी कैबिनेट अन्य देशों की संसदीय कैबिनेट से एकदम अलग है। यह संविधानेत्तर और कानूनेत्तर संस्था है। यह एक सलाहकार संस्था है जो राष्ट्रपति को उसके कार्य करने में सहायता और सलाह देती है। अंततोगत्वा, हर सलाहकार के तहत प्रशासन के अनेक विभाग बनाए गए। वे सेक्रेटरी (मंत्री) कहलाते हैं और ये सेक्रेटरी या मंत्री ही अपने विभागों के प्रमुख होते हैं और साथ ही, राष्ट्रपति के सलाहकार की भी भूमिका निभाते हैं। इन सबको मिलाकर राष्ट्रपति की कैबिनेट कहा जाता है।

राष्ट्रपति सीनेट की सलाह पर अपने सेक्रेटरी (मंत्री) नियुक्त करता है। आमतौर पर सीनेट राष्ट्रपति की मंत्रियों की पसंद में बाधा नहीं डालती। अगर मंत्री के काम से राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं है तो उसे हटाने का राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार होता है। शुरू में कैबिनेट में तीन ही विभाग होते थे– विदेश, वित्त और युद्ध विभाग। अब ऐसे बारह विभाग हैं। इन सभी विभागीय प्रमुखों को मिलाकर कैबिनेट बनती है। उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों के चयन में उसके ऊपर कोई रोक–टोक नहीं है। मंत्री का चयन करते समय वह अनुभव, योग्यता और भौगोलिक स्थितियों को महत्व देता है। अगर उसे लगे कि कोई विपक्षी भी सही सलाहकार हो सकता है तो वह उसे भी मंत्री नियुक्त कर सकता है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसे आजमाया था, लेकिन वे नाकाम रहे क्योंकि विपक्षी सलाहकारों ने उनके प्रशासन में कई बाधाएं खड़ी कीं और आखिरकार उन सबको हटाना पड़ा और अपने ही दल से सलाहकार चुनने पड़े। तभी से यह परंपरा बन गई कि राष्ट्रपति राजनीतिक एकरूपता के लिए अपनी ही पार्टी से सलाहकार चुनता है।

बैठकें

कैबिनेट की बैठक सामान्य तौर पर हफ्ते में एक बार होती है। बैठकों के लिए कोई औपचारिक नियम नहीं है। राष्ट्रपति ही बैठकों के लिए विषय तय करता है। बैठकें व्हाइट हाउस में उसके कक्ष में होती हैं। बैठकों में निष्पक्ष और खुलकर चर्चा होती है, लेकिन बैठकों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। कैबिनेट के निर्णय राष्ट्रपति के निर्णयों के तौर पर ही घोषित किए जाते हैं।

कैबिनेट के उत्तरदायित्व

अमेरिका में कैबिनेट राष्ट्रपति का आधिकारिक परिवार कहलाता है। इसके कोई स्वतंत्र अधिकार या प्रतिष्ठा नहीं होती। यह नीति–निर्धारक संस्था भी नहीं है। इसकी कोई निजी या सामूहिक जिम्मेदारी नहीं होती। राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट को कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकता। वही कैबिनेट बनाता और भंग करता है। कैबिनेट की कोई वैधानिक मंजूरी नहीं होती। राष्ट्रपति के हटते ही यह भंग हो जाती है।

मंत्रियों के दायित्व

विभिन्न विभागों के प्रमुखों के रूप में मंत्री अपने विभाग में काम–काज के लिए निजी तौर पर राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। अपने विभागों में प्रभावशाली प्रशासन के लिए उनकी सहायता के लिए कनिष्ठ मंत्री होते हैं।

विभाग का संगठन

हर विभाग ब्यूरो में विभाजित होता है जिनका प्रमुख कमिश्नर या ब्यूरो चीफ कहलाता है। ब्यूरो भी चार डिवीजनों में विभक्त होता है। विभाग के मंत्री का यह दायित्व है कि उसका विभाग विभिन्न ब्यूरो और डिवीजनों की इकाइयों की पूरी सहायता करे और सद्भावना के साथ सक्षमता से काम करे। ये अपने किसी काम के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते। वे केवल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। हालांकि, कांग्रेस जरूरत के मुताबिक किसी स्पष्टीकरण के लिए मंत्री को बुला सकती है और जब कांग्रेस किसी विभाग के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के लिए जांच समिति बनाती है तब भी मंत्री को बुलाया जा सकता है। मंत्री को उससे जानकारी या स्पष्टीकरण लेने के लिए बुलाया जाता है, जवाबदेही के लिए नहीं।

कैबिनेट की स्थिति

अमेरिकी कैबिनेट की स्थिति वही होती है जो राष्ट्रपति बनाता है। इसका गठन राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने भर के लिए किया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह इसकी सलाह स्वीकार करे या न करे।

2.3.3 न्यायपालिका

कानून की व्याख्या करने और कानून तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए न्यायपालिका आवश्यक है। राजनीति में ठोस सिद्धांत यह है कि शासन कानून का होना चाहिए, लोगों की मनमर्जी का नहीं। संघवाद में न्यायपालिका जरूरी है क्योंकि केंद्र और प्रांतों में अधिकारों का बंटवारा है और एक लिखित संविधान भी है जिसके संरक्षण के लिए न्यायपालिका जरूरी है। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि न्यायपालिका की मौजूदगी विधायिका के स्वच्छंद अधिकारों पर और कार्यपालिका की तानाशाही आकांक्षा पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। दुनिया भर में न्यायपालिका के पास संविधान और सामान्य कानून की व्याख्या का भी अधिकार होता है। एलेक्जेंडर हेमिल्टन ने कहा भी है, 'अगर अदालत कानूनों की व्याख्या न करे और उनके असली अर्थ को परिभाषित न करे, तो कानून मृत अक्षरों के समान हैं।'

अमेरिकी संविधान की धारा III में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। इसके अनुसार, 'अमेरिका की न्यायिक शक्ति एक सुप्रीम कोर्ट और ऐसी निचली अदालतों में निहित होगी, जिन्हें कांग्रेस समय–समय पर नियुक्त और स्थापित करेगी।'

अमेरिका में दो सामान्य तरह की अदालतें होती हैं– संवैधानिक अदालतें और विधायी अदालतें।

विधायी अदालतें

विधायी अदालतें संविधान की धारा 111 के दायरे से बाहर होती हैं। वे अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करतीं, बल्कि वे विशेष अदालतें होती हैं जो कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने में सहायता के लिए बनाई गई हैं। ये कानून कांग्रेस को दिए गए अधिकारों के अनुरूप या ऐसे ही अधिकारों के आशय के अनुरूप होती हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद I, धारा 8, के तहत कांग्रेस को कर, शुल्क लगाने और जुटाने का अधिकार मिलता है और आयात शुल्क तय करने से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस ने नौ न्यायाधीशों का यूनाइटेड कस्टम्स कोर्ट बनाया है। इसलिए, विधायिकाएं ऐसे अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए तैयार की गईं जिनमें अंतरप्रांतीय वाणिज्य, धन व्यय, आयात शुल्क लगाना और वसूलना आदि शामिल हैं। विधायी अदालत के न्यायाधीश सीनेट की सहायता से राष्ट्रपति चयनित करता है लेकिन उन्हें महाभियोग के अलावा, अन्य तरीकों से भी हटाया जा सकता है। विधायी अदालतों के निर्णयों के खिलाफ संघीय अपीलीय अदालतों में अपील की जा सकती है।

धारा 111 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अन्य संघीय अदालतों का गठन कांग्रेस करती है। अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट में सबसे निचली संघीय अदालतें होती हैं। अमेरिका में 89 डिस्ट्रिक्ट हैं। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम एक न्यायाधीश होता है और जहां पर काम ज्यादा होता है, वहां एक से अधिक और अधिकतम 24 न्यायाधीश तक वर्तमान में हो सकते हैं। इन अदालतों का न्यायाधिकार क्षेत्र संघीय कानूनों समेत सारे मामले होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में अपील की जा सकती है, जो कि अगली उच्चतर न्यायपालिका है।

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायपालिका का सर्वोच्च केंद्र है। इसका अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में अहम स्थान है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट 1789 में कांग्रेस ने संविधान के प्रावधान के तहत स्थापित किया था। संघीय न्यायपालिका की रचना करने वाले न्यायिक अधिनियम 1789 में कई बार संशोधन हुए। इसी अधिनियम ने संघीय न्यायपालिका की नींव रखी। 1930 से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व में शानदार संगमरमर की इमारत में स्थापित है।

संविधान ने न्यायाधीशों की संख्या तय नहीं की है। शुरुआत में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और पांच अन्य न्यायाधीश थे। इसकी ताकत 1801 में घटकर 5 रह गई और 1807 में बढ़कर सात हो गई। 1837 में न्यायाधीशों की संख्या 9 थी, जो 1863 में 10 तक पहुंच गई, और 1866 में घटकर फिर 7 हो गई। 1869 में ये संख्या 9 हो गई जो अब तक उतनी ही है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी एसोसिएट न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति सीनेट की सलाह और सहमति से करता है। प्रोटोकॉल के अनुसार, राष्ट्रपति पहले मनोनीत करता है और फिर ये मनोनयन मंजूरी के लिए सीनेट के पास भेजा जाता है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है जिसमें उम्र, नागरिकता, क्षमता या राजनीतिक विचार और पृष्ठभूमि आदि शामिल हैं। न्यायाधीशों की नियुक्तियां अकसर राजनीतिक होती हैं और इस बात की आलोचना भी होती है। न्यायाधीश अपने अच्छे आचरण से पद पर बना

रह सकता है और उसे केवल महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। 70 साल की उम्र होने के बाद न्यायाधीश चाहे तो रिटायर हो सकता है और रिटायरमेंट के बाद उसे पीठ में दस साल की सेवा के दौरान जो वेतन मिला है, वह मिलता रहता है। न्यायाधीश 65 साल की उम्र और 15 साल की सेवा के बाद भी रिटायर हो सकता है और उसे भी पूरा वेतन मिलता है।

चूंकि न्यायाधीश सेवा निवृत्ति की उम्र तक पहुंचने के बाद भी सेवा निवृत्त होने के इच्छुक नहीं रहते इसलिए उनकी नियुक्तियों की आलोचना भी होती है। यह माना जाता है कि अदालत ने उन्हें आजीवन न्यायाधीश बना दिया है जो कि अलोकतांत्रिक है। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के हर पहले सोमवार को नियमित सत्र लगाता है और जून खत्म होने पर भी एक सत्र बुलाता है। असाधारण महत्व और आवश्यकता की स्थिति में सुप्रीमकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुलाता है। छह न्यायाधीशों से कोरम पूरा होता है। मुख्य न्यायाधीश सारे सत्रों की अध्यक्षता करता है और अपने आदेश, न्यायाधिकार और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की घोषणा करता है।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधिकार क्षेत्र बुनियादी भी है और अपीलीय भी। बुनियादी न्यायाधिकार दो तरह के मामलों में होता है (i) राजदूतों, सार्वजनिक मंत्रियों और वाणिज्य दूतों से संबंधित मामले, और (ii) एक से अधिक प्रांतों से जुड़े मामले। बाकी सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय न्यायाधिकार होता है। इसके पास उन मामलों की सुनवाई का अधिकार होता है जिनकी सुनवाई निचली संघीय अदालतों या प्रांतीय अदालतों में हो चुकी होती है। सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट को संघीय मामलों को निपटाना होता है। हालांकि, अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट को प्रांतीय अदालतों के बारे में काफी अधिकार मिल गए हैं। इस संशोधन के जरिए प्रांत को "कानून की उचित प्रक्रिया" के बिना किसी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित करने से रोका गया है। प्रांतीय उच्चतर अदालतों का यह सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय न्यायाधिकार बहुत विशाल और व्यापक है।

व्यवहार में सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी न्यायाधिकार में बहुत कम मामले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले अधिकतर मामले अपीलीय प्रकृति के होते हैं जो कहीं और से शुरू हुए होते हैं। यह ध्यान देना चाहिए कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास सलाहकारी न्यायाधिकार नहीं है। कार्यपालिका या विधायिका को कानूनी या राजनीतिक मामलों में सलाह देने से यह हमेशा इन्कार करता रहा है। इसके अलावा, यह भी गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही यह तय करने का अंतिम अधिकार है कि कौन–सा मामला अपीलीय न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान से मिले बुनियादी न्यायिक अधिकार के इस्तेमाल के क्रम में सुप्रीम कोर्ट को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, मैन्डेमस या परम आदेश, आज्ञापत्र तथा सर्शी अरेराई (उत्प्रेषण लेख) जारी करने का अधिकार है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र के वर्णन मात्र से उसकी अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली में भूमिका की स्पष्ट तस्वीर नहीं मिलती। मुनरो के अनुसार, 'सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के बिना अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली कई सिरों वाले भयानक सांप की तरह हो जाती जिसमें अड़तालीस (अब पचास) प्रतिद्वंद्वी स्वायत्त इकाइयां होती हैं। संचालन की मजबूत नियमिततता इसे कभी हासिल न हो पाती।' आज सुप्रीम कोर्ट के पास उससे ज्यादा शक्तियां हैं जो संविधान के निर्माताओं ने दी थीं। हालांकि, न्यायिक प्रक्रिया का सिद्धांत

और 'अंतर्निहित शक्तियों' के सिद्धांत को तैयार करते समय इसे असाधारण शक्तियां मिल गईं और यह दुनिया की सबसे सशक्त न्यायपालिका बन गई। आलोचकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के बिना अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली की कल्पना करना उतना ही कठिन है, जितना कठिन सूर्य के बिना सौरमंडल की कल्पना करना। इससे साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका संवैधानिक प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली की सफल संस्था के रूप में बताया जाता है, जिसे कोई अन्य संस्था इस तरह से नहीं दबा सकती कि उससे अमेरिका का जीवन प्रभावित हो। मरबरी बनाम मेडिसन के चर्चित मामले में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखा और पहली बार न्यायिक समीक्षा का विचार विकसित किया। संवैधानिक कानून की सर्वोच्चता का उनका सिद्धांत अमेरिका में आज भी मौजूद है।

संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के विकास में महती योगदान किया है। इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है जिसने 1787 में ऐसा संविधान बनाया जो बीसवीं सदी के अंतिम हिस्से में भी चल रहा है। घोड़ों और बग्घियों के दौर में बना संविधान आज भी लागू है और जेट तथा अंतरिक्ष यानों के युग में भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। केवल संविधान संशोधन के जरिए ही जरूरी बदलाव सुरक्षित किए गए क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी कठोर है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के विभिन्न प्रावधानों की तार्किक व्याख्या से भी जरूरी बदलाव हो सकते हैं। जेम्स एम बैक का मानना है, 'सुप्रीम कोर्ट केवल न्याय की अदालत मात्र नहीं, बल्कि सुयोग्य अर्थ में एक सतत संवैधानिक सभा है। यह सरकार के ग्रेटर चार्टर की व्याख्या के जरिए 1787 की सभा का काम जारी रखता है।' सुप्रीम कोर्ट ने समय की जरूरत के हिसाब से संविधान की व्याख्या की है। संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र को विस्तार देने और केंद्र तथा प्रांतों के बीच सत्ता का संतुलन बदलकर केंद्र के पक्ष में करने का काम किया है और इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को ही है जिसने 'संवैधानिक कानून की पूरक संस्था के निर्माण के लिए आगे बढ़ने की जगह' के रूप में संविधान को माना है। केंद्र सरकार के अधिकार बढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत की मदद ली।

सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकार का रक्षक है और उसे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, मैन्डेमस या परम आदेश, आज्ञापत्र तथा सर्शियोररी (उत्प्रेषण लेख) जारी करने का अधिकार है। यह सरकार के विभिन्न अंगों को उनकी परिभाषित शक्तियों के अंदर रखता है और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकता है। इसने न केवल इस बिना पर कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया है कि वे किसी खास अंग के क्षेत्राधिकार से परे हैं, बल्कि इस आधार पर भी किया है कि वे अतार्किक या अन्यायपूर्ण हैं। इसने कानूनों की संवैधानिकता को कानूनों की उचित प्रक्रिया के आधार पर तय किया है। अमेरिकी संविधान के अधिकारों का एक बिल यह है कि किसी को भी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रति उत्तरदायी है। 1930 तक सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को काफी संरक्षण दिया और घोषित किया कि कीमतों के सरकारी निर्धारण ने स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के छीना है। 1930 के दशक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक स्वतंत्रताओं

के संरक्षण के उपबंध की उचित प्रक्रिया की व्याख्या को विस्तार दिया और संपत्ति के दिए अधिकार को सीमित किया।

अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की अंतिम अदालत होती है। इसमें प्रांतों के उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ संघीय अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सारे मामलों की सुनवाई नहीं हो सकती और इसका अधिकार इस मामले में सीमित है, लेकिन कानून के प्रश्न पर इसका मत 'कांग्रेस के कार्य से विपरीत है, इसे वीटो से सुरक्षा मिली है और यह राष्ट्रपति के वीटो से भी विपरीत है, इसे कांग्रेस द्वारा फैसले पलटने से सुरक्षा मिली है।' अन्य शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की सबसे ताकतवर राजनीतिक संस्था है।

प्रोफेसर लास्की ने सुप्रीम कोर्ट को अमेरिका का तीसरा सदन कहा है। यह न केवल न्यायिक संस्था है, बल्कि राजनीतिक संस्था भी है क्योंकि यह 'न्यायिक शून्यता में नहीं, बल्कि राजनीतिक बवंडर भरे मौसम' में भी काम करती है। कानूनों की वैधता की जांच करते समय न्यायाधीश विधायिका द्वारा बनाई नीतियों पर सवाल कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को अवैध ठहरा देता है, तो उस कानून से जुड़ी नीतियां और सिद्धांत भी वास्तव में अवैध हो जाते हैं। पॉटर के अनुसार, 'किसी संवैधानिक कानून को हटाना विधायिका रूपी तालाब में एक पत्थर फेंकने के समान है जिससे ऐसी उथल–पुथल होती है जो संभावित कानून की विशाल सतह पर लहरों को काट देती है।' इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह कार्य करती है।

न्यायिक समीक्षा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा से हमारा आशय विधायिका द्वारा पारित कानूनों या कार्यपालिका के आदेशों को निरस्त करने के अधिकार से है, अगर वे दूसरे से टकराव की स्थिति में हों और संविधान की भावना के विपरीत हों। अमेरिकी संविधान बनाने वाले फिलाडेल्फिया सम्मेलन में न्यायिक समीक्षा पर चर्चा हुई थी या नहीं, इस पर विवाद है। प्रोफेसर बियर्ड ने सम्मेलन की कार्यवाही का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और कहा कि सदस्यों के बहुमत का इरादा इसी तरह की न्यायिक समीक्षा का था।

धारा VI में संविधान ने अपनी सर्वोच्चता कायम रखी है। इसमें लिखा है, 'अमेरिका का संविधान और कानून जो अब से जाने जाएंगे, देश के सर्वोच्च कानून होंगे और हर प्रांत में न्यायाधीश उनका पालन करेंगे।' इस धारा में यह स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस या प्रांतीय विधायिकाओं के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इस तरह से, न्यायपालिका की कानूनों की वैधता पर विचार करने की शक्ति को ही तकनीकी तौर पर न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के विपरीत है तो न्यायपालिका उसे निरस्त घोषित कर सकती है।

अमेरिकी संविधान सभी लिखित संविधानों का जनक है। यह न्यायिक समीक्षा का भी बेहतरीन उदाहरण है। यह पूछना गलत होगा कि न्यायिक समीक्षा लिखित संविधान के लिए अपरिहार्य है। फ्रांस, इटली और जर्मनी कई सालों तक लिखित संविधान और न्यायिक समीक्षा के बिना वजूद में रहे। आज भी फ्रांस, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया में

टिप्पणी

लिखित संविधान तो हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा नहीं है। संविधान की धारा VI में कहा गया है कि, 'संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है' और, इसलिए संविधान का संरक्षणत्व न्यायपालिका का ही काम होना चाहिए। हर इंसान गलती कर सकता है और गलत हो सकता है, इसलिए राज कानून का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। इसके अलावा, 'विभिन्न प्रांतों के बीच के, और विभिन्न प्रांतों के नागरिकों के बीच के विवाद सुलझाने होते हैं। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए यही सही है कि वह यह तय करे कि संघीय विधायिका किसी खास कानून को बनाकर अपने विधायी अधिकार का अतिक्रमण न करे, और सरकार भी कार्यकारी आदेश में देने में अपनी हद में रहे।

अमेरिका में न्यायिक समीक्षा अनिवार्य होने के कई कारण हैं। वास्तव में न्यायपालिका के पास विधायिका के बनाए कानून को निरस्त करने का अधिकार है।

अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है और बहुत लचीला है। इसमें दिए गए अनुच्छेद बहुत विशाल, व्यापक और लचीले हैं। उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में तोड़ा–मरोड़ा जा सकता है और विभिन्न अर्थ दिए जा सकते हैं। इन अनुच्छेदों की व्याख्या न्यायपालिका पर छोड़ी गई है।

न्यायपालिका को यह देखना होता है कि उसका उचित उपयोग हो। ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है कि संविधान राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाए। न्यायपालिका में एक खास उम्र के श्रेष्ठतम बुद्धिजीवी होते हैं और इसलिए वे भावनाओं और जोश में आए बिना, ठंडे दिमाग से मामलों पर विचार करने की स्थिति में होते हैं। यहां न्यायपालिका का अभिप्राय केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है।

किसी कानून की संवैधानिकता तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राजनीतिक बुद्धिमत्ता के बारे में निर्णय देते हैं। उन्हें केवल यही तय नहीं करना होता है कि कार्यवाही कानूनी रूप से वैध है या नहीं, बल्कि यह भी देखना होता है कि विद्वता की उनकी अपनी अवधारणा के अनुसार यह समझदारी भरी है या नहीं। सतत संवैधानिक सभा के रूप में, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने, रक्षण और संरक्षण करने के तो योग्य हुआ ही है, साथ ही तीव्र गति से विकसित हो रहे देश में बदल रही सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुरूप इसे ढालने और बदलने के भी योग्य हुआ है।

अमेरिका में संविधान विकसित होने में न्यायिक व्याख्या का तरीका भी अहम रहा है। संविधान में लिखे शब्द इतने असंयमित और विस्तृत हैं कि न्यायाधीशों को 'अपने निर्णय के लिए केवल संविधान के शब्द ही नहीं पढ़ने पढ़ते, बल्कि जिंदगी को भी पढ़ना होता है'। संविधान समाज की सारी नई जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त लचीला है। यही कारण है कि न्यायिक समीक्षा के एक प्रबल समर्थक, बेक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट केवल न्याय की अदालत मात्र नहीं है, बल्कि योग्य अर्थ में एक सतत संवैधानिक सभा भी है जो 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के कार्य को आगे बढ़ाती है।

अमेरिका में न्यायिक समीक्षा को लेकर काफी उत्साह रहा है। लोगों ने दावा किया कि संविधान में संतुलन गड़बड़ है और कांग्रेस तथा राष्ट्रपति, दोनों ही अपने काम सफलतापूर्वक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सद्भावना पर निर्भर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह शब्द गतिशील है और विधायिका गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करती

है। जीवन दर्शन हमेशा बदलते रहते हैं और कानून उनके संगत नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट रूढ़िवाद का प्रतिनिधित्व करता है, गतिशीलता का नहीं तथा किसी पीठ में बैठे नौ लोगों से आधुनिक दर्शनों में बदलाव की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट साधारण बहुमत से फैसले सुनाता है और इसका नतीजा ये होता है कि सीमांत न्यायाधीश अमेरिका में तानाशाह हो जाता है। एक न्यायाधीश के पाला बदलते ही अवैध कानून वैध हो जाता है और दोबारा पाला बदलने पर वैध कानून अवैध हो जाता है। 1895 और 1938 में यह हो चुका है। यह स्थिति निरंकुश और अलोकतांत्रिक लगती है। हालांकि, न्यायिक समीक्षा के परिणाम अकसर अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं और उन्हें गलत समझ लिया जाता है। अमेरिका में न्यायिक समीक्षा निरंतरता का फैशन नहीं है और केवल छिटपुट घटनाएं ही ऐसी होती हैं।

अमेरिका में कहा जाता है कि 'सुप्रीम कोर्ट संविधान को शरीर–रचना विज्ञानी की तटस्थ निगाह से नहीं देखता, बल्कि सजीव और सांस लेने वाले अंग के रूप में देखता है जिसके अंदर भविष्य के विकास और वृद्धि के बीज होते हैं।' अमेरिकियों की नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण में अदालत अहम भूमिका निभाती है। हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट के सामने नागरिक स्वतंत्रता के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

अयोग्य न्यायपालिका की सर्वोच्चता खराब होती है। इसी कारण अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुधारों पर चर्चा होती है। न्यायिक समीक्षा के हानिकारक परिणामों को कम करने के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। संविधान को हमेशा कांग्रेस पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। यह 1787 का उत्पाद है, 1990 का नहीं। असली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आपको मात्र संदर्भ बिंदु के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय साधारण बहुमत से नहीं होना चाहिए। संवैधानिक मामलों की समीक्षा में कम से कम दो तिहाई या तीन चौथाई या 9 में से कम से कम 7 न्यायाधीशों के बहुमत से फैसले होने चाहिए।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट से निरस्त किए गए कानूनों को एकदम से खत्म नहीं माना जाना चाहिए। निरस्त हुए कानूनों को दोबारा पारित करने का अधिकार कांग्रेस के पास होना चाहिए। यह काम राष्ट्रपति के वीटो से भी हो सकता है। निस्संदेह इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अंत में, न्यायाधीशों को एक उम्र के बाद सेवानिवृत्त होना चाहिए। सेवानिवृत्ति की उम्र 70 साल नियत होनी चाहिए। 1938 के कानून के अनुसार न्यायाधीशों को 70 साल की उम्र के बाद अपने मासिक वेतन के बराबर पेंशन पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प दिया गया है। हालांकि, यह न्यायाधीश पर बाध्यकारी नहीं है और वह आजीवन न्यायाधीश बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राजनीतिक आधार पर होती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से किसी डेमोक्रेट को ही न्यायाधीश नियुक्त करता है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

3. किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति कहा गया है?
   (क) प्रधानमंत्री को (ख) मुख्यमंत्री को
   (ग) अमेरिकी राष्ट्रपति को (घ) राष्ट्रपिता को
4. कानून की व्याख्या करने और कानून तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए क्या आवश्यक है?
   (क) हाई कोर्ट (ख) सुप्रीम कोर्ट
   (ग) काज़ी (घ) न्यायपालिका

2.4 राजनीतिक दल

अमेरिका की दो दलीय प्रणाली में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी शामिल हैं। 1952 से ये दोनों ही पार्टियां राष्ट्रपति का चुनाव जीतती रहीं है और 1856 से ही अमेरिकी कांग्रेस पर इनका नियंत्रण रहा है। देश में कई छोटी पार्टियां भी सक्रिय हैं और उनके सदस्य ज्यादातर स्थानीय स्तर के निकायों के लिए चुने जाते हैं। 1980 के दशक के बाद से अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लिबर्टेरियन पार्टी है।

यद्यपि अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली दो दलीय है, लेकिन इस बारे में संविधान ने कुछ नहीं कहा है। ऐसा इस कारण हो सकता है कि जब 1787 में संविधान अपनाया गया था तब अमेरिका में राजनीतिक पार्टियां थी ही नहीं। उन दिनों दुनिया में कहीं भी दलीय आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते थे। इस प्रणाली का आविष्कार गणराज्य का उदय होने पर 1790 के दशक में जनता का समर्थन जुटाने के लिए किया गया था। अमेरिकियों ने प्रचार की नई रणनीतियां खोजीं जिनमें पार्टी के जरिए सार्वजनिक नीति से जनमत को जोड़ा गया था।

डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की सबसे पुरानी पार्टी है और देश की प्रमुख राजनीतिक ताकतों में से एक है। 1912 के चुनावों में रिपब्लिकन से इसके अलग होने के बाद इसनें अपना आधार एक लेबर पार्टी के रूप में बनाया और आर्थिक मुद्दों की लड़ाई शुरू की। पार्टी पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के आर्थिक दर्शन का बहुत ज्यादा प्रभाव है और 1932 से इसका एजेंडा इसी पर आधारित है। उनका न्यू डील कोएलीशन वास्तव में 1968 तक व्हाइट हाउस की नीतियों पर लागू रहा।

रिपब्लिकन पार्टी देश की एक और प्रमुख पार्टी है। इसे 1880 के दशक के बाद से ही मीडिया जगत में आमतौर पर ग्रांड ओल्ड पार्टी या जीओपी के नाम से पुकारा जाता है। इसकी स्थापना 1854 में उत्तरी दासता–विरोधी कार्यकर्ताओं और आधुनिकतावादियों ने की थी। 1860 में अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पार्टी का प्रभुत्व बढ़ा। यहां तक कि उन्होंने पार्टी के तंत्र का इस्तेमाल अमेरिकी गृहयुद्ध में विजय के लिए भी किया। 1854 से 1896 के बीच तृतीय दल प्रणाली के दौर में और 1896 से 1932 के चतुर्थ पार्टी प्रणाली के दौर में रिपब्लिकन ने अमेरिकी राजनीति का नेतृत्व किया। वर्तमान में,

यह अमेरिकी रूढ़िवादी मंच का समर्थन करती है और अपने आपको आर्थिक उदारवाद, राजस्व रूढ़िवाद, और सामाजिक रूढ़िवाद से भी जोड़ती है।

2011 यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी की लोकप्रियता 28 में से 25 प्रांतों में मतदाता सूची में घटी दर्ज की गई। हालांकि 42 मिलियन मतदाताओं के साथ यह सबसे बडी राजनीतिक पार्टी बनी हुई है। रिपब्लिकन के पास 30 मिलियन मतदाता हैं, जबकि 24 मिलियन मतदाता स्वतंत्र हैं। समीक्षा के अनुसार, 2008 से लेकर डेमोक्रेट्स की संख्या 3.9 प्रतिशत यानी 17 लाख घटकर 8 लाख हो गई। 2004 में 72 मिलियन मतदाताओं ने पार्टी से संबद्धता का दावा किया था। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा राष्ट्रपति पद संभालने वाले 15वें डेमोक्रेट हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी सीनेट में 2006 के मध्यावधि चुनावों के बाद से ही बहुमत दल बनी हुई है।

उसी विश्लेषण के अनुसार, रिपब्लिकन की लोकप्रियता में भी 28 में से 21 राज्यों में गिरावट दर्ज हुई। 2001 में इसके पंजीकृत सदस्यों की संख्या में 3,50,000 की गिरावट आई। दूसरी ओर, निर्दलीयों की लोकप्रियता 18 प्रांतों में बढ़ी। 2011 में उनकी संख्या में 3,25,000 की बढ़ोतरी हुई और 2008 में उनकी संख्या में 1.7 प्रतिशत यानी 4,00,000 की बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रपति का पद संभालने वाले 19वें रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। मेसाचुसेट्स के पूर्व गवर्नर मिट रोमनी इस पार्टी की तरफ से 2012 के चुनावों में उम्मीदवार थे। 2010 के मध्यावधि चुनावों के बाद से रिपब्लिकन पार्टी का हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव में बहुमत है।

अमेरिकी द्वि–दलीय प्रणाली के लाभ और हानि

अमेरिकी द्वि–दलीय प्रणाली के कुछ लाभ निम्नानुसार हैं:

- **स्थिरता :** बहुदलीय प्रणालियों की तुलना में द्विदलीय प्रणाली अधिक स्थिर होती है।
- **संयम :** पार्टियां इस प्रणाली में संयमित रहती हैं क्योंकि दोनों को चुनाव जीतने के लिए मध्य वर्ग को लुभाना पड़ता है।
- **आसानी :** मतदाताओं को केवल दो पार्टियों में से चुनाव करना पड़ता है।

इस प्रणाली की कुछ हानियां निम्नानुसार हैं–

- **विकल्प की सीमितता :** मतदाताओं के पास विकल्प सीमित होते हैं क्योंकि दोनों पार्टियां काफी समान दिखती हैं।
- **कम लोकतांत्रिक :** इस प्रणाली में कुछ प्रतिशत लोग हमेशा हाशिये पर पड़ा महसूस करते हैं।

पुनर्निर्माण

इस शब्द का इस्तेमाल देश में राजनीतिक बदलाव के लिए किया जाता है। पुनर्निर्माण का अर्थ पार्टी को नई दिशा देना और किसी पार्टी के सदस्य होने को फिर से परिभाषित करना होता है। पुरानी पार्टियां जब नई चुनौतियों का सामना करती हैं तो वे पुनर्निर्माण करती हैं और इसमें अकसर पार्टी नेतृत्व दो फाड़ हो जाता है। मुद्दे एक–दूसरे से टकराने लगते हैं, जैसे अनेक डेमोक्रेट्स अपने को खुद की पार्टी के सदस्यों की तुलना में रिपब्लिकन

से ज्यादा सहमत पाने लगते हैं। जब कोई मुद्दा तात्कालिक चिंता का विषय बनता है तो पार्टी इस नए मुद्दे की धुरी पर घूमने लगती है और इस प्रकार, पार्टियों की नई प्रणाली उभरती है।

अमेरिका की मुख्य तीसरी पार्टियां

अमेरिका की दो मुख्य तीसरी पार्टियां हैं: (i) कांस्टीट्यूशन पार्टी और (ii) ग्रीन पार्टी

(i) कांस्टीट्यूशन पार्टी यह अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली की रूढ़िवादी पार्टी है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तब इसे यूएस टेक्सपेयर्स पार्टी कहा जाता था। इसे उस मंच पर गठित किया गया था जिसमें अमेरिकी संविधान के मूल लक्ष्यों की झलक मिलती थी, जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में बताए सिद्धांत शामिल थे और बाइबिल की नैतिकता शामिल थी। इसका वर्तमान नाम 1999 में रखा गया। मोन्टाना सिटी के रिक जोर कांस्टीट्यूशन पार्टी के पहले प्रत्याशी थे जो 2006 में किसी प्रांतीय स्तर पर चुने गए थे। यह जीत इस तथ्य के बावजूद हुई कि चुनावों से कुछ ही समय पहले मोंटाना की कांस्टीट्यूशन पार्टी ने अपने आपको नेशनल पार्टी से अलग कर लिया था।

(ii) ग्रीन पार्टी : यह पार्टी अमेरिका में ज्यादातर स्थानीय स्तर पर सक्रिय है। ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार आमतौर पर निर्दलीय हैसियत से चुनाव जीतते हैं। इनका मतलब उन चुनावों से है जिसमें उम्मीदवार की पार्टी का नाम मतपत्र पर नहीं छपा रहता। कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट में 2005 में और पार्टी पंजीयन शुरू करने वाले अन्य प्रांतों में इस पार्टी के 3,05,000 पंजीकृत सदस्य हैं। 2006 के चुनावों में पार्टी ने 31 प्रांतों में चुनाव लड़ा था। ग्रीन पार्टी 1980 के दशक के बाद से ही अमेरिका की मुख्य तीसरी पार्टी बनी हुई है। वर्ष 2000 में राल्फ नाडेर के दूसरे राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी ने जनता का ध्यान बडे पैमाने पर खींचा। वर्तमान में मुख्य ग्रीन पार्टी, ग्रीन पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसके उभरने से पूर्व की ग्रीन पार्टी या ग्रीन पार्टी यूएसए अंधेरे में चली गईं। इस पार्टी का एजेंडा पर्यावरणवाद, पदानुक्रमविहीन भागीदारीयुक्त लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, विविधता का सम्मान, शांति और अहिंसा है।

अमेरिका में दलीय व्यवस्था का इतिहास

अमेरिका की दलीय प्रणाली का इतिहास निम्न विभाजनों के जरिए अच्छी तरह से समझा जा सकता है :

1. **पहली दलीय प्रणाली :** माना जाता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन प्रशासन के गुटों ने इस प्रणाली के विकास का रास्ता साफ किया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन इस सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित होते समय किसी एक राजनीतिक दल से नहीं जुड़े थे। वास्तव में वे अपने पूरे कार्यकाल में कभी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े। विवाद और जड़ता की आशंका से उन्होंने उम्मीद की थी कि राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं बनाई जाएंगी। हालांकि, उनके दो सलाहकारों–हेमिल्टन और मेडिसन ने देश में दो दलीय प्रणाली को

आगे बढ़ाया था। दो गुट बनाए गए— एलेक्जेंडर हेमिल्टन तथा फेडरलिस्ट और थॉमस जेफसरन तथा डेमोक्रेटिक—रिपब्लिकन पार्टी।

2. **दूसरी दलीय प्रणाली** : गुलामी जैसे करीबी सरोकार जैसे कुछ मामलों से एक दलीय प्रणाली के निपटने की अक्षमता के कारण इस प्रणाली के विकास की राह खुली। विग पार्टी और हेनरी क्ले का अमेरिकन सिस्टम दूसरी दलीय प्रणाली से उभरा। धनी लोगों ने जहां विग पार्टी का समर्थन किया, वहीं, गरीबों ने डेमोक्रेट्स का समर्थन किया। डेमोक्रेटिक—रिपब्लिकन पार्टी में 1829 में विभाजन हुआ। एंड्रयू जैकसन और विग पार्टी के नेता हेनरी क्ले के नेतृत्व में एक आधुनिक डेमोक्रेटिक पार्टी, जैकसोनियन डेमोक्रेट्स का गठन हुआ। मतभेद के प्रमुख कारण थे। डेमोक्रेट्स का सरकार के अन्य स्वरूपों के बजाय राष्ट्रपति प्रणाली को समर्थन देना, बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तथा ऐसे आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का विरोध करना रहा जिनके बारे में उन्हें लगता था कि करदाता की कीमत पर उद्योग निर्माण होगा। दूसरी ओर, विग पार्टी ने कार्यकारी के रूप में कांग्रेस का समर्थन किया साथ ही आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों का भी पक्ष लिया। बैंक के मुद्दे और संघीय संरक्षण की मुनाफा प्रणाली इस प्रणाली के केंद्र में थे जो कि 1860 तक चले।

3. **तीसरी दलीय प्रणाली** : गुलामी विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के उत्थान के रूप में देखे जाने वाली ये प्रणाली 1854 से 1890 के दशक के मध्य तक चली। इस पार्टी ने विग पार्टी की कुछ आर्थिक नीतियां अपनाई जिनमें राष्ट्रीय बैंक, रेलमार्ग, उच्च शुल्क दरें, कृषिफॉर्म और कॉलेजों को अनुदान जैसी नीतियां शामिल थीं। गृहयुद्ध की शुरुआत के आसपास शुरू हुई इस प्रणाली को विवादों, मतभेदों और गठबंधनों ने परिभाषित किया। गृहयुद्ध के साथ—साथ पुनर्निर्माण के मुद्दों ने 1877 के समझौते तक दरारें पैदा कीं। इसके बाद, दोनों व्यापक वोटिंग गठबंधन बन गए। भूगोल के कारण पार्टियां परिभाषित हुईं। डेमोक्रेट्स दक्षिण में हावी हुए और गुलामी के खात्मे का विरोध करते रहे। रिपब्लिकन उत्तर में हावी हुए जो कि गुलामी प्रथा का विरोध करते थे। इस मुद्दे के कारण भी अफ्रीकी—अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की ओर आ गए जबकि दक्षिण के श्वेत लोग या मुक्तिदाता डेमोक्रेटिक पार्टी के खेमें में आए। डेमोक्रेटिक पार्टी में कुछ रूढ़िवादी व्यापार समर्थक बुरबोन डेमोक्रेट्स, उत्तर के परंपरागत डेमोक्रेट्स के साथ—साथ कैथोलिक प्रवासी भी थे। व्यवसायी, दुकानदार, कुशल शिल्पकार और प्रोफेशनल रिपब्लिकन पार्टी के हिस्सा थे और पार्टी की आधुनिक नीतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र थीं। दूर—दूर तक व्याप्त औद्योगिक और आर्थिक विस्तार इस युग की विशेषता रही जो कि 1896 तक चला।

4. **चौथी दलीय प्रणाली** : 1896 से 1932 के बीच बहस के मुद्दों में बड़े बदलाव के कारण चौथी दलीय प्रणाली की राह खुली, जिसमें तीसरी दलीय प्रणाली के रूप में वही प्राथमिक दल शामिल थे। रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाला ये काल प्रगतिशील युग के समान था। यह तब शुरू हुआ जब डेमोक्रेट्स ने 1893 के भय के लिए रिपब्लिकन्स को दोष दिया, नतीजतन 1896 के राष्ट्रपति चुनावों में विलियम मैककिनली को विलियम जेनिंग्स पर जीत हासिल हुई। रेलमार्ग

और बड़े व्यापारों का नियमन, मजदूर संघों की भूमिका, संरक्षणात्मक शुल्क, नई बैंकिंग प्रणाली, बाल श्रम, भ्रष्टाचार उन्मूलन, प्राइमरी मतदान, सीनेटर का प्रत्यक्ष चुनाव, नस्लीय पृथक्करण, शासन की सक्षमता, महिला मताधिकार, आप्रवासन पर नियंत्रण जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में आ गए। रिपब्लिकन्स का उत्तरी–पूर्वी व्यवसायियों ने समर्थन किया जबकि डेमोक्रेट्स को दक्षिण और पश्चिम में समर्थन मिला। दोनों पार्टियों ने प्रवासी समूहों का समर्थन किया। यह प्रणाली 1932 के आसपास तक चली।

5. **पांचवीं दलीय प्रणाली** : यह प्रणाली 1933 में न्यू डील कोएलीशन के साथ शुरू हुई। महामंदी के बाद रिपब्लिकन्स ने समर्थन गंवा दिया तो डेमोक्रेट राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने न्यू डील पॉलिसीज लागू कीं। गठबंधन के उदार समूहों के हितों, खासकर कैथोलिक, यहूदी, अफ्रीकी–अमेरिकी, श्वेत दक्षिणी, मजूदर संघ, शहरी मशीनें, प्रगतिशील बुद्धिजीवी, और जनवादी किसान समूहों जैसे नस्लीय–धार्मिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी उदारवाद को प्राथमिकता दी गई। दूसरी ओर, रिपब्लिकन्स को विभाजन के दौर से गुजरना पड़ा। एक तरफ ओह्यो के सीनेटर रॉबर्ट ए टैफ्ट के नेतृत्व में रूढ़िवादी शाखा थी और दूसरी ओर, नेल्सन रॉकफेलर, जेकब जेविट्स और हेनरी कैबॉट लॉज जैसे उत्तरी–पूर्वी नेताओं की अधिक सफल उदारवादी शाखा थी। हालांकि ये लोग भी 1964 में अपना प्रभुत्व गंवा बैठे। ये प्रणाली 1968 तक चली।

6. **छठी दलीय प्रणाली** : वर्तमान में अपने विकासशील स्तर में इस प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इसने 1964 के नागरिक अधिकार कानून की शुरुआत की। उस समय डेमोक्रेट दक्षिण में अपना प्रभुत्व खो चुके थे और रिपब्लिकन्स अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे थे जो कि चुनाव परिणामों से जाहिर हो रहा था।

अमेरिका में समकालीन दलीय प्रणाली

1968 के बाद से रिपब्लिकन पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, खासकर राष्ट्रपति चुनावों में। यह इस बात से जाहिर है कि 1968 के बाद से अब तक केवल दो डेमोक्रेट राष्ट्रपति निर्वाचित हुए–1976 में जिमी कार्टर और 1996 में बिल क्लिंटन। कुछ विद्वानों की राय में न्यू डील कोएलीशन की टूट के बाद नए पुनर्निर्माण के बाद से ही राजनीतिक प्रणाली में रिपब्लिकन पार्टी हावी है। हालांकि अन्य लोगों की राय में यह एक तरह का गैर–निर्माण था, मसलन पार्टी के बंधन शिथिल हो गए थे। वे कहते हैं कि 1970 के दशक के बाद से ही, अमेरिकी नागरिकों ने अपने आपको किसी पार्टी की विचारधारा से बांधने के बजाय निर्दलीय मानना शुरू कर दिया। लोग पार्टीलाइन भी छोड़ते हैं और अलग–अलग चुनावों में अलग–अलग दलों के लिए वोट डालते हैं। अमेरिका में स्पिलिट टिकट वोटिंग भी लोकप्रिय है जिसमें नागरिक एक ही चुनाव में अलग–अलग कार्यालयों के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं। इस तरह की प्रणाली से कई जगह विभाजित सरकारें बड़ी संख्या में बनती हैं, जिनमें एक पार्टी राष्ट्रपति चुनावों में जीतती है तो दूसरी का कांग्रेस के कम से कम एक सदन में नियंत्रण रहता है।

रीगन डेमोक्रेट्स

वर्तमान में, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को निर्देशित करने या जनाधार को नियंत्रित करने के योग्य नहीं रह गए हैं। उम्मीदवारों से कहा जाता है कि वे पार्टी नेताओं से अलग स्वतंत्र रूप से काम करें। वे अपनी खुद की रणनीतियां बनाते हैं जो कि अक्सर पार्टी की कीमत पर होती हैं। इस तरह की गतिविधियां 1980 के दशक के रीगन डेमोक्रेट्स की पर्याय थीं। इनमें मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करने वाले ब्ल्यू–कॉलर कार्यकर्ता होते हैं जो परंपरागत रूप से डेमोक्रेट्स के पक्ष में मतदान करते हैं। हालांकि, वे रीगन के सामाजिक रूढ़िवाद और दृढ़ता के पक्ष में होते थे जिस कारण उन्हें राष्ट्रपति के रूप में दो कार्यकाल मिल पाए।

पार्टियों के पीछे हो जाने से उम्मीदवार केंद्रित राजनीति को बढ़ावा मिला जिसमें लोग पार्टी की बजाय उसके प्रत्याशी को वोट देते हैं। राष्ट्रपति चुनावों में यह खासतौर पर सही है। पार्टियां प्रचार अभियानों के लिए धन देती हैं, विशेषज्ञ मुहैया कराती हैं, दानकर्ताओं की सूची देती हैं, प्रत्याशी को पहचान देती हैं और प्रचार अभियान संचालित करती हैं। पार्टियां जहां पार्टी लाइन को बनाए रखने की कोशिश करती हैं, वहीं उम्मीदवार अकसर पार्टी से समर्थन लेने और पार्टी के जनाधार का लाभ उठाने के लिए पार्टी नेतृत्व से निकट संबंध रखते हैं। जिन मामलों में मतदाताओं को प्रत्याशियों के बारे में ज्यादा पता नही होता वहां चुनाव मुख्य तौर पर दल केंद्रित होते हैं।

अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था और अन्य विकसित देशों के लोकतंत्र में कुछ मुख्य अंतर पाए जाते हैं। इन अंतरों में विधायिका के उच्च सदन के विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव और अधिकार, विधायिका और कार्यपालिका के बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन, और दो राजनीतिक दलों का वर्चस्व शामिल हैं। अन्य विकसित देशों के लोकतंत्रों की तुलना में अमेरिका में छोटी पार्टियां राजनीति में कम प्रभाव रखती हैं।

अमेरिकी शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में संविधान द्वारा रचित संघीय स्वरूप भी है। साथ ही, जनता राज्य और स्थानीय सरकारों के विषय हैं। स्थानीय सरकारों से आशय काउंटी, नगरपालिकाओं और स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स से है। अमेरिकी इतिहास की झलक इसके न्यायाधिकार क्षेत्र की विविधता में मिलती है। जैसा कि बताया जा चुका है, राज्य ने संघीय सरकार की स्थापना की, जबकि कॉलोनियां अलग से बसाई गई थीं और उनका खुद पर शासन था। वहीं दूसरी ओर, स्थानीय सरकारों का गठन कॉलोनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए किया गया था। देश के विस्तार के साथ ही अधिकतर राज्य इसमें शामिल हुए।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

5. 1980 में दशक के बाद से अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है?
   (क) लिबर्टेरियन (ख) डेमोक्रेटिक
   (ग) रिपब्लिकन (घ) ग्रीन
6. राष्ट्रपति का पद संभालने वाले 19वें रिपब्लिकन कौन थे?
   (क) रीगन (ख) क्लिंटन
   (ग) जॉर्ज डब्ल्यू बुश (घ) ओबामा

2.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (क)
3. (ग)
4. (घ)
5. (क)
6. (ग)

2.6 सारांश

अमेरिकी राज्य प्रणाली के निर्माण के साथ–साथ पुरातन परम्परा भी अमेरिकी राजकीय परिदृश्य में नज़र आयी। सन् 1787 के संविधान (जो कि संवैधानिक अधिकारों में बुर्जुआ उदारवाद की राजप्रणाली एवं दर्शन की सबसे पूर्ण अभिव्यक्ति बन चुका था) में स्वयं पुरातन विशेषताएं हैं। दशकों तक दासप्रथा के अस्तित्व को महिमामंडन किया जा रहा था एवं इसने उत्तर में बुर्जुआ वर्ग की अविभाज्य सर्वोच्चता को थामे रखा। ये साझे आर्थिक व राजकीय स्वार्थों द्वारा एक गुट में एकजुट थे। तब तक अमेरिका में पूंजीवाद के विकास के लिये आन्तरिक व बाह्य निर्माणकारी स्थितियों से दोनों शासक वर्गों का समरसतापूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित हुआ।

अमेरिकी शासन की विशेषताएं हैं–विधायिका, कांग्रेस, कार्यपालिका, प्रेसीडेंट और विभिन्न शासकीय अभिकरणों एवं सर्वोच्च न्यायालय के मध्य सत्ता का संतुलन। कांग्रेस द्वारा विधि–निर्माण किया जाता है जिस पर प्रेसीडेंट द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा न किया गया तो इन विधियों का प्रवर्तन कार्यपालिका द्वारा कोई शक्ति पाने हेतु किया जाना होता है। कांग्रेस को प्रेसीडेंट पर महाभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त है। न्यायपालिका शाखा तो सत्ताओं के मध्य संतुलन का भाग बनकर उभरी क्योंकि इसके पास विधियों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है परन्तु ऐसा मूल संविधान के प्रकरण में नहीं किया जा सकता।

यू.एस. संविधान में संघीय शासन को बस उतनी ही शक्तियां मिली हुई थीं जितनी कि उसके लिये संविधान में सूचीबद्ध की गयी थीं एवं असूचीबद्ध शक्तियां राज्यों अथवा जनता के पास थीं।

संघीय शासन की सत्ता पर अंकुश रखने की भूमिका राज्य शासनों द्वारा निभायी जाती थी। संविधान में व्यवस्था थी कि संघीय शासन को प्रदान न किया गया हर अधिकार राज्यों अथवा जनता के पास होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक कार्यपालिका अन्य देशों से भिन्न है। वहां राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है और समस्त कार्यपालिका उसमें निहित होती है। राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गयी है, जो राष्ट्रपति को न केवल आवश्यक परामर्श देता है बल्कि उस पर नियंत्रण भी रखता है। राष्ट्रपति के अनुचित या देश को अहित पहुंचाने वाले कार्यों के क्रियान्वयन पर रोक भी लगाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली अन्य देशों की तुलना में अलग है। यहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यहां कार्यपालिका नाममात्र की है। संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को इतनी शक्तियां प्रदान नहीं की गयी हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं पदमुक्त किये जा सकते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को दो भागों में बाटा गया है, यथा– राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है और उसकी सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल है।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर या सदन का अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करता है। स्पीकर का कार्यालय अमेरिकी संविधान की धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत 1789 में स्थापित किया गया था, जिसमें कहा गया है, 'प्रतिनिधि सभा अपना अध्यक्ष चुनेगी...' अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के वर्तमान स्पीकर जॉन बोएनर हैं जो ओह्यो की आठवीं कांग्रेस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले रिपब्लिकन हैं। संविधान में वैसे यह नहीं कहा गया है कि स्पीकर सदन का निर्वाचित सदस्य होना ही चाहिए, लेकिन अभी तक किसी गैर सदस्य को स्पीकर नहीं बनाया गया है।

राष्ट्रपति के उत्तराधिकार में उपराष्ट्रपति के बाद और अमेरिकी सीनेट के पार्लियामेंट प्रोटेमपॉर के पहले, स्पीकर का ही क्रम आता है। स्पीकर को पार्टी का विधायी एजेंडा तय करना होता है। स्पीकर आमतौर पर बहस की निगरानी नहीं करता, क्योंकि यह काम कांग्रेस के उसी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों को सौंपा जा सकता है। सदन और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की अध्यक्षता करने के नियमित कर्तव्यों के अलावा, स्पीकर को प्रशासनिक और कार्यवाही संबंधी काम भी करने होते हैं और अपने कांग्रेसी डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करना होता है।

कानून की व्याख्या करने और कानून तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए न्यायपालिका आवश्यक है। राजनीति में ठोस सिद्धांत यह है कि शासन कानून का होना चाहिए, लोगों की मनमर्जी का नहीं। संघवाद में न्यायपालिका जरूरी है क्योंकि केंद्र और प्रांतों में अधिकारों का बंटवारा है और एक लिखित संविधान भी है जिसके संरक्षण के लिए न्यायपालिका जरूरी है। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि न्यायपालिका की मौजूदगी विधायिका के स्वच्छंद अधिकारों पर और कार्यपालिका की तानाशाही आकांक्षा पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। दुनिया भर में न्यायपालिका

के पास संविधान और सामान्य कानून की व्याख्या का भी अधिकार होता है। एलेक्जेंडर हेमिल्टन ने कहा भी है, 'अगर अदालत कानूनों की व्याख्या न करे और उनके असली अर्थ को परिभाषित न करे, तो कानून मृत अक्षरों के समान हैं।'

टिप्पणी

डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की सबसे पुरानी पार्टी है और देश की प्रमुख राजनीतिक ताकतों में से एक है। 1912 के चुनावों में रिपब्लिकन से इसके अलग होने के बाद इसनें अपना आधार एक लेबर पार्टी के रूप में बनाया और आर्थिक मुद्दों की लड़ाई शुरू की। पार्टी पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के आर्थिक दर्शन का बहुत ज्यादा प्रभाव है और 1932 से इसका एजेंडा इसी पर आधारित है। उनका न्यू डील कोएलीशन वास्तव में 1968 तक व्हाइट हाउस की नीतियों पर लागू रहा।

रिपब्लिकन पार्टी देश की एक और प्रमुख पार्टी है। इसे 1880 के दशक के बाद से ही मीडिया जगत में आमतौर पर ग्रांड ओल्ड पार्टी या जीओपी के नाम से पुकारा जाता है। इसकी स्थापना 1854 में उत्तरी दासता–विरोधी कार्यकर्ताओं और आधुनिकतावादियों ने की थी। 1860 में अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पार्टी का प्रभुत्व बढ़ा। यहां तक कि उन्होंने पार्टी के तंत्र का इस्तेमाल अमेरिकी गृहयुद्ध में विजय के लिए भी किया। 1854 से 1896 के बीच तृतीय दल प्रणाली के दौर में और 1896 से 1932 के चतुर्थ पार्टी प्रणाली के दौर में रिपब्लिकन ने अमेरिकी राजनीति का नेतृत्व किया। वर्तमान में, यह अमेरिकी रूढ़िवादी मंच का समर्थन करती है और अपने आपको आर्थिक उदारवाद, राजस्व रूढ़िवाद, और सामाजिक रूढ़िवाद से भी जोड़ती है।

1968 के बाद से रिपब्लिकन पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, खासकर राष्ट्रपति चुनावों में। यह इस बात से जाहिर है कि 1968 के बाद से अब तक केवल दो डेमोक्रेट राष्ट्रपति निर्वाचित हुए–1976 में जिमी कार्टर और 1996 में बिल क्लिंटन। कुछ विद्वानों की राय में न्यू डील कोएलीशन की टूट के बाद नए पुनर्निर्माण के बाद से ही राजनीतिक प्रणाली में रिपब्लिकन पार्टी हावी है। हालांकि अन्य लोगों की राय में यह एक तरह का गैर–निर्माण था, मसलन पार्टी के बंधन शिथिल हो गए थे। वे कहते हैं कि 1970 के दशक के बाद से ही, अमेरिकी नागरिकों ने अपने आपको किसी पार्टी की विचारधारा से बांधने के बजाय निर्दलीय मानना शुरू कर दिया। लोग पार्टीलाइन भी छोड़ते हैं और अलग–अलग चुनावों में अलग–अलग दलों के लिए वोट डालते हैं। अमेरिका में स्पिलिट टिकट वोटिंग भी लोकप्रिय है जिसमें नागरिक एक ही चुनाव में अलग–अलग कार्यालयों के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं।

अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था और अन्य विकसित देशों के लोकतंत्र में कुछ मुख्य अंतर पाए जाते हैं। इन अंतरों में विधायिका के उच्च सदन के विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव और अधिकार, विधायिका और कार्यपालिका के बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन, और दो राजनीतिक दलों का वर्चस्व शामिल हैं। अन्य विकसित देशों के लोकतंत्रों की तुलना में अमेरिका में छोटी पार्टियां राजनीति में कम प्रभाव रखती हैं।

2.7 मुख्य शब्दावली

टिप्पणी

- **अतिव्याप्ति** : लक्षण में लक्ष्य के अलावा अन्य वस्तु का भी आ जाना।
- **समुच्चय** : कुछ वस्तुओं का एक में मिलना।
- **अंततोगत्वा** : आखिरकार।
- **तानाशाह** : स्वेच्छाचारी शासक।
- **निरंकुश** : मनमानी करने वाला।
- **आप्रवासन** : बाहर से आकर किसी देश में बस जाना।

2.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. संघीय शासन की सत्ता पर अंकुश रखने की भूमिका किसके द्वारा निभायी जाती थी?
2. अमेरिका की कार्यपालिका का सर्वेसर्वा कौन होता है?
3. अमेरिकी कैबिनेट की क्या स्थिति है?
4. सुप्रीम कोर्ट का अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में क्या स्थान है?
5. अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने वाले 15वें डेमोक्रेट कौन हैं?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
2. अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों की समीक्षा कीजिए।
3. अमेरिकी स्पीकर के अधिकार और कार्यों का वर्णन करते हुए उसकी पार्टी संबंधी भूमिका की विवेचना कीजिए।
4. अमेरिका की अदालतों के बारे में बताते हुए वहां की न्यायपालिका की समीक्षा कीजिए।
5. अमेरिका की दलीय प्रणाली के इतिहास की विवेचना कीजिए और द्वि–दलीय प्रणाली के लाभ और हानि बताइए।

2.9 सहायक पाठ्य सामग्री

Kapur, A.C. and K.K. Mishra. 2006. *Selected Constitutions*. New Delhi: S Chand Publishing.

Mahajan, V.D. 1998. *Selected Modern Governments*. New Delhi: S Chand And Company.

Bhagwan, Vishnoo, Vidya Bhunan and Vandana Mohla. 2012. *World Constitutions: A Comparative Study*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.

Kozak, Ellen M. 2011. *The Everything US Constitution Book*. New York: Simon and Schuster.

Tustinet, Mark V., Mark A Graben and Sanford Levinson. 2015. *The Oxford Handbook of the US Constitution*. New York: Oxford University Press.

इकाई 3 स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं

टिप्पणी

संरचना

3.0 परिचय
3.1 उद्देश्य
3.2 स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं
3.3 कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका
 3.3.1 कार्यपालिका
 3.3.2 व्यवस्थापिका
 3.3.3 न्यायपालिका
3.4 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र
3.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
3.6 सारांश
3.7 मुख्य शब्दावली
3.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.9 सहायक पाठ्य सामग्री

3.0 परिचय

स्विट्जरलैंड विश्व का ऐसा सबसे पुराना गणतन्त्र है जो अब भी अस्तित्व में है। इसके संविधान में गणतन्त्रवाद की भावना प्रधान है जो कि स्विस जनता के आचरण में परिलक्षित होती है। गणतन्त्रवाद को स्विस राजकीय प्रणाली के प्रमुख सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। स्विस जनता अपनी गणतान्त्रिक परम्परा से इतनी संलग्न है कि वह एक निर्वाचित अधिकारी तक को एक वर्ष से अधिक अवधि तक महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहने देना चाहती। स्विस फ़ेडरल एक्ज़ीक्यूटिव एक परिपूर्ण लोकतन्त्र का उदाहरण हुआ क्योंकि यह एकल कार्यवाहक नहीं है। देश में कोई भी मुख्य कार्यवाहक एकल नहीं होता। कार्यपालिकागत शक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर सात व्यक्तियों की परिषद में निहित होती हैं एवं इस देश का राष्ट्रपतित्व एकान्तरण द्वारा प्रदान किया जाता है।

इस इकाई में स्विट्जरलैंड संविधान की विशेषताओं, संघीय परिषद व प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में अध्ययन किया जा रहा है।

3.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान पाएंगे;
- वहां की कार्यपालिका के कार्यों को समझ पाएंगे;
- वहां की व्यवस्थापिका के स्वरूप को जान पाएंगे;
- वहां की न्यायपालिका की संरचना से परिचित हो पाएंगे;
- स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को समझ पाएंगे।

3.2 स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं

सन् 1848 का स्विस संविधान (सन् 1874 व 1999 सहित अन्य वर्षों में संशोधित प्रारूप अनुसार) एक लिखित प्रलेख है। यूएस व भारत का संविधान भी लिखित प्रलेख है। स्विस संविधान में 123 अनुच्छेदों युक्त 3 खण्ड हैं। मत्स्यादि का आखेट, जुआ खेलने के अड्डे, लॉटरी, निर्धन के रुग्णत्व व अंत्येष्टि एवं पशुरोग, उदार वृत्तियों के सदस्यों की अर्हताओं इत्यादि जैसे विवरण भी स्विस संविधान में हैं। वस्तुतः स्विस संविधान में प्रांतीय अधिकारों व सबल संघ–शासन के मध्य समझौते का समर्थन किया गया है। इसी कारण ब्रूक्स के अनुसार इसमें 'आन्तरिक गतिरोध के कारणों व नागरिक–कलह की सम्भावना' का पूर्वानुमान व बचाव करने के प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों के कारण यह स्वाभाविक था कि संविधान विशाल हो जाए।

चूंकि स्विट्जरलैंड का गणतन्त्र औपचारिक रूप से स्विस संविधान कहलाता है अतः यह वस्तुतः एक संघ है। यदि संविधान की प्रस्तावना को स्पष्टतया व्याख्यायित किया जाए तो ज्ञात होता है कि यह एक स्थायी संघ है, न कि राज्यों का कोई शिथिल समूह।

संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रांतों को उनके संप्रभुत्व व उनके राजक्षेत्रों की अहस्तान्तरणीयता एवं अपने नागरिकों के अधिकारों के प्रति आश्वस्त किया गया है। इनके अतिरिक्त इन्हें सार्वजनिक अर्थव्यवस्था व पुलिस सहित सीमा–सम्बन्धों के विषयों में विदेशी राजों संग संधियों के निर्णयों में भागीदार होने दिया जाता है किन्तु पहले ही स्पष्ट किया जा रहा है कि ये संधियां फ़ेडरेशन व अन्य प्रांतों के हितों के लिये हानिकर न हों। वैसे प्रांतों व संघीय शासन के मध्य संवाद संघीय परिषद के माध्यम से ही करना होता है। प्रांतों को अपने स्वयं का स्थायी सैन्यदल रखने दिया जाता है जिसमें सैनिकों की संख्या 300 से अधिक न हो। यह एक अद्भुत प्रावधान है। विश्व के अन्य संघों में रक्षा को साधारणतया केन्द्र का विषय माना जाता है। वैसे तो आपातकाल के दौरान प्रांतीय बलों पर संघीय शासन का अनन्य अधिकार हो जाता है। प्रांतीय बलों का अनुशासन भी संघीय विधियों द्वारा विनियमित किया जाता है। प्रांत के मध्य किसी विवाद अथवा विद्रोह भड़का दिये जाने की स्थिति में स्विट्जरलैंड जैसे देश कम ही होंगे जहां संघीय परिषद द्वारा स्वेच्छाचारी शक्तियां तक प्रयोग की जा सकती हैं। इसीलिये हम समग्रतया इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रांत के पास अत्यधिक स्वायत्तता है, भले ही केन्द्र का हस्तक्षेप प्रधान हो। इस कारण वैसे स्वायत्तता कई बार धूमिल हो जाती है यदि संघ राज्य ने प्रांत के अपने प्राधिकार वापस ले लिये हों तो।

संविधान में समस्त संघीय अवयवों के संघटन में एवं संशोधन की कार्यविधि में भी प्रांत के न्यायिक रूप को स्पष्टतया अभिमान्य किया गया है।

स्विस संविधान का संघीय रूप भारतीय संविधान के संघीय रूप के समान नहीं है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों के आधार पर सत्ता का विभाजन केन्द्र व राज्य स्तरों पर किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार तीन विषय–अनुसूचियां हैं– संघ–अनुसूची, राज्य–अनुसूची एवं समवर्ती अनुसूची। इन अनुसूचियों में शासन के प्रत्येक स्तर की विधायी शक्तियों को परिभाषित किया गया है। संघ शासन के पास संघ–अनुसूची में निर्धारित क्षेत्रों में विधि–निर्माण करने का अधिकार है; राज्य शासनों

को राज्य–अनुसूची में निर्धारित क्षेत्रों में विधि–निर्माण करने का अधिकार मिला हुआ है तथा समवर्ती अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में इन दो में से किसी भी स्तर के शासन द्वारा विधि–निर्माण किया जा सकता है।

स्विस शासन का लोकतान्त्रिक स्वरूप

राजकीय मानचित्रों में स्विट्जरलैंड को देखते ही लोकतन्त्र का ध्यान आ जाता है। जनता के संप्रभुत्व, नागरिकों में समता एवं सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के सिद्धान्तों से स्विस संविधान की पहचान होती है। जनता के संप्रभुत्व का सिद्धान्त राष्ट्रीय व संघीय विधायिकाओं, जनमत संग्रह व पहल करने जैसे संस्थानों एवं कार्यपालिकागत पदों के गणतान्त्रिक स्वरूप में परिलक्षित होता है।

स्विस संविधान में समाहित उदारवादी दृष्टिकोणों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण अधिकारों व विशेषाधिकारों को स्पष्ट किया जा रहा है–

- चर्च व अन्य पैतृक अभिकरणों के प्रभावों से व्यक्ति को बचाना;
- समस्त राजकीय विशेषाधिकारों का समापन;
- याचिका प्रस्तुत करने, आस्था रखने व भाषण का प्रावधान;
- प्रेस व असेंबली, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, विधि के समक्ष समता, व्यापार व वाणिज्य की स्वाधीनता।

नागरिक–अधिकार

स्विस संविधान में अधिकारों का औपचारिक विधेयक नहीं है किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि स्विस नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को उनके संविधान द्वारा सुरक्षित नहीं किया गया है अथवा उन्हें संविधान में समाविष्ट नहीं किया गया है। वास्तव में स्विस नागरिकों को मिले अधिकारों को स्विस संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में यहां–वहां बिखरे रूप में सम्मिलित किया गया है। संविधान में स्विस नागरिकों को इन विधि के समक्ष समता, देश में आवागमन की स्वतन्त्रता एवं देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वाधीनता एवं प्रेस, एसोसिएशन व याचिका की स्वतन्त्रता के प्रति आश्वस्त किया गया है। यहां 20 अथवा अधिक वर्षायु के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है।

न्यायपालिका की स्थिति द्वितीयक

यूएस अथवा भारत की न्यायपालिका की अपेक्षा स्विस न्यायपालिका की भूमिका अल्प महत्वपूर्ण है। स्विस संघीय न्यायाधिकरण (देश का सर्वोच्च न्यायालय) के पास सीमित न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। यह प्रांतीय विधि को असंवैधानिक ही घोषित कर सकता है। स्विस संविधान में स्पष्ट किया गया है– " the Court shall apply Jaws voted by the Federal Assembly "। स्विस न्यायाधिकरण एकमात्र राष्ट्रीय न्यायालय है जो समूची विशाल राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली का मुखिया नहीं है (जबकि भारत व यूएस में मुखिया होता है)।

द्विसदनीय विधायिका

स्विस विधायिका द्विसदनीय स्वरूप लिये हुए है। राज्यसभा में स्विट्जरलैंड के प्रांत का प्रतिनिधित्व है। अमेरिकन सीनेट के समान समतुल्य आधार पर जिसमें समस्त राज्यों में समतुल्यता–अनुरूपता होती है। यह छोटा–सा सदन है जिसमें 46 सदस्य

ही होते हैं। राष्ट्रीय परिषद तो लोकसभा प्रतिनिधित्व प्रकोष्ठ होता है जिसमें 200 सदस्य होते हैं। दोनों सदनों को अपनी–अपनी सत्ताओं के सन्दर्भ में एक–दूसरे के समकक्ष रखा जाता है।

टिप्पणी

एक गतिशील संविधान

स्विट्जरलैंड का संविधान गतिशील स्वरूप युक्त है। यह समय के सापेक्ष स्वयं को ढालता आया है एवं जनता की सामाजिक आकांक्षाओं के संग चलता रहा है। उदाहरणार्थ भाषण व एसोसिएशन्स बनाने की पारम्परिक स्वतन्त्रताओं को दोनों विश्वयुद्धों के दौरान कुछ सीमा तक घटा दिया गया था क्योंकि स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थता बनाये रखना चाहता था। शासन ने पुराने संविधान के ढांचे में राष्ट्रीयकरण की नीति अपनायी। जब भी स्विस नागरिकों की स्वाधीनता ख़तरे में थी राज्य ने हस्तक्षेप किया। सन् 1930 की आर्थिक मंदी में यह आवश्यक हो गया कि राज्य–हस्तक्षेप से देश को आर्थिक असुरक्षारूपी दलदल व तीव्र कुण्ठा से उबारा जा सके।

स्विस संविधान में अधिकारों का विधेयक अथवा स्वतन्त्र खण्ड नहीं है (जबकि भारत में है)। अधिकार तो संविधान में छितरे पड़े हैं। वहां न्यायालयों की सुरक्षा है। स्विस संविधान में सुनिश्चित किये गये कुछ महत्वपूर्ण अधिकार अग्रलिखित हैं–

(अ) **नागरिकता का अधिकार**– अनुच्छेद 43 के अनुसारः "प्रांत का प्रत्येक नागरिक एक स्विस नागरिक है। वैसे भी स्विट्जरलैंड की नागरिकता त्रिस्तरीय है। प्रांत का नागरिक हुए बिना कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड का नागरिक नहीं हो सकता एवं कम्यून का नागरिक हुए बिना कोई भी प्रांत का नागरिक नहीं हो सकता। नागरिकता का आश्वासन है"।

(आ) **आवागमन का अधिकार**– प्रत्येक नागरिक को संघ राज्य के किसी भी भाग में स्वतन्त्रतापूर्वक आने–जाने का अधिकार है। वैसे तो अन्तर–केण्टोन आवागमन के प्रकरण में प्रांतीय अधिकारियों द्वारा उद्गम का प्रमाण–पत्र देखा जा सकता है। रहने के अधिकार को निम्नांकित परिस्थितियों में नकारा जा सकता है–

(1) व्यक्ति को यदि उसके नागरिक–अधिकारों से वंचित किया गया हो;

(2) व्यक्ति को यदि गंभीर दुराचरण के लिये बारम्बार कारावास में भेजा गया हो;

(3) व्यक्ति यदि लोकोपकार पर एक स्थायी बोझ बन चुका हो।

(इ) **विधि के समक्ष समता**– अनुच्छेद 4 में विधि के समक्ष नागरिकों को उनकी समता के प्रति आश्वस्त किया गया है। स्विट्जरलैंड में कोई परतन्त्र नहीं; श्रेणी (रैंक), परिवार/व्यक्ति अथवा जन्म में कोई विशेषाधिकार नहीं। अनुच्छेद 60 में आश्वस्त किया गया है कि समस्त नागरिकों से समान व्यवहार किया जाएगा।

(ई) **प्रेस, एसोसिएशन व याचिका का अधिकार**– स्विस संविधान में निःशुल्क प्रेस एवं दृष्टिकोणों के प्रकाशन का अधिकार सौंपा गया है परन्तु यह स्वतन्त्रता दुरुपयोग के दमन के लिये प्रांत द्वारा निर्धारित विधियों (कानूनों) के अधीन होगी। वास्तव में स्विस प्रेस अत्यधिक उत्तरदायी है व कभी–कभी ही

निषेधकारी होती है जबकि भारत व यूएस में समाचार–पत्रों में संवेदनशीलता एक मुख्य अभिलक्षण है। इसी प्रकार एसोसिएशन की स्वतन्त्रता से स्विस नागरिक कोई भी साम्प्रदायिक, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय एसोसिएशन बना सकता है। किसी भी स्थान पर सभा करने के अधिकार के प्रति भी आश्वस्त किया गया है। वैसे विधि–विरुद्ध एसोसिएशन्स अथवा राज्य के हित के प्रतिकूल सभाओं पर प्रतिबन्ध है।

याचिका का अधिकार अद्वितीय स्वरूप लिये है। इसमें नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे शासन की नीतियों व कार्यकलापों के विरोध में उसे याचिकाएं प्रेषित कर सकते हैं। वैसे संविधान में पहल के प्रावधान की दृष्टि में यह अधिकार निष्प्रभावी हो जाता है।

निःशुल्क शिक्षा– स्विस नागरिक शासकीय शालाओं में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

(उ) **सम्प्रदाय का अधिकार**– अनुच्छेद 49 व 50 में साम्प्रदायिक अधिकारों के प्रति आश्वस्त किया गया है। अनुच्छेद 49 में कहा गया है– "विवेक व मान्यता की स्वाधीनता अनुल्लंघनीय है"। अनुच्छेद 50 में लिखा गया है– "फ़ोरम्स निःशुल्क लगाने व पूजन करने को लोक–व्यवस्था व शालीनता की सुमेलित सीमाओं में आश्वस्त किया गया है"। साम्प्रदायिक धारणा, पूजा इत्यादि के सन्दर्भ में कोई बाध्यता नहीं हो सकती। सम्प्रदाय में नागरिकों को नागरिक व राजकीय अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। कोई भी नागरिक साम्प्रदायिक आधारों पर नागरिकता के दायित्वों की पूर्ति से मना नहीं कर सकता। नवीन साम्प्रदायिक व्यवस्थाओं की स्थापना की अनुमति नहीं है।

उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त स्विस नागरिकों को जनमत संग्रह व पहल के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का सुख प्राप्त है। स्विट्जरलैंड के संविधान में जनता को दायित्वों से अवगत भी कराया गया है।

भले ही स्विस संविधान में अधिकारों का सुविस्तारित खण्ड समाविष्ट न किया गया हो परन्तु इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि विश्व के अन्य लोकतान्त्रिक संविधानों के अनुरूप ही यहां भी मूलभूत अधिकारों के प्रति आश्वस्त किया गया है।

यह एक छोटा–सा सघन देश है जिसमें ऐसे जानकार लोग रहते हैं जो मूलभूत स्वतन्त्रताओं के मूल्य से पूर्णतया अवगत हैं। इसी कारण ये उनका सहर्ष पालन करते हैं। जनमत संग्रह एवं पहल ऐसे अनिवार्य अधिकार हैं जो वास्तव में स्विस नागरिकों को ही मिले हुए हैं एवं वे अपने लोकतन्त्र पर गर्व कर सकते हैं जो कि विश्व का एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र है।

स्विस संविधान वस्तुतः अनोखा स्वरूप लिये है। यह एक बहुल कार्यपालिका है जिसमें संसदीय व राष्ट्रपति के कार्यवाहकों के लाभों का संयोजन है एवं उनकी उलझनों से बचाव हो जाता है जो कि विश्व के शासनों की कार्यविधि में एक अन्य सुस्पष्ट योगदान है।

अपनी प्रगति जांचिए

1. स्विस संविधान में 123 अनुच्छेदों युक्त कितने खण्ड हैं?
   (क) 2 (ख) 3
   (ग) 4 (घ) 5
2. स्विस विधायिका कैसा स्वरूप लिए हुए है?
   (क) द्विसदनीय (ख) त्रिसदनीय
   (ग) अनोखा (घ) बहुसदनीय

3.3 स्विट्‌जरलैंड : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका

स्विट्‌जरलैंड का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न व जटिल है लेकिन यह संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में कम कठोर है।

3.3.1 कार्यपालिका

स्विट्‌जरलैंड की कार्यपालिका को 'संघीय परिषद' कहते हैं। संघीय परिषद की कई विशेषताएं हैं, यथा—बहुल कार्यपालिका, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन का मध्य मार्ग या समन्वय, उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व का स्वस्थ मिश्रण, निर्दलीय चरित्र, व्यवस्थापिका का निर्वाचन, विशेषज्ञों का मंत्रिमंडल आदि। सात सदस्यों का चुनाव संघीय सभा द्वारा किया जाता है। संघीय परिषद एवं संघीय सभा दोनों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य साधारण चुनाव के बाद नए सिरे से चुने जाते हैं। संविधान की धारा 96 के अनुसार, ''संघीय परिषद के सदस्य उन सभी स्विट्‌जरलैंड के नागरिकों में से चुने जाते हैं, जो राष्ट्रीय सभा की सदस्यता की योग्यता रखते हैं।'' परिषद की बैठक सप्ताह में दो बार होती है और इसकी कार्यवाहियां गुप्त रहती हैं। संघीय परिषद अपने सदस्यों में से ही प्रतिवर्ष अपने सभापति एवं उप—सभापति का चुनाव करती है, जिन्हे संघ का राष्ट्रपति और उप—राष्ट्रपति कहा जाता है। प्रशासन के सभी विभाग सात विभागों में विभक्त हैं। प्रत्येक विभाग एक संघीय परिषद के सदस्य के अधीन होता है, जो उसके कार्य संचालन के लिए संपूर्ण परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। संघीय परिषद का मुख्यकार्य संघीय संविधान एवं संघीय कानून का पालन सुनिश्चित करना है और इसके लिए वह आवश्यक कार्य करती है। संविधान की धारा 102 के अनुसार, वह कानूनों के विधेयक संसद में प्रस्तुत करती है। वित्त क्षेत्र में संघीय परिषद को समुचित शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इसी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। विशिष्ट प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संविधान के कतिपय प्रावधानों में विवाद होने पर संघीय परिषद उनका समाधान करती है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, आर्थिक मंदी या ऐसे ही समान प्रकार के संकटों के लिये संघीय सभा समस्त अधिकार संघीय परिषद को दे देती है और ऐसे अवसरों पर संघीय परिषद को पूर्णाधिकार प्राप्त हो जाते हैं।

स्विट्ज़रलैड की कार्यपालिका : संघीय परिषद

स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को संघीय परिषद कहते हैं। संघीय परिषद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–

1. **बहुल कार्यपालिका**– स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका है। कार्यपालिका संबंधी संपूर्ण दायित्व एक ही व्यक्ति पर होता है अर्थात् प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति पर। अन्य देशों में एकल कार्यपालिका में किसी एक व्यक्ति की स्थिति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है लेकिन संघीय परिषद में यह एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है, जो समान पद पर कार्यरत होते हैं। संघीय परिषद में अध्यक्ष को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते।
2. **संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन का मध्य मार्ग या समन्वय**– संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों का मिश्रण स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की दूसरी विशेषता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दोनों ही पद्धतियों के गुणों को ग्रहण कर एवं उनके अवगुणों से बचा जा सके। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को संसदीय कहा जा सकता है क्योंकि–
   (i) इसके सदस्यों का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा और प्रायः व्यवस्थापिका में से ही होता है।
   (ii) इसके सदस्यों को व्यवस्थापिका की बैठकों में उपस्थित होने और विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार होता है।

स्विस कार्यकारिणी असंसदीय इसलिए है क्योंकि–

(i) इसके सदस्य व्यवस्थापिका में से नहीं होते। कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाने के बाद वे व्यवस्थापिका के पदों से पृथक हो जाते हैं।

(ii) इसका कार्यकाल निश्चित है क्योंकि व्यवस्थापिका सभा में हार हो जाने पर यह पदच्युत नहीं होती और न ही संघ के प्रधान कार्यपालक को उसके पद से अलग करने का अधिकार है।

3. **उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व का स्वस्थ मिश्रण**– स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद में उत्तरदायित्व और स्थायित्व का बड़ा उपयोगी एवं स्वस्थ योग है। संघीय परिषद व्यवस्थापिका के प्रति इस दृष्टिकोण से उत्तरदायी है कि उसके सदस्य प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दें तथा सरकारी नीति का औचित्य सिद्ध करें। कार्यकारिणी पर व्यवस्थापिका का भी नियंत्रण होता है अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी को विशेष नीति अपनाने एवं कार्य करने का निर्देश दे सकती है और इसको मानना कार्यकारिणी के लिए अनिवार्य है लेकिन उत्तरदायित्व केवल यहीं तक सीमित है। ब्रिटिश कार्यप्रणाली के समान व्यवस्थापिका कार्यकारिणी को पदच्युत् नहीं कर सकती और न ही मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है। यदि किसी मुद्दे पर कार्यकारिणी के सदस्य हार जाते हैं तो वे अपनी मांग पर अड़े न रहकर व्यवस्थापिका के निर्णय को मान लेते हैं तथा कार्य पूर्ण कर लिया जाता है।

मुनरो के अनुसार– "संघीय परिषद विधि–निर्माण कार्य में पूर्ण रूप से भाग ले परंतु यदि उसका सुझाव न माना जाए तो वह इसे अपमान न समझे, ऐसी आशा संघीय परिषद से की जाती है।

4. **निर्दलीय चरित्र**–किसी भी देश में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था में संयुक्त सरकार असाधारण काल से ही बनायी जाती है किंतु संघीय परिषद में व्यस्थापिका में सभी प्रमुख दलों का प्रतिनिधित्व होता है। परिषद जो भी करना चाहे, वह किसी दल के यंत्र के रूप में नहीं करती। इसके सदस्य संसद एवं परिषद की बैठकों में अपने मत व्यक्त करने को स्वतंत्र होते हैं एवं आवश्यक हो तो वे अपने दल के सदस्यों के निर्णय के विरुद्ध भी बोल सकते हैं। अतः यह स्विट्जरलैंड में एक विचित्र किंतु आदर्श व्यवस्था है कि संघीय परिषद और संघीय सभा में जो कुछ भी होता है, वह दलबंदी की सीमा से ऊपर होता है एवं उसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हित होता है।
5. **व्यवस्थापिका का निर्वाचन**–स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका द्वारा चुने जाते हैं, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा एवं ब्रिटेन में राजा द्वारा प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद नियुक्त किये जाते हैं।
6. **विशेषज्ञों का मंत्रिमंडल**–स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की एक विशेषता यह भी है कि यहां के सदस्य अनुभवी होते हैं। सदस्यों के बार–बार निर्वाचन हो जाने के कारण लंबे समय तक राजनीतिज्ञों को और प्रशासनिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर मिलता है, अतः इनमें उचित निर्णय एवं कर्तव्यपरायणता के विशिष्ट गुण पाये जाते हैं। संघीय सभा, संघीय परिषद से शासन संबंधी सभी विषयों पर विचार–विमर्श करती है और उसके परामर्श की अवहेलना करने का दुःसाहस नहीं करती है क्योंकि जनता को भी यह पूरा विश्वास है कि संघीय परिषद निरंतर जनकल्याण के लिए कार्य करती है।

स्विट्जरलैंड की कार्यप्रणाली में अनेक व्यवस्थाएं होने के कारण यह अनूठी एवं प्रशंसनीय है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे–कार्यकारिणी के सदस्य किसी एक नेता के प्रति वफादार नहीं होते एवं उनमें एकता का अभाव पाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सदस्य शासन की डोर अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, जिससे शासन नीति में मतभेद होता है।

चुनाव एवं कार्यकाल

स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका शक्ति सात सदस्यों वाली परिषद में समायी हुई है। सात सदस्यों का चुनाव संघीय सभा द्वारा किया जाता है। यद्यपि चुनाव के पश्चात पद ग्रहण करने से पूर्व सदस्यों को संघीय सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। संविधान ने कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं, जो कि निम्न हैं–

1. परिषद में एक प्रांत से सिर्फ एक व्यक्ति ही निर्वाचित हो सकता है।
2. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो रक्त या वैवाहिक संबंध में चौथी पीढ़ी तक परस्पर संबंध रखता हो, जिन्होंने बहनों से विवाह कर लिया हो, एक समय पर परिषद के सदस्य नहीं हो सकते।

3. एक अभिसमय के अनुसार, दो बड़े और प्रमुख प्रांत–बैरन तथा ज्यूरिच का सदैव ही परिषद में प्रतिनिधित्व रहता है। यह विशेषाधिकार सबसे बड़े फ्रेंच भाषा प्रांत ब्रांड को भी प्राप्त है।
4. एक अन्य अभिसमय के अनुसार, परिषद के संगठन को व्यापक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, जैसे प्रमुख धर्मावलंबियों, भाषा–भाषियों तथा राजनीतिक दलों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस संबंध में मैसन का कथन है कि ''इस प्रकार क्षेत्रीय एवं भाषायी संतोषजनक वितरण का आश्वासन दिया गया है।''

स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका में लोग प्रत्यक्ष नहीं चुने जाते, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं, यथा–

1. स्विट्जरलैंड संसद के सदस्य जनता के अत्यंत निकट होते हैं इसलिए उनके द्वारा किये गये निर्वाचन वास्तव में जनता द्वारा किये हुए निर्वाचन ही होते हैं।
2. प्रत्यक्ष निर्वाचन के परिणामस्वरूप दलीय–प्रपंच की संभावना से स्विस जनता बचना चाहती है।

   संघीय परिषद एवं संघीय सभा का कार्यकाल दोनों का चार वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रत्येक सदस्य साधारण चुनाव के बाद नए सिरे से चुने जाते हैं। यदि अवधि से पूर्व राष्ट्रपति सभा का विघटन कर दिया जाए तो संघीय परिषद भी विघटित हो जाती है और नई संघीय परिषद, संघीय सभा के लिए चुनाव के बाद चुन ली जाती है। यदि परिषद में कोई पद समय से पूर्व रिक्त हो जाता है तो संघीय सभा अपनी अगली बैठक में पदावधि के शेष समय के लिए अपनी पूर्ति कर लेती है। सदस्यों के बार–बार चुने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि कुछ सदस्य 25 से 30 वर्ष तक निरंतर देश की सेवा करते रहे हैं।

सदस्यों की योग्यताएं, वेतन एवं उन्मुक्तियां

संविधान की धारा 96 के अनुसार, "संघीय परिषद के सदस्य उन सभी स्विट्जरलैंड के नागरिकों में से चुने जाते हैं, जो राष्ट्रीय सभा की सदस्यता की योग्यता रखते हैं।'' धारा 97 यह प्रतिबंध लगाती है कि परिषद के सदस्य संघ या प्रांत के अंतर्गत न तो कोई अन्य पद ग्रहण कर सकते हैं और न ही कोई अन्य व्यवसाय ही कर सकते हैं। सदस्यों को संघीय निधि से 80 हजार फ्रेंक से अधिक वेतन मिलता है। 55 वर्ष की आयु के सदस्यों को पेंशन दी जाती है लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उक्त सदस्य दस वर्ष तक सदस्य रहा हो। पेंशन, वेतन का लगभग चालीस से साठ प्रतिशत तक होती है।

कार्यप्रणाली

परिषद की बैठक सप्ताह में दो बार होती है और इसकी कार्यवाहियां गुप्त रहती हैं। कोरम के लिए चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। निर्णय बहुमत से होता है। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। संघीय चांसलर, व्यवस्थापिका तथा

संघीय परिषद के कार्यकाल का अध्यक्ष होता है। परिषद का सचिव, बैठकों में उपस्थित रहता है। चांसलर के स्थान पर कोई उप–चांसलर भी उसके कार्यों को कर सकता है।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

संघीय परिषद अपने सदस्यों में से ही प्रतिवर्ष अपने सभापति एवं उप–सभापति का चुनाव करते हैं, जिन्हें संघ का राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति कहा जाता है। हालांकि एक ही व्यक्ति इस पद के दुबारा चुना जा सकता है लेकिन उसका चुनाव दो बार लगातार नहीं हो सकता। इसी प्रतिबंध के कारण कई लोग दो बार इस पद पर तो रहे लेकिन लगातार दो कार्यकाल तक कार्य नहीं, जैसे–फिलिप इटर 1939, 1942, 1947 और 1953 में परिषद के अध्यक्ष रहे।

अध्यक्ष को सदस्यों के समान ही वेतन मिलता है तथा 10 हजार फ्रेंक अतिरिक्त भत्ते के रूप में दिये जाते हैं। अध्यक्ष को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। वह केवल एक नाममात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तव में उसकी स्थिति अन्य सदस्यों के समान ही होती है और उसकी शक्तियां नगण्य होती हैं। समस्त निर्णय संघीय परिषद की एकल सत्ता द्वारा किये जाते हैं। अध्यक्ष न तो किसी की नियुक्ति करता है और न ही किसी को पदमुक्त कर सकता है। वह विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गयी रिपोर्टों का आकलन करता है। सार्वजनिक उत्सवों में वह प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस संबंध में लोवेल का कथन है कि "वह साररूप में राष्ट्र की कार्यपालिका समिति के अध्यक्ष की हैसियत से यह जानने का प्रयत्न करता है कि उसके साथी क्या कर रहे हैं? वह राज्य के नाममात्र के अध्यक्ष के औपचारिक कर्तव्यों को पूरा करता है।"

प्रशासकीय विभागों का वितरण

प्रशासन के सभी विभाग, सात विभागों में विभक्त हैं। प्रत्येक विभाग एक संघीय परिषद के सदस्य के अधीन होता है, जो उसके कार्य संचालन के लिए संपूर्ण परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। विभागों का वितरण औपचारिक रूप से परिषद द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विभाग का प्रमुख, दूसरे विभाग का उप–प्रमुख होता है। वर्तमान में प्रशासनिक विभाग में राजनीतिक विभाग, गृहविभाग, सैनिक विभाग, न्याय एवं पुलिस विभाग, वित्त एवं प्रशुल्क विभाग, सार्वजनिक अर्थ विभाग एवं डाक और रेल विभाग हैं।

संघीय परिषद के अधिकार एवं कर्तव्य

1. **प्रशासकीय अधिकार एवं कर्तव्य**–संघीय परिषद संघीय संविधान एवं संघीय कानून का पालन सुनिश्चित करती है और इसके लिए आवश्यक कार्य करती है। संघीय परिषद का मुख्य कर्तव्य है कि वह संघ में शांति एवं व्यवस्था का प्रबंध करे और बाहरी आक्रमणों एवं आंतरिक उपद्रवों से देश की रक्षा करे और जनता की स्वतंत्रता और तटस्थता की सुरक्षा करे।

   आपातकाल की स्थिति में संघीय संसद के सत्रावसान की स्थिति में संघीय परिषद को अधिकार है कि वह शांति एवं व्यवस्था की स्थापना के लिये सेनाओं का प्रयोग आवश्यकतानुसार करे लेकिन यहां उल्लेखनीय है कि दो हजार से अधिक सैनिकों की आवश्यकता होने पर संसद तुरंत सत्र बुलाये। संघीय संसद के कानूनों और आधिनियमों, संघीय न्यायालय के निर्णयों तथा विभिन्न प्रांतों के पारस्परिक विवादो के समाधान के लिए किए गये

समझौते और मध्यस्थता को लागू कराने का प्रबंध भी संघीय परिषद करती है। जिन पदों पर संघीय सभा को, क्षेत्रीय न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी की नियुक्ति का अधिकार न दिया गया हो उन पर संघीय परिषद की नियुक्ति करती है।

विदेशिक नियमों और उनके क्रियान्वयन का अधिकार संघीय परिषद को प्रदान किया गया है। संघीय परिषद ही उन विभिन्न संधियों का परीक्षण करती है, जो प्रांत आपस में अथवा विदेशों के साथ करते हैं। संघीय परिषद अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट संघीय सभा के समक्ष प्रत्येक साधारण सत्र में प्रस्तुत करती है और आंतरिक प्रतिवेदन पेश करती है। संघीय परिषद के नियंत्रण में समस्त संघीय सेना और उसके प्रशासन की शाखाएं भी रहती हैं, जिन पर संघ का नियंत्रण है। संघीय परिषद कैटनों द्वारा पारित सभी कानूनों और उसके सभी अध्यादेशों का भी निरीक्षण करती है। किसी भी प्रांत में उपद्रव या अशांति की स्थिति में संघीय परिषद हस्तक्षेप करती है और आवश्यकतानुसार कार्य करती है।

2. **विधायी अधिकार एवं कर्तव्य**–संघीय परिषद का विधि निर्माण में योगदान रहता है। संविधान की धारा 102 के अनुसार, वह कानूनों के विधेयक संसद में प्रस्तुत करे। वस्तुतः 95 प्रतिशत विधेयक संघीय परिषद द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं। विधेयक पहले परिषद के पास आवश्यकतानुसार सुझाव एवं सुधारों के लिये भेजा जाता है उसके बाद इस पर संसद विचार करती है। अध्यादेश जारी करने एवं प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है और न्यायालयों द्वारा उसको मान्यता प्रदान की जाती है। अध्यादेशों के मामलों में जनता की राय का कोई सरोकार नहीं होता है। संघीय परिषद के सदस्य बैठकों में भाग ले सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। वे विचाराधीन विषय पर अपना प्रस्ताव रखते हैं। संघीय सभा की समितियों में भी संघीय परिषद के सदस्यों का स्थान एवं प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। समितियां प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता प्रदान करती हैं।

3. **वित्तीय अधिकार एवं कर्तव्य**–संघीय परिषद को वित्त क्षेत्र की समुचित शक्तियां प्रदान की गयी हैं। बजट इसी के द्वारा पेश किया जाता है, जो कि संघीय सभा के समक्ष पेश होता है। इसी के द्वारा बजट को स्वीकृत करवाया जाता है। संघ की समस्त आय–व्ययों की पड़ताल करना, राजस्व संग्रह करना और वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रखना संघीय परिषद का कर्तव्य है।

4. **न्यायिक अधिकार एवं कर्तव्य**–विशिष्ट प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियां और संविधान की कतिपय प्रावधानों में विवाद होने पर संघीय परिषद उनका समाधान करती है। इसके द्वारा रेलवे प्रशासन के विरुद्ध की गयी अपीलों का निस्तारण किया जाता है। हांलाकि यह अंतिम न्यायालय नहीं है। इसके विरुद्ध अपील संघीय न्यायालय एवं संसद में अपील की जा सकती है। क्षमादान का अधिकार संघीय परिषद को प्रदान किया गया है।

5. **संकटकालीन अधिकार एवं कर्तव्य**—हालांकि संविधान में संकटकाल के लिये कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, आर्थिक मंदी या ऐसे ही समान प्रकार के सकंटों के लिये संघीय सभा समस्त अधिकार, संघीय परिषद को दे देती है और ऐसे अवसरों पर संघीय परिषद को पूर्णाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में लोवेल का कथन है कि "यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि संघीय परिषद को मुख्य शक्ति स्रोत कहा जा सकता है और निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय सरकार का संतुलन चक्र है।"

3.3.2 व्यवस्थापिका

स्विट्जरलैंड की द्विसदनीय संघीय विधायिका को संघीय विधानसभा कहते हैं। इसमें राष्ट्रीय परिषद या नेशनल काउंसिल और राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं। संविधान की धारा 71 के तहत संविधान की सर्वोच्च शक्ति, जनता और प्रांत (कैंटोन) के अधिकारों के जरिए संघीय एसेंबली के पास है। एसेंबली द्वारा पारित कानूनों पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता, और न ही इन कानूनों को जनता या प्रांत मतों के जरिए खारिज कर सकते हैं। संघीय विधानसभा की सर्वोच्चता आगे इस तथ्य से भी स्थापित है कि स्विस सरकार के अन्य अंग विधानसभा के साथ समन्वय नहीं करते बल्कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप उसके अधीन होते हैं।

नेशनल काउंसिल (राष्ट्रीय परिषद)

विधायिका का निचला सदन राष्ट्रीय परिषद कहलाता है। इसकी कुल सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, बल्कि समय समय पर आबादी के हिसाब से बदलती रहती है। हालाँकि, हर एक कैंटोन (प्रांत) या आधे प्रांत से कम से कम एक प्रतिनिधि होना सुनिश्चित किया जाता है ताकि हर प्रांत में रहने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा हो सके। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान से होता है, लेकिन यह स्थिति भारतीय प्रणाली से अलग है। भारत में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, जबकि राष्ट्रीय परिषद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होता है। धर्मगुरु, सरकारी कर्मचारी, और परिसंघ के प्रशासनिक कर्मचारी, संघीय काउंसिलर और राज्यसभा के सदस्य चुनाव के पात्र नहीं होते। राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता चार साल के लिए होती है।

सदन भंग नहीं होता सिवाय संविधान के पूर्ण पुनरीक्षण के, जब दोनों सदन आपस में सहमत न हों। सदन की बैठकें साल में चार बार नियमित रूप से, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होती हैं।

नेशनल काउंसिल अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। उनका कार्यकाल एक—एक साल का होता है और वे एक बार निर्वाचित होने पर लगाता अगली बार उसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। सामान्य तौर पर परंपरा यह है कि उपाध्यक्ष ही सेवानिवृत्त होने वाले अध्यक्ष का स्थान लेता है।

नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष को मतों की बराबरी की स्थिति में वोट डालने का अधिकार होता है और जब सदन विभिन्न समितियों और ब्यूरो के लिए चुनाव कर रहा होता है तब वह अन्य सदस्यों की तरह ही वोट का डालता है। अध्यक्ष का कर्तव्य सदन

की कार्यवाही को नियमित करना होता है। वह सदन के सदस्यों की मर्यादा कायम रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स

स्विस विधायिका में उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट्स (Council of State)या राज्यसभा (Standerat) कहा जाता है। हर कैंटोन से दो सदस्य राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा की कुल सदस्यता 46 होती है जो 23 कैंटोन का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यभा के लिए निर्वाचित होने का तरीका हर कैंटोन में अलग–अलग है। कुछ कैंटोन में राज्यसभा के प्रतिनिधि कैंटोन की विधायिका से चुने जाते हैं, अधिकतर को जनता चुनती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल एक से चार साल तक का होता है। सर्वाधिक आम कार्यकाल तीन साल का होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने कैंटोन के हितों को ध्यान में रखकर वोट नहीं करते, बल्कि वे अपने स्व–विवेक के आधार पर वोट करते हैं।

स्विट्जरलैंड का नवीनतम संविधान

1999 के संविधान के अनुसार अब अर्द्ध कैंटोन नहीं हैं।

स्विटज़रलैंड में 23 "कैंटोन" (एकवचन "कांटों", जिन्हें कैंटोन या राज्यों के रूप में भी जाना जाता है), उनमें से 3 को "हल्ब–कैंटोन Halb-Kantone" (विभाजित राज्यों /अर्द्ध कैंटोन) में विभाजित किया गया हैः

एपेंज़ेल इनररोडन AI, बेसल–लैंड BL एवं निडवाल्डेन NW तथाकथित 3 "हैल्ब–कांटन" (अर्द्ध कैंटोन) हैं। इनके दूसरे "हाफ (अर्द्ध कैंटोन)" को क्रमशः एपेंसेल एसेसर्रोडेन AR, बेसल स्टैड्ट BS तथा ओबल्डन OW कहा जाता है।

कैंटोन एपेंज़ेल, ग्लैरस और अनटेरवल्डन, चुनाव और मतदान नहीं करते हैं, लेकिन अपने सभी नागरिकों की आउट डोर असेंबली तथाकथित "लैंडस्गेमाइंडे" में उपस्थित लोग यह दिखाने के लिए हाथ उठाते हैं कि क्या वे किसी विशेष अनुरोध से सहमत हैं या इनकार करते हैं।

कैंटोन में निम्नलिखित अधिकारी होते हैं– "ग्रॉसर रैट", "कांटोंसट्रैट" या "लैंडसेराट" विधायक (अलग–अलग कैंटोन में नाम की भिन्नता है), "कांटोंग्रेजिएरुंग", कार्यकारी अधिकारी, "कांटोंसर्जिच", न्यायिक प्राधिकरण

स्रोत– https://www.about.ch/administration/index.html

https://www.about.ch/history/index.html

राज्यसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हर सत्र में करती है। स्विस संविधान की धारा 82 में बताया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक ही कैंटोन से नहीं होने चाहिए, और न ही ये दोनों लगातार दो सत्रों में उसी कैंटोन के प्रतिनिधियों से चुने होने चाहिए। सदन कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत से चलता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सदस्य अपनी चेतना के आधार पर वोट करते हैं, और अपने कैंटोन के हितों से निर्देशित नहीं होते।

राज्यसभा नेशनल काउंसिल के अधीन नहीं है, बल्कि दोनों के अधिकार समान होते हैं। दोनों सदन जब किसी विधेयक को पारित करते हैं तभी वह कानून बनता है। अगर कोई एक भी सदन सहमति नहीं देता तो विधेयक खारिज हो जाता है। स्विस संविधान के तहत वित्त विधेयकों के मामले में भी दोनों सदनों को समान अधिकार देता है।

संघीय विधानसभा के अधिकार

स्विस संघीय विधानसभा के कार्य हर तरह के होते हैं—विधायी, कार्यपालन संबंधी, न्यायिक और संविधान संशोधन संबंधी भी। आइए इन सबके बारे में एक–एक करके जानते हैं।

1. विधायी

संघीय विधानसभा के विधायी और वित्तीय अधिकार निम्नानुसार हैं—

- संघीय कानूनों और विधायी अध्यादेशों को पारित करने का अधिकार होता है।
- सालाना बजट पारित करती है, राज्य के लेखा पर अधिकार रखती है, और संघीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले सार्वजनिक ऋणों की अनुमति देती है।
- संघीय संविधान का पालन, केंटोनल संविधान की गारंटी सुनिश्चित करने और संघीय कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाय या विधेयक तय करना और लागू करने का अधिकार है।
- देश की बाह्य सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू करने का अधिकार है।
- सभी केंटनों की क्षेत्रीय अखंडता, उनका संविधान, स्विट्जरलैंड की आंतरिक सुरक्षा और शांति कायम करना सुनिश्चित करने के लिए उपाय करती है।

यह भी यहाँ बताया जाना चाहिए कि संघीय विधानसभा से पारित सभी कानूनों पर अगर 30,000 स्विस नागरिक या 8 कैंटोन माँग करें तो जनमत संग्रह कराना होता है।

2. कार्यपालन संबंधी

संघीय विधानसभा के कार्यपालन संबंधी अधिकार निम्नलिखित हैं—

- दोनों सदन मिलकर संघीय काउंसलरों, संघीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों, चांसलर, बीमा प्राधिकरण और कमांडर–इन–चीफ का चुनाव करते हैं।
- अन्य अधिकारियों के संदर्भ में चुनाव या पुष्टि करने का अधिकार जो संघीय परिषद द्वारा विधानसभा को दिया जाता है।
- नागरिक सेवा के कार्यों की निगरानी करना
- संघीय अधिकारियों के बीच न्यायाधिकार क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक विवादों और टकरावों के निस्तारण का अधिकार
- संघीय विभागों और संघीय चांसलरी के सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करती है। स्थायी संघीय अधिकारियों की स्थापना और उनके वेतन निर्धारण करती है।
- संघीय विधानसभा का संघीय सेना पर नियंत्रण रहता है।
- युद्ध की घोषणा करने और शांति खत्म करने का अधिकार है।
- गठबंधनों और संधियों की पुष्टि करती है। अगर ऐसी संधियाँ संघीय विधानसभा के पास भेजी जाती हैं या संघीय परिषद या कोई अन्य कैंटोन इसकी अपील करता है, तो केंटनों के बीच खत्म की गईं आपसी संधियाँ या विदेशों के साथ की खत्म की गईं संधियों की पुष्टि संघीय विधानसभा से करानी होती है।
- संघीय न्यायाधिरणों की निगरानी करती है।

टिप्पणी

3. न्यायिक

संघीय विधानसभाओं के न्यायिक अधिकार निम्नानुसार हैं–

- संघीय न्यायाधिकरण के लिए न्यायाधीशों के चयन का अधिकार होता है।
- प्रशासनिक विवादों में संघीय परिषद के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करती है
- विभिन्न संघीय अधिकारियों के बीच न्यायाधिकार क्षेत्र के विवादों से निपटती है।
- माफी और जीवनदान जैसे विशेषाधिकार रखती है।
- क्षमा दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में दी जाती है, जबकि जीवनदान दोनों सदनों की बैठकों में अलग–अलग मंजूर की जाती है।

4. संविधान संशोधन के अधिकार

संघीय विधानसभा के दोनों सदनों और जनता की भागीदारी से स्विस संविधान में संशोधन हो सकता है। अगर दोनों सदन सहमत हों और लोग जनमत संग्रह के जरिए बदलावों को स्वीकार कर लें तो संविधान में संशोधन पूरी तरह से या आंशिक रूप से हो सकता है। अगर दोनों सदन संशोधनों से असहमत हो जो प्रस्तावित बदलाव जनता के सामने रखे जाते हैं, और अगर जनमत संग्रह में उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, तो संघीय विधानसभा के नए चुनाव कराए जाते हैं। नवगठित सदन जरूरी बदलावों को पारित करते हैं, जिन्हें जनता के सामने और केंटनों के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाता है।

प्रशासन की निगरानी

संघीय विधानसभा संघीय परिषद को आधारभूत तत्वों के रूप में निर्देश जारी करके संघीय प्रशासन की सामान्य निगरानी करती है। विधानसभा के सदस्य कार्यपालिका से 'पूछताछ' के जरिए जानकारी प्रकाश में ला सकते हैं साथ ही संघीय काउंसलरों से भी 'छोटे प्रश्न' पूछ सकते हैं जिनसे लिखित उत्तर की अपेक्षा की जाती है। ऊपर बताए अधिकारों के साथ, स्विस संघीय विधानसभा सशक्त संस्था लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अधिकार नाममात्र के हैं, वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। न तो इसका विधायिका पर नियंत्रण है और न ही वित्त पर। इसके अलावा, जनमत संग्रह जैसे उपायों के होने से आम जनता को ही किसी बिल को स्वीकार करने या खारिज करने का अधिकार है। सामान्य नागरिक तक विधानसभा से ऐसे बिल पारित करने को कह सकते हैं जिनकी अनदेखी की गई हो।

3.3.3 न्यायपालिका

सत्ता के किसी संकेंद्रण या दुरुपयोग को रोकने के लिए स्विट्जरलैंड में राज्य की सत्ता तीन शाखाओं में विभाजित की गई है–

- विधायिका (जो कानून बनाती है)
- कार्यपालिका (जो कानून का क्रियान्वयन करती है)
- न्यायपालिका (जो कानून के बारे में फैसला सुनाती है)।

इसका अर्थ यह है कि कोई भी तीनों संघीय संस्थाओं– संसद, सरकार या सुप्रीम कोर्ट में से एक से अधिक का अंग एक समय में नहीं हो सकता।

न्यायपालिका राज्य की सत्ता की तीसरी शाखा है, बाकी दो शाखाएँ विधायिका और कार्यपालिका हैं। यह आवश्यक रूप से संघीय सुप्रीम कोर्ट के रूप में है जो कि स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च अदालत है।

टिप्पणी

स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च अदालत

संघीय सुप्रीम कोर्ट स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च अदालत है। यह राज्य की सत्ता की तीसरी शाखा न्यायपालिका के रूप में है। बाकी दो शाखाएँ संघीय विधानसभा यानी विधायिका है जो कानून बनाती हैं, और संघीय परिषद है जो कार्यपालिका है यानी कानूनों का क्रियान्वयन करती है। संघीय सुप्रीम कोर्ट लॉसेन में स्थित है और इसके दो सार्वजनिक कानून विभाग हैं, दो नागरिक विभाग हैं और एक आपराधिक विभाग है। इसके कल्याण कानून विभाग ल्यूसर्न में स्थित हैं।

वर्ष 2000 के न्यायिक सुधारों के बाद पहले कदम के रूप में तीन नई संघीय अदालतें स्थापित की गईं– संघीय आपराधिक अदालत, जो बेलिनजोना में स्थित है, संघीय प्रशासनिक अदालत जो सेंट गैलेन में स्थित है और संघीय पेटेंट अदालत जो सेंट गैलेन में स्थित है।

संघीय सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है और केवल कानून के अनुसार ही चलता है। संघीय अदालत के न्यायाधीश संयुक्त संघीय विधानसभा के जरिए निर्वाचित होते हैं (जो कि राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा का संयुक्त सत्र होता है।)

सार्वजनिक विमर्श

जब बहस सार्वजनिक की जाती है, तो न्यायाधीश किसी मामले में मतदान कराकर निर्णय देने से पूर्व खुली अदालत में विमर्श करते हैं। हालांकि, ज्यादातर मामलों में निर्णय बंद कमरे में लिखित संचार के जरिए लिए जाते हैं जिसे स्विट्जरलैंड में 'सर्कुलेशन प्रोसीजर' कहा जाता है। संघीय सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में वादी, प्रतिवादी और वकील होते हैं।

संघीय न्याय एवं पुलिस विभाग (FDJP)

संघीय न्याय एवं पुलिस विभाग का काम विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों का सह–अस्तित्व, शरणार्थियों के मामले, आंतरिक सुरक्षा तथा अपराधों से निपटने जैसी सामाजिक नीतियों को देखना होता है। नागरिक स्थिति और नागरिक अधिकार भी संघीय न्याय एवं पुलिस विभाग के दायरे में आते हैं, क्योंकि इसे जुआ और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक तथा पुलिस सहयोग की भी निगरानी करनी होती है।

अपनी प्रगति जांचिए

3. स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को क्या कहते हैं?
   (क) संघीय सदन (ख) विशिष्ट परिषद
   (ग) संघीय परिषद (घ) संघीय सभा
4. स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च अदालत क्या है?
   (क) जिला कोर्ट (ख) स्टेट कोर्ट
   (ग) हाई कोर्ट (घ) संघीय सुप्रीम कोर्ट

3.4 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र

स्विट्जरलैंड विश्व का ऐसा एकमात्र राष्ट्र है जहां प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का प्रारूप है; समस्त अन्य राष्ट्रों में शासन के प्रतिनिधि रूप होते हैं, वैसे भी स्विट्जरलैंड में लोग भी विधायिका में स्वयं अन्तिम निर्णय कर पाते हैं। स्विट्जरलैंड में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते क्योंकि जनमत संग्रह व पहल के माध्यम से जनसाधारण स्वयं ही विधायिका में कार्य करते हैं। जनमत संग्रह एवं पहल के माध्यमों को कुछ अन्य देशों में भी अपनाया गया है परन्तु ये प्रतिनिधि संवैधानिकता में बस 'अतिरिक्त' के रूप में ही सम्मिलित किये जाते हैं। इन देशों में इन दो से संविधान की संरचना का निर्माण नहीं किया जाता जबकि स्विट्जरलैंड में ऐसा किया गया है। चाहे स्विट्जरलैंड को विश्व में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का एकमात्र उदाहरण समझा जाता हो परन्तु स्विस नारियों को मताधिकार दशकों बाद सन् 1972 में सौंपा गया।

कस्बाई बैठक

स्विस संघ के कुछ प्रांतों में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की अवधारणा (Landsgemeinde) कस्बाई बैठक के संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस कस्बाई बैठक को जिसे क्षेत्र के नागरिक आयोजित करते हैं, समूचे समुदाय के राजकीय अधिकारी वार्षिक बैठकों युक्त संस्थान में निवेश करते हैं। इन कस्बाई बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य होती है– जो जानबूझकर अनुपस्थित हों उनपर अर्थदण्ड लगाया जाता है। सभाओं में संकल्पों व विधियों को पारित किया जाता है तथा वित्त, लोक–कार्य, करों इत्यादि से सम्बन्धित प्रसंगों में निर्णय किये जाते हैं। इस प्रकार इनके पास विधायिका जितनी सत्ता होती है। Lloyd के शब्दों में– कस्बाई प्रांतों के पास लोकतन्त्र का ऐसा विशुद्ध तम रूप है जिसमें जनता की संप्रभुत्वयुक्त सत्ता शासन के सभी महत्वपूर्ण कृत्यों में प्रत्यक्ष क्रिया करती हैः नागरिकों की पूर्ण सभा द्वारा– जिससे वह विशालतम व सहजगोचर उदाहरण बनता है जिसे कि रूसो व किन्हीं अन्य राजकीय दार्शनिकों द्वारा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कहा गया है"।

जनमत संग्रह

स्विस संघ में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का एक और लक्षण जनमत संग्रह है जिसका तात्पर्य लोगों के मतों को जुटाना है तथा स्विस विधायिका द्वारा पारित सभी विधियों (कानूनों) के विषय में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है ऐसा समझा जा सकता है। जनमत संग्रह में जनसाधारण को यह अनुमति रहती है कि ये विधायिका द्वारा पहले ही पारित किये जा चुके अथवा प्रस्तावित विधायी उपाय को नकार सकते हैं अथवा अनुमोदित कर सकते हैं। स्विस संविधान में दो प्रकार के जनमत संग्रह प्रचलित हैंः वैकल्पिक एवं अपरिहार्य। वैकल्पिक जनमत संग्रहों में विधेयकों को जनमत संग्रह के लिये प्रस्तुत किया जाता है यदि मतों की संख्या के आधार पर लोगों द्वारा उसके लिये विशिष्ट मांग की गयी हो तो। अपरिहार्य जनतमसंग्रहों में विधायिका द्वारा पारित विधियों (कानूनों) को तब तक विधि नहीं माना जाता जब तक कि जनता द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

टिप्पणी

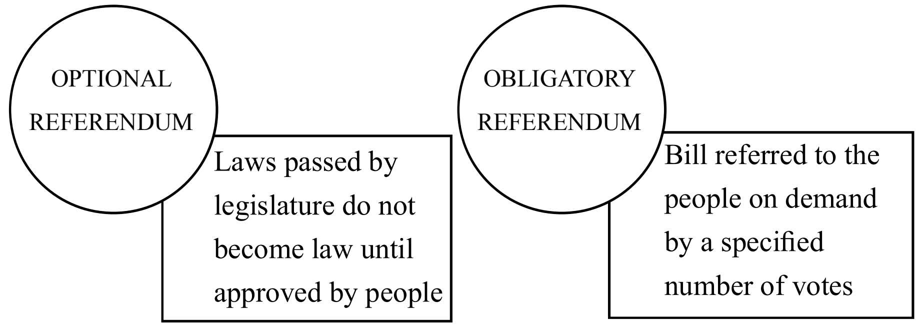

जनमंत संग्रह के प्रकार

संघीय व प्रांतीय संविधान में किये जाने वाले सभी संशोधनों में अपरिहार्य जनमत संग्रह कराया जाता है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 114 में इसे विशिष्टतः स्पष्ट किया गया है कि संवैधानिक संशोधन को तभी प्रभाव में लाया जाएगा यदि उसे अधिकांश प्रांत द्वारा स्वीकारा गया हो। एक पूरे प्रांत को एक मतयुक्त माना जाता है एवं प्रत्येक आधे केण्टोन के पास आधा मत होता है। प्रांत के मत का निर्धारण निर्वाचकों के मतदान के बहुमत द्वारा किया जाता है।

अपरिहार्य जनमत संग्रह उस स्थिति में करवाया जाता है जब संघ सभा द्वारा ऐसा कोई विधेयक पारित किया जा रहा हो जिसे स्विस संविधान द्वारा आंशिक अथवा पूर्णतया पुनरीक्षित किया गया हो। ऐसी परिस्थिति में जनता व प्रांत के मतों के आधार पर उस विधेयक को विधि में परिणत किया जा सकता है। यदि अधिकांश प्रांत ने उसे अनुमोदित किया तो कहा जाता है कि पुनरीक्षण प्रभावी रहा। यदि संघ सभा के दोनों सदन इस विषय में असहमत हुए कि संविधान में पुनरीक्षण आवश्यक है कि नहीं (अर्थात् यदि प्रस्ताव को एक सदन में पारित कर दिया किन्तु दूसरे सदन ने नकार दिया) तो प्रस्ताव को जनमत संग्रह में ले जाया जाता है तथा यदि जनता से पुनरीक्षण का अनुमोदन किया तो संघ सभा को भंग कर दिया जाता है एवं नवीन निर्वाचन कराये जाते हैं। नवीन संघ सभा निर्वाचनोपरान्त कार्य–भार ग्रहण करती है एवं संविधान में प्रस्तावित पुनरीक्षण का विचार करती है।

स्विस कन्फ़डरेशन में वैकल्पिक जनमत संग्रह का प्रयोग तब किया जाता है जब संघीय विधियों व सर्वसाधारण आबद्धन संघीय आज्ञप्तियों का पारगमन किया जाना हो। सन् 1921 से इनका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन में भी किया जाने लगा था। जिस विधि को अत्यावश्यक न माना जा रहा हो उसे जनमत संग्रह में भेज दिया जाता है यदि आठ प्रांत अथवा 30,000 लोगों ने उसकी मांग की हो तो। यहां ऐसा कहा जा सकता है कि स्विस संघ सभा ने युद्ध व आर्थिक संकट के समय 'अत्यावश्यकता प्रावधान' का दुरुपयोग किया। इसी कारण 11 नवम्बर–1949 के संविधान–संशोधन में सभा की इस शक्ति को घटा दिया गया, कैसे? स्पष्ट किया गया कि 50,000 मतदाता अथवा आठ प्रांत द्वारा जनमत संग्रह की मांग की जा सकती हैः यहां तक कि विधि को यदि संघ सभा द्वारा अत्यावश्यक घोषित कर दिया गया हो तब भी। यदि ऐसी विधि को जनमत द्वारा अनुमोदित न कराया गया तो एक वर्ष में वह समाप्त हो जाएगी।

प्रांत में संवैधानिक जनमत संग्रह सब प्रांत में अपरिहार्य है जबकि विधायी जनमत संग्रह दस पूर्ण व एक अर्द्ध केण्टोन में अपरिहार्य है। अन्य प्रांत में जनमत संग्रह नहीं कराया जाता क्योंकि विधियों को कस्बों में जनता द्वारा प्रत्यक्षतया पारित कर दिया जाता है।

वैकल्पिक जनमत संग्रह की कार्यप्रणाली कैसी है?

संघ सभा द्वारा पारित समस्त विधियों को प्रांत में प्रेषित नहीं किया जाता। परिसंचरण के 90 दिवसों में यदि 50,000 स्विस नागरिकों अथवा आठ प्रांत द्वारा जनमत संग्रह की मांग न की गयी तो विधि को निम्नांकित कार्यविधि के माध्यम से पूरे संघ में जनमत संग्रह के लिये लाया जाता है–

(अ) स्विस नागरिकों के 50,000 हस्ताक्षरों को जवाबी पोस्टकार्डों के माध्यम से जुटाया जाता है जिन्हें कि उन्हें संघ परिषद द्वारा प्रेषित किया जाता है।

(आ) जब हस्ताक्षरों की अपेक्षित संख्या संघ परिषद में पहुंच जाती है तो प्रस्तावित विधि को प्रकाशित किया जाता है एवं जनता में परिसंचरित कर दिया जाता है।

(इ) प्रस्तावित विधि के प्रकाशन के चार सप्ताहों के उपरान्त रविवार को मतदान के लिये निर्धारित किया जाता है।

पहल

पहल स्विस संघ की एक अन्य विशेषता है। इसमें मूलतः स्विस नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि ये स्विस संघ सभा द्वारा की गयी चूक–त्रुटियों का परिशोधन कर सकते हैं। इसके दो प्रकार हैंः प्रतिपादनात्मक व अप्रतिपादनात्मक। प्रतिपादनात्मक पहल वास्तव में ड्राफ्ट बिल के रूप में प्रस्ताव है जबकि अप्रतिपादनात्मक पहल वस्तुतः साधारण प्रस्ताव है जिसे वांछित संशोधन करने के लिये लाया गया हो। स्विस संविधान के अनुसार पहल का प्रयोग संविधान–संशोधनों के लिये ही किया जा सकता है। स्विस संविधान का सम्पूर्ण पुनरीक्षण अथवा उसमें विशिष्ट संशोधनों को तब किया जा सकता है जब 50,000 स्विस नागरिकों की मांग पर जन–पहल की गयी हो। पूर्ण पुनरीक्षण की कार्यविधि आंशिक पुनरीक्षण की कार्यविधि से भिन्न है।

सन् 1977 से पूर्व यदि 50,000 लोगों द्वारा संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण कराने की इच्छा की जाती थी तो पुनरीक्षण का प्रस्ताव जनता के सम्मुख लाया जाता था। 50,000 की संख्या को सन् 1977 में बढ़ाकर 100,000 कर दिया गया। यदि बहुमत द्वारा पूर्ण पुनरीक्षण का पक्ष लिया गया तो संघ सभा को भंग कर नवीन निर्वाचन कराये जाते हैं। नवीन संघ सभा द्वारा नवीन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है एवं उसे जनता द्वारा जनमत संग्रह के लिये सामने लाया जाता है। यदि अधिकांश लोगों व प्रांत द्वारा उसे पारित किया गया तो संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण किया जाता है। वहीं दूसरी ओर संविधान के आंशिक पुनरीक्षण की मांग अप्रतिपादनात्मक पहल के माध्यम से की जा सकती है। संघ सभा द्वारा निर्णय किया जा सकता है कि पहल को अनुमोदित किया जाए अथवा अननुमोदित। यदि इसने अनुमोदन का निर्णय किया तो आंशिक पुनरीक्षण जनमत संग्रह के माध्यम से जनता के समक्ष लाया जाता है एवं यदि जन–बहुमत द्वारा पुनरीक्षण का अनुमोदन कर दिया गया तो संशोधन को प्रभाव

में ले आया जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि सभा द्वारा पहल को नकार दिया गया तो प्रस्तावित पुनरीक्षण को जनमत संग्रह के माध्यम से जनता के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है। यदि जनता ने उस पुनरीक्षण को अनुमोदित कर दिया तो जिस संघ सभा ने उसे पहले उस पुनरीक्षण को नकार दिया था उसे अब विधेयक का प्रारूप तैयार करना होगा एवं निर्णय के लिये जनता व प्रांत के लिये उसे प्रस्तुत करना होगा।

जनमत संग्रह से लाभ व हानियां

स्विट्जरलैंड में जिस प्रकार जनमत संग्रह प्रणाली के लाभ दिखते हैं वे निम्न हैं–

(क) **जनता का संप्रभुत्व रहना एवं लोकतन्त्र का गहनीकरणः** जनमत संग्रह से जनसाधारण विधायिका में एवं राष्ट्र–निर्माणी कार्यविधि में स्वयं भाग ले पाते हैं जिससे लोकतन्त्र का अर्थ साकार हो रहा है।

(ख) **राजकीय दलों की सत्ता पर नियन्त्रणः** प्रतिनिधि लोकतन्त्रों में कई बार ऐसा पाया गया है कि lobby groups के दबाव में आकर जन–प्रतिनिधि अपने विधायी वचनों में विमुख हो जाते हैं अथवा विधान–निर्माण के समय जनहित का विचार नहीं करते। जनमत संग्रह में जनसाधारण को यह अधिकार सुलभ हो जाता है कि ये उस विधान–निर्माण को नकार सकते हैं जो उनके हित के प्रतिकूल जा सकता हो, इस प्रकार राजकीय दलों पर जनसाधारण को निषेधाधिकार मिला होता है। स्विस संघीय सभा द्वारा ऐसी कई विधियां पारित की जा चुकी हैं जिन्हें जनता द्वारा नकार दिया गया। इससे स्पष्टतया प्रदर्शित हो जाता है कि वहां जनता को अपने प्रतिनिधियों की ओर बारम्बार देखना नहीं पड़ता।

(ग) **जनता राजकीयरूपेण जागरूक रहती हैः** जैसा कि ऊपर कहा गया है– जनमत संग्रह में लोग विधायी कार्यविधि में स्वयं निर्णयकर्ता हो जाते हैं। इससे उनमें उत्तरदायित्व का बोध पनपता है तथा स्विस नागरिकों में राजकीय प्रशिक्षण के लिये यह एक मूल्यवान् साधन है।

(घ) **विधियों (कानूनों) की नींव में महानतम नैतिक अधिकारः** विधि को यदि जनता द्वारा जनमत संग्रह के माध्यम से स्वयं पारित किया जाता है तो अधिक से अधिक लोग उसका अनुपालन करना चाहेंगे।

(ङ) **विधायिका के दोनों प्रकोष्ठों के मध्य विवाद सुलझानाः** जनमत संग्रह के माध्यम से विधायिका के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध अथवा अंतर्विरोध को सुलझाया जा सकता है (किन्तु विधिसंगत युक्ति से ऐसा किये जाने पर)।

हानियां

स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह प्रणाली की जो हानियां दिखती हैं, वे निम्नानुसार हैं–

- **विधायिका को कम करना**– यदि जनमत संग्रह में जनता ने संघ सभा द्वारा पारित विधेयक को नकारा तो विधायिका की संविधि व प्राधिकार को कम आंका जाने लगता है।
- **जटिल विधान–निर्माण में निर्णयन की योग्यता जनता में नहीं होतीः** प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के विरुद्ध एक संभ्रान्तवादी तर्क यह रहता है कि

विधान–निर्माण ऐसी कार्यविधि है जो जनता के लिये अत्यधिक जटिल होती है एवं इस प्रकार इसे जन–प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपे रखना चाहिए। यह तर्क हास्यास्पद लगता है क्योंकि यदि ऐसा ही माना जा रहा है तो फिर जिन अधिकांश लोगों को जनसाधारण कहा जाता है जो उपयुक्त जन–प्रतिनिधि के प्रत्यक्ष निर्वाचन की दिशा में योग्य समझे जाते हैं क्या वे विधि–निर्माण के लिये स्वयं अयोग्य हुए?

- **सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रगति का अवमन्दनः** जनमत संग्रह के विरुद्ध यह तर्क सर हेनरी माइन द्वारा सन् 1885 में सार्वजनिक किया गया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि जनमत संग्रह से देश की सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रगति में बाधा पड़ेगी। उदाहरणार्थ ऐसी प्रबल आशंका है कि सन् 1947 को अस्पृष्यत्व को अवैध घोषित नहीं किया जाता यदि जनमत संग्रह का अधिकार होता तो क्योंकि उस समय अधिकांश भारतीय अस्पृश्यत्व को मानते थे एवं उसे अवैध घोषित करने के पक्षधर नहीं थे।
- **पड़े मतों का कम अनुपातः** जनमत संग्रह के विरुद्ध एक मुख्य बिन्दु यह रहता है कि जनमत संग्रह में वोट कम ही पड़ते हैं और इसका कारण लोगों को बार–बार वोटिंग के लिए बुलाए जाने के कारण उनमें इलेक्शन की स्वाभाविक थकान का होना है। इसके अतिरिक्त अधिकांश प्रकरणों में विधेयकों के विरोधी यह लक्ष्य बनाये चलते हैं कि उस विधेयकविशेष को अप्रभावी रखने के लिये एकजुट हो अधिकाधिक संख्या में मतदान करना है जबकि समर्थकों द्वारा अल्प मतदान किया जाता है।
- **अनावश्यक विलम्बन**– कुछ के द्वारा ऐसी आलोचना की जाती है कि जनमत संग्रह प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिससे विशेषतया ऐसे विधेयकों में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है जो शीघ्रता में आवश्यक होते हैं।
- **नैतिक प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न**– उपरोक्तानुसार यदि जनमत संग्रह प्रणाली में विधेयक–विरोधियों द्वारा विधेयकविशेष को रोकने का लक्ष्य बनाकर बढ़–चढ़कर मतदान किया जाता है व विधेयक–समर्थक न्यून संख्या में पहुंचते हैं तो इसी कारण ऐसा विधेयक पारित कर दिया जाता है जिसका प्रतिनिधित्व समग्रता में अल्पमत ने किया था।
- **व्ययकारी**– जनमत संग्रह प्रणाली के आलोचक यह आलोचना भी करते हैं कि यह प्रणाली बहुत महंगी पड़ती है। मत एकत्र करने में पर्चे तैयार करने व अन्य साधनों के कारण भारी धनराशि व्यय करनी पड़ती है।

पहल से लाभ व हानियां

पहल व जनमत संग्रह के विरुद्ध किये जाने वाले तर्क अत्यधिक समान हैं। मूल आधार में समानता है परन्तु अनुप्रयोग की स्थितियों में पारस्परिक भिन्नता है। स्विट्जरलैंड में पहल प्रणाली के जो लाभ दिखते हैं वे निम्नानुसार हैं–

(क) **जन–संप्रभुत्व** : पहल में जन–संप्रभुत्व का विचार समाहित है। प्रतिनिधि–लोकतन्त्र में जन–प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व यथार्थ रूप में

नहीं करते। नागरिकेच्छा के जन–संप्रभुत्व को मतों के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सकता है। पहल से नागरिकों को यह अधिकार हाथ लग जाता है कि ये अपनी स्वयं की विधियों की पहल कर सकते हैं जिनमें उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व हो।

(ख) **प्रतिनिधि जनता अन्तराल को पूरनाः** प्रतिनिधि–लोकतन्त्र में कई बार ऐसा पाया गया है कि जन–प्रतिनिधि उन लोगों की आवश्यकताओं व मांगों के प्रति उदासीन रहते हैं जिनका कि प्रतिनिधित्व करने उन्हें भेजा गया है; ये तथाकथित जनप्रतिनिधि जनमत के विरुद्ध जाते हैं। इस प्रकार पहल के माध्यम से विधायिका को उसके दायित्वों का भान कराया जाता है एवं उसे जनता की आवश्यकताओं से अवगत कराया जाता है तथा इस प्रकार प्रतिनिधियों व जनता के मध्य की खाई को पाटा जाना सम्भव हो पाता है।

(ग) **प्राधिकारः** विधियों की नींव में बृहत् प्राधिकार जिन्हें जनता की ओर से लाया गया है। जिस विधि को जनता की पहल पर आरम्भ किया गया है व बाद में देश के शेष लोगों द्वारा जनमत संग्रह के माध्यम से कार्यान्वयित किया गया है उसका पालन अधिक स्वेच्छा से किया जाएगा, बजाय उनके चयनित प्रतिनिधियों द्वारा पारित विधि के।

(घ) **अधिक स्थायित्वः** चूंकि स्विस संघ में जनता के पास स्वयं की विधियों की पहल करने का अधिकार है अतः नागरिकों द्वारा उस प्रणाली की अनदेखी करने की सम्भावना नगण्य रहती है। इस प्रकार दृढ़ता से ऐसा कहा जा सकता है कि पहल प्रणाली के परिणामस्वरूप राजकीय उथल–पुथल की आशंकाएं काफ़ी कम रहती हैं।

हानियां–

स्विट्जरलैंड में प्रचलित पहल प्रणाली की हानियां निम्नांकित हैं–

(अ) **विधायिका के प्राधिकार व उत्तरदायित्व को कम आंका जाता हैः** जनमत संग्रह प्रणाली के प्रकरण की भांति पहल में भी विधायिका के प्राधिकार को कम महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि पहल में 'acts of commission' के परिशोधन का प्रयास तो किया ही जाता है व साथ में 'acts of omission' के परिशोधन का भी प्रयास किया जाता है। इस प्रकार विधायिका द्वारा अपेक्षा की जाती है कि जनता स्वयं ही जनहित के प्रसंग लायेगी एवं इसे उनकी चिंता करनी आवश्यक नहीं। इससे सम्भव है कि विधिकर्ता अपने उत्तरदायित्व से दूर होते जाएं।

(आ) **जटिल प्रारूप निर्माण कार्यविधिः** विधेयक का प्रारूपनिर्माण अत्यधिक जटिल कार्यविधि है जिसमें उच्चस्तरीय विशेषज्ञता आवश्यक है जिससे कि जनसाधारण अवगत नहीं होते। इस प्रकार विधेयकों का प्रारूप–निर्माण ऐसी पहलों के अधीन किया जाता है जो अधिकांशतया 'अवधारण में अपरिपक्व, रूप में अकुशल, अस्पष्टता व चूकों से भरी' होती हैं। ऐसे विधेयकों की भाषा इतनी विकृत होती है कि उसके आशय कई हो सकते हैं।

स्विस फ़ेडरेशन में जनमत संग्रह पहल की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय रहा है; वैसे अधिकांश स्विस राजाधिकारियों व राजनेताओं ने पहल व जनमत संग्रह दोनों तन्त्रों को सराहा है। कई वामपंथियों द्वारा इसे स्विस लोकतन्त्र का अविभाज्य लक्षण माना जाता है किन्तु दक्षिणपंथी, केथोलिक्स व पुरातनपंथी इसे हड़बड़ीपूर्ण विधिनिर्माणों पर अंकुश समझते हैं। इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि अधिकांश लोग जनमत संग्रह व पहल के स्विस तन्त्रों को सम्पूर्ण सफलता मानते हैं जो कि ऐसे दो स्तम्भ हैं जिन पर कि स्विस राजकीय प्रणाली व अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यहां उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की स्विस प्रणाली की सफलताओं के बावजूद ऐसी प्रणाली सब राष्ट्रों के लिये उपयुक्त नहीं हो सकती। ऐसी प्रणाली भारत जैसे देश में दुरुपयोग की जा सकती है जहां वैविध्य कितना अधिक है, अज्ञानता व निरक्षरता भी। यह स्विट्जरलैंड जैसे ऐसे देशों में उपयुक्त कही जा सकती है जिनका आकार हमारे पंजाब जितना सीमित हो, न कि 29 राज्यों के भरे–पूरे देश जितना विशाल।

अपनी प्रगति जांचिए

5. स्विस नारियों को मताधिकार कब सौंपा गया?

   (क) 1972 में (ख) 1969 में

   (ग) 2020 में (घ) 1959 में

6. स्विस संविधान में कितने प्रकार के जनमत संग्रह प्रचलित हैं?

   (क) छह (ख) दो

   (ग) तीन (घ) चार

3.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (क)
3. (ग)
4. (घ)
5. (क)
6. (ख)

3.6 सारांश

सन् 1848 का स्विस संविधान (सन् 1874 व 1999 सहित अन्य वर्षों में संशोधित प्रारूप अनुसार) एक लिखित प्रलेख है। यूएस व भारत का संविधान भी लिखित प्रलेख है। स्विस संविधान में 123 अनुच्छेदों युक्त 3 खण्ड हैं। मत्स्यादि का आखेट, जुआ खेलने के अड्डे, लॉटरी, निर्धन के रुग्णत्व व अंत्येष्टि एवं पशुरोग, उदार वृत्तियों के सदस्यों की अर्हताओं इत्यादि जैसे विवरण भी स्विस संविधान में हैं। वस्तुतः स्विस संविधान में प्रांतीय अधिकारों व सबल संघ–शासन के मध्य समझौते का समर्थन किया गया है।

इसी कारण ब्रूक्स के अनुसार इसमें 'आन्तरिक गतिरोध के कारणों व नागरिक–कलह की सम्भावना' का पूर्वानुमान व बचाव करने के प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों के कारण यह स्वाभाविक था कि संविधान विशाल हो जाए। स्विस संविधान में अधिकारों का औपचारिक विधेयक नहीं है किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि स्विस नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को उनके संविधान द्वारा सुरक्षित नहीं किया गया है अथवा उन्हें संविधान में समाविष्ट नहीं किया गया है। वास्तव में स्विस नागरिकों को मिले अधिकारों को स्विस संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में यहां–वहां बिखरे रूप में सम्मिलित किया गया है। संविधान में स्विस नागरिकों को इन विधि के समक्ष समता, देश में आवागमन की स्वतन्त्रता एवं देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वाधीनता एवं प्रेस, एसोसिएशन व याचिका की स्वतन्त्रता के प्रति आश्वस्त किया गया है। यहां 20 अथवा अधिक वर्षायु के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है।

स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को 'संघीय परिषद' कहते हैं। संघीय परिषद की कई विशेषताएं हैं, यथा–बहुल कार्यपालिका, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन का मध्य मार्ग या समन्वय, उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व का स्वस्थ मिश्रण, निर्दलीय चरित्र, व्यवस्थापिका का निर्वाचन, विशेषज्ञों का मंत्रिमंडल आदि। सात सदस्यों का चुनाव संघीय सभा द्वारा किया जाता है। संघीय परिषद एवं संघीय सभा दोनों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य साधारण चुनाव के बाद नए सिरे से चुने जाते हैं। संविधान की धारा 96 के अनुसार, ''संघीय परिषद के सदस्य उन सभी स्विट्जरलैंड के नागरिकों में से चुने जाते हैं, जो राष्ट्रीय सभा की सदस्यता की योग्यता रखते हैं।'' परिषद की बैठक सप्ताह में दो बार होती है और इसकी कार्यवाहियां गुप्त रहती हैं। संघीय परिषद अपने सदस्यों में से ही प्रतिवर्ष अपने सभापति एवं उप–सभापति का चुनाव करती है, जिन्हे संघ का राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति कहा जाता है।

परिषद की बैठक सप्ताह में दो बार होती है और इसकी कार्यवाहियां गुप्त रहती हैं। कोरम के लिए चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। निर्णय बहुमत से होता है। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। संघीय चांसलर, व्यवस्थापिका तथा संघीय परिषद के कार्यकाल का अध्यक्ष होता है। परिषद का सचिव, बैठकों में उपस्थित रहता है। चांसलर के स्थान पर कोई उप–चांसलर भी उसके कार्यों को कर सकता है।

स्विट्जरलैंड की द्विसदनीय संघीय विधायिका को संघीय विधानसभा कहते हैं। इसमें राष्ट्रीय परिषद या नेशनल काउंसिल और राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं। संविधान की धारा 71 के तहत संविधान की सर्वोच्च शक्ति, जनता और प्रांत (कैंटोन) के अधिकारों के जरिए संघीय एसेंबली के पास है। एसेंबली द्वारा पारित कानूनों पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता, और न ही इन कानूनों को जनता या प्रांत मतों के जरिए खारिज कर सकते हैं। संघीय विधानसभा की सर्वोच्चता आगे इस तथ्य से भी स्थापित है कि स्विस सरकार के अन्य अंग विधानसभा के साथ समन्वय नहीं करते बल्कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप उसके अधीन होते हैं।

विधायिका का निचला सदन राष्ट्रीय परिषद कहलाता है। इसकी कुल सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, बल्कि समय समय पर आबादी के हिसाब से बदलती रहती है। हालाँकि, हर एक कैंटोन (प्रांत) या आधे प्रांत से कम से कम एक प्रतिनिधि होना सुनिश्चित किया

टिप्पणी

जाता है ताकि हर प्रांत में रहने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा हो सके। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान से होता है, लेकिन यह स्थिति भारतीय प्रणाली से अलग है। भारत में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, जबकि राष्ट्रीय परिषद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होता है। धर्मगुरु, सरकारी कर्मचारी, और परिसंघ के प्रशासनिक कर्मचारी, संघीय काउंसिलर और राज्यसभा के सदस्य चुनाव के पात्र नहीं होते। राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता चार साल के लिए होती है।

संघीय सुप्रीम कोर्ट स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च अदालत है। यह राज्य की सत्ता की तीसरी शाखा न्यायपालिका के रूप में है। बाकी दो शाखाएँ संघीय विधानसभा यानी विधायिका है जो कानून बनाती हैं, और संघीय परिषद है जो कार्यपालिका है यानी कानूनों का क्रियान्वयन करती है। संघीय सुप्रीम कोर्ट लॉसेन में स्थित है और इसके दो सार्वजनिक कानून विभाग हैं, दो नागरिक विभाग हैं और एक आपराधिक विभाग है। इसके कल्याण कानून विभाग ल्यूसर्न में स्थित हैं।

संघीय न्याय एवं पुलिस विभाग का काम विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों का सह–अस्तित्व, शरणार्थियों के मामले, आंतरिक सुरक्षा तथा अपराधों से निपटने जैसी सामाजिक नीतियों को देखना होता है। नागरिक स्थिति और नागरिक अधिकार भी संघीय न्याय एवं पुलिस विभाग के दायरे में आते हैं, क्योंकि इसे जुआ और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक तथा पुलिस सहयोग की भी निगरानी करनी होती है।

स्विट्जरलैंड विश्व का ऐसा एकमात्र राष्ट्र है जहां प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का प्रारूप है; समस्त अन्य राष्ट्रों में शासन के प्रतिनिधि रूप होते हैं, वैसे भी स्विट्जरलैंड में लोग भी विधायिका में स्वयं अन्तिम निर्णय कर पाते हैं। स्विट्जरलैंड में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते क्योंकि जनमत संग्रह व पहल के माध्यम से जनसाधारण स्वयं ही विधायिका में कार्य करते हैं। जनमत संग्रह एवं पहल के माध्यमों को कुछ अन्य देशों में भी अपनाया गया है परन्तु ये प्रतिनिधि संवैधानिकता में बस 'अतिरिक्त' के रूप में ही सम्मिलित किये जाते हैं। इन देशों में इन दो से संविधान की संरचना का निर्माण नहीं किया जाता जबकि स्विट्जरलैंड में ऐसा किया गया है। चाहे स्विट्जरलैंड को विश्व में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का एकमात्र उदाहरण समझा जाता हो परन्तु स्विस नारियों को मताधिकार दशकों बाद सन् 1972 में सौंपा गया।

स्विस फ़ेडरेशन में जनमत संग्रह पहल की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय रहा है; वैसे अधिकांश स्विस राजाधिकारियों व राजनेताओं ने पहल व जनमत संग्रह दोनों तन्त्रों को सराहा है। कई वामपंथियों द्वारा इसे स्विस लोकतन्त्र का अविभाज्य लक्षण माना जाता है किन्तु दक्षिणपंथी, केथोलिक्स व पुरातनपंथी इसे हड़बड़ीपूर्ण विधिनिर्माणों पर अंकुश समझते हैं। इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि अधिकांश लोग जनमत संग्रह व पहल के स्विस तन्त्रों को सम्पूर्ण सफलता मानते हैं जो कि ऐसे दो स्तम्भ हैं जिन पर कि स्विस राजकीय प्रणाली व अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।

3.7 मुख्य शब्दावली

- **अर्हता** : योग्यता
- **प्राधिकार** : कोई काम करने या आदेश देने का अधिकार।

- **बहुल** : बहुत।
- **कतिपय** : कई।
- **अवहेलना** : अनादर।
- **तटस्थता** : उदासीनता।

3.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. यूएस अथवा भारत की न्यायपालिका की अपेक्षा स्विस न्यायपालिका की भूमिका कैसी है?
2. संघीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है?
3. स्विट्जरलैंड की द्विसदनीय संघीय विधायिका को क्या कहते हैं?
4. स्विट्जरलैंड में राज्य की सत्ता किन तीन शाखाओं में विभाजित की गई है?
5. स्विट्जरलैंड में कैसे लोकतंत्र का प्रारूप है?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. स्विट्जरलैंड के संविधान के विशेष पहलुओं की समीक्षा कीजिए।
2. स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
3. स्विट्जरलैंड की संघीय विधानसभा के विधायी और वित्तीय अधिकारों की विवेचना कीजिए।
4. स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च अदालत के बारे में बताते हुए वहां की न्यायपालिका की समीक्षा कीजिए।
5. वैकल्पिक एवं अपरिहार्य जनमत संग्रह की विवेचना कीजिए और जनमत संग्रह प्रणाली के लाभ व हानियां बताइए।

3.9 सहायक पाठ्य सामग्री

Kapur, A.C. and K.K. Mishra. 2006. *Selected Constitutions.* New Delhi: S Chand Publishing.

Mahajan, V.D. 1998. *Selected Modern Governments*. New Delhi: S Chand And Company.

Bhagwan, Vishnoo, Vidya Bhunan and Vandana Mohla. 2012. *World Constitutions: A Comparative Study*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.

Haller, Watter. 2016. *The Swiss Constitution in a Comparative Context*. Zurich: Dike.

Fossedal, Gregory A. 2002. *Direct Democracy in Switzerland.* New Jersey: Transaction Publishers.

इकाई 4 जनवादी चीन एवं पाकिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं

संरचना

4.0 परिचय
4.1 उद्देश्य
4.2 चीन के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं
4.3 चीन की राज्य संरचना
    4.3.1 व्यवस्थापिका
    4.3.2 न्यायपालिका
    4.3.3 दलीय व्यवस्था
4.4 पाकिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं
4.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
4.6 सारांश
4.7 मुख्य शब्दावली
4.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
4.9 सहायक पाठ्य सामग्री

4.0 परिचय

अपने लंबे साम्राज्य के इतिहास में चीन ने स्थिरता और केंद्रीकृत शासन के छोटे रूप में विकार और विघटन की चक्रीय अवधि देखी है। लगभग संपूर्ण पूर्व एशिया चीन की समृद्ध संस्कृति से प्रभावित रहा है। कोरिया, वियतनाम और जापान जैसे कुछ पड़ोसी देशों में चीन द्वारा अलग–अलग समय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया है। चीन भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी शासन का साक्षी रहा है। इस प्रकार चीन ने साम्राज्यवाद को एक शाही सत्ता के रूप में और साम्राज्यवाद के शिकार के रूप में यानी दोनों ही स्थितियों को अनुभव किया है।

भारत से विभाजन के बाद एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के हालात बहुत खराब रहे। नौ वर्षों की कठिन कोशिशों के बाद वहां के संविधान का निर्माण हो सका। संविधान बनने के दो वर्षों के भीतर ही पाकिस्तान को पहले सैन्य तख्तापलट का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की माली हालत ज्यादातर दयनीय हो रही है।

इस इकाई में चीनी राष्ट्रपति की स्थिति, चीन के वर्तमान संविधान की विशेषताओं, पाकिस्तानी राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की स्थिति और वहां के संविधान का वर्णन किया गया है।

4.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- चीन के संविधान की विवेचना कर पाएंगे;

- चीन की व्यवस्थापिका की प्रमुख बातों को जान पाएंगे;
- चीन की न्यायपालिका की संरचना को समझ पाएंगे;
- चीन की दलीय व्यवस्था की स्थिति को समझ पाएंगे;
- पाकिस्तान के संविधान की विशेषताओं की समीक्षा कर पाएंगे;
- पाकिस्तान के राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में जान पाएंगे।

4.2 चीन के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं

चीन के इतिहास पर चीनी क्रान्ति का बड़ा प्रभाव पड़ा। व्हाइट् लोटस रिबेलियन (1796–1804) के आरम्भ संग समूची उन्नीसवीं शताब्दी चीन में क्रान्तियों से भर गयी। क्रान्तियां ज्यों–ज्यों गतिमान होती गयीं साम्राज्यी शासन की सत्ता व वर्चस्व क्षीण होता गया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक सैन्य–विषयों में नागरिक–अधिकारी अत्यधिक संलग्न रहे। Ch'ing राजवंश 1890 के दशक तक समाप्तप्राय हो गया एवं क्रान्तिकारी भावना का विस्तार पूरे चीन तक होने लगा। इस क्रान्तिकारी भावना में राष्ट्रवादी उत्साह था एवं विदेशी सत्ताओं का उन्मूलन करने की दृढ़ता थी जो चीन को शिथिल करने के प्रयास कर रहे थे। चीन के समृद्ध जन शासन के कृत्यों के आधार पर कमजोर निवेशों के पक्ष में थे। चीन में क्रान्तिकारी बलों का अन्तिम व सबसे निर्णायक अवयव नगरीय विचारकों व अध्येताओं से सम्बन्धित था जो कि आधुनिकता व पश्चिम के अन्य मूल्यों को अंगीभूत करने की आवश्यकता अनुभव करते थे। इन बलों का मानना था कि चीन को समाज व प्रशासन में पारम्परिकतया धारित उपागमों को छोड़ने की आवश्यकता है; इन्होंने पाश्चात्य विचारशैली अपना ली। इन्होंने शासन को सत्ताच्युत कर दिया। विलगन के कई वर्षों बाद चीन एक राष्ट्रवादी शासन के अधीन एकजुट हो गया।

1900 के दशक में आरम्भिक सुधार

यूरोपियन सत्ताओं द्वारा चीन पर बॉक्सर प्रोटोकॉल्स थोप दिये गये। सन् 1900 में बॉक्सर विद्रोह विफल सिद्ध हुआ परन्तु इसने साम्राज्यी शासन को गति दी कि यह सुधारात्मक उपाय अपनाये व चीन को पश्चिमीकृत कर दे। उसी समय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया गया जिसमें बालिकाओं को शालाओं में प्रवेश करने दिया गया। पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी व भूगोल जैसे आधुनिक विषय अपनाये गये, क्लासिक्स व कन्फ़्यूशियन अध्ययन को पीछे छोड़ दिया गया। लोकसेवा परीक्षाओं को भी उस पाठ्यचर्या में अपना लिया गया व सन् 1905 तक पुराने पाठ्यक्रम ढांचे को पूर्णतया बाहर कर दिया गया। चीनी लोग अपने किशोरों को अर्थशास्त्र इत्यादि नवीन व वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन हेतु जापान एवं यूरोप भेजने लगे तथा एक नवीन युग का आरम्भ हुआ जिसमें मार्क्सवाद जैसी नवीन पाश्चात्य शैली (विचारधारा) अपनायी जाने लगी। Yüan Shih-k'ai (1859–1916) के अधीन सेना को पुनर्संगठित किया गया। इसने पाश्चात्य व जापानी सांगठनिक प्रतिरूप अपनाये। इस नवीन व्यवस्थापन में सेना को करियर के रूप में स्थापित करना मुख्य रहा। अब सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट के प्रति निष्ठा के आधार पर नहीं वरन् अपने सेनाध्यक्ष

के प्रति निष्ठा के आधार पर की गयी। अन्तिम Hsüan-tung सम्राट Pu Yi सन् 1909 में सिंहासनारूढ़ हुआ। उसी वर्ष प्रान्तीय सभाओं (जिन्हें मूलतः K'ang Yu-wei द्वारा सुझाया गया था) का आयोजन किया गया।

विमर्श सभा का गठन वर्ष 1910 में किया गया। इसका लोकतान्त्रिक निर्वाचन किया गया था एवं यह समूचे राष्ट्र से सम्बद्ध थी। यद्यपि इसने साम्राज्यी राजदरबार के उद्देश्यों को पूर्ण किया, इसका अन्त साम्राज्यी शासन हेतु विरोधी होकर हुआ। इससे पश्चिम में Szechwan प्रान्त में सन् 1911 में एक विद्रोह भड़का क्योंकि शासन द्वारा रेलवे के राष्ट्रीयकरण की योजना बनायी जा रही थी। छोटे–से विरोध से आरम्भ इस घटनाक्रम ने शीघ्र ही एक राष्ट्रीय क्रान्ति का रूप ले लिया।

Sun Yat-Sen

सन् 1911 के विद्रोह ने क्रांति का रूप ले लिया जो Szechwan के दक्षिणी–पश्चिमी प्रान्त में घटित हुई। यह क्रान्ति रेलवे के राष्ट्रीयकरण की दिशा में राजदरबार के प्रस्ताव द्वारा अभिप्रेरित हुई। इस विद्रोह से पूर्व क्रान्तिकारी विभिन्न समूहों में विभक्त थे– धनाढ्य व्यापारी (जो क्रान्ति के कारण धन–हानि से भयग्रस्त थे); सैन्य–नायक (जो स्वतन्त्रता के इच्छुक थे)। Sun Yat-Sen एक पश्चिमी क्रान्तिकारी था जिसने सन् 1895 में Ch'ing राजवंश को विघटित करने का प्रयास किया परन्तु विफल रहा।

यह चीनी क्रान्ति में मुख्य नेतृत्वकर्ता था। इसे बहुधा इस क्रान्ति का जनक कहा जाता है। इसने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की थी व क्रान्ति को अपने उद्देश्यों में त्रिफलकीय रखकर परिकल्पित किया जैसे– विदेशी Machu राजवंश को चीन से खदेड़ना, गणतान्त्रिक चीन का लोकतन्त्र स्थापित करना एवं भूअधिकारों व सम्पदा का समतुल्यीकरण।

इसके उपरान्त Sun ने क्रान्ति का योजना–निर्माण आरम्भ कर दिया। इसे इसके द्वारा तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया था– तीन वर्ष तक सैन्य शासन, 6 वर्ष की एक अवधि जिसके दौरान चीन में लोकतान्त्रिक शासन स्थापित करना है एवं अन्ततः वह समयावधि जिसमें चीन को एक संवैधानिक लोकतन्त्र में परिणत किया जाना था।

Yüan Shih-Kai

Yüan Shih-Kai सन् 1911 की क्रान्ति में एक अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्ति था। यह एक रूढ़िवादी नौकरशाह व राजतन्त्रवादी था। इसे साम्राज्यी शासन द्वारा सन् 1911 में विद्रोह का दमन करने के लिये नियुक्त किया गया था। इसके द्वारा उठाये कुछ महत्वपूर्ण कदमों के कारण कइयों की मृत्यु हुई जिससे अन्य क्रान्तियों का उद्गम हुआ। जब ये क्रान्तिकारी आगे बढ़ रहे थे तब Yüan स्पष्टतया देख पा रहा था कि राजतन्त्र को उखाड़ फेंकना अवश्यंभावी है। इसने क्रान्तिकारियों से वास्तविक संघर्ष से बचने का विकल्प चुना। बाद में क्रान्ति से यह चीन का तानाशाह बन बैठा।

सन् 1911 की क्रान्ति का आरम्भ

चीनी प्रान्तों में क्रान्ति का प्रयास कम से कम दस बार किया गया। इनमें से अधिकांश प्रयास दक्षिण–पश्चिम में किये गये। Szechwan में विद्रोह तो क्रान्ति का वास्तविक

आरम्भ था। रेलवे को राष्ट्रीयकृत करने की नीति से उत्तेजित छात्र 24 अगस्त–1911 को सड़कों पर उतर आये, प्रस्तावित नीति में विलम्ब का आग्रह करने लगे। आंदोलन के नेताओं को अभिरक्षा (गिरफ़्तारी) में लेते हुए बत्तीस लोगों को मार डाला गया। इसके उपरान्त जनता व शासन की मण्डलियों ने स्वयं लड़ना आरम्भ कर दिया। यहां यह दर्शाना आवश्यक है कि मौलिक आंदोलन का आरम्भ सम्पन्न लोगों द्वारा किया गया था। साम्राज्यी शासन को ढहाना इनका अभिप्राय नहीं था; ये तो बस रेलवे के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव के कारण किसी प्रकार वित्तीय घाटे से बचना चाहते थे। जब इस समान शासन ने संवाद से मना कर दिया तो इन्होंने क्रान्तिकारियों का समर्थन करना आरम्भ कर दिया। Wangchuk को क्रान्तिकारियों ने राजसात् कर दिया जिसके उपरान्त कई प्रान्तों (Changsha, Yunnan, Kwangtung o Szechwan) ने स्वयं को अंत में सम्राट से स्वाधीन घोषित कर दिया। दो–तिहाई चीन नवम्बर के अन्त तक Ch'ing साम्राज्य के शासन से मुक्त हो गया था। बाद में केन्द्रीय व उत्तरी चीन से प्रान्तीय प्रतिनिधिमण्डल साथ आये एवं उद्घोषित किया कि राष्ट्र अब गणतन्त्र है। Sun Yat-Sen को चीन के गणतन्त्र का प्रान्तीय राष्ट्रपति चुना गया। इन्होंने 1 जनवरी 1912 को गणतन्त्र का प्रथम दिवस निर्धारित किया। वैसे Ch'ing को निष्कासित करने का एक अन्तिम कार्य अब भी बचा था।

Ch'ing का अंत

साम्राज्यी राजदरबार अपने अन्त की ओर था। Yüan Shih-Kai को बीजिंग में राष्ट्रसभा द्वारा प्रधानमंत्री के भी रूप में निर्वाचित किया गया था। Yüan us Manchus के लिये ऐसी स्थितियां उत्पन्न की गईं कि इन्हें राष्ट्रसभा बनाना होगा, विद्रोहियों को क्षमा करना होगा, सेना पर पूर्ण नियन्त्रण प्रदान करना होगा एवं प्रतिबन्ध से राजदलों को मुक्त करना होगा।

विरोधियों व विद्रोहियों ने Yüan को एक महत्वपूर्ण नेता माना जिसने उनके ध्येय के लिये योगदान किया था। वे जानते थे कि वह क्रांति को जन्म दे सकता है। सफल होने और गृह युद्ध को रोकने के लिए उसने यह उद्घोषित किया कि यह Ch'ing पर पदत्याग का दबाव बनायेगा यदि उसे चीनी गणतन्त्र का राष्ट्रपति बनाया गया। प्रथम बार मतदान से बनाये गए राष्ट्रपति Sun ने इसकी शर्तों के प्रति सहमति जतायी। Mongol vFkok Manchu अभिजात्यवर्ग का था और सत्ता छोड़ना नहीं चाहता था, अतः Yüan ने पचास से अधिक सेनापतियों को गणतन्त्र के प्रति इनकी निष्ठा की घोषणा करते हुए आवेश में भिजवाकर उन्हें तैयार किया। Yüan को सम्राट Dowager द्वारा 1 फ़रवरी–1912 को बुलाया गया ताकि ऑडियन्स व शासन उसे आधिकारिक रूप से सौंपा जा सके। नवीन शासक ने पूर्व राजाधिकारियों के संग भला व्यवहार किया। यूनाइटेड स्टेट्स वह प्रथम देश था जिसे 5 अप्रैल को गणतन्त्र के रूप में एक राष्ट्र माना गया। भले ही Yüan ने स्वयं को गणतन्त्रवाद के अनुसरणकर्ता के रूप में उद्घोषित कर दिया था किन्तु उसके अभिप्राय तो इस तथ्य के स्पष्टतया विपरीत थे जब इसने राष्ट्रपतित्व संभाला। इसके सभी प्रमुख साथियों को इसके प्रथम मंत्रिमण्डल में महत्वपूर्ण पद (युद्ध, आन्तरिक, नौसेना व विदेश प्रसंग) प्रदान किये गये तथा अल्प महत्वपूर्ण पद क्रान्तिकारियों को सौंपे गये।

Kuomintang

चार नवीन दलों को सन् 1912 के ग्रीष्मकाल में Sun Yat-Sen के Tung-Meng Hui ny द्वारा मिला लिया गया ताकि Kuomintang अथवा राष्ट्रवादी दल नामक नवीन दल का निर्माण किया जा सके। एक अन्य महत्वपूर्ण राजद्रोही Sung Chaio-Jen ने दल को नियन्त्रित किया। यह जापान में पढ़ा था जहां इसने शासन के संसदीय रूप में अत्यधिक रुचि दर्शायी। यह अंतिम संविधान के उस प्रकार के पक्ष में था जिसमें शासन के निर्माण के 6 माहों में संसदीय निर्वाचन कराने होते हैं। Kuomintang को दिसम्बर में संसद में अधिकांश सीट मिलीं। Sung ने उत्तरदायी मंत्रिपरिषद् व दलों की सहायता से Yüan की बढ़ रही शक्ति पर अंकुश लगाने का वचन दिया। जब Yüan उत्कोच (घूस/रिश्वत) द्वारा Sung को जीत न सका तो Yüan ने 20 मार्च–1913 को उसकी हत्या करा दी जब वह नवीन संसद का कार्यभार ग्रहण करने पेचिंग जा रहा था। इस कृत्य से Yüan पर महाभियोग चलाया गया। प्रान्तों ने नवीन क्रान्ति आरम्भ कर दी ताकि पुनः गणतन्त्र जा सके परन्तु Yüan ने उन पर सरलता से नियन्त्रण कर लिया।

Yüan की निरंकुशता

Yüan ने संसद को विवश कर दिया कि इसे अक्टूबर–1913 में राष्ट्रपति के रूप में चयन कर लिया जाए। बाद में संसद ने Tien-t'an संविधान अपनाया जिसने राष्ट्रपति–प्रणाली की अपेक्षा संसद की मंत्रिमण्डल प्रणाली का पक्ष लिया। इस कारण Yüan ने संसद को स्थायीरूपेण भंग कर दिया। अतः Yüan Shih-Kai सन् 1914 के आरम्भ तक चीन का निरंकुश शासक बना रहा। Sun Yat-Sen जापान पलायन कर गया एवं Kuomintang को एक राज–दल के रूप में विलग कर दिया गया/इसने स्वयं को विलग कर लिया। Yüan चीन का सम्राट बनना चाहता था।

इस महत्वाकांक्षा को लिये इसने प्रथम व द्वितीय क्रान्ति पर विराम लगा दिया। जापान के प्रधानमंत्री Okuma ने अपनी चिंता जतायी कि यदि चीन द्वारा संवैधानिक राजतन्त्र अपनाया गया तो जापानी व चीनी सम्बन्धों के लिये श्रेयस्कर रहेगा। Yüan के अमेरिकी परामर्शदाता फ्रैंक गुड ने आलेखों की एक श्रृंखला लिखी व प्रकाशित की जिनमें व्याख्या की गयी थी कि चीन जैसे देश के लिये रिपब्लिकन प्रणाली उपयुक्त न थी।

नेशनल पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ने 20 नवम्बर–1915 को राजतन्त्र के पक्ष में मतदान किया एवं प्रान्तीय प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा बुलाये जाने पर Yüan स्वयं चीन का आधिकारिक सम्राट बन बैठा। वैसे यथार्थता में Yüan को चीन में राजतन्त्र–विरोधी भावनाओं की तीव्रता का बोध नहीं था। इनमें से सर्वाधिक आवेगपूर्ण थे– प्रान्तीय गवर्नर्स एवं सैन्य नेता। सेनाध्यक्ष Ts'ai वह प्रथम व्यक्ति था जिसने Yunnan प्रान्त में प्रथम क्रान्ति का उद्घोष किया। धीमे–धीमे अधिकाधिक प्रान्तों ने क्रान्ति में भाग लेना आरम्भ कर दिया एवं Yüan को सम्राट बनने का स्वप्न सन् 1916 में मार्च के अन्त में छोड़ना पड़ा। वैसे प्रान्तों ने आगे बढ़ना जारी रखा तथा Yüan अकेला पड़ गया व इसे नीचा देखना पड़ा एवं जून में मूत्ररक्तदोष (uraemia) से इसकी मृत्यु हो गयी। इसकी मृत्यु के सापेक्ष साम्राज्यी चीन का अन्तिम स्वप्न भी समाप्त हो गया।

Period of Warlordism (1916–1927)

Kuomintang के अन्त से गणतन्त्र बनने के चीनी स्वप्न का भी अन्त हो गया। राष्ट्रपति के रूप में Yüan के करियर के अन्तिम वर्ष में प्रान्तों के विलगन के कारण चीन को बहुत सारे प्रान्तों अथवा राज्यों में विभाजित कर दिया गया। इनमें से अधिकांश तो सैन्य नेताओं के नियन्त्रणाधीन थे। एक बड़ा प्रश्न यह उठा कि राष्ट्रपति के पद पर किसे बैठाया जाए। चीन में राजकीय परिस्थिति अव्यवस्था में धंसी थी। इस दौरान warlords ने पड़ोसी प्रान्तों के विरुद्ध आक्रामक नीतियां लादनी आरम्भ कर दीं। कारण साधारणतया तुच्छ व अतार्किक थे।

इस प्रकार चीन में अराजकता की अवधि आयी। उसी समय Sun Yat-Sen ने दक्षिण में अपने बलों को सुदृढ़ करना आरम्भ कर दिया किन्तु इसके प्रयास सफलता से दूर थे। इसने अपने दल को चीनी राष्ट्रवादी दल (Chung-kuo Kuo-min-tang) में परिणत कर लिया। यह केण्टोन के प्रान्त के अपने अभिग्रहण में आगे बढ़ा एवं वहां इसने गणतन्त्र शासन स्थापित किया। तदुपरान्त इसने अपने शासन को चीन का राष्ट्रीय शासन घोषित किया, यह warlord के शासन के विरुद्ध डटा रहा जो उस समय बीजिंग में सत्तारूढ़ था। सन् 1924 में Sun Yat-Sen की मृत्यु हो गयी। उसका स्वप्न इसलिये विफल रहा क्योंकि चीन अराजकता व अव्यवस्था में धंस चुका था। जिस गणतान्त्रिक क्रान्ति को इसने अपना जीवन सौंप दिया उसने चीन को अनेकता व हिंसा में ढकेल दिया। वैसे इसका स्वप्न अभी समाप्त नहीं हुआ। सन् 1926 में Chiang Kai-Shek नामक एक युवा सेनापति (जो कि Sun की दूरदर्शिता के प्रति गहनता से समर्पित था) ने warlord के शासन को सत्ताच्युत करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे।

चीन के वर्तमान संविधान की विशेषताएं

चीन के वर्तमान संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

- संक्षिप्त प्रलेख
- समाजवादी स्वरूप
- कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्चता
- जनता का संप्रभुत्व
- एकजुट बहुराष्ट्रीय राज्य
- व्यक्तिगत सम्पत्ति की अनुमति
- लिबरेशन आर्मी की विशेष भूमिका
- अधिकारों व दायित्वों के खण्ड
- लोकतान्त्रिक केन्द्रीयवाद
- एकसदनीय विधायिका
- संविधान का आमुख।

चीन में राजकीय परम्पराएं

विश्व के सबसे पुराने अनवरत् राजकीय तन्त्रों में से एक चीन ऐसे असाधारणरूपेण उन्नत राजकीय समुच्चय के रूप में विकसित हुआ है जिसने पूरे विश्व में राजकीय परिवर्तन को प्रेरित किया। चाहे पहले विदेशी शासनाधीन चीनी जीवन में तीव्र परिवर्तन देखे गये हों फिर भी चीनी जीवन अनुमान–योग्य था। यह चीनी सभ्यता के एक शक्तिशाली अक्रिय बल का संकेत था– समाज का विस्तार एवं उसकी जनता व संस्कृति दोनों की उत्तरजीविता। निम्नांकित अनुभागों में चीन में राजकीय परम्पराओं के इतिहास की झलक मिलती है–

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कन्फ्यूशियन पार्टी होने का दावा खुलकर कभी नहीं किया। वस्तुतः पार्टी संविधान में कहा गया है कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ जेओंग विचार आधिकारिक दल–विचारधाराएं हैं।

कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स चीन में निश्चय ही सबसे लोकप्रिय पाश्चात्य लेखक हैं। इनका तर्क था कि मानव–इतिहास का संचालन कामगार वर्ग व शासक वर्ग (ऐतिहासिक भौतिकवाद) के मध्य संयुक्त खींचतान द्वारा किया जाता रहा है। प्रथम का सम्बन्ध उन्नत ज्ञान व राजसत्ता में साझेदारी करने की इच्छा से है जबकि द्वितीय का सम्बन्ध ऐसे किसी भी परिवर्तन का विरोध करने से है जो यथास्थितिवाद के लिये ख़तरा हो सकता हो। पूंजीवाद में कामग़ार वर्ग को सम्पत्ति–स्वामियों द्वारा अनुचित सम्पदा–वितरण के माध्यम से उत्पीड़ित किया जाता है।

मार्क्स और एंगल्स ने कामगार वर्ग से आह्वान किया कि पूंजीवादी प्रणाली को उखाड़ फेंकें एवं साम्यवादी समाज की रचना करें जहां उत्पादन के साधन सार्वजनिक स्वामित्व में हों एवं जहां सामाजिक विभाजन को समता से प्रतिस्थापित किया गया हो।

साम्यवाद के सिद्धांतों व समाजवादी क्रान्ति से चीनी साम्यवादी नेता Mao Zedong प्रेरित हुए जो रूसी क्रान्ति के समानान्तर चीन के आधुनिकीकरण की ओर एक दृश्य पथ की खोज का प्रयास कर रहे थे। भले ही माओ ने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद व सामाजिक क्रान्ति के बारे में मूलभूत मार्क्सवादी व लेनिनवादी विचारों को स्वीकारा फिर भी चीनी क्रान्ति मार्क्सवाद व लेनिनवाद से कई प्रकारों से भिन्न थी– प्रथमः चीन के दुर्बल औद्योगिक आधार के कारण चीनी क्रान्ति का अधिकांश भाग ग्राम्य क्रान्ति के रूप में था जिसमें किसानों ने संघर्ष किया, यह कामगारवर्ग क्रान्ति नहीं थी; द्वितीयः चीनी क्रान्ति एक जन–आंदोलन थी जिसमें माओ व उसके कॉमरेड्स ने अधिकांश निर्धनों को प्रत्यक्षतया अपनी ओर आकर्षित किया।

चीनी क्रान्ति के इन लक्षणों को वर्ष 1957 के दौरान दक्षिणपंथियों के विरुद्ध आंदोलन में माओ की विरोधी स्थापनावादी प्रवृत्तियों में एवं वर्ष 1958 में Great Leap Forward में भी दोहराया गया। Populism ने लोकसेवकों, प्रौद्योगिकी एवं मध्यवर्ती संस्थानों (जैसे कि निर्वाचनों, विधि के शासन एवं नागरिक समाज हेतु आवश्यक तत्वों) द्वारा निभायी भूमिका को हतोत्साहित किया।

माओवाद व मार्क्सवाद–लेनिनवाद के मध्य अन्य अन्तर था– 'continuing revolution under the proletarian dictatorship' की अवधारणा। माओ ने चीन को

याद दिलाया कि उसे साम्यवादी विजय के बाद अपनी क्रान्ति जारी रखनी है। इसने चेतावनी दी कि क्रान्ति को जारी रखे बिना समाजवाद तो पूंजीवादी व सामन्ती विचारों के आगे ढह जाएगा। इसीलिये सांस्कृतिक क्रान्ति (1966–76) नौकरशाही नियन्त्रण के विरुद्ध समाजवादी पथ पर चीन को बनाये रखने के लिये लड़ा गया माओ का अन्तिम प्रयास था।

आज कम से कम 70 प्रतिशत् माओवादी सिद्धांतों को आधिकारिकतया सही माना गया है जबकि 30 प्रतिशत को सही दृष्टिकोण नहीं माना गया। उसके आमूल–चूल अभियानों को सामाजिक, आर्थिक व राजकीय मानकों द्वारा मापा जाता है। माओ के बाद के नेताओं ने इस स्थिति के विपरीत विचारधारा में यथार्थवादी उपागम अपनाया। अब भी/फिर भी मार्क्सवाद का दावा करते हुए लेनिनवाद व माओवाद (इसकी आधिकारिक विचारधाराओं के रूप में) में कम्युनिस्ट पार्टी ने विचारधारागत अभियानों से अपना मुख्य केन्द्र चुपचाप हटाते हुए आर्थिक विकास को प्रेरित करने व बाज़ार–कार्यविधियों के कार्यान्वयन की ओर कर लिया।

सांस्कृतिक क्रान्ति

चीन में सन् 1966 व सन् 1976 के मध्य महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति घटित हुई। पूरे देश के लोगों ने माओ व अन्य कट्टर नेताओं द्वारा आह्वान किये जाने पर समस्त स्तरों पर दलीय एवं राज्य नौकरशाह संस्थानों को उखाड़ फेंकने में सहभागिता की। श्रमिकों, किसानों, सैनिकों व कामगारवर्ग की पारिवारिक पृष्ठभूमियों के कट्टर महाविद्यालयीन शिक्षार्थियों (रेड गाड्र्स) ने राजसत्ता पर नियन्त्रण कर लिया। बुद्धि जीवियों, प्रबन्धकों, प्रशासकों व व्यवसायियों की निन्दा की गयी एवं इन्हें पुनर्शिक्षा शिविरों में भेजा गया। आमूल–चूल समतावादी सुधारों को औद्योगिक प्रबन्धन, कृषि उत्पादन, पारिश्रमिक वितरण, शिक्षा, चिकित्सात्मक देख–रेख, पारिवारिक सम्बन्धों एवं विवाह में क्रियान्वित किया गया।

सन् 1976 में सांस्कृतिक क्रान्ति का अन्त हुआ जब माओ की मत्यु हुई एवं कट्टर नेताओं को अभिरक्षित (गिरफ़्तार) कर लिया गया। मानव–इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं में बहुत सारे लोग भागीदार रहे एवं उनके जीवन के कई पहलू प्रभावित हुए। माओ व उसके कट्टर अनुयायियों के लिये सांस्कृतिक क्रान्ति का प्रयोजन हस्तक्षेप से इन्कार एवं चीन को समाजवादी क्रान्ति के उपयुक्त पथ पर रखना था। माओ ने देखा कि चीन की समाजवादी व्यवस्था को कम से कम इन तीन स्रोतों से खतरा था–

(i) **सामन्तवादः** इसमें सामाजिक पदानुक्रम की मान्यताएं सम्मिलित हैं।

(ii) **पूंजीवादः** पश्चिम की ओर आया एक ख़तरा जिसमें व्यक्तिवाद, धनवाद, शोषण इत्यादि सम्मिलित हैं।

(iii) **संशोधनवादः** सोवियत खतरा जिसमें सोवियत–प्रशिक्षित टेक्नोक्रेट्स एवं उनकी सोवियत–समर्थक व संभ्रान्तवादी अभिवृत्ति सम्मिलित है।

कुछ का तर्क है कि सांस्कृतिक क्रान्ति का प्रयोजन विचारधारागत शुद्धता को पाना नहीं था अपितु व्यक्तिगत सत्ता पाने के लिये माओ की महत्वाकांक्षा की

पूर्ति करनी था। वैसे विचारधारागत विषयों व व्यक्तिगत सत्ता को सरलता से पृथक् नहीं किया जा सकता। कई लेखकों ने चीनी क्रान्ति को आधुनिक चीनी इतिहास में सांस्कृतिक क्रान्ति के 'अंधकाल' के रूप में दर्शाया। वह अवधि आर्थिक विपदा की थी। माओ ने राजकीय संघर्ष पर ज़ोर दिया एवं आर्थिक बढ़त की अनदेखी कर दी। व्यवसायियों व प्रशासकों की पुनर्शिक्षा को भी प्रतिभा की बर्बादी कहा गया। सांस्कृतिक क्रान्ति राजकीय विपदा भी थी। इसने माओ के अंधसमर्थन व व्यक्तित्व के पंथ के विकास का पक्ष लिया।

इससे चीन एक भीड़–मानसिकता वाला देश बन गया एवं राजकीय व्यवस्था व राज–संस्थानों के प्रति गहन अविश्वास छा गया। चीन की भावी राजकीय स्थिरता पर तो ख़तरा आया ही एवं साथ ही साथ व्यक्तिगत शासन पर आधारित निरंकुश तन्त्र को हटाकर अब लोकतन्त्र ला दिया गया जिसमें व्यक्ति विशेष और नेताओं के स्थान पर संस्थान अधिक महत्वपूर्ण माने जाने लगे।

सांस्कृतिक क्रान्ति से विचारधारागत शून्यत्व छा गया। इससे परम्परागत चीनी मूल्य, पाश्चात्य उदारवादी लोकतान्त्रिक विचार व सोवियत शैली का समाजवाद तो उजड़ ही गया एवं साथ ही में समाजवाद संग कटुता भी पनप गयी। सांस्कृतिक क्रान्ति एक सांस्कृतिक विपदा भी थी। रेड गार्ड्स ने कई ऐतिहासिक निशानियों का नाश कर दिया एवं पारम्परिक कला व साहित्य के कई कार्यों को प्रतिबन्धित कर दिया गया।

आधिकारिक चीनी शासन के दृष्टिकोण (चीनी क्रान्ति के प्रति) में नकारात्मक परिणामों पर ज़ोर था। सांस्कृतिक क्रान्ति का एक परिणाम (जैसा कि अपेक्षित था) यह रहा कि यह आभिजात्यों व जनता के मध्य की खाई को पाटने में सफल रही।

वर्तमान नेता (जो यथार्थता के धरातल पर भी काम करते हैं) को चीनी जनता के बहुमत की बेहतर समझ थी। सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान प्रबन्धन में जिन श्रमिकों, किसानों व सैनिकों ने भाग लिया था उन्होंने राजकीय कौशल अर्जित किये व राजकीय दक्षता का भाव विकसित किया। जिन लोगों ने सांस्कृतिक क्रान्ति का विरोध किया था उनमें से अधिकांश बुद्धिजीवी व राजकीय अभिजात्यवर्गों से आये व्यक्तियों का एक छोटा–सा समूह था। वस्तुतः कई जनसाधारण सांस्कृतिक क्रान्ति से लाभान्वित हुए।

अपनी प्रगति जांचिए

1. यूरोपियन सत्ताओं द्वारा किस पर बॉक्सर प्रोटोकॉल्स थोप दिए गए?

   (क) पाकिस्तान (ख) चीन

   (ग) नेपाल (घ) जापान

2. रेलवे को राष्ट्रीयकृत करने की नीति से उत्तेजित छात्र कब सड़कों पर उतर आये?

   (क) 24 अगस्त, 1911 को (ख) 20 अगस्त, 1959 को

   (ग) 15 अगस्त, 1947 को (घ) 24 अगस्त, 2011 को

4.3 चीन की राज्य संरचना

जनवादी गणराज्य चीन का राष्ट्रपति समूचे विश्व में सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाता है। इसकी शक्तियों को बहुधा अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियों के समतुल्य माना जाता है। जनवादी गणराज्य चीन के राष्ट्रपति का चयन राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है। यह कार्य सन् 1954 के संविधान द्वारा निर्धारित किया गया था। सन् 1954 में Mao Zedong को राष्ट्रीय जन कांग्रेस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।

इतिहास

Mao Zedong निःसंदेह 1949–57 की पूरी अवधि तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का निर्विरोध नेता रहा। पार्टी में माओ की वर्चस्वपूर्ण स्थिति 1940 के दशक के मध्य तक निर्विवाद पहले से थी। माओ तो मुख्य व्यक्तित्व पंथ का व्यक्ति था ही किन्तु सन् 1943 तक इसके अग्रणी सहकर्मियों ने भी इसकी वादात्मक क्षमताओं का लोहा मान लिया। सन् 1945 में 'the thought of Mao Zedong' को चीन के नवीन संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया। इसके आगे समेकित नेतृत्व पर पार्टी नियमों के ज़ोर के बावजूद माओ को किन्हीं प्रकरणों में एकांगी कार्य करने की औपचारिक शक्तियां प्रदान की गयीं।

माओ की द्रुतगति से बढ़ रही शक्तियों का आधार दल की उन रणनीतियों व नीतियों की सफलता थी जो सन् 1937 में चीन–जापान युद्ध आरम्भ किये जाने के उपरान्त लायी गयीं जिनमें इसने किसी अन्य नेता से अधिक प्रभाव जमाया। इन रणनीतियों व नीतियों की निश्चयात्मक सफलता से आगे इसकी चरम सत्ता सन् 1945 से सन् 1949 तक आगे बढ़ी। सन् 1949 की विजय ने दल में ऐक्य को बहुत बढ़ा दिया था एवं इससे माओ की सत्ता भी ठोस हुई। उस विजय के आधार पर माओ लगभग एक आदर्श आकर्षक नेता बन चला जिसकी असाधारण योग्यताओं को सफलता की कुंजी के रूप में मान्य किया गया एवं वह नवीन राजवंश का आदर्श संस्थापक भी कहलाया।

माओ की शक्ति 1949–57 अवधि में उसकी बड़ी पहलों द्वारा और बढ़ती गयी। लगता है इन वर्षों में इस नेता ने ये पहलें तीन ही अवसरों पर कीं– पहलाः अक्टूबर–1950 में– कोरिया में अमेरिकन बलों द्वारा उत्तर की ओर चढ़ाई से चीन की प्रतिक्रिया के सन्दर्भ में, इस अवसर पर माओ उन लागतों व ख़तरों के विषय में अपने अधिकांश सहयोगियों द्वारा जतायी शंकाओं को कुचलता प्रतीत हो रहा था। इसने अपनी सहमति जतायी व युद्ध करने के लिये चीनी सैन्यदल लगा दिये। भले ही कोरिया में चीन के इस अभियान की चीनी कीमत बड़ी चुकानी पड़ी हो फिर भी लाभ ये रहे कि सुरक्षा व अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को इन लागतों से अधिक बड़े रूप में व्यापक रूप से अभिमान्य किया गया। इससे राजकीय परिदृश्य में माओ की प्रतिष्ठा सुदृढ़ हुई।

दूसरी कड़ी में इस नेता ने सन् 1955 के मध्य में कृषि–सहकार की गति बढ़ाने की पहल की (वृद्धि–दर बढ़ाने के लिये कुछ माह पहले किये गये आधिकारिक

निर्णय के बावजूद)। सन् 1956 के अन्त तक संयुक्तता की मूलभूत उपलब्धि हुई, एक बार फिर माओ की दूरदर्शिता दिखायी देने लगी। दल में बौद्धिक आलोचना पर विजय पाने की दिशा में माओ के प्रयास 1956–57 में Hundred Flowers Movement के माध्यम से भी सफल न हुए। अब भी इसकी प्रतिष्ठा को क्षति मध्य–1957 में इसकी स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन द्वारा न्यूनतम रही। आरम्भिक अवधि में व्यापक उपलब्धि व कोरियन अभियान की विशिष्ट सफलताओं से माओ की स्थिति सुदृढ़ होती गयी।

इस नेता के सामर्थ्य को इस प्रकार समझा जा सकता है कि इसने अपनी कार्यवाहियों में नेतृत्व को दो मोर्चों में विभाजित किया। इन व्यवस्थापनों के अधीन माओ 'दूसरे मोर्चे' की ओर पीछे हट गया जहां यह वाद व समूची नीति के विषयों में चिंतन करने में समय लगाने में सक्षम था। ऐसे कदमों से इंगित होता है कि आत्मविश्वास का स्तर उच्च था एवं इसके नेतृत्व में काफ़ी भरोसा भी था।

माओ की निर्विरोध सत्ता अभिजात्य स्थिरता के समूचे ढांचे में मुख्य थी। निर्णायक पहलों के अतिरिक्त माओ ने उस समय अन्तिम विवाचक (पंच) की भूमिका भी निभायी जब उसके सहयोगी सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचकर नीतिगत विवादों में उलझते थे।

चाहे माओ की सत्ता ने नेतृत्व–ऐक्य को सम्भव बनाया हो परन्तु किसी भी प्रकार से ऐक्य सुनिश्चित नहीं किया गया। माओ के अनुमान–अयोग्य व्यवहार से तत्कालीन अभिजात्य तनाव और बढ़ जाया करते थे। 1949–57 की अवधि के दौरान माओ ने अपने प्रयासों की दिशा अभिजात्यों में ऐक्य बढ़ाने की ओर कर दी– एकीभूत् नेतृत्व के मानकों का अनुपालन करते हुए। नेतृत्व हेतु कसौटी के रूप में योग्यता व उपलब्धि पर ज़ोर देते हुए इसका व्यापक क्रियान्वयन किया गया। दूसरों के विपरीत– माओ ने अपने सहकर्मियों में मनमुटाव नहीं लाया, न ही यह मांग की कि उसके संग उनकी घनिष्ट गुटीय कड़ियां हों।

भले ही माओ ने समेकित नेतृत्व का अधिकार सुरक्षित रखा हो परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सरल बहुमत को शासन करने का अधिकार मिल जाता। 1950 के दशक के आरम्भ व मध्य में नीतियों का आधार साधारणतया भांति–भांति के कारकों को बनाया जाता था। निर्णय करते समय समस्त तत्सम्बद्ध अधिकारियों से विचार–विमर्श किया जाता था।

राष्ट्रपति, उसके कार्य व उपराष्ट्रपति

राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा जनवादी गणराज्य चीन के राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। इसी निकाय के द्वारा उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया जाता है। चीन के वे नागरिक जो 45 वर्षायु पूर्ण कर चुके हैं व जिनके पास मताधिकार है वे राष्ट्रपति–निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में उतरने के पात्र हैं। PRC के कार्यालय में राष्ट्रपति का कार्यकाल NPC के कार्यकाल के समान होता है। इसका कार्यकाल दो क्रमिक कार्यकालों से परे नहीं बढ़ाया जा सकता।

PRC के राष्ट्रपति ने NPC की स्थायी समिति के निर्णयों के अनुरूप प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ मिनिस्टरीज या कमीशन, स्टेट काउंसलर,

ऑडीटर जनरल ऑफ द स्टेट काउंसिल को कार्यभार सौंपा व निष्कासित किया। यह संविधियों को प्रख्यापित करता है, क्षमा के आदेश जारी करता है, वैवाहिक विधि उद्घोषित करता है, युद्ध की अवस्था की घोषणा करता है एवं भर्ती–आदेश भी घोषित करता है।

NPC की स्थायी समिति के मूल्यांकनों का अनुकरण करते हुए PRC की ओर से विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डल चीनी राष्ट्रपति से मिलते हैं। ये कार्य विदेशों संग सम्पन्न किये जाते हैं। चीनी उप–राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को सहायता की जाती है। PRC का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों व प्राधिकारों के प्रभागों का क्रियान्वयन कर सकता है जो कि इसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गये हों। चीनी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सहित तब तक अपनी समस्त शक्तियों व प्राधिकारों का कार्यान्वयन करता है जब तक कि आगामी NCP निर्वाचन नहीं कराये जाते एवं नवीन राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं कर लिया जाता एवं ये अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेते।

जिस परिस्थिति में PRC का राष्ट्रपति–पद रिक्त हो तब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति–पद स्वमेव प्राप्त हो जाना मान लिया जाता है।

यदि उपराष्ट्रपति–पद रिक्त हो तो NCP द्वारा उसके पद को पूर्ण करने के लिये नवीन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। NCP की स्थायी समिति के चेयरमेन द्वारा अन्तिम अवधि के लिये चीन के राष्ट्रपति का कार्य किया जाएगा।

4.3.1 व्यवस्थापिका

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की चीनी सरकार में महत्वपूर्ण स्थिति है। यहां इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है–

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की संरचना

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस–एनसीपी पीपुल्स रिपबिल्क ऑफ चाइना की केंद्र सरकार का आवश्यक अंग है। इसके विशिष्ट स्वरूप और महत्व के कारण इसे सेंट्रल पीपुल्स गवर्नमेंट के अंगों में से एक माना जाता है। 1954 के संविधान के तहत नेशनल पीपुल्स कांग्रेस को काफी अधिकार दिए गए हैं, और यह राज्य की सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था और चीन की एकमात्र विधायी संस्था है। धारा 59 के अनुसार, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों, और नगरपालिकाओं से प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के तहत और सशस्त्र सेनाओं द्वारा गठित होती है।

प्रतिनिधि (डेप्यूटी) का कार्यकाल चार साल का होता है जिसे नई कांग्रेस के प्रतिनिधियों का चुनाव न हो पाने की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। जब कोई प्रतिनिधि अपना कर्तव्य निभाने में अक्षम होता है तो उसकी चुनावी इकाई में उपचुनाव के जरिए उसका स्थान भरा जाता है। नया प्रतिनिधि इस तरह से चुना जाता है कि वह पूर्व के प्रतिनिधि के बचे कार्यकाल को पूरा करे। इन प्रतिनिधियों को कांग्रेस से या कांग्रेस अवकाश पर हो तो उसकी स्थायी समिति से अनुमति लिए बिना पुलिस हिरासत में नहीं लिया जा सकता और न ही मुकदमा चलाया जा सकता है।

इसके अलावा, उनकी निगरानी वे इकाइयां भी करती हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, और कानून की सहमति से उन्हें विस्थापित किया जा सकता है। ये प्रतिनिधि पीपुल्स कांग्रेसों या उनकी स्थानीय इकाइयों की बैठकों में उपस्थित रह सकते हैं।

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की एक स्थायी समिति और कुछ अन्य समितियां भी होती हैं। कांग्रेस का सालाना सत्र स्थायी समिति बुलाती है जो कि प्रतिनिधियों के विशेष सत्र भी बुला सकती है। कांग्रेस की बैठकें अध्यक्ष मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा संचालित होती हैं, जो कि सत्र के आरंभ में प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। हर सत्र में कांग्रेस अपना सचिवालय स्थापित करती है जो कि महासचिव के निर्देश के तहत होता है। वह कांग्रेस के रोजमर्रा के कामकाज का संचालन करता है।

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के कार्य

एनपीसी के निम्न अधिकार और दायित्व होते हैं :

- संविधान का क्रियान्वयन कराना और उसमें संशोधन करना।
- कानून बनाना।
- पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के अध्यक्ष और प्रोक्यूरेटॉर जनरल का चुनाव करना।
- पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष की अनुशंसा पर स्टेट काउंसिल के प्रीमियर, राष्ट्रीय रक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और सदस्यों को चुनना।
- प्रीमियर के अनुमोदन पर स्टेट काउंसिल के घटक सदस्यों का निर्धारण करना।
- कांग्रेस द्वारा निर्वाचित या नियुक्त अधिकारियों को उनके पद से हटाना।
- स्टेट बजट और वित्तीय रिपोर्ट का अध्ययन करना और मंजूरी देना।
- स्टेट काउंसिल के जिम्मेदार अधिकारियों या इसके मंत्रियों और आयोगों को निलंबित करना।
- राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं, आम जीवनदान और युद्ध तथा शांति से संबंधित प्रश्नों पर फैसला करना।
- प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगरपालिकाओं के दर्जों और सीमाओं को मंजूरी देना, जो केंद्रीय प्राधिकरण के प्रत्यक्ष अधीन होते हैं।
- वे कार्य और दायित्व पूरे करना जिन्हें कांग्रेस द्वारा गैर जरूरी समझा जाता है।

सर्वोच्च अधिकार संस्था होने के नाते नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की सत्ता तकरीबन असीमित है, तथापि व्यवहार में इस पर कम्युनिस्ट पार्टी हावी है और वास्तव में राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था वही है।

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति

स्थायी समिति नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी संस्था है और यह इसी के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है। इसमें एक अध्यक्ष और कई सारे उपाध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। उनका चयन कांग्रेस करती है और नई कांग्रेस द्वारा नई समिति चुने जाने तक पहली वाली समिति

काम करती रहती है या उसे दोबारा भी चुना जा सकता है। अध्यक्ष ही स्थायी समिति की बैठकों की निगरानी करता है। प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं।

पहली नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 27 सितंबर, 1954 को स्थायी समिति चुनी थी, जिसमें एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष और पैंसठ सदस्य थे। लीयू शाओ–ची इसके अध्यक्ष चुने गए थे। विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का समिति में प्रतिनिधित्व था। स्थायी समिति के अधिकार और कार्य निम्नानुसार होते हैं–

- नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुनना।
- अगली नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का आयोजन करना।
- कानून बनाना और आदेश जारी करना।
- स्टेट काउंसिल, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट और सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट के कार्यों का संचालन करना।
- स्टेट काउंसिल के उन निर्णयों और आदेशों को निरस्त करना जो संविधान, कानूनों या आदेशों के विपरीत हों।
- प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगरपालिकाओं के अस्पष्ट वार्षिक निर्णयों में संशोधन करना जो कि सीधे केंद्रीय प्राधिकरण के तहत आते हों।
- जब कांग्रेस का सत्र न चल रहा हो तब स्टेट काउंसिल के उप–प्रीमियर, मंत्री, आयोग अध्यक्ष या महासचिव की नियुक्ति करना या हटाना।
- सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के उपाध्यक्षों, न्यायाधीशों, डिप्यूटी प्रोक्यूरेटर्स जनरल, प्रोक्यूरेटर्स और न्यायिक समिति के अन्य सदस्यों को तथा सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट की प्रोक्यूरेटॉरल कमेटी की नियुक्ति करना या उन्हें बर्खास्त करना।
- विदेशों में राजनयिक प्रतिनिधियों के चयन या उन्हें वापस बुलाने के निर्णय करना।
- सैन्य, राजनयिक और अन्य विशिष्ट खिताबों और रैंकों को लागू करना।
- स्टेट ऑर्डर्स के पुरस्कारों, पदकों और मानद खिताबों की स्थापना और चयन
- माफी देने से संबंधित मामलों पर निर्णय करना।
- जब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का सत्र न चल रहा हो तब उसकी ओर से निर्णय लेना।
- विदेशी आक्रमण या सामूहिक प्रतिरक्षा की संधियों के कारण युद्ध की स्थिति घोषित करने का निर्णय लेना।
- मार्शल लॉ लगाने या आंशिक या आम तैनाती के निर्णय लेना।
- नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से मिले अन्य कार्यों और अधिकारों का इस्तेमाल करना।

अन्य जांच समितियां और आयोग

स्थायी समिति के अलावा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के पास राष्ट्रीयता समिति, विधेयक समिति, बजट समिति, प्रमाणन समिति और अन्य जरूरी समितियां होती हैं। एनपीसी कुछ विशिष्ट मामलों की जांच भी जांच आयोग बनाकर हाथ में ले सकती है। अगर इसका

सत्र नहीं चल रहा हो तो यह काम स्थायी समिति ही करती है। राष्ट्र के सभी विभाग, जन संगठन और नागरिकों को अनुरोध किए जाने पर जरूरी जानकारी इन आयोगों को देनी होती है। अगर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का सत्र जारी नहीं है तो स्थायी समिति राष्ट्रीयता समिति और विधेयक समिति को निर्देश देती है।

हर समिति में एक अध्यक्ष और कुछ उपाध्यक्ष और अन्य संबंधित सदस्य होते हैं। विधेयक समिति, बजट समिति और प्रमाणन समति का स्वरूप तो स्वतः स्पष्ट है, जबकि राष्ट्रीयता समिति को अतिरिक्त अलंकरण की जरूरत होती है। इन समितियों के दो कार्य निम्नानुसार हैं–

(i) राष्ट्रीयताओं के मामलों से संबंधित उन विधेयकों की जांच करना, जो कि कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा भेजे गए हों।

(ii) स्थायी समिति द्वारा विभिन्न स्वायत्तत इकाइयों की मंजूरी के लिए भेजे गए स्वायत्तता से जुड़े कानूनों और नियमों की पड़ताल करना।

स्टेट काउंसिल

स्टेट काउंसिल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्राधिकरण है। हालांकि स्टेट काउंसिल की साधारण संरचना सरकारी प्रशासनिक परिषद के समान ही होती है, लेकिन दोनों विभागों में कुछ अंतर भी है। प्रीमियरों और मंत्रियों के बीच की मध्यवर्ती समितियां नहीं हैं। न ही बिना विभाग के परिषद सदस्यों का प्रावधान है। यह अंतर उपाध्यक्षों, मंत्रियों और आयोगों की संख्या में भी दिखता है। स्टेट काउंसिल कुछ मायनों में सोवियत काउंसिल ऑफ द पीपुल्स कांग्रेस के समान है, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट सरकार मंत्रियों और आयोगों के परंपरागत तरीके को जारी रखे हुए है।

हालांकि, स्टेट काउंसिल के कामकाज की निगरानी और देखभाल प्रीमियर करता है लेकिन कोई भी प्रस्ताव काउंसिल की पूर्ण बैठक या कार्यसमिति की बैठकों में रखा और पारित किया जाता है। पूर्ण बैठकें आमतौर पर माह में एक बार होती हैं। उनमें प्रीमियर, उप–प्रीमियर, महासचिव, मंत्री और आयोगों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। कार्यसमिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्य केवल प्रीमियर, उप प्रीमियर और महासचिव ही होते हैं जो कथित तौर पर आंतरिक कैबिनेट के सदस्य होते हैं।

स्टेट काउंसिल के अधिकार और दायित्व

स्टेट काउंसिल के अधिकार और दायित्व निम्नानुसार होते हैं–

- प्रशासन से संबंधित उपायों को स्वीकार करना, निर्णय और आदेश जारी करना और उनका क्रियान्वयन करना।
- नेशनल पीपुस कांग्रेस या इसकी स्थायी समिति के पास विधेयकों को प्रस्तावित और अग्रेसित करना।
- परिषद के तहत मंत्रालयों और आयोगों, और देश भर में स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों का गठन और उन्हें काम के बारे में निर्देश देना।

- मंत्रालयों, आयोगों और स्थानीय प्रशासनिक विभागों के अनुचित निर्देशों और आदेशों में संशोधन करना या रद्द करना।
- राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और राज्य बजट के बिंदुओं का क्रियान्वयन।
- विदेशी मामलों के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार को निर्देशित करना।
- सांस्कृतिक, शैक्षणिक, और जनस्वास्थ्य कार्यों की निगरानी, साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों और विदेशों में बसे चीनी नागरिकों के मामलों की निगरानी।
- राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना।
- राष्ट्रीय रक्षा सेनाओं को मजबूत करना।
- स्वतंत्र प्रांतों, जिलों, स्वायत्त जिलों और नगरपालिकाओं के दर्जों और सीमाओं को मंजूरी देना।
- कानून के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना या उन्हें हटाना।
- स्टेट काउंसिल को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति से सौंपे गए अधिकारों और दायित्वो को पूरा करना।

1954 के संवैधानिक कानून के अनुसार, स्टेट काउंसिल को निम्न समूहों के प्रशासनिक कर्मचारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार है–

- स्टेट काउंसिल के उप महासचिव, उप मंत्री और मंत्रियों के सहायक, उप प्रमुख, आयोग, विभागों के प्रमुख और उपप्रमुख, तथा मंत्रालयों और आयोगों के तहत आने वाले ब्यूरो के निदेशक और उपनिदेशक।
- प्रांतों और नगरपालिकाओं के तहत आने वाले बोर्डों के प्रमुख और उप–प्रमुख, पीपुल्स काउंसिलों के निदेशक और उपनिदेशक।
- आयुक्त और विशेष प्रशासनिक कार्यालय।
- श्रेणी 2 और 3 के तहत सूचीबद्ध अधिकारियों के बराबर रैंक के स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारी।
- राजनयिक मिशनों के काउंसलर और महावाणिज्य दूत।
- राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
- उक्त रैंकों के अन्य संबंधित अधिकारी।

हालांकि, स्टेट काउंसिल को अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के बारे में व्यापक अधिकार हैं, लेकिन व्यवहार में स्थानीय स्तर के अधिकारियों के बारे में स्थानीय शासन परिषदें ही निर्णय करती हैं, जो अपनी रिपोर्ट स्टेट काउंसिल के पास प्रक्रियागत जरूरत के तहत सत्यापन के लिए भेजती हैं। आगे दी गई तालिका में पूर्व की नेशनल पीपुल्स कांग्रेसों की सदस्यता के बारे में बताया गया है।

तालिका पूर्व की नेशनल पीपुल्स कांग्रेसों की सदस्यता

Congress	Year	Total Deputies	Female Deputies	Female %	Minority Deputies	Minority %
First	1954	1226	147	12	178	14.5
Second	1959	1226	150	12.2	179	14.6
Third	1964	3040	542	17.8	372	12.2
Fourth	1975	2885	542	22.6	270	9.4
Fifth	1978	3497	653	21.2	381	10.9
Sixth	1983	2978	742	21.2	403	13.5
Seventh	1988	2978	632	21.3	445	14.9
Eighth	1993	2978	634	21	439	14.8
Ninth	1998	2979	650	21.8	428	14.4
Tenth	2002	2985	604	20.2	414	13.9

4.3.2 न्यायपालिका

सन् 1949 में नए चीन (न्यू चाइना) के गठन के बाद से रही चीन की न्यायपालिका में भारी सुधार हुए हैं। तभी से, देश विशिष्ट चीनी विशेषताओं से युक्त अपनी समाजवादी न्यायिक प्रणाली को बनाने की दिशा में रचनात्मक प्रयास कर रहा है। चीनी न्यायपालिका का उद्देश्य सामाजिक न्याय की सुरक्षा करना है और इंसानों के लिए कानून के शासन में महत्वपूर्ण योगदान देना है। न्यायिक प्रणाली राजनीतिक प्रणाली का एक मुख्य घटक है जबकि इसकी निष्पक्षता सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। देश लगातार उत्साहपूर्वक और व्यावहारिक रूप से हाल के वर्षों में न्यायपालिका में सुधारों को प्रोत्साहन दे रहा है, साथ ही इसके कामकाज के तरीकों में भी सुधार कर रहा है। संविधान के अनुसार, चीनी न्यायपालिका का उद्देश्य 'न्यायपालिका के कार्यों और अधिकारों के आवंटन को अनुकूलतम बनाना, मानवाधिकारों के संरक्षण को मजबूत करना, न्यायिक क्षमता में सुधार करना, और लोगों के न्यायाधिकरण के सिद्धांत को लागू करना' है। कड़ी चीनी विशेषताओं से युक्त मजबूत और निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में माना जाता है कि वह देश के आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए न्यायिक गारंटी उपलब्ध कराती है।

चीन की न्यायिक प्रणाली समाजवाद के प्राथमिक स्तर पर इसकी बुनियादी राष्ट्रीय परिस्थितियों के, जनता की लोकतांत्रिक तानाशाही की सरकारी प्रणाली के, और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की सरकारी प्रणाली के समतुल्य है। हालांकि, जैसे ही दुनिया के लिए देश को खोला गया है और समाजवादी बाजार में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई सारे सुधार लागू होना जारी है, वैसे ही लोगों के बीच कानून के शासन के बुनियादी सिद्धांत के व्यापक क्रियान्वयन की इच्छा और न्याय की मांग लगातार बढ़ी है। इसका अर्थ है कि देश के न्यायिक सिस्टम में कुछ और सुधार तथा विकास की जरूरत है।

प्रतिबद्ध न्यायपालिका

1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के साथ ही देश की न्यायिक प्रणाली में नया युग शुरू हुआ। देश में कानूनी व्यवहार की आधारशिला 1949 तक अस्थायी संविधान के तौर पर काम करने वाले चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कन्सल्टेटिव

कान्फ्रेंस के कॉमन प्रोग्राम ने और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सेंट्रल पीपुल्स गवर्नमेंट रखी थी, जो सितंबर 1949 में बनी थी। 1954 में बना संविधान, पीपुल्स कोर्ट ऑफ चाइना का संवैधानिक कानून और पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट्स ऑफ चाइना के संवैधानिक कानून समेत कई नियम और विनियम हैं जो संवैधानिक प्रणाली को और पीपुल्स कोर्ट्स और प्रोक्यूरेटोरेट्स के कामकाज को निर्धारित करते हैं। ये कॉलेजिएट पैनल, रक्षा, सार्वजनिक मुकदमा, लोक जूरी, कानूनी निगरानी, नागरिक मध्यस्थता की प्रणालियां स्थापित करने में भी मदद करते हैं और मूल रूप से देश की न्यायिक प्रणाली का ढांचा तैयार करते हैं।

1990 के दशक में समाजवादी देश को कानून के शासन के तहत लागने और इसे ठोस स्वरूप ले चुके कानून के सिद्धांतों के अनुरूप चलाने का विचार आया। देश में न्यायपालिका ने सामाजिक प्रगति, लोकतंत्र और कानून के शासन को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया के तहत अपने को फिर से गठित करना जारी रखा। 1950 के दशक के आखिर तक और खासतौर पर 1966–1976 की उथल–पुथल भरी 'सांस्कृतिक क्रांति' के चरम पर पहुंचने के बाद, देश की न्यायपालिका को गंभीर झटके लगे। 1978 में जब सुधार लागू हुए तो चीन ने अपने ऐतिहासिक अनुभव को संजोया और समाजवादी लोकतंत्र को बढ़ावा देने तथा समाजवादी कानूनी ढांचे में सुधार करने पर सिद्धांत रूप में प्रतिबद्धता जताई। इस तरह से न्यायपालिका बहाल और पुनर्निर्मित हुई और बहुत सारे बुनियादी कानून दोबारा बनाए गए और संशोधित किए गए।

चीन की न्यायिक प्रणाली की बुनियादी विशेषताएं

चीन का बुनियादी न्यायिक अंग पीपुल्स कोर्ट है। संविधान ने सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, विभिन्न स्तरों पर स्थानीय अदालतों, के साथ–साथ सैन्य अदालतों जैसी विशेष अदालतों का भी प्रावधान किया है। इसके साथ–साथ दीवानी, फौजदारी और प्रशासनिक मुकदमों की सुनवाई भी कानून के अनुसार की जाती है। कानून प्रवर्तन संबंधी गतिविधियां भी अदालतों द्वारा चलाई जाती हैं जिनमें दीवानी और प्रशासनिक मुकदमों तथा राज्य मुआवजा का निपटारा शामिल होता है। न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर होने के कारण सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट बाकी सभी अदालतों और विशेष अदालतों के कामकाज की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। मूल रूप से जो भी अदालत ऊपर है, वह अपने अधीनस्थ अदालत की निगरानी करती ही है। मुकदमे की गतिविधियों के लिए देश अन्य बातों के अलावा, सार्वजनिक मुकदमों, कॉलेजिएट पैनल, चुनौती, लोक जूरी, बचाव और अंतिम के तौर पर दूसरे उदाहरण के निर्णय पर निर्भर करता है। चूंकि चीन समाजवादी देश है और कामगार वर्ग तथा कामगारों और किसानों के बीच गठबंधन के नेतृत्व में जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए पीपुल्स कांग्रेस की प्रणाली राज्य शक्ति का सबसे संवैधानिक रूप है। समाजवादी राज्य मानता है कि इसकी न्यायिक शक्तियां जनता से आती हैं, जनता के लिए आती है, और जनता की सेवा करती हैं। इस प्रकार, पीपुल्स कोर्ट और प्रोक्यूरेटॉरेट्स की स्थापना कई स्तरों पर कई गई है जो उनके प्रति जवाबदेह है और उनके द्वारा ही इनकी निगरानी होती है।

पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट अपने अधिकारों का उपयोग कानून के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक और निष्पक्षता से करता है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीनी जन राजनीतिक सलाहकार

परिषद और आम जनता इनके काम काज की निगरानी करती है। आपराधिक मामले जन अदालतों (पीपुल्स कोर्ट), पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट और जन सुरक्षा विभाग में उनके संबंधित कार्यों के अनुसार चलते हैं। हालांकि, कानूनों का शुद्धता से और सक्षमतापूर्वक लागू होना सुनिश्चित हो, इसके लिए इनसे अपेक्षा होती है कि ये आपस में तालमेल रखें। आपराधिक मामलों में विवेचना, हिरासत, गिरफ्तारी और पूर्व–जिरह जनसुरक्षा विभाग का काम है। वहीं दूसरी ओर, पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट की जिम्मेदारी प्रोक्यूरेटॉरल कार्य, गिरफ्तारी के प्रस्तावों को मंजूरी, प्रत्यक्ष स्वीकारे गए मामलों की विवेचना और सार्वजनिक अभियोग भी शुरू करने की होती है। पीपुल्स कोर्ट में केवल मुकदमों की सुनवाई होती है।

कार्यपालिका और विधायिका समेत सरकार की तीन शाखाओं में से एक होने के कारण न्यायपालिका की शाखा पीपुल्स कोर्ट प्रणाली की सभी गतिविधियों के बारे में है। चीनी अदालती व्यवस्था दीवानी कानून पर आधारित है जो कि जर्मनी और फ्रांस की कानूनी प्रणालियों की तर्ज पर है, लेकिन इसकी कुछ अपनी भी खासियतें हैं। मुख्य रूप से, हालांकि न्यायपालिका स्वतंत्र है और किसी भी तरह से अन्य प्रशासनिक शाखाओं या व्यक्तियों के प्रभाव या दखल से मुक्त है, फिर भी संविधान में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व पर जोर दिया गया है और उसका प्रावधान भी है। पूर्व एसपीसी अध्यक्ष झियाओ यांग ने 2007 में कहा था, 'स्वतंत्रतापूर्वक मुकदमा चलाने की अदालतों की शक्ति का मतलब यह नहीं कि वह पार्टी से हर तरह से स्वतंत्र है। इसके विपरीत, पार्टी की घोषणा के प्रति इसकी उच्च स्तर की जिम्मेदारी है।'

इससे चीन में न्यायपालिका के विस्तृत और संकीर्ण अर्थ को समझा जा सकता है। मोटे तौर पर न्यायपालिका से आशय कानून लागू करने वाली उन गतिविधियों से है जो न्यायिक विभागों और संगठनों द्वारा चलाई जाती हैं जो मुकदमों और गैर–मुकदमों के मामले देखती हैं। बारीकी से देखें, तो यह मुकदमों को निपटाने वाले देश के न्यायिक विभागों की कानून लागू कराने वाली गतिविधियों पर लागू होती हैं। इस प्रकार, यह शब्द ऐसे न्यायिक विभागों के लिए ही मोटे तौर पर इस्तेमाल होता है जो विवेचना, मुकदमा आदि के लिए जिम्मेदार जनसुरक्षा विभाग हैं। इनमें अभियोजक, अभियोजन संस्थाएं और हिरासत में लेने की व्यवस्था भी शामिल है। न्यायिक संगठनों से मतलब वकीलों, पब्लिक नोटरी, और स्वैच्छिक संगठनों से होता है। भले ही वे न्यायिक प्रक्रिया के अंग न हों, लेकिन समूची न्यायिक प्रक्रिया से उनके अभिन्न संपर्क रहते हैं। इस प्रकार, सामान्य तौर पर, न्यायिक प्रणाली से आशय न्यायिक विभागों और अन्य न्यायिक संगठनों के स्वरूप, मिशन, सांगठनिक संरचना, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से होता है। इसमें कुछ उप–प्रणालियां भी शामिल होती हैं जिनका इस्तेमाल विवेचना, अभियोजन, मुकदमों की कार्यवाही, जेल, न्यायिक प्रशासन, मध्यस्थता, वकील, पब्लिक नोटरी और सरकारी मुआवजों में किया जाता है।

प्रशासनिक प्रणाली सुरक्षा विभाग के एक अंग के रूप में होती है। हालांकि, शेष दो की रचना पीपुल्स कांग्रेस ने की होती है और कानूनी तौर पर उन्हें प्रशासनिक शाखा के समकक्ष ही कहा जाता है। पीपुल्स कांग्रेस अदालतों के अध्यक्षों और समान स्तर पर प्रोक्यूटॉरेट्स के प्रोक्यूरेटर–जनरलों की नियुक्ति करती है। दूसरी ओर, न्यायाधीशों और प्रोक्यूरेटॉरेटरों की नियुक्ति संबंधित पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समितियों

द्वारा की जाती है। उनके संबंधित कोर्ट और प्रोक्यूरेटॉरेट्स सहायक न्यायाधीशों और असिस्टेंट प्रोक्यूरेटॉरेटर्स की नियुक्ति करते हैं।

एक से ज्यादा तरीकों से और कड़ाई से, चीन की न्यायिक प्रणाली का आशय पीपुल्स कोर्ट प्रणाली से ही होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ ऑफ पीआरसी के अनुसार पीपुल्स कोर्ट, पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट और जनसुरक्षा विभाग को अपने काम अलग–अलग करना जरूरी होता है। शब्दशः इसका अर्थ यह होता है कि पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट और जनसुरक्षा विभाग न्यायिक अधिकार के प्रभारी होते हैं, हालांकि उनके न्यायिक अधिकार काफी सीमित होते हैं। इस तरह से मोटे तौर पर चीन की न्यायिक प्रणाली के तीन अंग हैं–पीपुल्स कोर्ट प्रणाली, पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट प्रणाली और जन सुरक्षा प्रणाली। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि चीन की न्यायिक प्रणाली का आशय केवल अदालतों से है, बल्कि इसमें प्रोक्यूरेटॉरेट और जनसुरक्षा विभाग भी शामिल हैं।

पीपुल्स कोर्ट

राज्यों की ओर से पीपुल्स कोर्ट उन न्यायिक विभागों के अंग है जो न्यायिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। चीन राज्य में अदालतों की प्रणाली है जिसे 'मुकदमों के चार स्तर और दो दृष्टांत' के रूप में जाना जाता है और इसी रूप में इसे संविधान में और पीपुल्स कोर्ट के संवैधानिक कानून 1979 में परिभाषित किया गया है जिसमें 1983 में संशोधन किया गया था। देश में न्यायिक अधिकरण का इस्तेमाल अदालतों में कई स्तरों पर होता है। इसे मोटे तौर पर इन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न स्तरों पर स्थानीय पीपुल्स कोटर्स को भी उच्च पीपुल्स कोर्ट, बुनियादी पीपुल्स कोर्ट और मध्यस्थ पीपुल्स कोर्ट में विभाजित किया जा सकता है।

ऑर्गेनिक लॉ यानी संवैधानिक कानून की एक धारा के अनुसार, सभी तरह के न्यायिक मामलों को एक ही जगह लाने के साथ–साथ महत्वपूर्ण तथा कठिन मुकदमों, यहां तक कि अन्य कानूनी मसलों पर चर्चा के लिए मंच बनाने के उद्देश्य से 'पीपुल्स कोट्र्स सभी स्तरों पर न्यायिक समितियां बना सकता है'। अलग–अलग अदालतों के अध्यक्ष विभिन्न स्तरों पर स्थानीय पीपुल्स कोर्ट के न्यायिक पैनलों के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति विभिन्न संबंधित स्तरों पर उन्हें उनके पदों से हटा सकती है। पीपुल्स कोट्र्स के प्रमुख सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण न्यायिक पैनलों की अध्यक्षता करते हैं। इनमें पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट्स के चीफ प्रोक्यूरेटॉरेटर्स संबंधित स्तरों पर इनमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

मुकदमों में निर्णय देने के लिए, पीपुल्स कोट्र्स में एक व्यवस्था होती है जिसमें किसी मुकदमे पर केवल दो सुनवाइयों के बाद ही निर्णय हो सकता है। सुनवाइयों से आशय है– पहली, हर निर्णय या आदेश स्थानीय पीपुल्स कोर्ट के जरिए भेजा गया हो और उस मुकदमे का हिस्सा रहा कोई भी व्यक्ति उच्च स्तर की पीपुल्स कोर्ट में केवल एक ही बार अपील कर सकता है। अगले उच्च स्तर पर पीपुल्स कोर्ट में पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट द्वारा विरोध प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरे स्तर पर, पहली जगह विभिन्न स्तरों पर स्थानीय पीपुल्स कोर्ट के निर्णय या आदेश कानूनी रूप से प्रभावी तभी माने जाते हैं जब कोई भी पक्ष निर्धारित अवधि में अपील न करे। तृतीय

स्तर पर, ये निर्णय या आदेश मुकदमे के अंतिम निर्णय के रूप में माने जाते हैं। हालांकि, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के निर्णय पहली ही बार में तत्काल और प्रभावी तरीके से कानूनी मान लिए जाते हैं।

हर अदालत की खंडपीठें होती हैं जिनमें विशिष्ट मुकदमों की सुनवाई होती है– इन्हें मोटे तौर पर दीवानी, आर्थिक, आपराधिक, प्रशासनिक और प्रवर्तन पीठों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। ऐसी हर अदालत का एक अध्यक्ष और कई उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि हर खंडपीठ में एक चीफ और कई एसोसिएट चीफ होते हैं। सभी अदालतों में न्यायिक पैनल होते हैं जिनमें अध्यक्ष, खंडपीठ के चीफ और अनुभवी न्यायाधीश होते हैं। अदालतों की स्थायी समिति विभिन्न स्तरों पर इन पैनलों के सदस्यों की नियुक्ति करती है। महत्वपूर्ण और कठिन मुकदमों पर चर्चा के लिए जिम्मेदार, न्यायिक पैनल अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित निर्देश देता है, और न्यायिक मामलों की समीक्षा और उनका सार प्रस्तुत करना भी उसका काम है। इस तरह से वह अदालत में सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त संस्था होती है। न्यायाधीशों और कॉलेजियल पैनलों को इसके निर्देशों का पालन करना होता है। जहां दो मत हों, वहां बहुमत की राय मानी जाती है।

हर अदालत की बुनियादी इकाइयां कॉलेजियल पैनलों से बनती हैं। ये स्थायी संस्थाएं नहीं होती और इन्हें अलग–अलग मुकदमों पर निर्णय देने के लिए बनाया जाता है। ऐसे पैनलों में तीन से सात जज होते हैं और यह संख्या हमेशा विषम में होनी चाहिए। अदालत का अध्यक्ष या खंडपीठ का चीफ पैनल के अध्यक्ष न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। एक न्यायाधीश दीवानी, आर्थिक और छोटे आपराधिक मामलों से जुड़े सामान्य मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। हालांकि, तीन से पांच न्यायाधीशों का कॉलेजियल पैनल द्वितीय सुनवाई करता है। अगर अध्यक्ष या खंडपीठ का चीफ सुनवाई में हिस्सा लेता है तो वह पैनल की अध्यक्षता करेगा।

किसी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान न्यायाधीश सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है और ये सुनवाई निर्णय का अपनेआप में बहुत अहम हिस्सा होती है। यह प्रक्रिया दीवानी कानून न्यायाधिकार से बहुत अधिक प्रभावी होती है। इस प्रक्रिया में बदलाव के प्रयास किए जा रहे हैं और हाल ही में, चीनी न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में विरोधात्मक स्वरूप लाने के लिए न्यायिक निर्णय के प्रारूप में सुधार किए गए हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ को पुनरीक्षित किया गया है और इसमें भी आगे सुधार की संभावना है। पीपुल्स असेसर यानी जन निर्धारकों का चयन स्थानीय पीपुल्स कांग्रेसों की स्थायी समिति कर सकती है। इसके बाद वे अपनी प्राथमिकता संबंधित स्तर पर अदालतों को भेज सकते हैं। इस आधार पर, अदालतें पहली बार के लिए किसी मुकदमे में सुनवाई में शामिल होने के लिए जन निर्धारकों का चयन कर सकती हैं। पहले ट्रायल के लिए कॉलेजियल पैनल में न्यायाधीशों के साथ–साथ जन निर्धारक भी हो सकते हैं या विशेष रूप से न्यायाधीश भी हो सकते हैं। सामान्य कानून के न्यायाधिकार में जन निर्धारकों की प्रणाली जूरी प्रणाली से इस अर्थ में अलग है कि जन निर्धारकों का चयन नागरिकता के आधार पर नहीं किया जाता, उनके पास न्यायाधीश के अधिकार होते हैं जिससे वे तथ्य और कानून के मुद्दे तय करते हैं।

किसी शिकायत की समीक्षा के बाद अध्यक्ष न्यायिक पैनल से अपील को स्वीकार करने या खारिज करने के बारे में पूछ सकता है। मुकदमा निगरानी प्रक्रिया के तहत दोबारा शुरू हुआ मुकदमा प्रभावी निर्णय के क्रियान्वयन को निलंबित नहीं कर सकता है जिसे किसी भी परिस्थितियों में चुनौती दी गई हो। कानून के अनुसार हर मुकदमे के दो ट्रायल होते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी मुकदमे के सभी वादियों के साथ–साथ किसी स्थानीय अदालत में पहली बार हुए किसी निर्णय को चुनौती दे सकने वाले उसके कानूनी प्रतिनिधि केवल एक बार उच्चतर अदालत में अपील कर सकते हैं। अगली उच्चतर अदालत में अपील होने के बाद ही केवल एक बार सुनवाई हो सकती है। हालांकि, इसका निर्णय अंतिम होता है और उसके खिलाफ दोबारा अपील नहीं की जा सकती। यद्यपि, मुकदमे से जुड़े पक्ष अंतिम निर्णय को या उस निर्णय को चुनौती दे सकते हैं जो सुनवाई निगरानी प्रक्रिया के तहत प्रभावी होता हो। अपीलीय अदालत या उच्चतर अदालत में अपील की जा सकती है।

हालांकि, इस तरह के चलन से कॉलेजियल पैनलों के न्यायाधिकार में आंतरिक दखल हो सकता है जो कि स्वतंत्र होते हैं। व्यवहार में, उनके पास कोई कानूनी आधार नहीं होता, सिवाय इसके कि वे न्यायिक पैनल में हैं। महत्वपूर्ण या जटिल मुकदमों में अंतिम निर्णय किसी मनोनीत कॉलेजियल पैनल के बजाय अदालत के न्यायिक पैनल द्वारा ही दिया जा सकता है। माना जाता है कि इस तरह की व्यवस्था न्यायिक अधिकारों के सही और निष्पक्ष इस्तेमाल को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। हालांकि, कॉलेजियल पैनल के कामकाज में दखल के जरिए पैनल सदस्य इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी मुकदमे के एक पक्ष का पक्ष ले सकते हैं।

पीपुल्स कोर्ट को संविधान और ऑर्गेनिक लॉ ऑफ कोर्ट से अधिकार मिले हैं कि वह अपने अधिकारों का स्वतंत्रतापूर्वक इस्तेमाल कर सके और इस प्रकार वे किसी संगठन या व्यक्ति के दखल से मुक्त हैं। 'कोर्ट' शब्द बहुत विशिष्ट है– आधिकारिक व्याख्या के अनुसार, इसका आशय यह है कि न्यायिक अधिकार किसी न्यायाधीश में निहित नहीं होते। मुकदमे की सुनवाई करने वाली इकाइयां कॉलेजियल पैनल होती हैं, न कि कोई विशेष न्यायाधीश और इस प्रकार कॉलेजियल पैनलों के निर्णय अदालतों के ही निर्णय माने जाते हैं। इस प्रकार, न्यायिक निर्णय देने का अधिकार न्यायाधीशों में नहीं, अदालतों में निहित होता है। इस तर्क से संकेत मिलता है कि पैनल के अध्यक्ष या खंडपीठ के चीफ कॉलेजियल पैनलों के द्वारा तैयार निर्णयों के मसौदे की समीक्षा कर सकते हैं और उसमें सुझाव दे सकते हैं।

सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट

चीन का सर्वोच्च न्यायिक विभाग सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट है। एनपीसी और इसकी स्थायी समिति सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के अध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता है, और कानून के अनुसार, वह लगातार दो से ज्यादा कार्यकाल नहीं पा सकता। एनपीसी स्थायी पैनल को भी खंडपीठों के उपाध्यक्ष, प्रमुख या एसोसिएट प्रमुखों और न्यायाधीशों की नियुक्ति या हटाने का अधिकार रहता है।

सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट में कई पीठें होती हैं, मसलन आपराधिक पीठ, दीवानी पीठ, और आर्थिक पीठ। अगर जरूरी लगे तो वह और भी पीठें बना सकता है। सामान्य रूप से, सुप्रीम कोर्ट को निम्न मुकदमों में न्यायाधिकार मिला होता है–

- पहली बार के ऐसे मुकदमे जो इसे कानून के तहत दिए गए हों या ऐसे जिन्हें अदालत को लगे कि उनकी सुनवाई करनी चाहिए।
- उच्चतर पीपुल्स कोट्र्स और स्पेशल पीपुल्स कोट्र्स के मुकदमे या आदेश जिनके निर्णयों के खिलाफ अपील की गई हो और उनका विरोध किया गया हो।
- सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट द्वारा दायर विरोधात्मक मुकदमे।

इन मुकदमों की सुनवाई के अलावा, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट सभी स्तरों पर अन्य स्थानीय पीपुल्स कोट्र्स और स्पेशल कोट्र्स के कामकाज पर निगरानी भी करता है। संविधान के अनुसार, "सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट न्यायिक प्रक्रियाओं में कानूनों और आदेशों के विशिष्ट इस्तेमाल से संबंधित प्रश्नों पर व्याख्या देता है।" हालांकि व्यवहार में, पिछले कुछ वर्षों में ही कानूनों और आदेशों की एसपीसी द्वारा व्याख्या के मामले बढ़े हैं। इस चलन को आज कल 'न्यायिक विधान' कहा जाने लगा है और इसे पहले संवैधानिक कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया था। इस विधान को भी मार्गदर्शन की जरूरत होती है ताकि अंतराल खत्म किया जा सके और विवाद सुलझाए जा सकें। विभिन्न कानूनों के बीच अस्पष्टता को मिटाने के लिए भी दिशा–निर्देश की जरूरत पड़ती है ताकि न्यायिक शाखा उन्हें ठीक तरह से लागू कर सके।

कोर्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

1949–1954 : अध्यक्ष : शेन जुनरू

1954–1959 : प्रथम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : दोंग बिवू

उपाध्यक्ष : गाओ केलिन, मा झिवू, झांस झिरांग

1959–1965 : द्वितीय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : शी जुएजाई

उपाध्यक्ष : वू देफेंग, वांग वेइगांग, झांग झिरांग

1965–1975 : तृतीय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : यांग शियुफेंग

उपाध्यक्ष : तान गुआनसन, वांग वेइगांग, झेंग हानझोऊ, हे लानजी, शिंग यिमिन, वांग देमाओ, झांग झिरांग

1975–1978 : चतुर्थ नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : जियांग हुआ

उपाध्यक्ष : वांग वेइगांग, झेंग हानझोऊ, हे लानजी, झेंग शाओवेन

1978–1983 : पांचवीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : जियांग हुआ

उपाध्यक्ष : जेनग हानझोऊ, हे लानजी, झेंग शाओवेन, सोंग गुआंग, वांग हुआइआन, वांग झानपिंग

1983–1988 : छठी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : झेंग तियानशियांग

उपाध्यक्ष : रेन जियानशिन, सोंग गुआंग, वांग हुआइआन, वांग झानपिंग, लिन झानपिंग, लिन हुआई, झू मिंगशान, मा युआन

1988–1993 : सातवीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : रेन जियानशिन

उपाध्यक्ष : हुआ लियानकुई, लिन हुआई, झू मिंगशन, मा युआन, दुआन मुझेंग

1993–1998 : आठवीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : रेन जियानशिन

उपाध्यक्ष : झू, मिंगशान, शी अनशान, गाओ चांगली, तांग देहुआ, लीयू जियाचेन, लुओ हाओकाई, ली गुओगुआंग, लिन हुआई, हुआ लियानकुई, दुआन मुझेंग, वांग जिंगरोंग, मा युआन

1998–2003 : नौवीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : शियाओ यांग

उपाध्यक्ष : झू मिंगशान, लि गुआओगुआंग, जियांग शिंगचांग, शेन देयोंग, वान एशियांग, काओ जियानमिंग, झांग जुन, हुआंग सोंग्यू, जियांग बिशिन

2003–2007 : दसवीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : शिआओ यांग

उपाध्यक्ष : काओ जियानमिंग, जियांग शिंगचांग, शेन देयोंग, वान एशियांग हुआंग सोंग्यू, सू जेलिन, शी शिआओमिंग, झांग जुन, शिओंग शुआंगुओ

2008–2013 : ग्यारहवीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : वांग शेंगजुन

2013–वर्तमान तकः बारहवीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस

अध्यक्ष : झोऊ क्वियांग

उच्चतर पीपुल्स कोर्ट्स

इस अदालत में उन मुकदमों का निस्तारण होता है जो पहली बार सामने आए होते हैं और कानून और डिक्री के जरिए इसे सौंपे जाते हैं अथवा इससे ठीक निचले स्तर की अदालत से इसे स्थानांतरित किए जाते हैं– अथवा निचली अदालत से आने वाले मुकदमों की अपील और विरोध या पीपुल्स प्रोक्यूरेटॉरेट्स द्वारा दायर विरोधी मुकदमे होते हैं। ये अदालतें सीधे तौर पर केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं और प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगरपालिकाओं में मौजूद होती हैं। संवैधानिक कानून के अनुसार, इनकी आंतरिक संरचना सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के समान होती है।

इंटरमीडियेट पीपुल्स कोर्ट (मध्यवर्ती पीपुल्स कोट्र्स)

ये वे अदालतें है जो राजधानियों में या प्रांतीय स्तर पर प्रशासकीय प्रांतों में स्थापित होती हैं। ऐसी अदालतों का न्यायाधिकार क्षेत्र उन मुकदमों का होता है जो अधितर पहली बार हुए होते हैं और कानूनों और आदेशों के जरिए इन्हें सौंपे जाते हैं या बुनियादी पीपुलस कोट्र्स से स्थानांतरित किए जाते हैं या वे मुकदमे होते हैं जिनके निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील या चुनौती दी हुई होती है।

बुनियादी पीपुल्स कोट्र्स (बेसिक पीपुल्स कोट्र्स)

बुनियादी पीपुल्स कोर्ट को पहली बार सामने आने वाले सभी आपराधिक और दीवानी मामलों के निस्तारण का अधिकार संवैधानिक कानून के तहत मिलता है। अपवाद वे मुकदमे होते हैं जहां कानून अन्यथा उपलब्ध होता है। बुनियादी पीपुल्स कोट्र्स को दीवानी मामले निपटाने का अधिकार होता है, उन छोटे मुकदमों की सुनवाई का अधिकार होता है जिनके लिए किसी औपचारिक तरीके की जरूरत नहीं होती और जन मध्यस्थता समितियों के दैनिक कामकाज की निगरानी का अधिकार होता है।

चूंकि ये न्यायपालिका के सबसे निचले तल पर होती हैं, इसलिए बुनियादी अदालतें ज्यादातर काउंटी, नगर जिलो, और स्वायत्त काउंटी में होती हैं। स्थानीय जरूरतों और लोगों के हिसाब से या इसमें आने वाले मुकदमों के हिसाब से भी कई जन अदालतों की तरह भी इन्हें स्थापित किया जा सकता है। ज्यादातर न्यायाधिकरण बड़े शहरों में स्थापित किए जाते हैं जहां आबादी घनी होती है। न्यायाधिकरण बुनियादी पीपुल्स कोर्ट के अंग होते हैं और इस तरह से इसके सारे निर्णय बुनियादी पीपुल्स कोर्ट के ही माने जाते हैं और समान कानूनी प्रभाव रखते हैं।

विशेष अदालतें

सैन्य, रेलवे और समुद्री अदालतें चीन की विशेष अदालतें हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर गठित सैन्य अदालतों पर कर्मचारियों से संबंधित सभी आपराधिक मामलों के निस्तारण की जिम्मेदारी होती है। इस तरह यह एक तरह की बंद प्रणाली है। समुद्री अदालतों की स्थापना भी सुप्रीम कोर्ट ने बंदरगाह वाले शहरों—गुआंगझोऊ, शंघाई, क्विंगदाओ, तियानजिन और दालियान में की है। सैन्य अदालतों की तरह, इन अदालतों को भी समुद्री मुकदमे, समुद्री व्यापार संबंधी मुकदमे निपटाने का अधिकार होता है। इनमें चीनी और विदेश नागरिकों के मुकदमे, विभिन्न संगठनों और उद्यमों के मुकदमे भी शामिल होते हैं। हालांकि, इनका उन मुकदमों पर न्यायाधिकार नहीं होता जो सामान्य अदालतों के विशेषाधिकार में आते हैं, भले ही वे आपराधिक हों या दीवानी। हालांकि, समुद्री अदालत के क्षेत्र में स्थित उच्चतर अदालतों के पास समुद्री अदालतों के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई का न्यायाधिकार होता है। इसी तरह से, रेलवे और परिवहन अदालतें रेलवे और परिवहन से संबंधित विवादों और मुकदमों का निस्तारण करती हैं।

4.3.3 दलीय व्यवस्था

चीन में सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए और केंद्रीय पीपुल्स गवर्नमेंट और उनके भागीदारों द्वारा प्रांतों और स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

नेतृत्व की इस दोहरी व्यवस्था के प्रकार में हर स्थानीय कार्यालय स्थानीय नेता के साथ–साथ उच्चतर स्तर पर मौजूद, मंत्रालय के संबंधित कार्यालय के नेता द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। पीपुल्स कांग्रेस के सदस्य काउंटी स्तर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। पीपुल्स कांग्रेस की जिम्मेदारी स्थानीय सरकार के संचालन की होती है और प्रांतीय या नगरपालिका या पीपुल्स कांग्रेस के सदस्यों को चुनने की भी होती है। इसी तरह, प्रांतीय पीपुल्स कांग्रेस के जिम्मे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सदस्यों को चुनने का कार्य होता है। यह संस्था पेचिंग में हर साल मार्च के महीने में बैठक करती है। हालांकि, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ही स्थानीय स्तर पर और उच्चतर स्तर पर कांग्रेस के लिए सही उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाती है।

वास्तव में चीन बहुदलीय राज्य है, लेकिन यह सब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के तहत ही है। यह प्रणाली नेशनल फ्रंट ऑफ डेमोक्रेटिक जर्मनी की तरह कम्युनिस्ट युग से पूर्व के पूर्वी यूरोपीय देशों की लोकप्रिय राज्य प्रणालियों के काफी समान है। एक देश और दो पार्टी प्रणाली के तहत हांगकांग और मकाऊ को विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके पूर्व, दोनों ही यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। वर्तमान में, उनमें चीन की तुलना में एक अलग राजनीतिक प्रणाली है और दोनों में बहुदलीय व्यवस्था चल रही है।

चीन में व्यवहारिक रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही अकेली पार्टी है जिसके पास राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा ताकत है। यह मूल में सभी स्तर के शासन पर हावी है जिससे चीन को अकसर एकदलीय राज्य मान लिया जाता है। चीन में छोटी ही सही, लेकिन आठ और पार्टियां काम करती हैं, लेकिन उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर सीमित ही अधिकार हैं। वास्तव में, उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन ही काम करना होता है और अपना वजूद कायम रखने के लिए भी सीपीसी की ही अग्रणी भूमिका स्वीकार करनी पड़ती है। चीनी प्रणाली में कुछ गैर कम्युनिस्ट पार्टियों को भी भागीदारी करने की अनुमति है और कुछ छोटी पार्टियां नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में भी हैं, लेकिन उन सभी की निगरानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही करती है।

चीनी संविधान में कुछ विपक्षी का काम करने की अनुमति है, लेकिन राजनीतिक प्रणाली पर नियंत्रण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही रहता है। इसी तरह से विपक्ष का अस्तित्व बना हुआ तो है। उदाहरण के लिए, पीपुल्स कांग्रेस लोकप्रिय मतों से चुनी जाती है। ऊपर के सारे पदाधिकारी कांग्रेस ही नियुक्त करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भले ही कुछ निर्दलीय लोग और विपक्षी सदस्य कई बार कांग्रेस के निचले स्तर पर चुन लिए जाते हैं, लेकिन वे कभी एक साथ नहीं आ पाते हैं या किसी ऐसी जगह संगठित नहीं हो पाते हैं जहां वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की मंजूरी के बिना उच्चतर स्तर पर अपने सदस्यों को निर्वाचित करवा पाएं। चूंकि, उनके पास वास्तविक रूप से कारगर शक्ति नहीं होती, इस कारण बाहरी लोग निचले स्तर पर भी पीपुल्स कांग्रेस का चुनाव लड़ने में रुचि नहीं लेते, जिसका मतलब यही होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही उस पर वर्चस्व रहता है।

इसके अलावा, इस तथ्य के बावजूद कि चीन में गैर–धार्मिक संगठनों पर औपचारिक प्रतिबंध का कोई कानून नहीं है, फिर भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो गैर कम्युनिस्ट पार्टियों को कॉरपोरेट स्टेटस दे सके। इस प्रकार, किसी भी विपक्षी पार्टी

को जो भले ही काल्पनिक रूप से ही मौजूद हो, धन जुटाने या अपने नाम से कोई पंजीकृत संपत्ति लेने के लिए कोई कानूनी सहारा नहीं मिलता।

चीनी संविधान में उल्लेखनीय ढंग से बहुत सारे कानून दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल अतीत में चीन डेमोक्रेसी पार्टी समेत ऐसे विपक्षी दलों के सदस्यों के खिलाफ हुआ है, जिन्हें सीपीसी खतरा मानती है। इनमें चीनी डेमोक्रेसी पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं। विध्वंस, राजद्रोह और सरकारी गुप्त सूचनाएं लीक करने जैसे आरोप विपक्षी दलों के सदस्यों पर लगाए जा सकते हैं और चूंकि, विधायिका और न्यायपालिका पर सीपीसी का नियंत्रण है, इसलिए कम्युनिस्ट लोग किसी भी व्यक्ति या संगठन को वैधानिक रूप से निशाना बना सकते हैं।

आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक दलीय व्यवस्था एक आवश्यक घटक है। प्रकृति, राष्ट्रीय परिस्थितियां और सामाजिक विकास ऐसे कारक हैं जो बताते हैं कि किसी देश को किस संरचना का राजनीतिक शासन अपनाना चाहिए। दुनिया भर के देशों में पार्टियों की संरचना उनकी विविध संस्कृतियों की विशेषता है।

चीन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मार्गदर्शन में बहुदलीय सहकारिता और राजनीतिक विमर्श को राजनीतिक दलीय व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है, जो कि पश्चिमी देशों की बहुदलीय व्यवस्थाओं से पूरी तरह भिन्न है। पश्चिमी देशों में, दो पार्टियों के बीच सत्ता–संघर्ष होता है और यह कई देशों में अपनाई गई एकल पार्टी व्यवस्था से भी भिन्न है। बहुदलीय सहकारिता का क्रियान्वयन और विकास चीनी क्रांति के संघर्ष में भी निर्माण और पुनर्निर्माण के रूप में लगातार होता रहा। यह राजनीति की प्राथमिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य चीन के अनुबंधों का पालन करना है। यह समाजवादी राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, जिसकी चीनी विशेषताएं हैं और जो चीनी समाजवादी लोकतांत्रिक राजनीति का प्रमुख घटक है।

चीनी संविधान में कहा गया है कि 'चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बहुदलीय व्यवस्था और राजनीतिक विमर्श व्यवस्था का अस्तित्व और विकास लंबे समय तक चलेगा।' सभी लोकतांत्रिक पार्टियों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को संविधान को अपने आचरण के प्राथमिक और बुनियादी मानकों के रूप में मानना चाहिए और संविधान की गरिमा कायम रखनी चाहिए और इसे साकार करना सुनिश्चित करना चाहिए।

चीनी बहुदलीय सहकारिता प्रणाली में सीपीसी और आठ अन्य राजनीतिक दल हैं। ये आठ लोकतांत्रिक दल निम्नानुसार हैं–

(i) रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑफ द चाइनीज कुओमिनतांग

(ii) चीनी डेमोक्रेटिक लीग

(iii) चाइना नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन

(iv) चाइना एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी

(v) चाइनीज पीजैंट्स एंड वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी

(vi) चाइना झी गोंग दांग

(vii) जियू सन सोसायटी

(viii) ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट लीग।

चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कन्सलेटेटिव कान्फ्रेंस (सीपीपीसीसी) चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में बहुदलीय सहकारिता और राजनीतिक विमर्श की एक महत्वपूर्ण संस्था है। 'दीर्घकालीन सहअस्तित्व, आपसी देखभाल, और एक–दूसरे के साथ ईमानदारी बरतने और एक–दूसरे के सुख–दुख बांटने,' के सिद्धांत पर आधारित सीपीसी और आठ लोकतांत्रिक पार्टियां मिलकर चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद के विकसित करने का काम करेंगी। परिणामस्वरूप, ये 'सीपीसी के नेतृत्व में बहुदलीय सहकारिता व्यवस्था' के मुख्य कारकों को प्रोत्साहन देते हैं। सीपीसी के अधीन बाकी आठ पार्टियां राज्य के सभी मामलों में सक्रिय भागीदारी दिखाती हैं। बहुदलीय सहकारिता प्रणाली के शानदार राजनीतिक फायदे और मजबूत सहनशक्ति है और यह चीनी राजनीतिक प्रणाली और समाज में उल्लेखनीय तरीके से सक्रिय है।

बहुदलीय सहकारिता प्रणाली सीपीसी और आठ अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति और उद्देश्यों को मान्यता देती है। यह उन्हें चीन के बुनियादी राजनीतिक प्रणाली का अंग मानती है, जो कि राज्य के राजनीतिक अस्तित्व और पार्टियों के बीच सहयोग के लिए जरूरी है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोच्च निर्णायक स्थिति पर आसीन है। इसका नेतृत्व क्रांति, निर्माण और पुनर्निर्माण के गहनकाल से तथा इतिहास और आबादी के झुकाव के कारण उभरा है और उसी में मिला हुआ है। अस्सी साल से ज्यादा के अपने संघर्षकाल में सीपीसी ने चीनी जनता का देश की स्वतंत्रता और लोगों की आजादी हासिल करने के लिए नई लोकतांत्रिक क्रांति के आरंभ से लेकर अंत तक नेतृत्व किया और सरकार का राज स्थापित किया जिसमें जनता द्वारा देश चलाया जाता है। साथ में सांस्कृतिक समूह की राष्ट्रीय एकता और सद्भाव की सुरक्षा होती है। इस पार्टी ने चीन के इतिहास में सर्वाधिक परोपकारी सामाजिक क्रांति को पूरा करते हुए समाजवादी प्रणाली की स्थापना की, साथ ही, चीनी शैली के समाजवादी आधार की शुरुआत की और राष्ट्रीय समृद्धि के साथ–साथ देश और इसके नागरिकों के सुखमय जीवन के लिए सच्चाई का रास्ता निर्धारित किया।

चीन का क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी 1 अरब 30 लाख है, जिसमें 56 जनजातियां हैं। इस भारी और घनी आबादी के देश को मजबूत केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। चीन की बेहद विकसित उत्पादक सेना का विस्तार, चीन की परिष्कृत संस्कृति और चीन के विशाल बहुमत के प्राथमिक सरोकारों का प्रतीक सीपीसी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सशक्त नेतृत्व चीन के समाजवादी बदलाव, राष्ट्रीय गठबंधन, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के लिए बेहद प्रतिबद्ध है। सभी नस्लीय समुदायों की यही अपेक्षा रहती है, जो कि सालों के विकास और रूपांतरण के परिणामस्वरूप उभरे हैं।

राज्य के मामलों में आठ लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। चीनी राजनीति में जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही की अंतर्भूत आवश्यकताओं के साथ आठ लोकतांत्रिक दलों की निश्चित भूमिका, प्रतिभागी समूहों के साथ अपने कर्तव्यों की पुष्टि करती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी निम्नलिखित कारकों की वजह से जनवादी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण ट्रेडमार्क है–

टिप्पणी

- समाजवादी कामगारों का राजनीतिक गठबंधन।
- समाजवादी निष्ठावान, जो इन पार्टियों से संबंध रखते हैं।
- राज्य के मामलों और नेतृत्व वाले लोगों की व्यूह–रचना।

राज्य के मामले मुख्य तौर पर निम्नलिखित रूप में होते हैं–

- प्राथमिक राज्य नीति पर चर्चा
- राज्य की सत्ता के क्रियान्वयन में योगदान
- राज्य के नेताओं का चुनाव
- राज्य के नीति निर्माण और क्रियान्वयन के साथ–साथ राज्य के मामलों का प्रबंधन
- कार्यवाहियों की योजना, कानून और गाइड लाइन्स।

इन पार्टियों की स्थिति, अधिकार और विशेषाधिकारों की सुरक्षा संविधान करता है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और आठ लोकतांत्रिक पार्टियों के बीच एकता और सहयोग का नया रूप दिखता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने आम संघर्ष के गहन कालों में इन लोकतांत्रिक दलों को सहयोगी बनाया था। इसकी प्राथमिक अवधारणा, कार्य और ज्ञान लोकतांत्रिक दलों ने नियत किया है और इसलिए, चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद की संरचना चीन की हर पार्टी का आम लक्ष्य बन गया है। खुली मानसिकता वाले, सुरक्षित और सद्भावपूर्ण राजनीतिक परिवेश में, सीपीसी लोकतांत्रिक दलों के साथ गहन राजनीतिक सहयोग बनाए है। यह राजनीति में उनके विकास और भौतिक मामलों पर ध्यान देती है और साथ में उनकी तरक्की के लिए निर्देश देती है।

इन लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ सीपीसी का सहयोग काफी मजबूत है। प्रथम, सीपीसी मूल सिद्धांतों, कानूनों, प्रक्रियाओं और समस्याओं के सिलसिले में लोकतांत्रिक दलों से सलाह लेती है। द्वितीय, लोकतांत्रिक पार्टियों के सदस्य राज्य के सशक्त पदानुक्रम में निश्चित स्थानों पर पहुंच रखते हैं। कानून के अनुसार, अपने कर्तव्य निभाना उनकी जिम्मेदारी है। तृतीय, न्यायिक विभागों के साथ–साथ, लोकतांत्रिक पार्टियों के सदस्य केंद्रीय और स्थानीय सरकारों में महत्वपूर्ण पद संभालते हैं। जनवादी सरकारें विभिन्न पदानुक्रमों पर कई तरह के साधनों से संवाद करती हैं, ताकि उनकी प्रतिभागिता का इस्तेमाल कर सकें और उन्हें सरकारी मसलों से जोड़ सकें। चतुर्थ, लोकतांत्रिक पार्टियां चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कन्सल्टेटिव कान्फ्रेंस के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस में सक्रिय भागीदारी करती हैं।

अंत में, सीपीसी सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को देश के विकास से संबंधित गतिविधियों में, समाज के बदलाव में और अर्थव्यवस्था के सुधार में सहयोग करती है। प्रतिभागी पार्टियों के रूप में यही लोकतांत्रिक पार्टियों के मुख्य उद्देश्य हैं, साथ ही चीन के बहुदलीय सहकारिता प्रणाली के बेहतरीन उदाहरण हैं।

सभी लोकतांत्रिक पार्टियां और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक–दूसरे के मामलों और कार्यों की जानकारी रखती हैं। राजनीतिक प्रबंधन का मापदंड बाह्य स्वरूप बदलने और प्रशंसा, आलोचना तथा प्रस्तावों के जरिए प्रभावित होता है। इस जाहिर

तथ्य के बावजूद कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी निर्णय लेने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्टी है, यह निश्चित रूप से अधिकतर मामलों में, लोकतांत्रिक पार्टियों से दिशानिर्देश, सलाह–मशविरा और निगरानी का लेन–देन करती है और यही संबंध लोकतांत्रिक पार्टियां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रखती हैं।

लोकतांत्रिक प्रशासन के दायरे में मोटे तौर पर संविधान के नियम–कानूनों का क्रियान्वयन, सीपीसी और सरकार के महत्वपूर्ण कानूनों और नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरों पर सीपीसी समितियों के कामकाज के साथ–साथ, सीपीसी सदस्यों में कर्तव्य की भावना प्रस्तुत करना और निष्कलंक सरकार देना आता है। लोकतांत्रिक पार्टियों का संगठन अनूठा है। इसके बावजूद, यह सीपीसी नेतृत्व के उत्थान और सुधार तथा समाजवादी निगरानी प्रणाली की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है।

बहुदलीय सहकारिता प्रणाली ने मानवता के लिए एक नए तरह की राजनीतिक दलीय व्यवस्था बनाई है, जो अपनी तरह का अलग ही उदाहरण है। इस प्रणाली की गाइडलाइन्स के तहत, सीपीसी और आठ अन्य पार्टियां मिलकर काम करती हैं, और एक–दूसरे की गतिविधियों से अवगत रहती हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी देश पर शासन करती है और अन्य पार्टियां राज्य के मामलों में योगदान देती हैं और कानून के साथ दृढ़ रहती हैं।

इस तरह की प्रणाली पीपुल्स कांग्रेसों की प्रणाली के साथ सामंजस्य में काम करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसके लोग राज्य के मामलों में निर्णय लेने के लिए सशक्त रहें। इस तरह के लोकतंत्र में केवल कुछ लोगों के हाथों में ही निर्णय नहीं रहते।

चीनी बहुदलीय सहकारिता प्रणाली का महत्व और भूमिकाएं निम्नानुसार हैं–

- **राजनीतिक प्रतिभागिता**– बहुदलीय सहकारिता प्रणाली निम्न कार्य करती है–
  - कई सारी सामाजिक ताकतों को राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक साथ रखती है।
  - लोकतांत्रिक पार्टियों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए सुव्यवस्थित माध्यम प्रधान करती है।
  - जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही के जमीनी कार्य मिश्रित करती है और विकसित करती है।
  - हर क्षेत्र के हितों को रास्ता देती है।
  - लोगों की समझ वर्गीकृत करती है
  - सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के निर्णयों का प्रचार करके विज्ञान और लोकतंत्र पर आधारित प्रस्ताव आमंत्रित करती है।

साथ ही साथ, सामाजिक मजबूती बनाए रखने के लिए समाजवादी लोकतंत्र के रचनात्मक और गंभीर विस्तार को आगे बढ़ाती है।

- **हितों की अभिव्यक्ति**– चीनी जनवादी गणराज्य विशाल आबादी वाला एक बड़ा देश है जिसमें सामाजिक श्रेणियां, तबके और गुट हैं। संस्कृति में बहुत

सारी विविधताएं और अंतर हैं जो कि आम मौलिक कल्याण पर आधारित हैं। खासतौर पर, समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था के विकास को देखते हुए, आर्थिक व्यवस्था में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। समाज के अंदर विविधता और आम कल्याणकारी कार्यों के बारे में लोगों के विचारों में काफी बदलाव दिखते हैं। बहुदलीय सहकारिता प्रणाली समूचे सामाजिक खंड के कल्याण, आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने में सक्षम है। यह प्रणाली हितों की अभिव्यक्ति का मौका देती है और सामाजिक एकरूपता और मजबूती को बनाए रखती है।

- **सामाजिक एकीकरण**– चीन के बदलाव के मांग युक्त और बहुआयामी मिशन के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए जो समाजिक एकीकरण में दमदार भूमिका निभा सके। लोकतांत्रिक पार्टियों के सीपीसी के मजबूत नेतृत्व के बीच मौजूदा सहयोग को मिलाकर, बहुदलीय सहकारिता प्रणाली सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में उभरी है।

  चीनी विशेषताओं वाले व्यवस्थित समाजवादी के अंतिम लक्ष्य पर फोकस करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने (लोकतांत्रिक पार्टियों की सहायता से) मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई है। यह राजनीतिक संपत्तियों के अधिकतम उपयोग की प्रगति को भी सरल बनाती है, सभी सेक्टरों के हितों का एक साथ ध्यान रखती है और समूची सामाजिक संरचना को प्रगति और विकास हासिल करने की दिशा में दिशा–निर्देश देती है।

- **लोकतांत्रिक निरीक्षण**– लोकतांत्रिक पार्टियों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच साझा प्रबंधन व्यवस्था में प्रशासनिक कार्यों के विकास को प्रोत्साहित करता है और प्रशासनिक विषमताओं के कारण पैदा हुई अस्वाभाविक अपर्याप्तता को दूर करता है।

  लोकतांत्रिक पार्टियां लोगों के प्रासंगिक समूहों के सर्वाधिक स्पष्ट हितों और जरूरतों को पूरा करती हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्व–निरीक्षण से अलग समग्र निरीक्षण मुहैया कराती हैं। इससे सत्तारूढ़ पार्टी के प्रशासन में विज्ञान और लोकतंत्र के तत्वों पर आधारित सुधार में मदद मिलती है। इसका उद्देश्य नौकरशाही और इसी तरह के कारकों जैसी नकारात्मक ताकतों को दूर करना और ऐसा करके सत्तारूढ़ पार्टी के कामकाज के हर पहलू को मजबूत करना और उनमें सुधार करना है।

चीन में बहुदलीय सहकारिता प्रणाली समाज के अंदर लोकतंत्र की बुनियादी जरूरतों को पहचान देती है। यह जनता को ऐसा लोकतांत्रिक भविष्य सुनिश्चित करने की कोशिश करती है जो चीनी राजनीतिक व्यवस्था की विशिष्टताओं से युक्त हो। मौजूदा परिदृश्य के संदर्भ में देखें, तो समाजवादी लोकतंत्र की पैरवी का सबसे महत्वपूर्ण कारण सीपीसी के नेतृत्व में बहुदलीय सहकारिता प्रणाली को अपनाना और उसे सरल बनाना है। इसमें लोगों के सक्रिय राजनीति में योगदान को बढ़ाना, सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति के रास्ते बढ़ाना और समाज के विकास के लिए मैत्रीपूर्ण परिवेश की रचना करना शामिल है।

अपनी प्रगति जांचिए

3. प्रतिनिधि (डेप्यूटी) का कार्यकाल कितने साल का होता है?
   (क) पांच (ख) सात
   (ग) चार (घ) छह
4. चीन का बुनियादी न्यायिक अंग क्या है?
   (क) जिला कोर्ट (ख) सेशन कोर्ट
   (ग) हाई कोर्ट (घ) पीपुल्स कोर्ट

4.4 पाकिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं

विभाजन के साथ पाकिस्तान का स्वतंत्र देश के रूप में विकसित होना, साथ ही साथ क्षेत्र, जनसंख्या और पाकिस्तान की अन्तरिम सरकार का नवनिर्मित संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान में मजहब और संविधान साथ–साथ चलते हैं। वैसे ये प्रगतिशील कारक आजादी के पश्चात धर्म निरपेक्षतावादी, वामपंथी (साम्यवादी एवं समाजवादी दोनों) सभी को शामिल करके एक मजबूत हितधारक की भूमिका निभाते हैं। इस्लाम की सामाजिक तथा राजनीतिक जड अरब से होने वाले व्यापार और सैन्य अभियानो (8वीं शताब्दी (A. D)) के माध्यम से फैली। इसके परिणाम स्वरूप कई धार्मिक दिग्गज इस्लाम के प्रचार के लिए, इस प्रान्त मे आकर बसे एवं शैक्षिक संस्थानों का निर्माण कराया, विशेषकर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद। 13वीं सदी से 19वीं सदी के अंतराल तक कई मुस्लिम वंशों का शासन इस उपमहाद्वीप पर हुआ, जिसके कारण इस दौरान इस्लाम का प्रचार बिना किसी सशक्त रूपांतर के संभव हो सका।

कुल मिलाकर मुस्लिम शासकों का आग्रह इस्लाम के प्रचार के प्रति अत्यंत सहनशीलता से संपन्न था। पाकिस्तान के संस्थापक एम. ए जिन्ना (1876–1948) एक प्रबुद्ध अंग्रेजी शिक्षित वकील थे। एक आधुनिक, प्रगतिशील एवं धर्मतंत्र रहित इस्लामिक राज्य की स्थापना हेतु आशावान थे। उनकी आकांक्षा के अनुरूप 1945–46 के चुनाव में मुस्लिम जन समूह ने भारी संख्या में अपना मत एक स्वतंत्र पकिस्तान हेतु दर्ज कराया। इस जनमत संग्रह के बाद हिंदुस्तान उपमहाद्वीप से अलग, एक स्वतंत्र पाकिस्तान की स्थापना हुई।

नौ वर्षों के कठिन प्रयासों के बाद पाकिस्तान के संविधान का निर्माण संभव हुआ जिसे 23 मार्च, 1956 को पूरे हर्ष के साथ देश में निष्पादित किया गया। परन्तु संविधान का निर्माण एक कुस्वप्न जैसा था, जिसके निर्माण काल में अत्यंत निकृष्ट राजनीतिक संघर्षों का जन्म हुआ जिसने पाकिस्तान की एकता पर प्रश्नचिन्ह खड़े करने के साथ ही असंतुष्टि एवं निराशा के भाव जनता के मन में पैदा कर दिए। जब पाकिस्तान की पहली संवैधानिक सभा ने अपने संविधान निर्माण का कार्य लगभग समाप्त कर लिया था, अक्टूबर 1954 में इस सभा को 'जनता का विश्वास' को खो देने के आधार पर भंग कर दिया गया। जिसका परिणाम यह हुआ की आजादी के लगभग सात साल के पश्चात् भी देश में एक सशक्त राजनैतिक संस्थान की कमी थी।

पाकिस्तानी गवर्नल जनरल द्वारा पहली संविधानिक सभा को भंग करने के कारण एक सशक्त राजनैतिक व्यवस्था के निर्माण को लेकर जनता के भीतर एक अविश्वास की भावना पनपने लगी थी। पाकिस्तान की एक लिखित संविधान को रचने की अक्षमता इसकी छवि को विदेश में भी धूमिल करती दिख रही थी।

संविधान का अर्थ

संविधान मुलभूत सिद्धांतों से बना एक अंग है जिसके माध्यम से किसी राज की शासन व्यवस्था संपन्न होती है। संविधान नियमों और कानूनों की एक श्रृंखला है जो सरकार के कार्यों को सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न संस्थाओं, सरकार, कार्यपालिका, विधायका, न्यायपालिका, केंद्र एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य आपसी संबंधों को परिभाषित एवं सुनिश्चित करता है। वास्तव में संविधान एक श्रोत है जिससे न्यायशास्त्र के अन्य नियम योजनाबद्ध तरीके से निकलते हैं।

संविधान एक संप्रभु अधिनियम का निर्माण है। यह एक असाधारण विधान है, जिसमें सीधे तौर पर जनता क्षमता अनुसार प्रमुख सत्ताधारी कार्यों को करती है। संविधान से एक सरकारी व्यवस्था की स्थापना होती है, जिसके अंतर्गत एक कार्यप्रणाली निर्धारित होती है, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों का वितरण होता है, इसके संचालन की विधि एवं सिद्धांत का निर्माण होता है और यह देश की मनोवृति को भी अपने में सम्मिलित करता है। संविधान की सर्वोच्चता इसकी अविनाशी प्रवृति में निहित होती है।

संविधान केवल नियमो का ढाँचा नहीं है जो सरकार के अधिकारों को नियंत्रित करे, परन्तु यह एक ऐसा ढांचा है जो सरकार को वे सारी शक्तियाँ भी प्रदान करता है जिसे सामूहिक रूप में जनता के लिए लाभदायक एवं अच्छे कार्य किये जा सकें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इसकी सरकार को कई दायित्व सौपता है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, किसी भी प्रकार के भेदभाव से जनता की सुरक्षा करना तथा सभी नागरिकों को निवास, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना जैसे कर्तव्य आते हैं। इंडोनेशिया का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार वहां के गरीब बच्चों की देखभाल करे तथा एक प्रबल शिक्षा प्रणाली की स्थापना भी करे।

संविधान की जरूरत

क. संविधान समानीकरण एवं दृढ़कथन की अनुज्ञा देता है –यह ऐसे बुनियादी नियमों का ढाँचा है, जो सीमान्त समन्वय की समाज में स्थापना करता है।

ख. यह निर्णय लेने की क्षमता का विनिर्देश करता है– यह व्यापक रूप से बताता है कि वास्तव में समाज में निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है। यह सरकार को संस्थापित करने का आधार प्रदान करता है।

ग. सरकार के अधिकारों के ऊपर नियंत्रण रखना– संविधान वह सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर ही सरकार जनता पर कोई नियम लागू कर सकती है। ये सीमाएं मौलिक होती हैं जिन्हें सरकार भंग नहीं कर सकती।

घ. समाज के लक्ष्य– समाज के सभी लक्ष्यों को पूरा करने हेतु यह सरकार को सशक्त बनाता है। इसके अतिरिक्त यह सरकार को समाज के लिए सकारात्मक माहौल का सृजन करने के लिए भी प्रेरित करता है।

ङ नागरिकों की मौलिक पहचान– संविधान मुख्यतः समाज को एक मौलिक पहचान प्रदान करता है। संविधान के तहत सभी नागरिकों के लिए समान नियम हैं। नियमों के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनता का नेतृत्व कौन करेगा और कैसे करेगा, जिससे एकता का समावेश होता है।

संविधान निर्माण : एक ऐतिहासिक विकास

पाकिस्तान के स्वतंत्र देश बनने के तुरंत पश्चात् भारत सरकार अधिनियम (1935) और आजाद अधिनियम (1947) में कुछ संशोधनों के माध्यम से एक आतंरिक व्यवस्था की गयी जो नये राज्य की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करे। संविधान सभा को नए संविधान की प्रक्रिया को तेज करने का कार्यभार सौंपा गया। परन्तु ये सभा सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ पाई और आपसी राजनीतिक पेंच में फस गयी। परिणाम स्वरूप संविधान निर्माण कार्य में विलम्ब हो गया। बाद में संविधान निर्मताओं ने संविधान में हुए विलम्ब के कई कारण दिए जैसे बड़ी संख्या में शरणार्थियों का होना अभूतपूर्व प्रवास, संस्थाओं में रिक्त पद, आर्थिक गिरावट, राजनीतिक अस्थिरता, भारत और इंग्लैंड का विश्वासघात तथा सीमा क्षेत्र में संशय।

पाकिस्तान के पहले संविधान सभा के सदस्यों ने अपना कार्य एक ऐतिहासिक संकल्प जिसे उद्देश्य संकल्प कहते हैं के साथ शुरू किया। 1949 मे इस संकल्प ने पाकिस्तान के संविधानवाद को भारत की सेक्युलर भाषा से अलग करने के साथ ही पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तानी प्रांतो को इस्लामिक आधारों के अंदर जोड़ने का भी कार्य किया। इस संकल्प ने एक गैर बाध्यकारी संविधान की उद्देशिका को जन्म दिया जो कुछ इस प्रकार है–

"संपूर्ण ब्रह्मांड पर संप्रभुता केवल अल्लाह सर्वशक्तिमान के अंतर्गत आती है और जो अधिकार उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के माध्यम से पाकिस्तान की रियासत को सौंपा है, उनके द्वारा पूर्वनिर्धारित सीमाओं के भीतर ही प्रयोग करने हेतु यह एक पवित्र विश्वास है। यह संविधान सभा, पाकिस्तान के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए, स्वायत्त, स्वतंत्र पाकिस्तानी रियासत हेतु एक संविधान रचित करने का संकल्प लेती है। राज्य लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा। मुसलमान पवित्र कुरान और सुन्नत द्वारा बताई गई शिक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्रों में अपने जीवन को निर्देशित करने के लिये सक्षम होंगे।"

पाकिस्तान की पहली संविधान सभा ने इसकी सभी शक्तियों को पुनः पुष्ट करने का कार्य किया। सर्वप्रथम विशुद्ध सलाहकारों के एक आयोग का गठन किया गया जो विस्थापित कानून के इस्लामीकरण की सिफारिश करता हो (और दूसरी ओर यह भी निश्चित करे कि इस कार्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सांप्रदायिक विविधिता को बचाये रखने का परिपक्व प्रयास भी हो)। इसके बाद इस सभा ने संकल्प लिया कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी कानून जिसे धार्मिक प्रतिकूलता के आधार पर समझा गया हो उसे पुनः सभा के पास संशोधन हेतु भेजा जाएगा। इससे पहले कि इन प्रस्तावों को पूर्णतः अधिनियमित किया जाता, राजनैतिक उथल–पुथल के कारण राष्ट्रपति को सैनिक शासन घोषित करते हुए इस सभा को खारिज करना

पड़ा। तीन हफ्तों के अंतराल के पश्चात् स्वयं सैन्य प्रशासक ने इस सैनिक शासन को वापस ले लिया। पाकिस्तान का पहला संविधान था तो शक्तिशाली परन्तु मध्य 1950 में वास्तविक रूप से पूरी शक्तियां पाकिस्तानी कार्यपालकों के हाथ में ही शेष रह गयीं। उद्देश्य संकल्प की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं– इस्लामिक राज्य, कानून के पहले समानता, संघीय संरचना, न्यायतंत्र की स्वतंत्रता, अधिकारों का वितरण एवं अंग्रेजी और उर्दू को राष्ट्रभाषा का दर्जा।

उद्देश्य संकल्प ने कई कठिनाइयों को जन्म दिया। भाषा के ऊपर विवाद, विधान सभा में सीट का वितरण तथा महासंघ एवं संघ की इकाइयों के बीच अधिकारों के वितरण जैसी समस्याओं के कारण पूर्वी पाकिस्तान में एक आंदोलन युक्त राजनीति की उपज हुयी। लिआकत अली खान (1951) की हत्या के पश्चात् तो जैसे पाकिस्तानी राजनीति में एक असाधारण असुरक्षा का भाव प्रबल होने लगा। 1953 में हुए अहमदी आंदोलन ने तो जैसे राजनीतिक वातावरण को और दूषित कर दिया जिसके फलस्वरूप एक निश्चित अवधि हेतु लाहौर में सैन्य शासन लागू किया गया। इसके अतिरिक्त पहली संवैधानिक सभा भंग कर फिर दूसरी सभा के गठन ने भी राजनीतिक व्यवस्था को तितर–बितर करने का कार्य किया। गवर्नल जनरल द्वारा अपने अधिकारों का मनमौजी इस्तेमाल ने राजनीतिक व्यवस्ता का चलना लगभग नामुमकिन सा कर दिया। राजनीति में सेना एवं आधिकारिक वर्ग की प्रधानता सभी नेताओं के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था, क्योंकि वे इस प्रबलता के विरोध में कोई कदम उठाने में अक्षम थे। इन सभी गतिविधिओं ने पाकिस्तानी राजनीति में एक नकारात्मक प्रभाव डाला। 1956 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी मुहम्मद अली ने जब पहला पाकिस्तानी संविधान पेश किया, तो यह अधिकारी वर्ग के ऊपर विजय–सा प्रतीत हुआ परन्तु दुर्भाग्यवश यह संविधान केवल दो साल तक ही प्रचलन में रखा जा सका।

पाकिस्तानी संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं

(क) लिखित संविधान (234 अनुच्छेद 13 भाग में विभाजित और 6 अनुसूची)।

(ख) आधिकारिक रूप से पाकिस्तान को इस्लामिक गणराज्य नामित।

(ग) संघीय प्रणाली एवं सदनीय विधानमंडल।

(घ) अधिकारों का वितरण।

(ङ) संसदीय आदेश।

(च) न्यायतंत्र की स्वतंत्रता।

दो वर्षों के भीतर, नई संसदीय प्रणाली को अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1958 में जनरल अयूब खान ने सैन्य शासन घोषित करते हुए पाकिस्तान का पहला सैन्य तख्तापलट कराया। 1960 में खान राष्ट्रपति बने और 1962 तक पाकिस्तान ने अपना दूसरा संविधान देखा, जिसमे राजनीति को सेना की मजबूत पकड में रखा गया। इस बिंदु पर, 1965 में भारत के साथ दूसरा युद्ध जीतने में विफलता के कारण अराजकता, बढ़ते भ्रष्टाचार और पूर्वी पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों ने धीरे–धीरे खान के अधिकार को कम कर दिया। आखिरकार 1969 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक आधार पर पहला चुनाव 1970 में आयोजित किया गया। चुनाव

में मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान स्थित आवामी लीग को जनता का समर्थन मिला जिसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। हालांकि परिणाम पश्चिमी पाकिस्तान में उतने प्रभावशाली नहीं रहे और निर्वाचित नेताओं को सत्ता हस्तांतरित नहीं की गई। इसने एक नए संवैधानिक संकट के लिए मंच तैयार किया और इस अवधि में, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच के संबंध और अधिक बिगड़ गए।

मार्च 1971 में मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्र पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश को स्वीकार करते हुए नौ महीने के लंबे गृह युद्ध के लिए मंच की स्थापना की। दिसंबर 1971 में, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के समर्थन में हस्तक्षेप किया और आगामी इंडो–पाक युद्ध का पाकिस्तानी सेनाओं ने त्याग किया। आत्मसमर्पण ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र देश, बांग्लादेश के विकास को भी चिन्हित कराया। जनरल याहया खान ने युद्ध के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अयूब खान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्सपार्टी के संस्थापक और नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को नेतृत्व सौंप दिया, जिन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान से अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की थी। 1970 के चुनाव में भुट्टो राष्ट्रपति और पहले मुख्य सैन्य विधि प्रशासक बने थे। नेशनल असेंबली ने 10 अप्रैल, 1973 को 1973 के संविधान को मंजूरी दी और यह 14 अगस्त को लागू हुआ। भुट्टो को प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में फिल इलाही चौधरी को नियुक्त किया गया।

1973 के संविधान ने पाकिस्तान को एक संघीय इस्लामी गणराज्य के रूप में घोषित किया। इस्लाम को राज धर्म के रूप में स्थापित किया गया। पाकिस्तान चार विभिन्न संघीय इकाइयों उत्तर–पश्चिम सीमांत प्रदेश, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का एक संघ बना। संविधान संसदीय प्रकृति का था, जिसमें द्विसदनीय विधायिका थी। केंद्र में दो सदनों, नेशनल असेंबली और सीनेट शामिल थे। हालांकि 1973 के संविधान को 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के शुरू में सैन्य शासन के दौरान स्थगित कर दिया गया और आज तक 19 बार संशोधन किया गया। यह वर्तमान में राज्य का संचालन करने वाला संविधान है। 18 वें संविधान संशोधन, अप्रैल 2010 के माध्यम से, अधिकांश सैन्य शासन के दौरान हुए संवैधानिक परिवर्तनो को हटा दिया गया। साथ ही औपचारिक रूप से परिवर्तन कर उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत का नाम खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) रखा गया और इन प्रांतों को अधिक स्वायत्तता की मंजूरी दी गई।

पाकिस्तान के संविधान की प्रवृति और मुख्य विशेषताएं

1956 का संविधान बहुत लंबा और विस्तृत था, इसमें कुल 234 लेख थे, जो तेरह खंडों और छह अनुसूचियों में विभाजित थे। संविधान ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक संघीय प्रणाली प्रदान की। संघीय विधानमंडल का प्रदर्शन ब्रिटिश संसद के सामने होना था। संविधान ने सरकार के संसदीय स्वरूप का आव्हान किया, जहां वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण को एक कैबिनेट में निहित किया गया था, जो सामूहिक रूप से विधायिका के लिए जिम्मेदार होगा। इसकी एक द्विसदनीय संसद है जो दो कक्षों– सीनेट (ऊपरी सदन) और नेशनल असेंबली (निचले सदन) से बनी है।

संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं–

लिखित संविधान–यह एक लिखित और लंबा दस्तावेज है।

कठोर संविधान –संविधान में केवल एक प्रकिया के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, जिसमे संशोधन के लिए संसद के कम से कम दो–तिहाई बहुमत और राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान – पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मान लिया गया।

उद्देश्य संकल्प –संविधान द्वारा उद्देश्य के रूप में उद्देश्य संकल्प को शामिल किया गया है।

संघीय प्रणाली– संविधान देश में एक संघीय प्रणाली प्रदान करता है। शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के बीच विभाजित किया गया है। विषयों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया– संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समिति सूची।

एकसमान विधानमंडल– इस विधानमंडल में विधायिका एक सदन की होती है। नेशनल असेंबली में 300 सदस्य शामिल किये गए।

संसदीय प्रणाली– इसके अनुसार राष्ट्रपति राज का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

राष्ट्रपति – राष्ट्रपति को कम से कम चालीस वर्ष की आयु का एवं मुसलमान होना आवश्यक है। उनके कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष की निर्धारित की गयी। आंतरिक या बाहरी खतरे के मामले में वह देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उन्हें राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक और महाधिवक्ता की नियुक्ति हेतु अधिकृत किया गया था।

प्रधानमंत्री– वह अप्रत्यक्ष रूप से लोगो द्वारा चुना गया संसदीय समूह का नेता होगा। नेशनल असेंबली के सदस्यों में से अपना एक कैबिनेट बना सकेगा। इस कैबिनेट पर विधानसभा की जवाबदेही थी।

प्रांतीय स्वराज्य– काफी हद तक इसमें कटौती की गयी थी।

इस्लामिक कानून– कुरान व सुन्नत की शिक्षा के विरुद्ध कोई कानून पारित नहीं किया जाएगा।

स्वतंत्र न्यायपालिका– देश में एक स्वतंत्रत न्यायपालिका कार्यरत रहेगी। संविधान ने एक सर्वोच्च न्यायलय का उल्लेख किया, जो आवश्यकता अनुसार राज्य को सलाह दे एवं जब जरूरत हो तो निर्णय ले।

मौलिक अधिकार– इसके अंतर्गत आंदोलन की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पेशे का चयन करने की स्वतंत्रता एवं धार्मिक स्वतंत्रता जैसे प्रमुख बिंदु आये।

भाषा– उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाया गया।

1958 के तख्तपलट के बाद अयूब खान ने कुछ समय तक खुद को संयमित रखा ताकि जनता की राय उनके पक्ष में हो सके। न्यायमूर्ति सहाबुद्दीन के नेतृत्व में

एक विधायी आयोग की स्थापना की गयी। आयोग ने 6 मई, 1961 को एक रिपोर्ट अग्रेषित की तथा न्यायमूर्ति मंजूर कादिर ने पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया। अयूब खान ने राष्ट्रपति पद की सहायता से 8 जून, 1962 को संविधान तैयार किया, जिसकी निम्न विशेषताएं हैं–

- राज्य संस्थानों की शक्तिओं के उल्लेख के साथ एक लिखित संविधान जिसमें 250 लेख शामिल हैं, जिन्हे 12 भागों एवं 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है।
- यह एक व्यक्ति के मस्तिष्क द्वारा निर्मित है।
- संविधान राष्ट्रपति के अनुकूल होने के कारण इसमें संशोधन तभी आसान था जब राष्ट्रपति इसका समर्थन करें अन्यथा यह एक कठिन कार्य था। किसी भी संशोधन हेतु पहले विधानसभा की दो–तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी उसके पश्चात उसे राष्ट्रपति को भेजा जाना था। यदि राष्ट्रपति ने 30 दिनों तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो ही संशोधन मान्य होगा। इसके बाद यदि राष्ट्रपति को कोई आपत्ति है तो वे प्रस्ताव वापस भेज सकते हैं जिसे पुनः 10 दिनों के भीतर मान्य होने हेतु सभा के दो– तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। यदि ऐसा न हो सके तो यह प्रस्ताव डेमोक्रेट्स के पास भेजा जाएगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।
- जाहिर तौर पर यह पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान की सरकारों की एक संघीय प्रणाली थी। संविधान में केवल संघीय प्राधिकारियों की सूची थी, बाकी प्राधिकरण संघ की इकाइयों को दी गयी थी। यदि जरूरत हो तो केंद्र को प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था।
- भारतीय अधिनियम 1935 और 1956 के संविधान से ये संविधान बिलकुल अलग था एवं अध्यक्षीय प्रवृति का था जिसके कारण राष्ट्रपति के पास अनेक शक्तियाँ थीं। वह राज्य एवं केंद्र का संवैधानिक प्रमुख था।
- एक सरकार की एक सदनीय व्यवस्था है जिसमें केवल एक सदन कार्यरत है। राष्ट्रसभा के सदस्यों का चुनाव बुनियादी डेमोक्रेट्स द्वारा किया जाता है।
- न्यायपालिका को सिद्धांत की सीमा तक स्वतंत्र रखा गया। उच्च न्यायलय के सभी न्यायाधीशों का चुनाव राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सुझाव को ध्यान में रखकर करता है। परन्तु राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सुझाव लेने हेतु बाध्य नहीं है।
- संविधान ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों को जाति, पंथ और रंग के भेद–भाव से रहित मानवाधिकार का आश्वासन दिया।

1962 में संविधान एक एकल अभिव्यक्ति था, जिसे एक ही व्यक्ति के लिए रचा गया था। इसने लोगों को अधिकार एवं प्रतिभूतियां तो प्रदान कीं परन्तु वास्तविक रूप से इसने जनता को राजनीतिक अधिकारों एवं कानून में उनके प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया। जब अयूब खान ने याहया खान को सत्ता सौंपी तब सैन्य शासन लागू था जिस कारण 25 मार्च, 1969 को संविधान समाप्त हो गया।

पाकिस्तान (1973) के संविधान को 14 अगस्त, 1973 को लागू किया गया। इसमें 280 लेख, 7 अनुसूचियां शामिल हैं इनमें 20 प्रस्ताव के साथ संविधान की प्रस्तावना का गठन किया गया है। इसे भुट्टो युग की एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है क्योंकि यह सभी दलों की सहमति से संसद का एक निर्विवादित कार्य था। वैसे तो संविधान के लागू होने के पश्चात यह कई मोड़ों से गुजरा है परतु यह सर्वोच्च साधन हैं, जो देश के शासन में समर्थ है।

कार्यकारी– 1973 का संविधान यह बताता हैं कि राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाना था, इन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मंत्री की सलाह पर काम करना था। यदि सदन के दो तिहाई सदस्यों द्वारा इन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक अथवा शारीरिक कदाचार, संविधान की अवहेलना करने का आरोपी पाया गया तो इन्हे पद से निष्काषित किया जा सकता है।

राष्ट्रपति– राष्ट्रपति का चयन गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सीनेट, नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। जो व्यक्ति मुस्लमान है 45 वर्ष की आयु का है एवं विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके कार्यकाल कि अवधि पांच वर्ष निर्धारित होती है तथा वह सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महा न्यायवादी और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु अधिकृत होता है। प्रांतीय सरकार में, प्रत्येक प्रान्त में राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य थी। उनकी पुनः नियुक्ति की जा सकती थी परन्तु दो कार्यकाल से ज्यादा वे पद पर नहीं रह सकते थे।

प्रधानमंत्री– वह नेशनल असेंबली के सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और सदन का बहुमत समर्थन प्रदर्शित करता है। उसके कार्यालय में संघीय मंत्रिमंडल तथा मंत्रियों का एक परिषद (जिन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है), शामिल होता है। सीनेट और नेशनल असेंबली दोनों ही धन विधेयक को छोड़कर कोई भी कानून को शुरू और पारित कर सकते हैं, जहां नेशनल असेंबली के पास सीनेट पर, विशेष रूप से पैसो से सम्बंधित किसी भी मामले पर बढ़त है। नेशनल असेंबली संघीय बजट और सभी धन विधेयकों को मंजूरी दे सकती है। परन्तु सीनेट के पास ये अधिकार नहीं हैं। संघीय विधान सूची से संबंधित विधेयकों की उत्पत्ति दोनों में से किसी भी सदन में हो सकती है। यदि एक सदन बहुमत से विधेयक को पारित करता है, तो यह दूसरे सदन के पास जाता है। यदि दूसरे सदन ने इसे बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया, तो इसे राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक, दूसरे सदन को पारित करने के बाद 90 दिनों के भीतर सदन इस विधेयक को पारित नहीं करता या इसे अस्वीकार कर देता है, तो संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, जिसे सदन के अनुरोध पर राष्ट्रपति अध्यक्षता प्रदान करता है। यदि विधेयक को दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों के मतों के बिना पारित किया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति को दस दिनों के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृत करना होता है। हालांकि, वित्त विधेयक को छोड़कर सभी विधेयकों को, राष्ट्रपति संसद के पास एक संदेश के साथ वापस कर सकता है, जिसमें अनुरोध किया जाता है कि विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए और संदेश में

निर्देशित संशोधन पर विचार किया जाए। संसद को संयुक्त बैठक में विधेयक पर पुनः पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है। यदि विधेयक को फिर से बिना किसी, संशोधन या संशोधन के साथ सदन में पेश किया जाता है तो यह मतदान करके सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। फिर इसे राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर अपनी सहमति देने की आवश्यकता होती है।

विधानमंडल– यह द्विसदनीय संघीय विधियिका की एक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी उच्च सदन (सीनेट) और निचले सदन (नेशनल असेंबली) को शामिल किया गया है। इस संसद को मजलिस–ए–शूरा भी कहते हैं। नेशनल असेंबली और सीनेट पाकिस्तान के द्विसदनीय संसद का गठन करते हैं। 1973 में पहली बार पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत सीनेट का गठन किया गया था, जो इस संसद को निर्धारित करता है। नेशनल असेंबली के सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (पाकिस्तान में अठारह वर्ष से अधिक आयु) द्वारा चुना जाता है। इसमें 342 सीटें हैं, जिनमें महिलाओं और गैर–मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। जो उम्मीदवार एक ही क्षेत्र में बडी संख्या में वोट प्राप्त करता है, उसे राष्ट्रीय या प्रांतीय विधानसभा का निर्वाचित सदस्य चुना जाता है। शेष बची 70 सीटों में से 60 महिलाओं के लिए और दस गैर–मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं, उन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, उन दलों को आवन्टित किया जाता है, जो सीधे निर्वाचित सीटों का 5 प्रतिशत से अधिक जीतते हैं। जनसंख्या के आधार पर, चार प्रांतों, फेडरल रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों और इस्लामाबाद के कैपिटल टेरिटरी में से प्रत्येक को सीटें सौंपी जाती हैं। नेशनल असेंबली को पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर भंग किया जाना चाहिए लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पहले ही समाप्त किया जा सकता है। नेशनल असेंबली के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

सीनेट– यह एक स्थायी विधायी निकाय है जिसके चार प्रांत हैं। प्रत्येक प्रान्त के समान प्रतिनिधि होते हैं जो कि उनके ही संबंधित प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति की गैरहाजिरी या कार्यकाल की अवधि समाप्त होने तथा नये राष्ट्रपति के पद भार सँभालने की अवधि के बीच सीनेट के अध्यक्ष, संविधान के तहत, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में सक्षम हैं। इसमें वे 104 सदस्य शामिल हैं जो नेशनल असेंबली के सदस्यों और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से चुने गए हों। चार प्रांतीय विधानसभाओं में से प्रत्येक में अपने–अपने प्रांतों से 23 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें 14 सीनेटर सामान्य सीटों के लिए, 4 महिलायें, 4 तकनीकी विशेषज्ञ, उलेमा (धार्मिक विद्वान) और 1 गैर मुस्लिम के सीट भी शामिल हैं। सीनेट एक स्थायी निकाय है और इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षो का होता है।

संसद के सदस्य होने के लिए मूल योग्यता संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत प्रावधानित है–

(क) वह पाकिस्तान का नागरिक होना चाहिए;

(ख) वह नेशनल असेंबली के मामले में, 25 वर्ष से कम आयु का नहीं हो और किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में नामांकित होना चाहिए। ताकि वह–

- पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की सामान्य सीट या गैरमुसलमान सीट के लिए आरक्षित सीट हेतु चुनाव लड़ सके; और
- प्रांत का कोई भी क्षेत्र जहां से महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है उस सीट पर चुनाव की सदस्यता प्राप्त कर सके।

(ग) वह सीनेट के मामले में, तीस वर्ष से कम उम्र का नहीं हो और किसी प्रांत के किसी भी क्षेत्र में मतदाता के रूप में नामांकित हो। जैसा भी मामला हो, संघीय राजधानी या संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र, जहाँ से वह सदस्यता चाहता हो वहाँ से वह मतदाता के रूप में नामांकित हो।

(घ) वह अच्छे चरित्र का हो और आमतौर पर इस्लाम का उल्लंघन करने वाले के रूप में नहीं जाना जाता हो।

(ङ) उसे इस्लामी शिक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान हो और इस्लाम द्वारा निर्धारित अनिवार्य कर्तव्यों के साथ ही प्रमुख पापों से परहेज रखता हो।

(च) वह जानकार, गुणी, गैर–लाभकारी, ईमानदार और अमीन हो तथा उपर्युक्त किसी भी बात के प्रतिकूल न हो।

संघीय इकाई	सामन्य सीट	महिलाओं के लिए आरक्षित सीट	उलेमा और अन्य विशेषज्ञों के लिए सीट	गैर मुस्लिम आरक्षित सीट	कुल
पंजाब	14	4	4	1	23
सिंध	14	4	4	1	23
के पी के	14	4	4	1	23
बलूचिस्तान	14	4	4	1	23
फाटा	8				8
इस्लामाबाद	2	1	1		4

न्यायपालिका– यह एक व्यवस्था है जो स्वतंत्र एवं स्वायत्त न्याय के लिए प्रदान की जाती है। यह नागरिकों को कानून द्वारा संरक्षित अधिकारों को देने की गारंटी देती है तथा गणतंत्र एवं कानून के प्रति निष्ठा का अनुपालन कराती है। यदि कोई भी व्यक्ति संविधान को रद्द करने, उसे बदलने या उससे छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया तो वह उच्च राजद्रोह का आरोपी माना जाएगा। संविधान में लोगों के हितों की रक्षा करने हेतु कई प्रकार के अधिकारों का समावेश किया गया है, जैसे जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार एवं संघ की स्वतंत्रता, समानता आदि। यह मौलिक अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार के असंगत या अपमानजनक कानून को शून्य घोषित करता है। सर्वोच्च न्यायालय पाकिस्तान के न्यायिक पदानुक्रम में शीर्ष अदालत है, जो कानूनी एवं संवैधानिक विवादों का अंतिम निर्णायक है। इसका ढाँचा एक मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकतम 16 अन्य न्यायाधीशों से बनता है। उच्च न्यायलय के न्यायाधीश के रूप में पांच वर्ष

का अनुभव या उच्च न्यायलय के अधिवक्ता के रूप में 15 वर्ष का अनुभव वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता हैं तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश साठ वर्ष की आयु तक पदभार संभाल सकते हैं। इसके पास मूल, अपीलीय एवं सलाहकारी अधिकार हैं। प्रांतीय उच्च न्यायलय के न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश, प्रान्त के राज्यपाल और उच्च न्यायलय के न्यायाधीश के साथ की जाती है। उच्च न्यायालयों के पास मूल और अपीलीय न्याय अधिकार क्षेत्र हैं।

संघीय शरीयत कोर्ट न्यायपालिका का एक और स्तम्भ है। इसमें आठ मुस्लिम न्यायाधीश शामिल होते हैं जिसमे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें तीन जज उलेमा अर्थात इस्लामिक स्कालर होते हैं, जिन्हें इस्लाम का परिपक्व जानकार माना जाता है। इसमें दोनों मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र आते हैं। यह तय करती है कि क्या कोई कानून इस्लाम के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जब किसी कानून को अपमानजनक माना जाता है तो राष्ट्रपति (संघीय कानून के मामले में) या राज्यपाल (प्रांतीय कानून की मामले में) कानून को इस्लाम के निषेध के अनुरूप लाने का कार्य करते हैं। अदालत हुदूद कानून (HUDOOD LAWS) के प्रवर्तन से संबंधित कानूनों के तहत आपराधिक अदालतों के निर्णयों की अपील भी सुनती है। इसके अलावा विशेष प्रकार के मामलों से निबटने के लिए विशेष अदालत एवं कचहरी हैं जैसे ट्रैफिक कोर्ट, लेबर कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल और बैंक ऑफिस के लिए स्पेशल कोर्ट। आतंकवादियों से निबटने हेतु विशेष कोर्ट भी हैं। विशेष अदालतों से अपील उच्च न्यायलय में जाती है। कुछ अपवाद जैसे श्रम और यातायात की अपील हेतु स्वयं के फोरम हैं। ट्रिब्यूनल की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। संविधान के भीतर वफाकि मोहतसीबोर ओम्बडसमैन (Wafaqi Mohtasibor Ombudsman) का कार्यालय प्रदान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की नागरिकों के पास सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच है। मोहतसीब राष्ट्रपति द्वारा चार वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इस अवधि को बढ़ाया या नवीकृत नहीं किया जा सकता। मोहतसीब का उद्देश्य एक संघीय एजेंसी या एक संघीय सरकार के अधिकारियों द्वारा कुप्रबंधन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के साथ किये गए किसी भी तरह के अन्याय की जांच और सुधार के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही को लागू करने हेतु एक प्रणाली को संस्थागत बनाना है। मोहतसीब को उन लोगों को मुआवजा देने का अधिकार दिया गया है, जिन्हें कुप्रबंधन के कारण क्षति पहुंची हो। हालांकि कुछ न्याय के मामले इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं जैसे व्यक्तिगत शिकायतें, सरकारी अधिकारियों के सेवा के मामले के साथ विदेशी मामले, राष्ट्रीय रक्षा एवं सशस्त्र सेवाओं से संबंधित मामले। यह संस्था प्रशासक एवं जनता के बीच की खाई को पाटने के लिए, प्रशासनिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए और विवेकाधीन शक्तियों के दुरूपयोग को रोकने में मदद करने को डिजाइन की गयी है।

पाकिस्तान की सेना ने पारम्परिक राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई है। यहाँ चार बार नागरिक सरकार पर सेना का कब्जा हुआ है। सैन्य सरकार का नेतृत्व (1960 के दशक में) जनरल अयूब खान और जनरल याहया खान (1970 के अंत और 1980 के दशक में), जनरल जिआउलहक (1998–2008 तक) तथा जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया। कुल मिलाकर सैन्य समर्थित नागरिक शासन देश के अस्तित्व के आधे वर्षों तक सत्ता में रहा। सेना की शक्ति नागरिक शासन के समय भी अपनी राजनैतिक भूमिका में काफी अधिक रही। सैन्य उच्च कमान कई बार सरकार तथा अन्य राज अधिकारियों एवं राजनैतिक नेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है। वह पाकिस्तान में सेना के आर्थिक हितों की भी रक्षा करता है। एक विश्लेषक के अनुसार सैन्य प्रगति और सेना के हितों की रक्षा के लिए उच्च सैन्य अधिकारी 'नीति निर्माण वातावरण' का ध्यान रखते हैं। यह उनके "आर्थिक हित" को बढ़ाने में लाभ प्रदान करता है। इस तरह की कार्यवाही गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है।

अपनी प्रगति जांचिए

5. कहां पर मजहब और संविधान साथ–साथ चलते हैं?
   (क) पाकिस्तान में (ख) दुबई में
   (ग) अफगानिस्तान में (घ) यूएई में
6. कितने वर्षों के कठिन प्रयासों के बाद पाकिस्तान के संविधान का निर्माण संभव हुआ?
   (क) छह वर्षों (ख) सात वर्षों
   (ग) आठ वर्षों (घ) नौ वर्षों

4.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (क)
3. (ग)
4. (घ)
5. (क)
6. (घ)

4.6 सारांश

चीन के इतिहास पर चीनी क्रान्ति का बड़ा प्रभाव पड़ा। व्हाइट् लोटस रिबेलियन (1796–1804) के आरम्भ संग समूची उन्नीसवीं शताब्दी चीन में क्रान्तियों से भर गयी। क्रान्तियां ज्यों–ज्यों गतिमान होती गयीं साम्राज्यी शासन की सत्ता व वर्चस्व क्षीण

होता गया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक सैन्य–विषयों में नागरिक–अधिकारी अत्यधिक संलग्न रहे। Ch'ing राजवंश 1890 के दशक तक समाप्तप्राय हो गया एवं क्रान्तिकारी भावना का विस्तार पूरे चीन तक होने लगा। इस क्रान्तिकारी भावना में राष्ट्रवादी उत्साह था एवं विदेशी सत्ताओं का उन्मूलन करने की दृढ़ता थी जो चीन को शिथिल करने के प्रयास कर रहे थे। चीन के समृद्ध जन शासन के कृत्यों के आधार पर कमजोर निवेशों के पक्ष में थे। चीन में क्रान्तिकारी बलों का अन्तिम व सबसे निर्णायक अवयव नगरीय विचारकों व अध्येताओं से सम्बन्धित था जो कि आधुनिकता व पश्चिम के अन्य मूल्यों को अंगीभूत करने की आवश्यकता अनुभव करते थे। इन बलों का मानना था कि चीन को समाज व प्रशासन में पारम्परिकतया धारित उपागमों को छोड़ने की आवश्यकता है; इन्होंने पाश्चात्य विचारशैली अपना ली। इन्होंने शासन को सत्ताच्युत कर दिया। विलगन के कई वर्षों बाद चीन एक राष्ट्रवादी शासन के अधीन एकजुट हो गया।

जनवादी गणराज्य चीन का राष्ट्रपति समूचे विश्व में सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाता है। इसकी शक्तियों को बहुधा अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियों के समतुल्य माना जाता है। जनवादी गणराज्य चीन के राष्ट्रपति का चयन राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है। यह कार्य सन् 1954 के संविधान द्वारा निर्धारित किया गया था। सन् 1954 में Mao Zedong को राष्ट्रीय जन कांग्रेस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस–एनसीपी पीपुल्स रिपबिल्क ऑफ चाइना की केंद्र सरकार का आवश्यक अंग है। इसके विशिष्ट स्वरूप और महत्व के कारण इसे सेंट्रल पीपुल्स गवर्नमेंट के अंगों में से एक माना जाता है। 1954 के संविधान के तहत नेशनल पीपुल्स कांग्रेस को काफी अधिकार दिए गए हैं, और यह राज्य की सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था और चीन की एकमात्र विधायी संस्था है। धारा 59 के अनुसार, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों, और नगरपालिकाओं से प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के तहत और सशस्त्र सेनाओं द्वारा गठित होती है।

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस–एनसीपी पीपुल्स रिपबिल्क ऑफ चाइना की केंद्र सरकार का आवश्यक अंग है। इसके विशिष्ट स्वरूप और महत्व के कारण इसे सेंट्रल पीपुल्स गवर्नमेंट के अंगों में से एक माना जाता है। 1954 के संविधान के तहत नेशनल पीपुल्स कांग्रेस को काफी अधिकार दिए गए हैं, और यह राज्य की सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था और चीन की एकमात्र विधायी संस्था है। धारा 59 के अनुसार, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों, और नगरपालिकाओं से प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के तहत और सशस्त्र सेनाओं द्वारा गठित होती है।

चीन की न्यायिक प्रणाली समाजवाद के प्राथमिक स्तर पर इसकी बुनियादी राष्ट्रीय परिस्थितियों के, जनता की लोकतांत्रिक तानाशाही की सरकारी प्रणाली के, और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की सरकारी प्रणाली के समतुल्य है। हालांकि, जैसे ही दुनिया के लिए देश को खोला गया है और समाजवादी बाजार में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई सारे सुधार लागू होना जारी है, वैसे ही लोगों के बीच कानून के शासन के बुनियादी सिद्धांत के व्यापक क्रियान्वयन की इच्छा और न्याय की मांग लगातार

बढ़ी है। इसका अर्थ है कि देश के न्यायिक सिस्टम में कुछ और सुधार तथा विकास की जरूरत है।

वास्तव में चीन बहुदलीय राज्य है, लेकिन यह सब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के तहत ही है। यह प्रणाली नेशनल फ्रंट ऑफ डेमोक्रेटिक जर्मनी की तरह कम्युनिस्ट युग से पूर्व के पूर्वी यूरोपीय देशों की लोकप्रिय राज्य प्रणालियों के काफी समान है। एक देश और दो पार्टी प्रणाली के तहत हांगकांग और मकाऊ को विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके पूर्व, दोनों ही यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। वर्तमान में, उनमें चीन की तुलना में एक अलग राजनीतिक प्रणाली है और दोनों में बहुदलीय व्यवस्था चल रही है।

विभाजन के साथ पाकिस्तान का स्वतंत्र देश के रूप में विकसित होना, साथ ही साथ क्षेत्र, जनसंख्या और पाकिस्तान की अन्तरिम सरकार का नवनिर्मित संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान में मजहब और संविधान साथ–साथ चलते हैँ। वैसे ये प्रगतिशील कारक आजादी के पश्चात धर्म निरपेक्षतावादी, वामपंथी (साम्यवादी एवं समाजवादी दोनों) सभी को शामिल करके एक मजबूत हितधारक की भूमिका निभाते हैं। इस्लाम की सामाजिक तथा राजनीतिक जड अरब से होने वाले व्यापार और सैन्य अभियानो (8वीं शताब्दी (A. D)) के माध्यम से फैली। इसके परिणाम स्वरूप कई धार्मिक दिग्गज इस्लाम के प्रचार के लिए, इस प्रान्त मे आकर बसे एवं शैक्षिक संस्थानों का निर्माण कराया, विशेषकर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद। 13वीं सदी से 19वीं सदी के अंतराल तक कई मुस्लिम वंशों का शासन इस उपमहाद्वीप पर हुआ, जिसके कारण इस दौरान इस्लाम का प्रचार बिना किसी सशक्त रूपांतर के संभव हो सका।

नौ वर्षों के कठिन प्रयासों के बाद पाकिस्तान के संविधान का निर्माण संभव हुआ जिसे 23 मार्च, 1956 को पूरे हर्ष के साथ देश में निष्पादित किया गया। परन्तु संविधान का निर्माण एक कुस्वप्न जैसा था, जिसके निर्माण काल में अत्यंत निकृष्ट राजनीतिक संघर्षों का जन्म हुआ जिसने पाकिस्तान की एकता पर प्रश्नचिन्ह खड़े करने के साथ ही असंतुष्टि एवं निराशा के भाव जनता के मन में पैदा कर दिए। जब पाकिस्तान की पहली संवैधानिक सभा ने अपने संविधान निर्माण का कार्य लगभग समाप्त कर लिया था, अक्टूबर 1954 में इस सभा को 'जनता का विश्वास' को खो देने के आधार पर भंग कर दिया गया। जिसका परिणाम यह हुआ की आजादी के लगभग सात साल के पश्चात् भी देश में एक सशक्त राजनैतिक संस्थान की कमी थी। पाकिस्तानी गवर्नल जनरल द्वारा पहली संविधानिक सभा को भंग करने के कारण एक सशक्त राजनैतिक व्यवस्था के निर्माण को लेकर जनता के भीतर एक अविश्वास की भावना पनपने लगी थी। पाकिस्तान की एक लिखित संविधान को रचने की अक्षमता इसकी छवि को विदेश में भी धूमिल करती दिख रही थी।

4.7 मुख्य शब्दावली

- **उन्मूलन** : जड़ से उखाड़ देना।
- **उपागम** : स्वीकृति।

- **विगलन** : नाश।
- **अवश्यंभावी** : अटल।
- **प्रसुप्त** : निष्क्रिय।
- **आभिजात्य** : कुलीनता।
- **ऐक्य** : एकता।
- **सहकार** : साथ काम करना।
- **संप्रभु** : सर्वप्रधान सत्ताधारी।
- **हुदूद कानून** : इसने ब्रिटिश शासन काल के पाकिस्तान दंड संहिता के कुछ हिस्सों को प्रतिस्थापित किया। नए अपराधों को जोड़ा गया, जैसे –दाम्पत्य विश्वासघात, अनैतिक यौन कर्म, सजा के तौर पर अंग भंग करना, कोडों की मार तथा फांसी।
- **मोहतासिब** : यह एक अधिकारी है जो कानूनों का पालन कराता है, और अपराधियों को दंडित करता है।
- **लोकपाल** : व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त एक अधिकृत व्यक्ति। ये शिकायतें निगम, संघ या विशेष तौर पर सार्वजनिक निकाय से होते हैं।
- **के पी के** : खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा, खैबर पख्तूनख्वा (पाकिस्तान प्रान्त) की एकपक्षीय विधायी निकाय है।

4.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. चीनी प्रांतों में क्रांति का प्रयास कितनी बार किया गया?
2. चीन के राष्ट्रपति की शक्तियों को किसके समतुल्य माना जाता है?
3. चीनी न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है?
4. चीन में सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है?
5. पाकिस्तान के संस्थापक एम.ए. जिन्ना कैसे राज्य की स्थापना हेतु आशावान थे?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. चीन के संविधान की खास बातों का उल्लेख करते हुए उसकी विवेचना कीजिए।
2. नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की चीनी सरकार में स्थिति बताते हुए इसकी संरचना की समीक्षा कीजिए।
3. चीन की न्यायिक प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
4. पाकिस्तान के संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

5. पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनके चयन की प्रक्रिया की समीक्षा कीजिए।

4.9 सहायक पाठ्य सामग्री

Kapur, A.C. and K.K. Mishra. 2006. *Selected Constitutions*. New Delhi: S Chand Publishing.

Mahajan, V.D. 1998. *Selected Modern Governments*. New Delhi: S Chand And Company.

Bhagwan, Vishnoo, Vidya Bhunan and Vandana Mohla. 2012. *World Constitutions: A Comparative Study*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.

Zhang, Quanfan. 2012. *The Constitution of China: A Contextual Analysis*. London, New York: Bloomsbury Publishing.

Aziz, Sadaf. 2018. *The Constitution of Pakistan: A Contextual Analysis*. London, New York: Bloomsbury Publishing.

Asian Development Bank. Devolution in Pakistan: Overview of the ADB/ World Bank Study. Department for International Development, World Bank (2004).

हैकेटट्ट जे. (Eds.). The Military Balance 2010. International Institute for Strategic Studies. लंदन, 2010.

Local Government Ordinance. Netherlands Institute for International Relations, Conflict Research Unit, Clingendael. The Hague, November 2010. MEZZERA, M., AFTAB, S. Pakistan

पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय, 2011. आर्थिक सर्वेक्षण 2010–2011. पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय, 2011.

पीलडत, The Calculus of Electoral Politics in Pakistan (1970-2008). Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency, PILDAT. इस्लामाबाद, जनवरी 2008.

इकाई 5 नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के संविधान की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं

संरचना

5.0 परिचय
5.1 उद्देश्य
5.2 नेपाल के संविधान की प्रकृति और प्रमुख विशेषताएं
5.3 भूटान के संविधान की प्रकृति और प्रमुख विशेषताएं
5.4 अफगानिस्तान के संविधान की प्रकृति और प्रमुख विशेषताएं
5.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
5.6 सारांश
5.7 मुख्य शब्दावली
5.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
5.9 सहायक पाठ्य सामग्री

5.0 परिचय

भारतीय उपमहाद्वीप के देश विविधताओं से परिपूर्ण हैं। इस भू–क्षेत्र में सबसे बड़ा व लम्बा तटवर्ती क्षेत्र भारत होने के कारण यह भू–भाग भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। भारत के उत्तर में नेपाल, उत्तर–पूर्व में भूटान व उत्तर–पश्चिम में अफगानिस्तान हैं। तीनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था एक–दूसरे से सर्वथा पृथक व अनूठी है। साथ ही साथ ये सारे देश नई–नई लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में आए हैं।

नेपाल में एक लम्बे संघर्ष के बाद राजशाही पर विजय हासिल कर पहली बार 2007 में एक संविधान पारित किया गया लेकिन फिर 2015 में 20 सितम्बर को एक नया और सर्वथा लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। भूटान ने अपने साम्राज्य में नया लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्रात्मक संविधान पारित कर निरंकुश राजशाही का अंत किया।

अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है। वर्ष 2004 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस्लामिक गणराज्य के वर्तमान संविधान को लागू किया।

इस इकाई में नेपाल, भूटान तथा अफगानिस्तान के संविधानों की प्रकृति एवं विशेषताओं का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है।

5.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- भारत के पड़ोसी देशों की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जान पाएंगे;
- नेपाल के नवनिर्मित संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान की विशेषताओं को जान पाएंगे;

- भूटान के लोकतांत्रिक राजतंत्र के संविधान की प्रकृति व विशेषताओं से अवगत होंगे;
- अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के संविधान की विशेषताओं से अवगत हो पाएंगे।

5.2 नेपाल के संविधान की प्रकृति और प्रमुख विशेषताएं

नेपाल ने अपने अंतरिम संविधान (2007) को हटा कर नया संविधान 20 सितम्बर 2015 को लागू किया। यह 35 भागों, 308 अनुच्छेदों और 9 अनुसूचियों में विभाजित है। संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है–

हम सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता,

नेपाल की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रीय एकता, स्वाधीनता और स्वाभिमान को अक्षुण्ण रख कर जनता के सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता और स्वशासन के अधिकार को आत्मसात् करते हुए,

राष्ट्रहित, लोकतंत्र और अग्रगामी परिवर्तन के लिए जनता के निरन्तर चलते आ रहे ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग और बलिदान के गौरवपूर्ण इतिहास को स्मरण कर एवं शहीदों तथा लापता और पीड़ित नागरिकों का सम्मान करते हुए,

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत और एकात्मक राज्यव्यवस्था का सृजन करने वाले सभी प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न का अन्त करते हुए,

बहु–जातीय, बहु–भाषी, बहु–धार्मिक, बहु–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताओं को आत्मसात् करते हुए, विविधता में एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक एकजुटता, सहिष्णुता और सद्भाव का संरक्षण और संवर्धन करते हुए, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषायी, धार्मिक, लैंगिक विभेद और सभी प्रकार के जातीय छुआछूत का अन्त कर आर्थिक समानता, समृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समानुपातिक, समावेशी और सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण का संकल्प लेते हुए,

जनता की प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम न्यायपालिका एवं कानूनी राज्य की अवधारणा सहित लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मान्यताओं पर आधारित समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध रह कर राष्ट्र निर्माण करते हुए,

संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम से स्थायी शान्ति, सुशासन, विकास एवं समृद्धि की आकांक्षा को पूरा करने के लिए संविधान सभा द्वारा पारित इस संविधान को जारी करते हैं।

आइए हम विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से नेपाल के संविधान की प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा करते हैं–

भाग 1 : प्रारंभिक

- मौलिक कानून के रूप में संविधान
  1. यह संविधान नेपाल के मौलिक कानून के रूप में है। इस संविधान से असंगत कोई भी कानून महत्वहीन माना जाएगा।
  2. इस संविधान का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा।
- संप्रभुता और राज्य प्राधिकरण– नेपाल की संप्रभुता और राज्य प्राधिकरण नेपाली लोगों में ही निहित होंगे। संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार इसका प्रयोग किया जाएगा।
- **राष्ट्र**– सभी नेपाली लोग, बहु–जातीय, बहुभाषी, बहु–धार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषताओं और भौगोलिक विविधताओं के साथ, सामान्य आकांक्षाएं रखते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय हित और समृद्धि के प्रति निष्ठा के बंधन से एकजुट होते हैं। इस प्रकार नेपाली राष्ट्र का सामूहिक रूप से गठन होता है।
- **नेपाल राज :**
  1. नेपाल एक स्वतंत्र, अविभाज्य, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, सामाजिकतावादी, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है।

     व्याख्याः इस अनुच्छेद के "धर्मनिरपेक्ष" शब्द का अभिप्राय धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता से है, जिसमें अनादि काल से प्रदत्त धर्म और संस्कृति की रक्षा भी शामिल है।
  2. नेपाल राज में वे क्षेत्र शामिल होंगेः
     (i) इस संविधान के प्रारंभ के समय विद्यमान क्षेत्र; और
     (ii) अन्य क्षेत्र जिनका संविधान के प्रारंभ होने के बाद अधिग्रहण किया गया हो।
- **राष्ट्रीय हित :**
  1. स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता, नेपाल की गरिमा की रक्षा, नेपाल के लोगों के अधिकार, सीमा सुरक्षा, आर्थिक भलाई और समृद्धि नेपाल के राष्ट्रीय हित के मूल तत्व होंगे।
  2. कोई भी आचरण और राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य संघीय कानून द्वारा दंडनीय होगा।
- **राष्ट्र की भाषाएँ** : नेपाल में मातृभाषा के रूप में बोली जाने वाली सभी भाषाएँ राष्ट्र की भाषाएँ हैं।
- **आधिकारिक भाषा :**
  1. देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा नेपाल की आधिकारिक भाषा होगी।
  2. एक राज्य, राज्य कानून के माध्यम से, राज्य के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक या एक से अधिक भाषाओं को नेपाली भाषा के अतिरिक्त आधिकारिक भाषा (ओं) के रूप में निर्धारित कर सकता है।

3. भाषा से जुड़े अन्य मामले भाषा आयोग की सिफारिश पर नेपाल सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।

- **राष्ट्रीय ध्वज :**
  1. नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दो त्रिकोणीय आकृतियों को ऊपर–नीचे रखकर बनाया गया है। जिनमें गहरा लाल रंग का आधार होता है और गहरे नीले रंग की सीमाएं होती हैं। ऊपरी भाग में सोलह में आठ दिखाई देने वाली किरणों के साथ अर्द्धचन्द्र का एक सफेद प्रतीक होता है और निचले हिस्से में सूरज की बारह किरणों का एक सफेद प्रतीक होता है।
  2. झंडा बनाने की विधि और अन्य विवरण अनुसूची–1 में दिए गए है।
- **राष्ट्रगान आदि :**
  1. नेपाल का राष्ट्रगान अनुसूची–2 में दिए गए रूप के अनुसार होगा।
  2. नेपाल का कोट–ऑफ–शेड्यूल अनुसूची–3 में दिए गए रूप के अनुसार होगा।
  3. बुरांश का फूल (Rhododendron Arboreum) राष्ट्रीय फूल है, गहरा लाल रंग राष्ट्रीय रंग है, गाय राष्ट्रीय पशु है और लोपोफोरस नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है।

भाग 2 : नागरिकता

- नागरिकता से वंचित नहीं करना :
  1. नेपाल का कोई भी नागरिक, नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं होगा।
  2. नेपाल में राज्य पहचान के साथ एकल संघीय नागरिकता का प्रावधान है।
- नेपाल का नागरिक होना :
  1. जिस व्यक्ति ने इस संविधान की शुरुआत के समय नागरिकता प्राप्त की है या वह इस भाग के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के योग्य है, वह नेपाल का नागरिक होगा।
  2. संविधान के प्रारंभ होने से पहले नेपाल में स्थायी अधिवास रखने वाले मूल व्यक्तिओं की निम्न रूप से नागरिकता मान्य होगी–
     (i) यदि उस व्यक्ति ने संविधान के प्रारंभ होने से पहले नेपाल की नागरिकता प्राप्त की हो,
     (ii) यदि उसके जन्म के समय उसके माँ अथवा बाप में किसी के पास नेपाल की नागरिकता हो।
  3. नेपाल के संविधान के प्रारंभ से पूर्व नागरिकता प्राप्त नागरिक (दोनों माँ–बाप) का बच्चा, वंशानुगत नागरिकता पाएगा।
  4. हर नाबालिग जो नेपाल के भीतर पाया गया हो और उसके माँ–पिता का कोई पता ना हो, उसे उसके माँ अथवा पिता के पता लगने तक नेपाल का नागरिक माना जाएगा।

5. एक व्यक्ति जिसका नेपाल में एक ऐसी महिला से जन्म हुआ हो जो नेपाल की नागरिक है और उसने नेपाल में निवास किया है, परन्तु उसके पिता का पता नहीं हो उसको वंश परम्परा से नेपाल की नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसके पिता के विदेशी नागरिकता होने पर संघीय कानून के द्वारा ऐसी नागरिकता को प्राकृतिक नागरिकता में बदल दिया जाएगा।
6. एक विदेशी महिला जिसका नेपाल के नागरिक के साथ वैवाहिक संबंध हो, वह चाहे तो संघीय कानून के द्वारा नेपाल की प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त कर सकती है।
7. नेपाल की नागरिकता प्राप्त कोई भी महिला जो किसी विदेशी से विवाहित हो, उसकी संतान अगर नेपाल में वास कर रही है, और उसे किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है, तो संघीय कानून के माध्यम से उसे प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त होगी। अगर नागरिकता कानून के अधिनियम के पहले से किसी व्यक्ति के माता–पिता नेपाल के नागरिक हों और उसका जन्म बाद में होता है तो उसे नागरिकता वंशानुगत प्राप्त होगी।
8. इस अनुच्छेद में उल्लेखित मामलों के अलावा, नेपाल सरकार संघीय कानून के अनुसार किसी को नेपाल की प्राकृतिक नागरिकता प्रदान कर सकती है।
9. नेपाल सरकार, संघीय कानून के अनुसार, नेपाल की मानद नागरिकता प्रदान कर सकती है।
10. जब भी किसी क्षेत्र का नेपाल में विलय या अधिग्रहण किया जाएगा, तो उस क्षेत्र के नागरिकों को संघीय कानून के माध्यम से नेपाल की नागरिकता प्रदान की जाएगी।
11. वंश और लिंग की पहचान के साथ नागरिकता– जो व्यक्ति संविधान के अनुसार नेपाल की नागरिकता प्राप्त करता है, वह अपने माँ या पिता के नाम से लिंग पहचान के साथ नेपाल की नागरिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
12. नागरिकता का अधिग्रहण, पुनः प्राप्ति और समाप्ति– नागरिकता का अधिग्रहण, पुनः प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित अन्य मामले संघीय कानून के अनुसार होंगे।
13. अनिवासी नेपालियों को नागरिकता प्रदान करने की शक्ति– नेपाल की गैर–आवासीय नागरिकता ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जिसने किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, तथा दक्षिण एशियाई संघ के सदस्य राज्य के अलावा किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। कोई व्यक्ति जिसके दादा–दादी, माता–पिता पहले नेपाल के नागरिक थे, लेकिन बाद में विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली। ऐसे व्यक्ति को संघीय कानून के अनुसार अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासतों का आंनद लेने का अधिकार होगा।
14. नेपाल की नागरिकता से संबंधित अन्य प्राधिकरण– नेपाल के प्रत्येक नागरिक की पहचान स्थापित करने वाले अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित

अन्य मामले और नेपाल की नागरिकता, संघीय कानून के अनुसार प्रदान की जाएगी।

भाग 3 : मौलिक अधिकार और कर्तव्य

- **सम्मान के साथ जीने का अधिकार :**
  1. प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार होगा।
  2. ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जिससे किसी को फांसी की सजा हो।
- **स्वतंत्रता का अधिकारः**
  1. कानूनी मामलों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
  2. प्रत्येक नागरिक के पास निम्नलिखित स्वतंत्रता होंगी–
     (i) राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
     (ii) शांतिपूर्वक, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता,
     (iii) राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता,
     (iv) यूनियन और संघों के गठन की स्वतंत्रता,
     (v) नेपाल के किसी भी भाग में जाने और निवास करने की स्वतंत्रता
     (vi) किसी भी पेशे का अभ्यास करने, किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने और नेपाल के किसी भी हिस्से में कोई भी उद्योग, व्यापार और व्यवसाय को स्थापित करने और संचालित करने की स्वतंत्रता।

सुनिश्चित किया गया है कि–

- उप–खंड (क) में ऐसे कोई भी अधिनियम के निर्माण को उचित नहीं समझा जाएगा, जो नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता या संघीय इकाइयों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कम कर सकता हो या विभिन्न जातियों, जनजातियों, धर्मों, समुदायों के लोग या जातिगत भेदभाव या अस्पृश्यता को उकसाता हो या किसी भी तरह के श्रम, मानहानि, अदालत की अवमानना, अपमान करना या किसी ऐसे कृत्य जो सार्वजनिक शालीनता या नैतिकता के विपरीत हो।
- उप–खंड (ख) में ऐसे कोई भी अधिनियम के निर्माण को उचित नहीं समझा जाएगा, जो नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता और नेपाल की स्वतंत्रता या संघीय इकाइयों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कम करता हो या सार्वजनिक शांति या व्यवस्था को कम कर सकता हो।
- उप–खंड (ग) में ऐसे कोई भी अधिनियम के निर्माण को उचित नहीं समझा जाएगा, जो नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता और नेपाल की स्वतंत्रता या संघीय इकाइयों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कम करता हो, नेपाल की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न करता हो, राष्ट्र के खिलाफ जासूसी का काम करता हो, या राष्ट्रीय गोपनीय मामलों, विदेशी राज, संगठन या किसी

प्रतिनिधि को नेपाल की सुरक्षा कमजोर करने या देशद्रोह या किसी अन्य राज्य से सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कम करने के लिए किसी भी तरह से सहयोग प्रदान करता हो या विभिन्न जातियों, जनजातियों, धर्मों और समुदायों के बीच, या किसी भी कार्य के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध, जनजाति के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता, या प्रतिबंध, भाषा, धर्म, समुदाय या लिंग या किसी भी राजनीतिक दल के गठन के साथ सार्वजनिक नैतिकता के विपरीत नागरिकों के बीच भेदभाव या हिंसक कृत्यों को उकसाने के लिए किया गया हो।

- उप–खंड (घ) में ऐसे कोई भी अधिनियम के निर्माण को उचित नहीं समझा जाएगा, जो नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता और नेपाल की स्वतंत्रता या संघीय इकाइयों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कम करता हो, नेपाल की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न करता हो, राष्ट्र के खिलाफ जासूसी का काम करता हो, या राष्ट्रीय गोपनीय मामलों, विदेशी राज, संगठन या किसी प्रतिनिधि को नेपाल की सुरक्षा कमजोर करने या देशद्रोह या किसी अन्य राज से सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कम करने के लिए किसी भी तरह से सहयोग प्रदान करता हो या विभिन्न जातियों, जनजातियों, धर्मों और समुदायों के बीच, या संघीय इकाइयों और राज्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधो को कम करता हो या सार्वजनिक नैतिकता के विपरीत नागरिकों के बीच भेदभाव या हिंसक कृत्यों को उकसाने के लिए किया गया हो।
- उप–खंड (ङ) में ऐसे किसी भी अधिनियम निर्माण को उचित नहीं समझा जाएगा जो आम जनता के हित को कम कर सकता हो या संघीय इकाइयों या विभिन्न जातियों, जनजातियों, धर्मों या समुदायों के लोगों के बीच के सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कमजोर कर सकता हो या हिंसक कृत्यों उकसाता हो।
- उप–खंड (च) में किसी भी अधिनियम के निर्माण को उचित नहीं समझा जाएगा जो संघीय इकाइयों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कमजोर कर सकता हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य, शालीनता या सामान्य जनता की नैतिकता के विपरीत हो या राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करता हो जिससे वह किसी विशिष्ट उद्योग, व्यापार या सेवा की जिम्मेदारी खुद ले या किसी भी प्रकार का उद्योग, व्यापार, रोजगार या व्यवसाय को शुरू करने के लिए शर्त या योग्यता निर्धारित करे।
- **समानता का अधिकार :**

  1. सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
  2. धर्म, जाति, जनजाति, लिंग, शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था,आर्थिक स्थिति, भाषा, क्षेत्र, विचारधारा या इसी तरह के अन्य आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
  3. राज्य मूल, धर्म, जाति, जनजाति, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा, क्षेत्र, विचारधारा या इसी तरह के अन्य आधारों पर कानून के समक्ष कोई भेदभाव नहीं किया

जाएगा। सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से वो वर्ग जिनके अंतर्गत, दलित, स्वदेशी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीड़ित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, हाशिए पर रहने वाले वर्ग, किसान, मजदूर, युवा, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, लिंग और यौन अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्ति, गर्भावस्था में स्त्री, अक्षम, असहाय, पिछड़ा क्षेत्र, गरीब 'अजीर्ण' आते है इनके लिए कानून द्वारा विशेष प्रावधानों को बनाने से रोकने वाले किसी भी तथ्य को अमान्य मना जाएगा। **स्पष्टीकरणः** इस भाग और भाग 4 के, "अजीर्ण" का अर्थ संघीय कानून द्वारा निर्दिष्ट आय से कम अर्जित करने वाला व्यक्ति से है।

4. समान कार्य के लिए पारिश्रमिक के संबंध में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उस कार्य हेतु समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
5. सभी संतानों को बिना किसी लैंगिक भेदभाव के पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा।

- **संचार का अधिकार :**

1. किसी समाचार, संपादकीय का प्रकाशन, प्रसारण, मुद्रण, या किसी भी माध्यम से लेख या अन्य दृश्य–श्रव्य सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन सहित, प्रसारण और मुद्रण पर सेंसर नहीं लगाया जाएगा। इसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए किसी भी अधिनियम को उचित नहीं समझा जाएगा। वह कार्य जो संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, नेपाल की राष्ट्रीयता को कम करता हो या संघीय इकाइयों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध, विभिन्न जातियों, जनजातियों, धर्म, समुदाय के मध्य तनाव उत्पन्न करता हो या देशद्रोह, मानहानि, अवमानना के किसी भी कृत्य पर अदालत के विरुद्ध अपराध के लिए उकसाता हो, या किसी भी अधिनियम पर, जो सार्वजनिक शालीनता के विपरीत हो सकता है। नैतिकता,अस्पृश्यता के साथ–साथ लैंगिक भेदभाव, श्रम और जाति–आधारित घृणा को उकसाने के किसी भी कार्य लिए बनाया गया हो उसपर उचित प्रतिबन्ध लगाया जाएगा।
2. रेडियो, टेलीविजन, ऑन–लाइन या अन्य किसी प्रकार के डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रेस या अन्य किसी समाचार, फीचर, संपादकीय को प्रकाशित करने, प्रसारित करने या छापने के साधन या अन्य सामग्री जब्त नहीं की जाएगी और न ही प्रकाशन, प्रसारण या मुद्रण के कारण ऐसी सामग्री के पंजीकरण को रद्द किया जाएगा। इस खंड में निहित कोई बिंदु मान्य नहीं होगा जो संचार व्यवस्था के लिए अधिनियम बनाने में बाधा उत्पन्न करे।
3. प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण और टेलीफोन सहित संचार का कोई साधन, कानून के अतरिक्त किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होगा ।

- **न्याय से संबंधित अधिकार :**

1. किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

2. जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, उसे अपने कानूनी वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। उन दोनों के मध्य किया गया कोई भी परामर्श गोपनीय रखा जाएगा।

   यह खंड किसी दुश्मन राज्य के नागरिक पर लागू नहीं किया जाएगा।

   स्पष्टीकरण : इस खंड में, "कानूनी व्यवसायी" का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो कानून द्वारा अधिकृत है और किसी भी अदालत में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

3. जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उसे चौबीस घंटों के भीतर प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। इस तरह की गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि, से यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर अधिकारी के आदेश के सिवाय उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जाएगा। यह क्लॉज किसी दुश्मन राज के नागरिक के लिए मान्य नहीं होगा।
4. कोई भी व्यक्ति उस अधिनियम के लिए सजा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो कानून द्वारा दंडनीय नहीं था, और न ही किसी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित उसके अपराध की तुलना में अपराध से अधिक सजा दी जाएगी।
5. अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति तब–तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि दोष साबित न हो।
6. किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार न्यायालय में एक ही अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा।
7. अपराध के लिए आरोपित कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
8. प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह उसके खिलाफ की गई किसी कार्यवाही से अवगत हो।
9. प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम अदालत या न्यायिक निकाय द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही का अधिकार होगा।
10. किसी भी दल को कानून के अनुसार मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार होगा।

- **अपराध से प्रभावित व्यक्तियों का अधिकार :**

1. अपराध से प्रभावित व्यक्ति, एक ऐसे मामले की कार्यवाही जिसमें वह पीड़ित है की जांच के बारे में जानकारी पाने का अधिकारी होगा।
2. अपराध से प्रभावित व्यक्ति को सामाजिक पुनर्वास सहित न्याय का अधिकार होगा।

- **यातना के खिलाफ अधिकार :**

1. किसी भी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर शारीरिक, मानसिक यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा।

2. खंड (1) में उल्लिखित कानून के विपरीत कोई भी काम दंडनीय होगा, और कोई भी व्यक्ति, जो इस तरह के व्यवहार से पीड़ित है, कानून के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

- **अपराध निवारक निरोध के खिलाफ अधिकार :**

1. किसी भी व्यक्ति को तब तक निवारक निरोध के तहत हिरासत में नहीं रखा जाएगा जब तक वह नेपाल के अस्तित्व, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता या सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए तत्काल खतरा न हो।
2. एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत की गई है, खंड (1) अनुसार उसकी सूचना उसके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को तुरंत दी जानी चाहिए। यह खंड किसी दुश्मन राज्य के नागरिक पर लागू नहीं होगा।
3. यदि निवारक निरोध बनाने वाला प्राधिकारी किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार करता है, तो निवारक निरोध के तहत रखे गए व्यक्ति को कानून के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

- **अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ अधिकार :**

1. किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में, किसी निजी या सार्वजनिक स्थानों पर उसकी उत्पति, जाति, जनजाति, समुदाय, पेशा या शारीरिक स्थिति के आधार पर गैर–बराबरी या भेदभाव नहीं किया जाएगा।
2. किसी सामान, सेवाओं या सुविधाओं का उत्पादन या वितरण करने से या उसे खरीदने से किसी विशेष जाति या जनजाति को रोका नहीं जाएगा, न ही किसी खास जाति, जनजाति से संबंधित व्यक्ति को ऐसे सामान, सेवाएं या सुविधाएं बेची, वितरित या प्रदान की जाएंगी।
3. किसी भी व्यक्ति या समुदाय को मूल, जाति, जनजाति या शारीरिक स्थिति के आधार पर श्रेष्ठ या निम्न नहीं समझा जाएगा। सामाजिक भेदभाव को उचित ठहराने के लिए, किसी विचारधारा का प्रचार करने या किसी भी प्रकार से जाति–आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित करने की अनुमति नहीं होगी।
4. किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी रूप में जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
5. इस अनुच्छेद के कानून का उल्लंघन कर किसी भी तरह की छुआछूत और भेदभाव का कोई भी कार्य एक गंभीर सामाजिक अपराध के रूप में दंडनीय होगा और इस तरह के अपराध का शिकार व्यक्ति कानून के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

- **संपत्ति से संबंधित अधिकार :**

1. प्रत्येक नागरिक को कानून के अधीन अपनी संपत्ति का स्वामित्व, बेचने और खरीदने का अधिकार होगा और वह उससे व्यावसायिक लाभ उठा सकेगा। उसकी संपत्ति पर राज्य प्रगतिशील कराधन की अवधारणा के अनुसार कर लगा सकता है।

स्पष्टीकरण : इस अनुच्छेद में प्रयुक्त, "संपत्ति" का अर्थ है कोई भी चल और अचल रूप के साथ–साथ बौद्धिक संपदा संपत्ति।

2. राज्य किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति या किसी सार्वजनिक संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा, यह खंड उस संपत्ति पर लागू नहीं होगा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से हासिल की गई हो।
3. खंड (2) के अनुसार सार्वजनिक हित के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए जाने वाले मुआवजे की प्रक्रियाओं का आवश्यकता के अनुसार पालन किया जाना चाहिए।
4. खंड (2) और (3) के प्रावधान राज्य का अपने अनुसार भूमि सुधार, प्रबंधन और विनियमन करने भूमि के उत्पाद और उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण करने कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आवास नियोजित और शहरी विकास करने के लिए प्रावधान बनाने से नहीं रोकेंगे।
5. राज्य को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा, जो उसने जनता के हित के लिए खंड (3) के अनुसार अपेक्षित किया है।

- **धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार :**

1. धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार अपने धर्म को निभाने, अभ्यास करने और उसकी रक्षा करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी
2. प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक स्थलों के संचालन और सुरक्षा के साथ ट्रस्ट की सुरक्षा का अधिकार होगा। किसी भी माध्यम से कोई भी कानून को सही नहीं समझा जाएगा जो कानून द्वारा इन धार्मिक स्थलों, धार्मिक ट्रस्टों और संपत्तियों के प्रबंधन की सुरक्षा को रोके ।
3. कोई व्यक्ति इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार के अभ्यास में यह ध्यान रखेगा कि उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, शालीनता और नैतिकता के विपरीत न हो जो सार्वजनिक शांति को भंग करे, या किसी को धर्म परिवर्तन कराये जो किसी दूसरे धर्म को स्वीकार्य ना हो, ऐसा काम कानून के द्वारा सजा का हकदार होगा।

- **सूचना का अधिकार :**

प्रत्येक नागरिक को सूचना मांगने और प्राप्त करने का अधिकार होगा जो उसके हित या सार्वजनिक हित से संबंधित हो। किसी को ऐसी सूचना के लिए मजबूर न किया जाए जो कानून के अनुसार गोपनीय रखने योग्य हो।

- **निजता का अधिकार :**

किसी भी व्यक्ति की निजता, उसके निवास, संपत्ति, दस्तावेज, डेटा, पत्राचार और उसके चरित्र से संबंधित मामले निजी रखे जाएंगे व कानून के अनुसार ही ऐसी किसी सूचना को दिया जाएगा।

- **शोषण के विरुद्ध अधिकार :**

1. प्रत्येक व्यक्ति के पास शोषण के खिलाफ अधिकार होगा।

2. किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से धर्म, रीति, परंपरा के आधार पर उपयोग, अभ्यास या किसी अन्य आधार पर शोषण नहीं किया जाएगा।
3. किसी की तस्करी नहीं की जाएगी और न ही उसे दासता में रखा जाएगा।
4. किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि राज्य को सशक्त करने या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया हो।
5. अधिनियम (3) और (4) के विपरीत कोई काम करने वाला अपराधी कानून द्वारा दण्डित होगा और पीड़ित के पास मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

- **स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार :**

1. प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार होगा।
2. पर्यावरण प्रदूषण या गिरावट के कारण पीड़ित को किसी भी चोट के लिए, कानून के अनुसार, मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।
3. यह अनुच्छेद पर्यावरण और विकास के बीच उचित संतुलन बनाने और राष्ट्र के विकास कार्यों के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

- **शिक्षा से संबंधित अधिकार :**

1. प्रत्येक नागरिक को मूल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
2. प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक स्तर तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा और राज्य द्वारा माध्यमिक स्तर तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।
3. कानून के अनुसार विकलांग नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।
4. कानून के तहत दृष्टिबाधित नागरिकों को ब्रेल लिपि के माध्यम से और सुनने या बोलने में अक्षम नागरिकों को चिन्हों के माध्यम से मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।
5. नेपाल में रहने वाले प्रत्येक नेपाली समुदाय को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, इस उद्देश्य के लिए कानून के अनुसार स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने और संचालित करने का भी अधिकार होगा।

- **भाषा और संस्कृति का अधिकार :**

1. प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को अपनी भाषाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा।
2. प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को अपने सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार होगा।

3. नेपाल में रहने वाले प्रत्येक नेपाली समुदाय को उसकी भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता और विरासत का संरक्षण और संवर्धन का अधिकार होगा।

- **रोजगार का अधिकार :**

1. प्रत्येक नागरिक को रोजगार का अधिकार होगा। रोजगार और बेरोजगारी के नियम और शर्तें, संघीय कानून में प्रदान किया की जाएंगी।
2. प्रत्येक नागरिक को रोजगार चुनने का अधिकार होगा।

- **श्रम का अधिकार :**

1. प्रत्येक मजदूर को उचित श्रम पर अभ्यास करने का अधिकार होगा।

   स्पष्टीकरणः इस अनुच्छेद में, "मजदूर" का अर्थ है एक श्रमिक या मजदूर जो पारिश्रमिक के लिए किसी नियोक्ता के पास शारीरिक या मानसिक कार्य करता है।

2. प्रत्येक मजदूर को उचित पारिश्रमिक, सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के लिए अंशदान का अधिकार होगा।
3. कानून के अनुसार प्रत्येक मजदूर को ट्रेड यूनियनों के गठन और उनमें सामूहिक रूप से शामिल होने और जुड़ने का अधिकार होगा।

- **स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार :**

1. प्रत्येक नागरिक को राज्य से बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त पाने का अधिकार होगा और कोई भी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं होगा।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने चिकित्सा उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
3. प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुँच होगी।
4. प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का अधिकार होगा।

- **भोजन से संबंधित अधिकार :**

1. प्रत्येक नागरिक को भोजन से संबंधित अधिकार होगा।
2. प्रत्येक नागरिक को जीवन में भोजन की कमी से आए खतरे से सुरक्षित रहने का अधिकार होगा।
3. प्रत्येक नागरिक को कानून के अनुसार खाद्य सम्बंधित संप्रभुता का अधिकार होगा।

- **आवास का अधिकार :**

1. प्रत्येक नागरिक को उचित आवास का अधिकार होगा।
2. कानून के अलावा किसी भी नागरिक को उसके निवास के स्वामित्व से बेदखल नहीं किया जाएगा या उसके निवास का उलंघन नहीं किया जाएगा।

- **महिलाओं के अधिकार :**

1. प्रत्येक महिला का लिंग आधारित भेदभाव के बिना वंशावली में समान अधिकार होगा।
2. प्रत्येक महिला को सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ प्रजनन का अधिकार होगा।
3. किसी भी महिला को धर्म, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा, व्यवहार या किसी अन्य आधार पर शारीरिक, मानसिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या अन्य प्रकार के हिंसा या शोषण के अधीन नहीं किया जाएगा। ऐसा काम कानून द्वारा दंडनीय होगा और पीड़िता को कानून के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
4. बराबरी के सिद्धांत के अनुसार महिलाओं को राज्य के सभी निकायों में भाग लेने का अधिकार होगा।
5. महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में विशेष अवसर और सामाजिक सुरक्षा में सकारात्मक भेदभाव के साथ विशेष छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा।
7. पति या पत्नी को संपत्ति और पारिवारिक मामलों में समान अधिकार होगा।

- **बच्चे के अधिकार :**

1. प्रत्येक बच्चे को अपनी पहचान के साथ नाम और जन्म पंजीकरण कराने का अधिकार होगा।
2. प्रत्येक बच्चे को परिवार और राज्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, रखरखाव, उचित देखभाल,मनोरंजन और खेल का अधिकार होगा।
3. प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक बाल विकास और बाल भागीदारी का अधिकार होगा।
4. किसी भी कारखाने में काम करने के लिए किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखा जाएगा, इस तरह के किसी भी अन्य खतरनाक काम में बच्चों को नहीं रखा जाएगा।
5. किसी भी बच्चे का बाल विवाह या अवैध रूप से अपहरण नहीं किया जाएगा। उसे बंधक भी नहीं बनाया जाएगा।
6. किसी भी बच्चे को सेना, पुलिस या किसी भी सशस्त्र समूह में भर्ती नहीं किया जाएगा और न ही उसके अधीन किया जाएगा। सांस्कृतिक या धार्मिक परंपराओं के नाम पर उनका दुरुपयोग, बहिष्कार या शारीरिक, मानसिक, यौन या अन्य किसी भी तरह से शोषण अनुचित माना जाएगा।
7. किसी भी बच्चे को घर, स्कूल या किसी अन्य जगह पर शारीरिक या मानसिक या किसी अन्य प्रकार की यातना के अधीन नहीं किया जाएगा।
8. प्रत्येक बच्चे को किशोर न्याय के अनुकूल न्याय का अधिकार होगा।
9. वह बच्चा जो असहाय, अनाथ, विकलांग, संघर्ष का शिकार, विस्थापित या कमजोर है, राज्य से विशेष सुरक्षा और सुविधाओं का अधिकारी होगा।

10. खंड (4), (5), (6) और (7) के विपरीत कोई भी कृत्य कानून द्वारा दंडनीय होगा और इस तरह के कृत्य का शिकार होने वाला बच्चा, कानून के अनुसार अपराधी से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

- **दलित के अधिकार :**

1. दलित को बराबरी के सिद्धांत के तहत राज्य के सभी निकायों में भाग लेने का अधिकार होगा। दलित समुदाय के उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान किए जाएँगे।
2. दलित छात्रों के लिए कानून द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति के साथ मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए दलितों के लिए कानून द्वारा विशेष प्रावधान किया जाएगा।
3. दलित समुदाय को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून द्वारा विशेष प्रावधान किया जाएगा।
4. दलित समुदाय को अपने पारंपरिक व्यवसाय, ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी के उपयोग, सुरक्षा और विकास का अधिकार होगा। उनके पारंपरिक व्यवसाय से संबंधित आधुनिक व्यवसाय में राज्य दलितों को प्राथमिकता देगा और उन्हें कौशल प्रदान करते हुए आधुनिक संसाधनों को उपलब्ध कराएगा।
5. राज्य भूमिहीन दलित को कानून के अनुसार एक बार भूमि प्रदान करेगा।
6. राज्य, कानून के अनुसार, उन दलितों के लिए आवास की व्यवस्था करेगा, जिसके पास आवास नहीं है।
7. दलित समुदाय में इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को उचित रूप में वितरित किया जाना चाहिए ताकि सभी समुदायों में दलित महिला, पुरुष इस तरह की सुविधाएं को सही अनुपात में प्राप्त कर सकें।

- **वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार :**

वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुरक्षा और राज्य से सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होगा।

- **सामाजिक न्याय का अधिकार :**

1. सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं, दलित, स्वदेशी, राष्ट्रीयता, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्ति, हाशिए पर पड़े समुदाय, मुस्लिम, पिछड़े वर्ग, लिंग और यौन अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदूर, दलित या पिछड़े क्षेत्रों के नागरिकों को समावेशी सिद्धांत के आधार पर राज्य निकाय में भाग लेने का अधिकार है।
2. विलुप्त होने की कगार पर मौजूद समुदायों के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, भोजन में विशेष अवसर और लाभ पाने का अधिकार होगा और उन्हें संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण और विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा का भी अधिकार होगा।

टिप्पणी

3. विकलांग नागरिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होगा। उनकी विकलांगता की पहचान के साथ उन्हें सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं में समान अधिकार प्राप्त होगा।
4. प्रत्येक किसान को कृषि गतिविधियों के लिए भूमि का उपयोग करने, चयन करने और सुरक्षा करने का अधिकार होगा। पारंपरिक बीज और कृषि प्रजातियाँ जिनका उपयोग पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है, कानून के अनुसार उनके संरक्षण का अधिकार होगा।
5. शहीद जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया उनके परिवार, वे व्यक्ति जो गायब होने के लिए मजबूर किए गए, जो लोग नेपाल में प्रगतिशील लोकतांत्रिक परिवर्तनों के लिए किए गए सशस्त्र संघर्षों, क्रांतियों, आंदोलनों में अक्षम और घायल हो गए, लोकतंत्र सेनानी, संघर्ष पीड़ित और विस्थापित, विकलांग व्यक्ति, घायल और पीड़ितों को न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा में उचित सम्मान के साथ, प्राथमिकता वाले अवसर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

- **सामाजिक सुरक्षा का अधिकार** :

असहाय नागरिक, असहाय अकेली महिलाएं, विकलांग नागरिक, असहाय बच्चे, जो खुद की देखभाल नहीं कर सकते हैं और विलुप्त होने की कगार पर मौजूद जनजातियों के नागरिकों को कानून के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होगा।

- **उपभोक्ता के अधिकार :**

1. प्रत्येक उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण सामान और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा।
2. ऐसा व्यक्ति जिसे किसी घटिया सामान या सेवाओं से नुकसान पंहुचा है, कानून के अनुसार उसे मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है।

- **निर्वासन के खिलाफ अधिकार** : कोई भी नागरिक निर्वासित नहीं किया जाएगा।
- **संवैधानिक उपाय का अधिकार** : इस भाग के अनुसार अनुच्छेद 133 या 144 में संवैधानिक उपाय प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- **मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन** : संविधान के प्रारंभ होने के तीन वर्षों के भीतर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का कार्यान्वयन किया जाएगा। राज्य, आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान करेगा।
- **नागरिकों के कर्तव्य :**

प्रत्येक नागरिक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:

1. राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहते हुए नेपाल की राष्ट्रीयता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना,
2. संविधान और कानून का पालन करना,
3. राज्य द्वारा मांगे जाने पर अनिवार्य रूप से सेवा प्रदान करना,
4. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करना।

भाग 4 : निदेशात्मक सिद्धांत, नीति और राज्यों का दायित्व

- **सिद्धांतों का मार्गदर्शन करना :**

1. इस भाग में निर्धारित निर्देश, नीतियां, दायित्व और सिद्धांत राज्य के शासन के लिए मार्गदर्शक होंगे।
2. राज्य इस भाग में निर्धारित सिद्धांतों, नीतियों और दायित्वों को लागू करने के लिए आवश्यकतानुसार साधन जुटाएगा।

- **निदेशक सिद्धांत :**

1. राज्य का राजनीतिक उद्देश्य लोक कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करना होगा। शासन के माध्यम से जीवन के सभी पहलुओं में एक उचित प्रणाली स्थापित करके मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों, लैंगिक समानता, कानून के आनुपातिक, मूल्य और मानदंड का समावेश, भागीदारी, सामाजिक न्याय, के साथ जीवन, संपत्ति की रक्षा करना, स्वतंत्रता, संप्रभुता, प्रादेशिकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, लोगों की समानता, स्वतंत्रता, अखंडता और नेपाल की स्वतंत्रता, और एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को मजबूत करने के साथ अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना होगा। लोकतंत्र में एक ही समय में संघीय इकाइयों के बीच संबंधों को बनाए रखने के साथ सहकारी संघवाद का आधार और आनुपातिक भागीदारी के सिद्धांत को शामिल करना स्थानीय स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन प्रणाली को स्थापित करना होगा ।
2. राज्य का सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य एक सभ्य और समतावादी राज का निर्माण करना होगा। इसमें सभी प्रकार के भेदभाव, शोषण और अन्याय को समाप्त करके लोकतंत्र समर्थक लोगों का बढ़ावा देना, उद्यमशीलता, अनुशासन, गरिमा, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, सांस्कृतिक विविधता को पहचानते हुए सामाजिक सामंजस्य, एकजुटता और सद्भाव बनाए रखना शामिल होगा।
3. राज्य का आर्थिक उद्देश्य एक स्थायी आर्थिक विकास प्राप्त करना होगा। उपलब्ध साधनों एवं संसाधनों के माध्यम से अधिकतम और तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करते हुए, सार्वजनिक, निजी और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। विकास के माध्यम से एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा। शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए समान वितरण के माध्यम से आर्थिक असमानता को समाप्त करना होगा।
4. राज्य विश्व समुदाय में राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाने की दिशा में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्देशित करेगा, संप्रभु समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नेपाल के हित की रक्षा करेगा ।

• राज्य की नीतियां :

राज्य निम्नलिखित नीतियों का अनुसरण करेगा :

1. राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नीतियां–
   (क) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते हुए नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना,
   (ख) संघीय इकाइयों के बीच आपसी सहकारी संबंधों को विकसित करते हुए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और विभिन्न जातियों, जनजातियों, धर्म, भाषा, संस्कृति और समुदाय के बीच आपसी सामंजस्य, सद्भाव और एकजुटता को बनाए रखना।
   (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली विकसित करके कानून–व्यवस्था बनाए रखना,
   (घ) समग्र मानव सुरक्षा प्रणाली की गारंटी देना,
   (ङ) नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल सहित सभी सुरक्षा अंगों को सक्षम, मजबूत, पेशेवर, समावेशी बनाने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के तहत लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना,
   (च) नागरिकों को जरूरी पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार करना और सक्षम बनाना,
   (छ) राष्ट्र के हित में, पूर्व कर्मचारियों, सेना और पुलिस सहित सार्वजनिक कर्मचारीयों के ज्ञान, कौशल और अनुभवों का उचित उपयोग करना।
2. राज्य की राजनीतिक और शासन प्रणाली से संबंधित नीतियां–
   (क) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के माध्यम से लोगों के सर्वोत्तम हितों और समृद्धि की गारंटी देना तथा राजनीतिक विकास और उपलब्धियों की सुरक्षा करना ,
   (ख) मानव अधिकारों की रक्षा करके और बढ़ावा देकर कानून के शासन को बनाए रखना,
   (ग) जिन समझौतों में नेपाल सदस्य है उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना,
   (घ) अच्छी प्रशासन की गारंटी देने के साथ राज द्वारा वितरित सेवाओं और सुविधाओं को लोगों में समान और आसान पहुँच सुनिश्चित कराके सार्वजनिक प्रशासन को निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी बनाते हुए, जवाबदेह और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना,
   (घ) मीडिया को निष्पक्ष, सभ्य, जिम्मेदार और पेशेवर बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान करना,
   (ङ) संघीय और सहकारी इकाइयों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को विकसित करने के लिए उनके बीच जिम्मेदारी, संसाधन और प्रशासन का विभाजन ।

3. सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित नीतियां—

   (क) स्वस्थ और सभ्य संस्कृति के माध्यम से सौहार्दपूर्ण सामाजिक संबंधों को समाज में स्थापित और विकसित करना,

   (ख) अध्ययन, अनुसंधान कार्य, उत्खनन और प्रसार के लिए प्राचीन, पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण, संवर्धन और विकास करना।

   (ग) स्थानीय जन भागीदारी को बढ़ाने के माध्यम से सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा उन्मुख कार्यों में स्थानीय समुदायों की रचनात्मकता को जुटाना,

   (घ) कला, साहित्य और संगीत जो राष्ट्रीय आकर्षण बनते है उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करना

   (ङ) धर्म, समाज में विद्यमान रीति, उपयोग, प्रथा, परंपरा, असमानता, शोषण तथा इन आधार पर हो रहे भेदभाव और अन्याय के सभी रूपों को समाप्त करना।

   (च) भाषाओं, लिपियों, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र, विभिन्न जातियों के चित्र, जनजाति, समुदाय समानता और सह–अस्तित्व के आधार पर इनकी रक्षा और विकास करना जो सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हैं।

   (छ) बहुभाषी नीति को आगे बढ़ाने का काम।

4. अर्थव्यवस्था, उद्योग और वाणिज्य से संबंधित नीतियां—

   (क) सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र की साझेदारी और स्वतंत्र विकास के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना।

   (ख) निजी क्षेत्र की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपलब्ध साधनों और संसाधनों को जुटाना तथा श्रेष्ठ के माध्यम से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना।

   (ग) सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना और इसे राष्ट्रीय विकास में जुटाना।

   (घ) समग्र राष्ट्र में आर्थिक क्षेत्र को प्रोत्साहित कर विकास हासिल करना साथ ही इसकी सभी गतिविधियों द्वारा निष्पक्षता, जवाबदेही और प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए विनियमन प्रदान करना।

   (ङ) उपलब्ध साधनों और संसाधनों का समान वितरण करना और आर्थिक विकास के लाभ प्रदान करना।

   (च) माल और सेवाओं के लिए बाजारों में विविधता लाना और विस्तार करना। क्षेत्रों की पहचान करते हुए उद्योगों के विकास और विस्तार के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना।

(छ) व्यापार निष्पक्षता बनाए रखकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाकर अनुशासन, साथ ही कालाबाजारी, एकाधिकार, कृत्रिम कमी और प्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा की गतिविधियों को समाप्त करना।

(ज) घरेलू उद्योगों और संसाधनों को बढ़ावा देना और घरेलू निवेश को प्राथमिकता देना। नेपाली श्रम, कौशल और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कच्चे माल की रक्षा।

(झ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए घरेलू निवेश को प्राथमिकता देना।

(ञ) आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्रों में विदेशी पूंजी और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय हित के अनुरूप निवेश को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए इन्हें जुटाना।

(ट) विदेशी सहायता प्राप्त करने को पारदर्शी बनाते हुए राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को विदेशी सहायता प्राप्त करने का आधार बनाना और राष्ट्रीय बजट में विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त राशि को शामिल करना।

(ठ) ज्ञान का उपयोग करने के लिए, राष्ट्रीय विकास में अप्रवासी नेपाल के कौशल, प्रौद्योगिकी और पूंजी को शामिल करना।

(ड) राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करके आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और औद्योगिक गलियारों, विशेष कर आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में राज्यों और महासंघ एवं राष्ट्रीय परियोजनाओं और विदेशी निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना।

5. कृषि और भूमि सुधार से संबंधित नीतियां–

(क) किसानों के हितों के लिए भूमि में वैज्ञानिक सुधार करना, भूमि में विद्यमान दोहरे स्वामित्व को समाप्त करना,

(ख) भूमि पुलिंग को बढ़ावा देकर उत्पाद और उत्पादकता में वृद्धि कराना, निष्क्रिय भूमि के स्वामित्व को हतोत्साहित करना,

(ग) भूमि प्रबंधन कर व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण और कृषि का आधुनिकीकरण के माध्यम से कृषि उत्पाद और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लैंडयूज नीतियां बनाना। किसानों के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना और बढ़ावा देना,

(घ) भूमि का उचित उपयोग करना, विनियमन, प्रकृति और पारिस्थितिक संतुलन में उत्पादकता के आधार पर भूमि का प्रबंधन करना,

(ङ) कृषि आगतों तक किसानों की पहुँच, उचित मूल्य पर बाजार में कृषि उत्पाद उपलब्ध कराना।

6. विकास से संबंधित नीतियां–

(क) सामाजिक–आर्थिक विकास रणनीतियों के तहत स्थायी कार्यक्रमों को तैयार करना। क्षेत्रीय संतुलन के साथ समावेशी आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय विकास योजना को लागू करना,

(ख) विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता के अनुसार, विकास के लिए संतुलित, पर्यावरण के अनुकूल, भौतिक संरचना को समन्वयवादी तरीके से लगाना,

(ग) विकास कार्यों की प्रक्रिया में स्थानीय सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना,

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आविष्कार, प्रगति और विकास के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसंधान कार्यों में निवेश बढ़ाना और प्रौद्योगिकीविदों, बौद्धिक प्रख्यात प्रतिभाओं और वैज्ञानिकों की रक्षा करना,

(ङ) आम जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की आसान और सरल पहुँच सुनिश्चित कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का देश के मांग के अनुसार विकास और विस्तार करना और राष्ट्रीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठतम उपयोग करना,

(च) आम जनता को विकास के परिणाम का आनंद लेने के लिए प्रावधान किए जाएँगे, इस तरह के परिणाम में अभिजात नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी,

(छ) एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करना जिसमें एकीकृत तरीके से नागरिकों की जानकारी और डेटा को एकत्रित करना, और इस तरह की प्रणाली को राज्य और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के साथ जोड़ना,

(ज) जनसांख्यिकीय आंकड़े को अपडेट करना और इसे राष्ट्रीय विकास योजनाओं से जोड़ना।

7. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और उपयोग से संबंधित नीतियां–

(क) देश में उपलब्ध संसाधनों का पर्यावरण के अनुकूल स्थायी उपयोग, राष्ट्रीय हित के अनुरूप सतत और समग्र विकास की अवधारणा को अपनाना, अन्तरसांस्कृतिक निष्पक्षता और स्थानीय समुदायों को प्राथमिकता के अनुसार वस्तु का समान वितरण किया जाएगा,

(ख) सार्वजनिक भागीदारी के आधार पर घरेलू निवेश को प्राथमिकता देते हुए जल संसाधन के लिए बहुउद्देश्यीय विकास करना,

(ग) सस्ती और आसान तरीके से ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित कराना, ऊर्जा का उचित उपयोग कराना, नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करना,

(घ) नदी प्रबंधन और बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करना। विश्वसनीय और टिकाऊ सिंचाई विकसित करना,

(ङ) वन, वन्यजीव, पक्षी, वनस्पति और जैव–विविधता का संरक्षण करना और उनको बढ़ावा देना और वहनीय उपयोग करना। पर्यावरण के लिए संभावित जोखिमों और भौतिक विकास को कम करना और लोगों को पर्यावरण स्वच्छता के लिए जागरूक करना,

(च) पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक वन क्षेत्र को बनाए रखना,

(छ) जैविक विविधता, पर्यावरण और प्रकृति पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को खत्म करने या कम करने के लिए उचित उपायों का अपनाया जाना,

(ज) पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय सतत विकास के सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत को अपनाना।

(झ) प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम को कम करने के लिए चेतावनी, तैयारी, बचाव, राहत और पुनर्वास की तैयारी करना।

8. नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित नीतियां—

(क) मानव संसाधन तैयार करना जो सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक और राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। साथ ही साथ शिक्षा को वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यावसायिक, अनुभवजन्य और लोगों के लिए उपयोगी बनाना,

(ख) निजी क्षेत्र द्वारा शिक्षा सेवा में किए गए निवेश को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के निवेश को बढ़ाते हुए इस तरह के निवेश को विनियमित और प्रबंधित करना,

(ग) उच्च शिक्षा को आसान, गुणात्मक, सुलभ और धीरे–धीरे मुफ्त बनाना,

(घ) नागरिकों के व्यक्तित्व और विकास के लिए सामुदायिक सूचना केंद्रों और पुस्तकालयों को स्थापित करना और बढ़ावा देना,

(ङ) नागरिकों को स्वस्थ बनाने के लिए राज्य द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक निवेश को बढ़ाया जाना,

(च) आसान, सुविधाजनक, स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने के साथ, सभी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना,

(छ) आयुर्वेद, होम्योपैथी को नेपाल की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के रूप में संरक्षित और विकसित करना,

(ज) निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य के निवेश को बढ़ाते हुए इस तरह के निवेश का प्रबंधन और विनियमित करना,

(झ) स्वास्थ्य अनुसंधानों और स्वास्थ्य संस्थानों पर विशेष ध्यान देना, स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और गुणात्मक बनाने के लिए चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि करना,

(ञ) परिवार नियोजन के माध्यम से मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करके नेपाल की औसत जीवन प्रत्याशा क्षमता को बढ़ाना, नेपाल की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार जनसंख्या प्रबंधन के लिए योजना बनाना,

(ट) अनियोजित निपटान का प्रबंधन करने के लिए, योजनाबद्ध और व्यवस्थित निपटान का विकास करना,

(ठ) कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाते हुए, जलवायु और मिट्टी के अनुरूप खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहित करना, स्थायी उत्पादन, आपूर्ति, भंडारण, खाद्य सुरक्षा और खाद्य पदार्थों के आसान और प्रभावी वितरण द्वारा खाद्य संप्रभुता को बनाये रखना,

(ड) सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में मूलभुत वस्तु और सेवा सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति प्रणाली विकसित करना। प्राथमिकता के अनुसार सभी नागरिकों की समान पहुँच सुनिश्चित करना,

(ढ) परिवहन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, नागरिकों के लिए सरल और समान पहुंच सुनिश्चित करते हुए परिवहन सुविधाओं और परिवहन क्षेत्र को सुरक्षित, व्यवस्थित और विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाना। साथ ही अनुकूल प्रौद्योगिकियों की प्राथमिकता के साथ सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना और निजी परिवहन को विनियमित करना

(ण) स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करते हुए, प्रत्येक नागरिक की चिकित्सा तक पहुंच की व्यवस्था करना।

9. श्रम और रोजगार से संबंधित नीतियां–

(क) श्रम शक्ति को सक्षम और पेशेवर बनाना जो देश की आर्थिक–सामाजिक मजबूती और देश के भीतर रोजगार में वृद्धि, सुनिश्चित करती हो। इनके कार्य के अंदर ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना, जिसमें सभी सक्षमता से श्रम कर सकें,

(ख) सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए सभ्य श्रम की अवधारणा के अनुरूप सभी श्रमिकों के मूल अधिकारों को सुनिश्चित करना,

(ग) बाल श्रम सहित शोषण के सभी रूपों को समाप्त करना,

(घ) प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा मजदूरों और उद्यमियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना

(ङ) इस क्षेत्र में विदेशी रोजगार को शोषण मुक्त, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने हेतु विनियमन और प्रबंधन करना तथा मजदूरों के रोजगार और अधिकारों की गारंटी देना,

(च) विदेशी रोजगार से प्राप्त कौशल, प्रौद्योगिकी एवं अनुभव को देश के उत्पादक क्षेत्रों में पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना।

भाग 5 : राज्य की संरचना और राजशक्ति का वितरणः

- **राज्य की संरचना :**

1. नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की संरचना के तीन स्तर हैं–संघ, राज्य और स्थानीय स्तर।
2. संघ, राज्य और स्थानीय स्तर, संविधान और कानून के अनुसार नेपाल राज्य की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
3. इस संविधान के प्रारंभ में स्थित अनुसूची–4 में उल्लिखित है की एक राज्य कई जिलों से मिलकर बनेगा।
4. ग्राम संस्थाएं, नगर पालिकाएं और स्थानीय स्तर में जिला विधानसभाएं होंगी। एक ग्राम संस्था में कुल वार्डों की संख्या संघीय कानून में नगर पालिका के लिए प्रदान की जाएगी।
5. किसी विशेष, संरक्षित या स्वायत्त क्षेत्र को सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक संरक्षण एवं विकास कार्य संघीय कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
6. 'संघ, राज्य और स्थानीय स्तर', नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय हित, समग्र विकास, बहु–पक्षीय प्रतिस्पर्धा, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार की रक्षा करेंगे तथा मौलिक अधिकार, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, संतुलन, समतावादी समाज, बहुलवाद और समानता की जांच जैसे प्रमुख समावेशी बिंदुओं का ध्यान रखेंगे।

- **राज्य शक्ति का वितरण :**

महासंघ की शक्तियां अनुसूची– 5 में उल्लिखित मामलों में निहित होंगी तथा इस संविधान और संघीय कानून के अनुसार ही इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

- **अवशिष्ट शक्तियां :**

संघ के पास उन मामलों में भी शक्ति निहित होगी जो संघीय सूची, राज्य सूची, स्थानीय स्तर की सूची, समवर्ती सूची या किसी में भी उल्लेखित नहीं है। वह इस संविधान में निर्दिष्ट नहीं है उसका संघ द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

- **वित्तीय शक्तियों का प्रयोग :**

1. संघ, राज्य और स्थानीय स्तर अपने न्याय क्षेत्र में जैसी शक्तियां उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है उनमें वार्षिक बजट बनाएंगे, निर्णय लेंगे, वित्तीय शक्तियों से संबंधित किसी भी मामले पर नीतियों और योजनाओं को तैयार करेंगे और उन्हें लागू करेंगे।
2. संघ, समवर्ती सूची और वित्तीय शक्ति के अन्य क्षेत्रों में शामिल मामलों में से किसी पर भी कानून बना सकता है, जो राज्यों पर भी लागू होगा।
3. संघ, राज्य और स्थानीय स्तर अपने अनुसार बजट बनाएंगे। उनसे संबंधित बजट को जमा करने के समय के विषय में जानकारी संघीय कानून में प्रदान की जाएगी।

• राजस्व के स्रोतों का वितरण :

संघ, राज्य और स्थानीय स्तर अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले क्षेत्रों पर कर लगा के राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं। बस यह ध्यान रहे कि उस क्षेत्र में कर एवं राजस्व एकत्रित करने से सम्बंधित मुद्दे समवर्ती सूची के अंतर्गत न आते हों और जो मुद्दे इस सूची के अधीन आते हैं उनके बारे में फैसले नेपाल की सरकार करेगी।

भाग 6 : राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

• राष्ट्रपति

1. नेपाल में राष्ट्रपति का पद होगा।
2. राष्ट्रपति नेपाल का अध्यक्ष होगा। वह अपने कार्यों का निर्वहन संविधान और संघीय कानून के अनुसार करेगा।
3. राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा।
4. राष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य संविधान की रक्षा और उसका पालन करना होगा।

• राष्ट्रपति का निर्वाचन

1. राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जो संघीय संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों से बना होगा। संघीय कानून के अनुसार संघीय संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मतों को महत्व दिया जाएगा।
2. खंड (1) में कुछ भी निराशाजनक परिवर्तन करने के बावजूद, निर्वाचन मण्डल के गठन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, एकमात्र राज्य विधानसभा का चुनाव अगर किसी राज्य में नहीं हुआ हो, तो उसे रोका जा सकता है।
3. एक व्यक्ति जो निर्वाचक मंडल के मौजूदा कुल वोटों में बहुमत प्राप्त करता है, वह खंड (1) के तहत राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा।
4. यदि कोई भी उम्मीदवार बहुमत हासिल नहीं करता है, तो खंड (3) के तहत उन दो उम्मीदवारों के बीच मतदान होगा, जिन्होंने सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं और इस तरह जो उम्मीदवार मतदान में कुल वोटों का पचास प्रतिशत से अधिक हासिल करता है, उसे राष्ट्रपति चुना जाएगा।
5. यदि कोई भी उम्मीदवार कुल मतों का पचास प्रतिशत से अधिक हासिल नहीं कर पाता है तो खंड (4) के तहत फिर से चुनाव होगा। इस प्रकार से जो उम्मीदवार कुल वैध मतों में अधिक मत प्राप्त करता है, उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है।
6. यदि किसी कार्यालय में कोई राजनीतिक पद रिक्त है जो चुनाव, नामांकन या नियुक्ति के माध्यम से भरा जाता हो वह इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
7. राष्ट्रपति का चुनाव और अन्य संबंधित मामले संघीय कानून के अनुसार किए जाएंगे।

- **राष्ट्रपति के पद की अवधि :**

1. राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जिस दिन वह निर्वाचित होगा, उस दिन से पाँच वर्ष का होगा।
2. वह राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल खंड (1) के तहत समाप्त हो गया है, इस संविधान के तहत कार्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद को स्वीकार न कर ले।

- **राष्ट्रपति के लिए योग्यता :**

1. निम्नलिखित योग्यता रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगाः
   (क) संघीय संसद का सदस्य बनने के योग्य
   (ख) कम से कम पैंतालीस वर्ष आयु पूरी हो गई हो , और
   (ग) किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो ।
2. खंड (1) में निहित बिन्दुओं में से किसी भी बिंदु से अमान्य न होते हुए भी, एक व्यक्ति जो पहले दो बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुका है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकता।

- **राष्ट्रपति के कार्यालय का अवकाश :**

राष्ट्रपति का कार्यालय निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में खाली हो जाएगाः

1. यदि वह उपराष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देता है,
2. यदि उसके खिलाफ अनुच्छेद 101 के तहत महाभियोग पारित किया गया हो,
3. यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो,
4. यदि उसकी मृत्यु हो जाती है।

- **राष्ट्रपति के कार्य, कर्तव्य और शक्तियां :**

1. राष्ट्रपति संविधान या संघीय कानून के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन करेगा।
2. खंड (1) के तहत निर्देशित शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संविधान द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त सभी कार्य भी करेगा। ये अतिरिक्त कार्य मंत्रिपरिषद की सहमति से, विशेष रूप से इसके तहत किसी निकाय या अधिकारी की सिफारिश पर किए जाएंगे। इस तरह की सिफारिश और सहमति प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।
3. राष्ट्रपति के नाम पर जारी किया जाने वाला कोई निर्णय या जो खंड (2) के अधीन आता है वह संघीय कानून के अनुसार प्रमाणित किया जाना चाहिए।

- **उपाध्यक्ष :**

1. नेपाल का एक उपराष्ट्रपति होगा।

2. राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्य को उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।
3. यदि कोई व्यक्ति चुनावी माध्यम से भरे जाने वाला कोई राजनीतिक पद रखता है और उसका नामांकन या नियुक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में कर किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरुप उसके द्वारा रखा गया वह पद रिक्त कर दिया जाएगा।

- **उपराष्ट्रपति के पद का अवकाश :**

उप–राष्ट्रपति का कार्यालय निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में खाली हो जाएगाः

1. यदि वह राष्ट्रपति के पास लिखित में त्यागपत्र देता है, तो
2. यदि उसके खिलाफ अनुच्छेद 101 के तहत महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए,
3. यदि उसके कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई है, या उसकी मृत्यु हो जाती है।

नेपाल का प्रधानमंत्री एवं कार्यपालिका

नेपाल की कार्यपालिका की शक्ति संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद् में निहित है। निर्देश देने की शक्ति, नियंत्रण और प्रशासन का विनियमन करने की शक्ति भी संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद् में निहित है। नेपाल की कार्यपालिका के कार्य नेपाल की सरकार के नाम पर किये जाते हैं। कोई भी निर्णय, आदेश नेपाल की सरकार के नाम पर दिया जाता है।

प्रधानमंत्री पद की शपथ

प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ व्यवस्थापिका के समक्ष लेता है। उपमंत्री, सहायक मंत्री, राज्यमंत्री व अन्य मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री के नाम से लेते हैं।

सांविधानिक सभा के गठन के बाद, कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग, मंत्रिपरिषद् के निर्माण और अन्य मामलों को स्वतः ही इस प्रावधान के अंतर्गत लाया जायेगा।

मंत्रिपरिषद् का गठन

1. प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद् गठित की जायेगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जो कि राजनीतिक सहमति के आधार पर नियुक्त होगा।
2. अगर किसी एक राजनीतिक जनसहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं तो प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका के दो–तिहाई सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।
3. मंत्रिपरिषद् की संरचना और उसके कार्यों का बंटवारा आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा।
4. मंत्रिपरिषद् में एक उप–प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री होंगे।
5. मंत्रियों को नियुक्त करते समय प्रधानमंत्री उस पार्टी से सिफारिश लेगा जिससे वह व्यक्ति संबंधित है।

6. प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे।
7. प्रधानमंत्री अपने पद से इन परिस्थितियों में विमुक्त हो सकता है–
   - प्रधानमंत्री द्वारा लिखित त्यागपत्र सभापति को सौंपने पर,
   - उसमें व्यवस्थापिका/संसद का सदस्य होने की योग्यता होने पर।
   - उसकी मृत्यु पर।
8. उपप्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री और सहायक मंत्री भी अपने पद से निम्न परिस्थितियों में विमुक्त हो सकते हैं।
   - लिखित त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देने पर
   - अगर उपखण्ड (7) के द्वारा प्रधानमंत्री अपने पद से विमुक्त हो गया हो।
   - प्रधानमंत्री द्वारा पार्टी की सिफारिश पर उन्हें पद विमुक्त किया जा सकता है।
   - मृत्यु होने पर।

प्रधानमंत्री के कार्य

- प्रधानमंत्री पार्टी की सिफारिश पर किसी एक व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यमंत्री नियुक्त करता है।
- प्रधानमंत्री पार्टी की सिफारिश पर किसी एक व्यक्ति को किसी भी संसद सदस्यों में से सहायक मंत्री नियुक्त कर सकता है।
- संसद का सदस्य न होते हुए मंत्री की नियुक्ति का अधिकार अनुच्छेद 37 और 38 के अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को जो कि संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री, सहायक मंत्री, उपमंत्री नियुक्त कर सकता है।
- प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार, उपमंत्री, सहायक मंत्री, राज्यमंत्री विशेषाधिकार भी अधिनियम के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

नेपाल की न्यायपालिका

संविधान में न्यायपालिका के स्वरूप एवं उसके अधिकार का उल्लेख होता है, जो न्यायतंत्र को मर्यादित बनाता है। नेपाल में कभी चार तथा कभी तीन स्तरीय न्यायालयों की व्यवस्था रही है। नेपाल के संविधान (1990) में भी तीन स्तरीय न्यायिक व्यवस्था को अंगीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 85 के उपबंध के अनुसार नेपाल अधिराज्य के न्यायालयों का तृस्तरीय गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा–

- सर्वोच्च न्यायालय,
- अपीलीय न्यायालय तथा
- जिला न्यायालय

इस प्रकार नेपाल में न्यायालयों की सबसे निचली सीढ़ी जिला स्तर के न्यायालयों की है। इन जिलों के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उच्च स्तर पर अपीलीय न्यायालयों की व्यवस्था की गयी है तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय अवस्थित है।

सर्वोच्च न्यायालय

संविधान के अनुच्छेद 86 के अनुसार नेपाल की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी न्यायालय तथा न्यायिक संस्थायें (सैन्य न्यायालय को छोड़कर) सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होंगी। सर्वोच्च न्यायालय को, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले अपने अधीनस्थ सभी न्यायालय तथा न्यायिक संस्थाओं के निरीक्षण, निर्देशन तथा उन्हें आदेश जारी करने का अधिकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय को विधि द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार स्वयं की अवमानना अथवा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाली अन्य संस्थाओं की अवमानना के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने या दण्ड देने का अधिकार होगा।

न्याय परिषद की संरचना एवं कार्यप्रणाली

नेपाल में 1990 के संविधान द्वारा संवैधानिक अंग के रूप में न्यायपरिषद की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासन संबंधी कार्यवाही, बर्खास्तगी एवं न्याय–संबंधी अन्य कार्यों की सिफारिश करने तथा परामर्श देने के साथ ही न्याय प्रशासन संबंधी कार्यों में अन्य क्षेत्रों से पड़ने वाले प्रभावों से मुक्त रखते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य इसे सौंपा गया है।

संविधान के अनुच्छेद 93(1) के अनुसार न्यायपरिषद में निम्नांकित सदस्य होते हैं–

- सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, पदेन सभापति। न्यायमंत्री – पदेन सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश – पदेन सदस्य।
- एक नामांकित ख्याति प्राप्त विधि शास्त्री।

नेपाल के संविधान के अनुसार न्यायपरिषद निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करती है–

- सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश धारा (87)।
- सर्वोच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु सिफारिश धारा (87) उपधारा (13)।

अपनी प्रगति जांचिए

1. नेपाल ने नया संविधान कब लागू किया?

   (क) 2007 में   (ख) 2015 में

   (ग) 2008 में   (घ) 2020 में

2. नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है?

   (क) गाय   (ख) शेर

   (ग) भैंस   (घ) भालू

5.3 भूटान के संविधान की प्रकृति और प्रमुख विशेषताएं

भूटान साम्राज्य के संविधान को 2008 में अपनाया गया, जिसने भूटान के विकास को एक निरंकुश राजशाही से लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र तक चिन्हित किया। संविधान के कुछ प्रावधान की चर्चा निम्न है–

अनुच्छेद 1

भूटान का साम्राज्य

1. भूटान एक संप्रभु साम्राज्य है जिसकी प्रभु सत्ता भूटान के लोगों में निहित है।
2. सरकार का रूप लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र का होगा।
3. भूटान की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सीमा अनुल्लंघनीय है। क्षेत्रों की सीमा में किसी भी तरह का परिवर्तन तभी किया जा सकता है जब संसद के कुल सदस्यों में से तीन–चौथाई सदस्यों का बहुमत इस विषय पर अपनी सहमति दे।
4. भूटान का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक इस संविधान की पहली अनुसूची मे निर्दिष्ट किया जाएगा।
5. भूटान का राष्ट्रीय गान इस संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा।
6. भूटान का राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष दिसंबर का सत्रहवाँ दिन होगा।
7. दजोंगखा भूटान की राष्ट्रीय भाषा है।
8. यह संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून है।
9. इस संविधान को अपनाने के समय भूटान के क्षेत्र में सभी कानून लागू होंगे तथा संसद द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित होने तक जारी रहेंगे। हालांकि, किसी कानून के प्रावधान चाहे वे इस संविधान के लागू होने से पहले या बाद में बनें, जो इस संविधान के साथ असंगत हैं, वे मान्य नहीं होंगे।
10. सर्वोच्च न्यायालय इस संविधान का संरक्षक और इस पर अंतिम प्राधिकारी होगा।
11. खनिज संसाधनों, नदियों, झीलों और जंगलों पर अधिकार राज्य के पास निहित होंगे और राज्य की संपत्ति होंगे, जिन्हें कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।
12. कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अलगाव होगा और संविधान द्वारा इनके लिए प्रदान की गई सीमा को छोड़कर एक–दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण अस्वीकार्य है।

अनुच्छेद 2

राजतंत्र की संस्था

1. महामहिम ड्रुक ग्यालपो राज्य के प्रमुख हैं तथा राज्य और भूटान के लोगों की एकता के प्रतीक हैं।

2. भूटान के छो–स्सिड–नी, जो बौद्ध हैं, उन्हें ड्रुक ग्यालपो के कार्यक्षेत्र में एकीकृत किया जाएगा जो, वह छो–स्सिड के अपहोल्डर होंगे।
3. भूटान के स्वर्ण सिंहासन का शीर्षक ड्रुक ग्यालपो उग्येन वांगचुक के वैध वंशजों में निहित होगा जैसा पवित्र और ऐतिहासिक गिएंजा के तेरहवें दिन, पृथ्वी बंदर वर्ष के ग्यारहवें महीने में निहित है, इसी के लिए दिसंबर के सत्रहवें दिन, उन्नीस सौ सात उक्त कार्य करेगा–
    (क) केवल वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा।
    (ख) वंशानुगत उत्तराधिकार के तहत शासक के निधन पर वरिष्ठता के प्रत्यक्ष क्रम और वंशीय परंपरा से गुजरना होगा जिसके तहत एक राजकुमार को राजकुमारी से पूर्वता रखा जाएगा। बड़े राजकुमार में कमियों की स्थिति में, ड्रुक ग्यालपो का कर्तव्य है कि वे सबसे सक्षम राजकुमार या राजकुमारी का चयन करें और घोषित करें कि राज किसे सौंपा जाए।
    (ग) ड्रुक ग्यालपो के निधन के समय यदि धारा 3 (बी) के तहत कोई वारिस मौजूद नहीं है तो गर्भवती रानी के बच्चे को अधिकार सौंपा जाए।
    (घ) यदि ड्रुक ग्यालपो का कोई सीधा वंशज नहीं है तो लिनेन वंश के सिद्धांत के अनुसार छोटे पर बड़े को वरीयता देते हुए ड्रुक ग्यालपो के वंशजों के निकटतम संपार्श्विक को नियुक्त करें,
    (ङ) शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारणों से रॉयल प्रोगैरेटिव का प्रयोग करने में असमर्थ बच्चों को पास न करें और
    (च) उस व्यक्ति को पास न करें जो भूटान के प्राकृतिक नागरिक के अलावा किसी और से विवाह करता है।
4. सिंहासन के उत्तराधिकारी को झबद्रुंग न्गवांग के माचेन से डार प्राप्त होगा, पुनाखा जोंग में नामग्याल और गोल्डन सिंहासन पर ताज पहनाया जाएगा।
5. सिंहासन पर ड्रुक ग्यालपो के चढ़ने पर, शाही परिवार के सदस्य,संसद के सदस्य और कार्यालय के धारक इस अनुच्छेद की धारा 19 में निहित उल्लेख के अनुसार ड्रुक ग्यालपो के लिए निष्ठा की शपथ लेंगे।
6. साठ वर्ष की आयु तक पहुँचने पर, ड्रुक ग्यालपो को पद छोड़ना और क्राउन राजकुमार या क्राउन राजकुमारी को अपना पद सौंपना होगा बशर्ते कि शाही वारिस सही उम्र का हो।
7. इस अनुच्छेद की धारा 9 के प्रावधान के अधीन, रीजेंसी परिषद होगी जब–
    (क) सिंहासन के उत्तराधिकारी को बीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं हुई है।
    (ख) ड्रुक ग्यालपो के पद को उद्घोषणा या रॉयल प्रिरोगेटीवस के अभ्यास के द्वारा अस्थायी रूप से त्याग दिया गया है।
    (ग) संयुक्त बैठक में कुल सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत द्वारा यह स्वीकार किया गया कि ड्रुक ग्यालपो अस्थायी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण रॉयल प्रिरोगेटीवस का पालन करने में अक्षम है।

8. रीजेंसी ऑफ काउंसिल सामूहिक रूप से ड्रुक ग्यालपो में निहित रॉयल प्रोगैरेटिव्स और शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इस संविधान के तहत उक्त बिन्दुओं से बना होगा–
   (क) प्रिवी काउंसिल द्वारा नामित शाही परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य,
   (ख) प्रधान मंत्री,
   (ग) भूटान के मुख्य न्यायाधीश,
   (घ) अध्यक्ष,
   (ङ) राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्षय और
   (च) विपक्षी दल का नेता
9. इस अनुच्छेद की धारा 7 (बी) या 7 (सी) के तहत मामले में, ड्रुक ग्यालपो के वंशज, जो उत्तराधिकार परिषद के बजाय अधिकार से उत्तराधिकारी बन जाते हैं यदि उसने बीस वर्ष की आयु प्राप्त की है।
10. रीजेंसी काउंसिल के सदस्य संसद में अपनी जिम्मेदारियों एवं अधिकारों को प्राप्त करने के पहले एलिजिनेस की शपथ लेंगे कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे।
11. जब सिंहासन का उत्तराधिकारी इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करता है या, जब ड्रुक ग्यालपो धारा 7 (ए) और 7 (बी) के तहत उद्घोषणा द्वारा, रॉयल प्रिरोगेटिव्स की कवायद फिर से शुरू कर देता है, सबको सूचित कर दिया जाता है। हालांकि, जब इस अनुच्छेद की धारा 7 (सी) के तहत ड्रुक ग्यालपो फिर से रॉयल प्रिरोगेटिव्स का प्रयोग करने की क्षमता हासिल कर लेता है तो संसद के प्रस्ताव द्वारा उस प्रभाव को पुनः ड्रुक ग्यालपो को दिए जाने की सूचना दी जाती है।
12. शाही परिवार के सदस्य तभी शासन करेंगे जब शाही बच्चों का जन्म कानून द्वारा मान्य शादी से हुआ हो।
13. ड्रुक ग्यालपो और शाही परिवार के सदस्य इन चीजों के हकदार होंगे–
   (क) संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार राज्य से वार्षिकियां,
   (ख) सभी अधिकार और विशेषाधिकार जिसमें महलों और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रावधान के व्यक्तिगत उपयोग शामिल हैं और,
   (ग) इस अनुच्छेद के 13 (a) और 13 (b) के अनुसार वर्गों द्वारा प्रदान की जाने वाली शाही वार्षिकी और संपत्तियों पर कराधान से छूट।
14. एक प्रिवी काउंसिल होगी, जिसमें दो सदस्यों को ड्रुक ग्यालपो द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसका एक सदस्य लिन्गये जुन्गत्शोग द्वारा नामित होगा और दूसरा राष्ट्रीय परिषद द्वारा नामित होगा।

   प्रिवी काउंसिल इन बिन्दुओं लिए जिम्मेदार होगी–
   (क) ड्रुक ग्यालपो और शाही परिवार के विशेषाधिकारों से संबंधित सभी मामले,
   (ख) रॉयल परिवार के आचरण से संबंधित सभी मामले,

(ग) सिंहासन और शाही परिवार से संबंधित मामलों पर ड्रुक ग्यालपो को सलाह देना,

(घ) राज की संपत्ति से सम्बंधित सभी मामले और

(ङ) ड्रुक ग्यालपो द्वारा किसी अन्य मामले की भी कमान सौंपी जा सकती है।

15. ड्रुक ग्यालपो अपने कार्यों के लिए कानून की अदालत में जवाबदेह नहीं होगा। केवल वह अपने व्यक्तित्व में पवित्र होना चाहिए।

16. ड्रुक ग्यालपो, अपने रॉयल प्रोगैरियट्स के अभ्यास में ये कार्य कर सकता है–

(क) खिताब, सजावट, परंपरा के लिए निर्णय दे सकता है,

(ख) भूमि और अन्य अनुदान कर सकता है,

(ग) वह किसी की सजा में कमी या सजा से माफी दे सकता है,

(घ) संसद में पेश किए जाने वाले आदेशों, विधेयकों और अन्य उपायों के बारे में अपने आदेश सुना सकता है और मामलों से संबंधित प्रतिक्रिया भी दे सकता है।

17. ड्रुक ग्यालपो अन्य देशों के साथ सद्भाव और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने का कार्य अन्य देशों की राजकीय यात्राएँ करके संभव कर सकता है।

18. ड्रुक ग्यालपो इस संविधान की रक्षा भूटान के लोगों का कल्याण एवं सर्वोत्तम हित के लिए करेगा।

19. ड्रुक ग्यालपो अपनी मुहर के द्वारा, नियुक्त करेगा–

(क) अनुच्छेद 21 की धारा 4 के अनुसार भूटान के मुख्य न्यायाधीश,

(ख) अनुच्छेद 21 की धारा 5 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के ड्रंगपो,

(ग) अनुच्छेद 21 की धारा 11 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,

(घ) अनुच्छेद 21 की धारा 12 के अनुसार उच्च न्यायालय के द्रांगोपन,

(ङ) अनुच्छेद 24 के खंड 2 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त,

(च) अनुच्छेद 25 की धारा 2 के अनुसार महालेखा परीक्षक,

(छ) अनुच्छेद 26 के धारा 2 के अनुसार रॉयल सिविल सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य,

(ज) अनुच्छेद 27 की धारा 2 के अनुसार अध्यक्ष और एंटी करप्शन कमीशन के सदस्य,

(झ) सेवा द्वारा अनुशंसित नामों की सूची से रक्षा बलों के प्रमुख पदोन्नति बोर्ड,

(ञ) अनुच्छेद 29 की धारा 2 के अनुसार अटार्नी जनरल,

(ट) प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सेंट्रल बैंक ऑफ भूटान के गवर्नर,

(ठ) अनुच्छेद 30 की धारा 1 के अनुसार वेतन आयोग के अध्यक्ष,

(ड) प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कैबिनेट सचिव,

(ढ) रॉयल सिविल सेवा आयोग की सिफारिश पर संबंधित सदनों के महासचिव,

(ण) प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राजदूत और कौंसल,

(त) प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सरकार के सचिव वरिष्ठता और अन्य प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार रॉयल सिविल सेवा आयोग से योग्यता के आधार पर नामांकन प्राप्त कर सकते हैं, और

(थ) रॉयल सिविल सर्विस कमीशन से प्रधानमंत्री की सिफारिश पर डोंग्गैड्स नामांकन प्राप्त करेंगे।

20. ड्रुक ग्यालपो यदि स्थायी मानसिक विकलांगता के अधीन पाया गया या यदि वह इस संविधान उल्लंघन करता है तो वह, संयुक्त बैठक द्वारा पारित प्रस्ताव पर 21, 22, 23, 24 और 25 की धारा के अनुसार संसद प्रक्रिया के अनुसार सिंहासन का त्याग करेगा।

21. संसद की संयुक्त बैठक में चर्चा के लिए पदत्याग के प्रस्ताव को कुछ अवधि तक रोक दिया जाएगा यदि संसद के कुल सदस्यों मे से दो तिहाई सदस्य इस अनुच्छेद की धारा 20 में किसी भी आधार पर ऐसी कोई दरखास्त दर्ज कराते हैं।

22. संसद में व्यक्ति या प्रतिनिधि के माध्यम से ड्रुक ग्यालपो लिखित में या संयुक्त बैठक को संबोधित करके प्रस्ताव का जवाब दे सकता है।

23. इस अनुच्छेद की धारा 21 के तहत भूटान के मुख्य न्यायधीश संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

24. यदि, संसद की ऐसी संयुक्त बैठक में, इसके तीन चौथाई सदस्य ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं तो वह प्रस्ताव राष्ट्रीय जनमत संग्रह में लोगों के सामने मंजूरी या अस्वीकृति हेतु रखा जाएगा।

25. एक राष्ट्रीय संदर्भ के माध्यम से अनुच्छेद 1 के अनुभाग 2 के अनुसार संसद इसके प्रावधानों में संशोधन करने के लिए कोई कानून नहीं बनाएगी या अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी।

अनुच्छेद 3

आध्यात्मिक विरासत

1. बौद्ध धर्म भूटान की आध्यात्मिक विरासत है, जो सिद्धांतों और मूल्यों में शांति, अहिंसा, करुणा और सहनशीलता को बढ़ावा देती है।
2. ड्रुक ग्यालपो भूटान में सभी धर्मों का रक्षक है।

3. इसे बढ़ावा देना धार्मिक संस्थानों और व्यक्तित्वों की जिम्मेदारी होगी।

   देश की आध्यात्मिक विरासत सुनिश्चित करते हुए भी यह ध्यान रखा जाये कि धर्म राजनीति से अलग है।

   भूटान में राजनीति धार्मिक संस्थान और व्यक्तित्व से ऊपर रहेगी।

अनुच्छेद 4

संस्कृति

1. राज्य सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित, संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसके अंतर्गत भाषा, साहित्य, संगीत, दृश्य कला, धर्म समृद्ध समाज और नागरिकों का सांस्कृतिक जीवन आता है।
2. राज्य एक विकासशील एवं गतिशील बल के रूप में संस्कृति को पहचानेगा। इसके लिए राज्य पारंपरिक मूल्यों और संस्थानों के निरंतर विकास को मजबूत और सुविधाजनक बनाकर, एक प्रगतिशील समाज को स्थायी करने का प्रयास करेगा।
3. राज्य स्थानीय कलाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करेगा।
4. संसद ऐसे कानून को अधिनियमित कर सकती है, जो भूटानी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो सकता है।

अनुच्छेद 5

वातावरण

1. प्रत्येक भूटानी राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ट्रस्टी होगा, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभ हो सके। यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह पर्यावरण के संरक्षण का भागीदार बने।
2. रॉयल सरकार निम्न कार्य करेगी–
   (क) देश के पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण और सुधार,
   (ख) प्रदूषण और पारिस्थितिक गिरावट को रोकना,
   (ग) आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को सुरक्षित रखना, और
   (घ) सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना।
3. सरकार देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए यह सुनिश्चित करेगी कि पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट पर रोक लगे, जिसके लिए भूटान की कुल भूमि का साठ प्रतिशत हिस्सा हमेशा के लिए वन कवर के तहत बनाए रखा जाएगा।
4. संसद प्रकृति के स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण कानून बना सकती है।
5. संसद, कानून द्वारा देश के किसी भी हिस्से को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। रिजर्व, नेचर रिजर्व, संरक्षित वन, बायोस्फीयर रिजर्व, क्रिटिकल

टिप्पणी

वाटरशेड और ऐसे अन्य श्रेणियों के संरक्षण की योग्यता का अधिकार सरकार के पास है।

अनुच्छेद 6

नागरिकता

1. एक व्यक्ति, जिसके माता–पिता दोनों भूटान के नागरिक हैं, का जन्म प्राकृतिक भूटान के नागरिक के रूप मे होगा।
2. 19 दिसंबर, 1958 या उससे पहले से भूटान में अधिवासित एक व्यक्ति जिसका नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है वह भूटान सरकार पंजीकरण द्वारा भूटान का नागरिक होगा।
3. एक व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए आवेदन करता है उसे–
   (क) कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए भूटान में विधिपूर्वक निवास करना जरूरी है,
   (ख) आपराधिक कारावास का कोई रिकॉर्ड नहीं हो जिसके अंतर्गत देश के भीतर या बाहर के अपराध शामिल हैं,
   (ग) दजोंगखा बोलने और लिखने में सक्षम हो,
   (घ) भूटान की संस्कृति, रीति–रिवाजों, परंपराओं और इतिहास का अच्छा ज्ञान हो,
   (ङ) भूटानी सम्मानित किए जाने पर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता, यदि कोई हो, तो उसका नवीनीकरण करें, और
   (च) जैसा कि निर्धारित किया गया है संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लें।
4. यदि भूटान का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी नागरिकता भूटान मे समाप्त कर दी जाएगी।
5. इस अनुच्छेद और नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, संसद, कानून द्वारा, नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों को विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद 7

मौलिक अधिकार

1. सभी व्यक्तियों को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार होगा और कानून की नियत प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अधिकारों से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं होगा।
2. एक भूटानी नागरिक को बोलने और अपने विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।
3. भूटानी नागरिक को सूचना का अधिकार होगा।

4. भूटानी नागरिक को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। व्यक्ति को जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से दूसरे विश्वास से संबंधित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
5. प्रेस, रेडियो और टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक सहित प्रसार के अन्य रूपों की जानकारी की स्वतंत्रता होगी।
6. भूटानी नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा।
7. भूटानी नागरिक को आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।
8. एक भूटानी नागरिक को जनता में शामिल होने के लिए समान पहुंच और अवसर का अधिकार होगा।
9. भूटानी नागरिक के पास संपत्ति रखने का अधिकार होगा, परन्तु उसे वह संपत्ति किसी ऐसे आदमी को बेचने का अधिकार नहीं होगा जो भूटानी नहीं है। यदि उसे भूमि या कोई अचल संपत्ति हस्तांतरित करनी है तो वह केवल संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों को ध्यान में रखते हुए ही कर सकता है।
10. भूटानी नागरिक को किसी भी वैध व्यापार या पेशे का अभ्यास करने का अधिकार होगा।
11. भूटानी नागरिक को समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होगा।
12. भूटानी नागरिक को शांतिपूर्ण सभा का हिस्सा बनने की स्वतंत्रता होगी परन्तु उन एसोसिएशन, संघों की सदस्यता के अतिरिक्त जो देश की शांति और एकता के लिए हानिकारक हैं। नागरिकों को किसी भी संघ से संबंधित नहीं होने का भी अधिकार होगा और उन्हें किसी संघ से सम्बन्ध रखने हेतु विवश नहीं किया जाएगा।
13. भूटान के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी परिणाम के अनुसार वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक उत्पादन जिसके वे लेखक या निर्माता हैं उनके भौतिक हितों को भोगने का अधिकार होगा।
14. किसी व्यक्ति को संपत्ति अर्जन से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के तहत ऐसा किया भी जाता है तो यह कार्य कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद होगा।
15. सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं एवं वे समान और प्रभावी संरक्षण के हकदार हैं। किसी भी व्यक्ति का साथ कानून, जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीति या अन्य स्थिति में भी नहीं।
16. किसी आरोपी व्यक्ति को कानून के अनुसार दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष होने का अधिकार है।
17. किसी व्यक्ति को यातना, सजा, अमानवीय या अपमानजनक उपचार के अधीन नहीं किया जाएगा।

18. किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।
19. एक व्यक्ति को मनमाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता, परिवार, घर, पत्राचार या सम्मान पर गैरकानूनी हमला नहीं किया जाएगा।
20. किसी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी या नजरबंदी के अधीन नहीं किया जाएगा।
21. इस संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अलावा, इस अनुच्छेद में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो राज्य को कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाने से रोकता हो जब इसका सम्बन्ध इन बिन्दुओं से है–
    (क) भूटान की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए,
    (ख) राष्ट्र की शांति, स्थिरता और भलाई के लिए,
    (ग) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए,
    (घ) जाति, लिंग, भाषा, धर्म या क्षेत्र के आधार पर अपराध में वृद्धि के लिए,
    (ङ) राज्य के मामलों के संबंध में प्राप्त सूचना का प्रकटीकरण या निर्वहन आधिकारिक कर्तव्यों के लिए, या
    (च) दूसरों के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए
22. भूटान के सभी नागरिकों के पास इस अनुच्छेद की धारा 22 के अधीन बताये गए अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायलय में कार्यवाही दर्ज करने का पूरा अधिकार होगा।

अनुच्छेद 8

मौलिक कर्तव्य

1. एक भूटानी नागरिक संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का संरक्षण और रक्षा करेगा। भूटान को सुरक्षा एकता और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए उसे संसद द्वारा कहा जाता है।
2. भूटानी नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण, राष्ट्र की संस्कृति एवं विरासत की रक्षा और सम्मान करे।
3. भूटान के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय भाग मे विविधता होते हुए भी सभी भूटानी नागरिक सहिष्णुता, आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे।
4. हर व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेगा।
5. हर व्यक्ति दूसरे की चोट, यातना या हत्या, आतंकवाद, महिलाओं, बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेगा तथा उसमे भाग नहीं लेगा। ऐसे कार्यों को रोकने के लिए कदम उठाना भी उसकी जिम्मेदारी होगी।

6. दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदा के समय शिकार व्यक्ति को संभव सीमा तक, सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी भूटान के सभी नागरिकों की होगी।
7. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की होगी।
8. कानून के अनुसार करों का भुगतान करने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की होगी।
9. प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह न्याय को बनाए रखे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करे।
10. प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह कानून की सहायता के लिए कार्य करे।
11. प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कर्तव्यों का सम्मान करें और इस संविधान का पालन करें।

अनुच्छेद 9

राज्य नीति के सिद्धांत

1. राज्य इस अनुच्छेद में निर्धारित नीति के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करेगा तथा एक प्रगतिशील और समृद्ध देश के रूप में भूटान के लोगों के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य करेगा।

   यह दुनिया में शांति और सौहार्द के लिए कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है।
2. राज्य उन परिस्थितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जो सकल राष्ट्रीय खुशी को हासिल करने में सक्षम होंगी।
3. राज्य समाज को उत्पीड़न, भेदभाव, हिंसा आदि से मुक्त करने की कोशिश करेगा तथा कानून के शासन, मानवाधिकारों की रक्षा एवं सम्मान के आधार सभी नागरिकों को मिले यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा। इसमें मौलिक अधिकार और लोगों की स्वतंत्रता भी शामिल है।
4. राज्य टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक, डाक या अन्य संचार प्रणाली की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा, जिससे भूटान में सभी व्यक्तियों के संचार को गैरकानूनी अवरोधन या रुकावट से मुक्ति मिले।
5. राज्य निष्पक्ष, पारदर्शी और शीघ्र न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगा।
6. राज्य सुरक्षित न्याय के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा, किसी भी व्यक्ति को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. राज्य विषमताओं को कम करने के लिए नीतियों को विकसित और निष्पादित करने का प्रयास करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले व्यक्तियों और लोगों के बीच आय, धन की एकाग्रता और सार्वजनिक सुविधाओं के समान वितरण को बढ़ावा देगा।

8. राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सभी दोजोंगखासों के साथ विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर इक्विटी का व्यवहार किया जाए, ताकि राष्ट्रीय संसाधनों का आवंटन तुलनीय हो तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो।
9. राज्य आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के निर्माण का कार्य भी राज करेगा।
10. राज्य निष्पक्ष बाजार के माध्यम से निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करेगा और इसे बढ़ावा देगा। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा और वाणिज्यिक के एकाधिकार को भी रोकेगा।
11. राज्य उन परिस्थितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जो नागरिकों को पर्याप्त आजीविका सुरक्षित करने के लिए सक्षम बनाएगी।
12. राज्य कार्य, व्यावसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के अधिकार और काम की अनुकूल परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
13. राज्य उचित वेतन के साथ काम के घंटे और छुट्टियों की सीमा का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
14. राज्य उचित पारिश्रमिक के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
15. राज सुधार के उद्देश्य से शिक्षा के साथ संपूर्ण जनसंख्या का ज्ञान, मूल्य और कौशल बढ़ाने एवं मानव व्यक्तित्व को पूर्ण विकास प्रदान करने का प्रयास करेगा।
16. राज्य स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को दसवीं तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आम तौर पर उपलब्ध हो और यह उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर सभी के लिए समान रूप से सुलभ हो।
17. राज्य सभी प्रकार की तस्करी, वेश्यावृत्ति, दुर्व्यवहार सहित महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और शोषण,सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में काम पर हिंसा, उत्पीड़न और धमकी समाप्त करने के लिए उचित उपाय करने का प्रयास करेगा।
18. राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि बच्चों को तस्करी, वेश्यावृत्ति, दुर्व्यवहार, हिंसा, अपमानजनक उपचार और आर्थिक शोषण सहित भेदभाव और शोषण के सभी रूपों के खिलाफ संरक्षित करने का प्रयास हो।
19. राज उन परिस्थितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जो सामुदायिक जीवन और विस्तारित पारिवारिक संरचना की अखंडता में सहयोग के लिए अनुकूल हैं।
20. राज्य ऐसी परिस्थितियाँ बनाने का प्रयास करेगा जो सत्य और स्थायी समाज का निर्माण करें जिनकी जड़ों में बौद्ध धर्म होगा।
21. राज्य आधुनिक और पारंपरिक दवाएं दोनों में बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा।

22. राज्य बीमारी और विकलांगता की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा या व्यक्ति की नियंत्रण से परे कारणों से आजीविका के पर्याप्त साधनों के आभाव में मदद करेगा।
23. राज्य समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में मुक्त भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा तथा कला और विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा।
24. राज्य राष्ट्रों के बीच सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान और अंतरराष्ट्रीय विवाद निपटान को प्रोत्साहित करेगा तथा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करेगा।

अनुच्छेद 10

संसद

1. भूटान के लिए एक संसद होगी। इसके अंतर्गत संविधान निहित हैं और जिसमें ड्रुक ग्यालपो, राष्ट्रीय परिषद और नेशनल असेंबली की सभी विधायी शक्तियाँ शामिल होंगी।
2. संसद यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार राष्ट्र के हितों की रक्षा करे और अन्य विधान, राज्य के कार्यों की जांच नीतियों और मुद्दों तथा विधेयकों की सार्वजनिक समीक्षा के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
3. संसद के सदस्यों का चुनाव किंगडम के चुनावी कानून प्रावधानों के अनुसार होगा।
4. एक व्यक्ति एक ही समय में राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय सभा या एक स्थानीय सरकार का सदस्य नहीं होगा।
5. ड्रुक ग्यालपो प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले बैठक को बुलाएगा।
6. संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में ड्रुक ग्यालपो चिबड्रेल समारोह के साथ संसद की संयुक्त बैठक को आरम्भ करेगा। प्रत्येक सत्र एक जुगड्रेलफुन्सम तशोगपाई ट्रेलर के साथ खोला जाएगा और तशीमोन लैम के साथ संपन्न होगा।
7. ड्रुक ग्यालपो सदन या संयुक्त बैठक की कार्यवाही संबोधित कर सकते हैं जब संसद को समीचीन समझा जाता है।
8. ड्रुक ग्यालपो समीचीन समीक्षक के रूप में दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं।
9. संदेश प्राप्त करने वाला सदन यथाशीघ्र संदर्भित मामले पर विचार करेगा तथा संदेश में या ड्रुक ग्यालपो के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत करेगा।
10. संसद की संयुक्त बैठक के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्र सहित राज्य की वार्षिक रिपोर्ट विधायक योजना और ड्रुक ग्यालपो को सरकार की वार्षिक योजनाएं और प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेगा।

11. दोनों सदन अपनी प्रक्रिया के नियम और प्रत्येक सदन की कार्यवाही निर्धारित करेंगे। प्रत्येक सदन में संसद का व्यवसाय करने के लिए समितियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के नियम प्रदान किये जायँगे।
12. ड्रुक ग्यालपो के आदेश पर अध्यक्ष संसद की असाधारण बैठक बुलाएंगे यदि स्थिति की मांग है।
13. प्रत्येक संसद सदस्य के पास एक वोट होगा। समान मतों के मामले में, अध्यक्ष या स्पीकर निर्णायक मत डालेंगे।
14. प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या वहां उपस्थिति सदस्यों के दो तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए तभी क्रमशः राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय बैठक के लिए एक कोरम का गठन होगा।
15. संसद की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाएगी। हालाँकि, अन्य स्थिति, जहां प्रचार गंभीरता से सार्वजनिक हित का पक्षपात करता हो, अध्यक्ष प्रेस जनता को सभी या किसी भी कार्यवाही से बाहर कर सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी व्यक्ति के हित में ऐसा करने की आवश्यकता है।
16. अध्यक्ष संयुक्त बैठक की कार्यवाही की अध्यक्षता करेगा और सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन स्थल राष्ट्रीय सभा का हॉल होगा।
17. जब संसद सदस्य का पद कार्यकाल की समाप्ति या अन्य कारण से खाली हो जाता है, रिक्ति को भरने के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा जो रिक्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर ही होगा।
18. संसद के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों को संभालने से पहले कार्यालय की शपथ लेनी होगी, जैसा कि इस संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रदान किया गया है।
19. प्रधानमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और नेशनल काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन,पद संभालने से पहले शपथ या प्रतिभूति की शपथ लेंगे जैसा कि इस संविधान की चौथी अनुसूची में प्रदान किया गया होगा।
20. संसद का प्रत्येक सदस्य सदन की शोभा और गरिमा बनाए रखेगा। मानहानि और शारीरिक बल के उपयोग के कार्यों से उन्हें दूर रहना होगा।
21. संसद या किसी समिति के सदस्य गिरफ्तारी, निरोध या अभियोजन पक्ष की राय में व्यक्त की गई किसी भी राय के आधार पर किसी भी जांच की प्रतिरक्षा करेंगे। संसद में उनके कार्यों या वोट के निर्वहन के लिए कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी रिपोर्ट, कागज या कार्यवाही को संसद के अधिकार के तहत बनाया या प्रकाशित किया जाता है।
22. यहां दी गई प्रतिरक्षा में सदस्यों द्वारा किए गए भ्रष्ट कार्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ संबंध या धन या किसी भी अन्य को स्वीकार करने या किसी विशेष तरीके से वोट देने के लिए के अन्य कृत्यों को कवर करना इसके अंतर्गत आते हैं।

23. किसी सदस्य की प्रतिरक्षा के अधिकार को हटाने के लिए क्रमशः प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या से दो तिहाई सदस्यों की सहमति इस विषय पर होनी चाहिए।
24. नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल का कार्यकाल दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक की तारीख से कुल पाँच साल तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय परिषद अपना कार्यकाल पूरा करेगी, जबकि नेशनल असेंबली का समय से पहले विघटन इसके पाँचवें कार्यकाल में हो सकता है जब सरकार के खिलाफ विश्वास मत नेशनल असेंबली में पारित किया जाए और प्रधानमंत्री की सिफारिश ड्रुक ग्यालपो के समक्ष अनुच्छेद 15 के भाग 12 के अंतर्गत रखी जाए।
25. मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, वाचाओं, संधियों, प्रोटोकॉलों जो भूटान द्वारा अनुच्छेद 1 की धारा 10 के अधीन करार किये गए हैं एवं लागू हैं उनको छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, वाचाएं, संधियाँ, प्रोटोकॉल और समझौते जो विधिवत उसके बाद सरकार द्वारा अर्जित किया गया हो वह संसद द्वारा अनुसमर्थन पर केवल राज्य का कानून माना जाएगा, जब तक यह संविधान के साथ असंगत नहीं है।

अनुच्छेद 11

राष्ट्रीय परिषद

1. राष्ट्रीय परिषद में बीस सदस्य शामिल होंगे–
   (क) बीस द्जोंग्खंग में से प्रत्येक में मतदान द्वारा चुना गया एक सदस्य; और
   (ख) पांच ड्रुक ग्यालपो द्वारा नामांकित व्यक्ति।
2. अपने विधायी कार्यों के अलावा, राष्ट्रीय परिषद समीक्षा की सभा के रूप में कार्य करेगी। देश की सुरक्षा और संप्रभुता और राष्ट्र के हितों को प्रभावित करने वाले मामले और उन लोगों को जिन्हें ड्रुक ग्यालपो, नेशनल असेंबली एवं प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।
3. एक उम्मीदवार या राष्ट्रीय परिषद का सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होगा।
4. किसी भी राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के बाद पहली बैठक में, या जब कोई रिक्त पद भरने की आवश्यकता हो, राष्ट्रीय परिषद अपने बीच से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।
5. ड्रुक ग्यालपो अपने हाथ और सील के तहत वारंट द्वारा, डाकिन को अध्यक्ष प्रदान करेगा।
6. राष्ट्रीय परिषद वर्ष में कम से कम दो बार इकट्ठा होगी।

अनुच्छेद 12

नेशनल असेंबली

1. नेशनल असेंबली में प्रत्येक सभा से चुने गए अधिकतम पचपन सदस्य होंगे। द्जोंग्खा अपनी जनसंख्या के अनुपात में, बशर्ते कि कोई द्जोंग्खंग दो सदस्य से कम या सात से अधिक सदस्य न हो, जिस उद्देश्य से संसद एवं कानून द्वारा, प्रत्येक द्जोंग्खा के लिए उपयुक्त माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा नेशनल असेंबली के लिए सीधे एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा।
2. प्रत्येक द्जोंग्खा से निर्वाचित सदस्यों की संख्या को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रत्येक दस वर्षो के बाद पंजीकृत मददता को पुनःप्रमाणित किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक द्जोंग्खा के लिए न्यूनतम दो और अधिकतम सात सदस्य होंगे।
3. किसी भी आम चुनाव के बाद पहली बैठक में, या जब कोई रिक्त पद भरने की अवश्यकता हो नेशनल असेंबली अपने सदस्यों में से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेगी।
4. ड्रुक ग्यालपो अपने हाथ और सील के तहत वारंट द्वारा, डाकिन को सम्मानित करेगा।
5. नेशनल असेंबली साल में कम से कम दो बार इकट्ठा होगी।

सरकार की संप्रभुता एवं न्यायपालिका संबंधी अनुच्छेद

अनुच्छेद 20

कार्यकारी

1. सरकार राज्य की संप्रभुता की रक्षा करेगी और उसे मजबूत करेगी। राज्य सुशासन, लोगों की शांति, सुरक्षा, भलाई और खुशी भी सुनिश्चित करेगी।
2. कार्यकारी शक्ति लहेंगए ज्हंगतशग में निहित होगी जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्री शामिल होंगे। कुशल शासन प्रदान करने के लिए आवश्यक मंत्रालयों की संख्या मंत्रियों की संख्या द्वारा निर्धारित की जाएगी।

   अतिरिक्त मंत्रालय या किसी मंत्रालय की कमी एवं निर्माण को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। मंत्रालयों को केवल मंत्रियों को नियुक्त करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाएगा।
3. धारा 2 और 19 के अनुच्छेद 2 के अधीन रहते हुए, लहेंगए ज्हंगतशग अंतरराष्ट्रीय मामलों सहित ड्रुक ग्यालपो को उनके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देंगे, बशर्ते कि आम तौर पर या अन्यथा ड्रुक ग्यालपो को ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए लहेंगए ज्हंगतशग की आवश्यकता हो सकती है।

4. जैसा कि ड्रुक ग्यालपो द्वारा कहा जाता है, प्रधानमंत्री ड्रुक ग्यालपो को अंतर्राष्ट्रीय मामलों सहित राज्य के मामलों के बारे में समय–समय पर सूचित करते रहेंगे और इस तरह की जानकारी और फाइलें प्रस्तुत करेंगे।
5. लहेंगए ज्हंगतशग ये कार्य करेगा–
   (क) राज्य और समाज, घर और विदेश के कार्यक्रम में विकास से उत्पन्न मामलों की स्थिति का आकलन।
   (ख) राज्य कार्रवाई के लक्ष्यों को परिभाषित और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण।
   (ग) सरकारी नीतियों की योजना एवं समन्वय तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
   (घ) राज्य का देश और विदेश में प्रतिनिधित्व।
6. लहेंगए ज्हंगतशग इस संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर एक कुशल नागरिक प्रशासन को बढ़ावा देगा।
7. लहेंगए ज्हंगतशग सामूहिक रूप से ड्रुक ग्यालपो और संसद के लिए जिम्मेदार होगा।
8. कार्यकारी संसद द्वारा बनाए गए कानून या बल में किसी भी कार्यकारी आदेश, परिपत्र, नियम या अधिसूचना को जारी नहीं करेगा।

   इसके द्वारा किसी भी प्रावधान को संशोधित करने, अलग करने या सुपरसीडिंग करने का प्रभाव असंगत होगा।

अनुच्छेद 21

न्यायपालिका

1. न्यायपालिका न्यायिक रूप से विश्वास और प्रेरणा के लिए कानून के नियम के अनुसार भय, पक्ष या अनुचित देरी के बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सुरक्षा संरक्षण विश्वास और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कार्य करेगी।
2. भूटान का न्यायिक अधिकार रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में निहित होगा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोजोंगखाग न्यायालय, डूंगखाग न्यायालय और ऐसे अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को समय–समय पर ड्रुक ग्यालपो द्वारा स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रीय न्यायिक की सिफारिश पर वे ऐसा कर सकते है।
3. सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड की अदालत होगी।
4. भूटान के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम के ड्रंगपों में से अदालत या ड्रुक ग्यालपो द्वारा प्रख्यात न्यायविदों के बीच, उनके हाथ और सील के तहत वारंट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के परामर्श से की जाएगी।
5. सुप्रीम कोर्ट के ड्रंगपों की नियुक्ति प्रख्यात न्यायविदों के बीच से राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के परामर्श एवं उच्च न्यायालय या ड्रुक ग्यालपो द्वारा की जायगी।

6. कार्यालय का कार्यकाल—

   (क) भूटान के मुख्य न्यायाधीश पांच वर्ष के कार्यकाल या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेंगे, इन दोनों बिन्दुओं में से जो भी पहले हो उसके अनुसार काम होगा, और

   (ख) उच्चतम न्यायालय के द्रांगोपन दस वर्ष के कार्यकाल की अवधि या साठ वर्ष की आयु तक प्राप्त होंगे। इन बिन्दुओं में से जो भी पहले हो उसके अनुसार होगा।

7. भूटान का सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और चार ड्रंगपॉइंट शामिल होंगे, निर्णय, आदेश, के खिलाफ अपील पर फैसला करने के लिए उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी हो सकता है।

   सभी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय और उसके आदेश की समीक्षा करने की शक्ति उसके पास होगी।

8. जहाँ कानून का प्रश्न प्रकृति और सार्वजनिक महत्व का है, ड्रुक ग्यालपो सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न कर सकते हैं, जिस पर उच्च न्यायालय अपने विचार उन्हें देगा।

9. सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अटॉर्नी द्वारा किए गए आवेदन पर किसी मामले में सामान्य या किसी पक्ष द्वारा, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को वापस ले सकता है। इसकी व्याख्या से संबंधित सामान्य कानूनी महत्व पर्याप्त प्रश्न करने और मामले को स्वयं निपटाने का अधिकार भी इसे होगा।

10. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ऐसी घोषणाएँ, आदेश, निर्देश या जारी कर सकते हैं जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकता है।

11. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति द्रांगों के बीच से होगी। यह उच्च न्यायालय या ड्रुक ग्यालपो द्वारा प्रख्यात न्यायविदों के बीच, उनके हाथ के तहत वारंट और सील द्वारा , राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की सिफारिश पर की जाएगी।

12. हाईकोर्ट के ड्रंगपों की नियुक्ति ड्रंगपों के बीच से द्जोंग्खग न्यायालयों या ड्रुक ग्यालपो द्वारा प्रख्यात न्यायविदों के बीच, उनके अधीन वारंट और मुहर द्वारा, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की सिफारिश पर की जाएगी।

13. मुख्य न्यायाधीश के पद और उच्च न्यायालय के द्रांगोपन का कार्यकाल दस वर्ष या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा।

14. भूटान का उच्च न्यायालय, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और आठ ड्रंगपोन शामिल होंगे, सभी मामलों, दजोंगखाग न्यायालयों और अधिकरणों से अपील की अदालत होगी। दजोंगखाग न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में जो मामले नहीं हैं उन पर भी वे अधिग्रहण कर सकते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

3. भूटान के संविधान को कब अपनाया गया?
   (क) 2000 में (ख) 1999 में
   (ग) 2008 में (घ) 2016 में
4. भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है?
   (क) भूटानी (ख) अंग्रेजी
   (ग) हिंदी (घ) दजोंगखा

5.4 अफगानिस्तान के संविधान की प्रकृति और प्रमुख विशेषताएं

अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के वर्तमान संविधान पर संवैधानिक लोया जिरगा (13 दिसंबर, 2003 से 4 जनवरी, 2004) में देश भर से 500 से अधिक अफगान पुरुषों और महिलाओं की सहमति व्यक्त की गई थी।

26 जनवरी, 2004 को काबुल में एक समारोह में राष्ट्रपति हामिद करजई द्वारा औपचारिक रूप से इस संविधान की पुष्टि की गई।

इस संविधान की कुछ विशेषताओं पर चर्चा कुछ इस प्रकार है–

अध्याय एक : राज्य

अनुच्छेद–1

अफगानिस्तान एक इस्लामी गणराज्य, स्वतंत्र, एकात्मक और अविभाज्य राज्य होगा।

अनुच्छेद–2

पवित्र इस्लाम धर्म इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है। अन्य विश्वासों के समर्थक उनके धार्मिक अनुष्ठान के प्रदर्शन में कानून के दायरे में स्वतंत्र होंगे।

अनुच्छेद–3

अफगानिस्तान का कोई कानून इस्लाम के पवित्र धर्म के सिद्धांतों और प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

अनुच्छेद–4

1. अफगानिस्तान में राष्ट्रीय संप्रभुता राष्ट्र से संबंधित होगी और इसके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होगी।
2. अफगानिस्तान राष्ट्र उन सभी व्यक्तियों से बना है जिनके पास अफगानिस्तान की नागरिकता है। इसका समावेश पश्तून, ताजिक, हजारा, उजबेक, तुर्कमान, बलूच, पचौ, नूरिस्तानी, अयमक, अरब, किरगीज, कजिलबश, गुजुर, ब्राहुई और अन्य जनजातियों से होगा। अफगान शब्द प्रत्येक अफगानिस्तान के

नागरिक पर लागू होगा। यहां का कोई भी व्यक्ति नागरिकता से वंचित नहीं रहेगा।

3. नागरिकता और शरण संबंधी मामलों को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–5

इस संविधान के प्रावधानों और अन्य कानूनों को लागू करना, स्वतंत्रता का बचाव करना, राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा तथा रक्षा क्षमता प्राप्त करना देश तथा राज्य के मौलिक कर्तव्य होंगे।

अनुच्छेद–6

राज्य सामाजिक आधार पर एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज बनाने के लिए बाध्य होगा जिसमें न्याय, मानवीय सम्मान की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा, लोकतंत्र की प्राप्ति, राष्ट्रीय एकता के साथ–साथ सभी लोगों और जनजातियों के बीच समानता और संतुलन हासिल करना और देश के सभी क्षेत्रों का विकास के जैसे बिंदु शामिल होंगे।

अनुच्छेद–7

1. राज्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राज्यीय समझौतों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधियों का निरीक्षण करेगा जिनमें अफगानिस्तान शामिल हो और मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा भी करेगा।
2. राज्य सभी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों, मादक पदार्थों की खेती एवं तस्करी तथा नशीले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग पर रोक लगाएगा।

अनुच्छेद–8

1. राज्य संरक्षण के आधार पर देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय अखंडता के साथ–साथ गैर–बराबरी विदेश नीति को विनियमित करेगा तथा
2. पड़ोसियों के बीच आपसी सम्मान और अधिकारों की समानता को भी कायम रखेगा।

अनुच्छेद–9

खान और अन्य भूमिगत संसाधनों के साथ ही ऐतिहासिक अवशेष राज्य की संपत्ति होगी जिसके सार्वजनिक गुणों के साथ–साथ प्राकृतिक संरक्षण, प्रबंधन और उचित उपयोग एवं संसाधनों को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–10

निजी उद्यमों, कानून और बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधानों के अनुसार राज्य पूंजी निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ इसे प्रोत्साहित करेगा।

अनुच्छेद–11

घरेलू के साथ–साथ विदेशी व्यापार से देश की आर्थिक आवश्यकताओं और सार्वजनिक हितों के साथ संबंधित मामलों को कानून के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–12

द अफगानिस्तान बैंक स्वतंत्र और राज्य का केंद्रीय बैंक होगा। कानून के प्रावधानों के अनुसार मुद्रा जारी करने के साथ ही देश की मौद्रिक नीति तैयार करना और उसे लागू करना, केंद्रीय बैंक का अधिकार होगा। यह बैंक पैसे की छपाई के बारे में लोगों की सभा की आर्थिक समिति से परामर्श करेगा।

केंद्रीय बैंक के संगठन और संचालन विधि को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–13

राज्य विकासशील उद्योगों के विस्तार के लिए प्रभावी कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करेगा। उत्पादन के साथ–साथ कारीगरों की गतिविधियों की रक्षा करने जैसे कार्य भी इसके अंतर्गत होंगे।

अनुच्छेद–14

राज्य अपने वित्तीय साधनों के भीतर, प्रभावी कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करेगा। कृषि और पशुपालन का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक और रहने की स्थिति में सुधार करना , किसानों, चरवाहों और बसने वालों के साथ–साथ खानाबदोशों की आजीविका के लिए कार्य करना भी इसके अंतर्गत है। राज्य योग्य लोगों के लिए आवास और सार्वजनिक सम्पदा के वितरण के प्रावधान के लिए नागरिकों को कानून के प्रावधानों और वित्तीय संभावनाओं के भीतर आवश्यक उपाय अपनाएगा।

अनुच्छेद–15

राज्य को वनों की सुरक्षा और सुधार के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए बाध्य किया जाएगा। साथ ही यह जीवित वातावरण के संरक्षण का भी ध्यान रखेगा।

अनुच्छेद–16

1. पश्तो, दारी, उजबेकी, तुर्कमनी, बलूची, पचई, नूरिस्तानी, पामिरी और अन्य भाषाओ में से, पश्तो और दारी राज्य की आधिकारिक भाषाएं होंगी।
2. उजबेकी, तुर्कमनी, पचई, नूरिस्तानी, बलूची या पामिरी इन भाषाओं में से किसी एक क्षेत्र में जिस भी भाषा को अधिकांश लोग बोलते हैं।
3. पश्तो और दारी के अलावा, उस भाषा को तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा, जिसके उपयोग को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।
4. राज्य अफगानिस्तान की सभी भाषाओं को बढ़ावा देगा और उन्हें विकसित करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम डिजाइन और लागू करेगा।

5. देश की सभी वर्तमान भाषाओं का उपयोग प्रेस प्रकाशन और मास मीडिया में मुफ्त होगा। शैक्षणिक और राष्ट्रीय प्रशासनिक शब्दावली में उपयोग कर इन भाषाओ को देश में संरक्षित किया जाएगा।

अनुच्छेद–17

1. राज्य सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा धार्मिक विकास करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाएगा।
2. धार्मिक शिक्षाओं, मस्जिदों, धार्मिक स्कूलों की स्थितियों को नियंत्रित और बेहतर बनाने का कार्य भी राज्य करेगा।

अनुच्छेद–18

देश के कैलेंडर वर्ष का स्रोत पैगंबर के प्रवास आधार पर होगा। राज्य कार्यालयों का आधार सौर कैलेंडर होगा। शुक्रवार, साथ ही असद की 28वीं और सौर की 8वीं तिथि को सार्वजनिक छुट्टियां होंगी। अन्य छुट्टियों को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–19

1. अफगानिस्तान का झंडा काले, लाल और हरे रंग के साथ तीन समान भागों से बना होगा जिसमें रंगों को बाएं से दाएं, लंबवत रूप से निकाला जाता है। हर रंग की चौड़ाई उसकी लंबाई से आधी होगी और इसके केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्थित होगा। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अफगानिस्तान में एक प्रतीक और दो रंगों में एक पल्पिट शामिल होगा जिनके कोने में दो झंडे हैं, शीर्ष पवित्र शिलालेख में उत्कीर्ण हैं "कोई भगवान नहीं है लेकिन अल्लाह और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं और अल्लाह महान है।" यह अंकित किया जाएगा और उगते सूरज की किरणों और उसके निचले हिस्से में, 1919 में सौर कैलेंडर में डूबे, 'अफगानिस्तान' शब्द दो तरफ गेहूँ के टुकड़ों से घिरा होगा।
2. कानून ध्वज और प्रतीक चिन्ह के उपयोग को विनियमित करेगा।

अनुच्छेद–20

अफगानिस्तान का राष्ट्रगान पश्तो में "भगवान महान है" के उल्लेख के साथ होगा साथ ही अफगानिस्तान की जनजातियों के नाम भी इसमें शामिल होंगे।

अनुच्छेद–21

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शहर होगी।

अध्याय दो : नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य

अनुच्छेद–22

1. अफगानिस्तान के नागरिकों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा।
2. अफगानिस्तान के नागरिक, पुरुष और महिला, कानून के समक्ष समान अधिकार और कर्तव्य के हकदार हैं।

अनुच्छेद–23

जीवन ईश्वर का उपहार है और साथ ही साथ मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार भी है। कानूनी प्रावधान को छोड़कर किसी भी स्थिति में किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–24

1. स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। इस अधिकार की कोई सीमा नहीं है जब तक कि यह दूसरों को प्रभावित न करे।
2. स्वतंत्रता और साथ ही जनहित को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा। स्वतंत्रता और मानव की गरिमा अमूल्य है। राज्य स्वतंत्रता और मानव गरिमा का सम्मान और रक्षा करेगा।

अनुच्छेद–25

मासूमियत मूल स्थिति है। एक आधिकारिक अदालत के आदेश से दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष होगा।

अनुच्छेद–26

अपराध एक व्यक्तिगत कृत्य है। किसी अभियुक्त की जाँच, गिरफ्तारी और निरोध के साथ–साथ जुर्माना निष्पादन किसी अन्य व्यक्ति के सम्मान को कम नहीं करेगा।

अनुच्छेद–27

1. किसी भी काम को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि प्रतिबद्धता से पहले अपराध को कानून द्वारा शासित एवं घोषित न किया जाए। कानून की प्रक्रिया के बिना किसी को गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
2. कानून के प्रावधानों, अपराध की प्रतिबद्धता की जांच से पहले तथा एक आधिकारिक अदालत के निर्णय के बिना किसी को दंडित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–28

बिना अपराध के आरोपित, अफगानिस्तान के किसी नागरिक को किसी विदेशी राज्य में प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति पारस्परिक व्यवस्था के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जिनमें अफगानिस्तान शामिल हो गया है उसे अफगान नागरिकता से वंचित किया जाएगा या घरेलू या विदेशी निर्वासन की सजा दी जाएगी।

अनुच्छेद–29

इंसानों पर जुल्म करना मना होगा। किसी को यातना या सजा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यहां तक कि एक अन्य व्यक्ति से सत्य की खोज के लिए जिसे जांच, गिरफ्तारी, नजरबंदी या सजा के लिए दोषी ठहराया गया है उसके ऊपर भी यही कानून लागू होगा। मानव गरिमा के विपरीत सजा को प्रतिबंधित किया गया है।

अनुच्छेद–30

किसी अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती प्राप्त बयान, स्वीकारोक्ति अमान्य होंगे। मन की स्थिर स्थिति में एक अभियुक्त द्वारा एक अधिकृत अदालत के समक्ष अपराध कबूल करना पहले स्वैच्छिक प्रवेश है।

अनुच्छेद–31

1. गिरफ्तारी या सच्चाई साबित करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति एक रक्षा वकील नियुक्त कर सकता है। तुरंत ही गिरफ्तारी पर अभियुक्त को अधिकार होगा कि वह अभियोग की प्रकृति से अवगत हो।
2. कानून द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अदालत में पेश होंगे। आपराधिक मामलों में, राज्य अपच के लिए एक रक्षा वकील की नियुक्ति करेगा। आरोपियों और उनके वकील के बीच वार्तालाप, पत्राचार और संचार की गोपनीयता, किसी भी तरह के उल्लंघन से सुरक्षित होंगी। कानून द्वारा रक्षा वकीलों के कर्तव्यों और शक्तियों को विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–32

1. ऋण, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पर्दा नहीं डालेगा या उसे वंचित नहीं करेगा।
2. ऋण की वसूली की विधि और साधन कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–33

अफगानिस्तान के नागरिकों को चुनाव करने और निर्वाचित होने का अधिकार होगा बशर्ते इस अधिकार का प्रयोग कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–34

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। प्रत्येक अफगान को भाषण, लेखन, दृष्टांतों के साथ–साथ अन्य माध्यमों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा।
2. इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक अफगान का अधिकार होगा कि वह निर्देशों, प्रेस, रेडियो और टेलीविजन के साथ–साथ प्रकाशन और अन्य जन माध्यमों से कानून, राज्य अधिकारियों को विषय प्रस्तुत किए बिना विषयों पर मुद्रित और प्रकाशित कर सके। परन्तु इसे कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–35

नैतिक और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अफगानिस्तान के नागरिकों को कानून के प्रावधानों के अनुसार संघों को बनाने का अधिकार होगा।

अफगानिस्तान के लोगों के राजनैतिक दलों के गठन करने का कानून के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए अधिकार होगा, बशर्ते कि–

1. उन्हें घोषणापत्र और चार्टर इस्लाम के पवित्र धर्म और सिद्धांतों एवं इस संविधान में निहित मूल्यों का उल्लंघन नहीं करना है,
2. उनके संगठन और वित्तीय संसाधन पारदर्शी होंगे,

3. उनके पास सैन्य या अर्धसैनिक उद्देश्य और संगठन नहीं होंगे, और
4. वे विदेशी राजनीतिक दलों या अन्य स्रोतों से संबंधित नहीं होंगे।

आदिवासीवाद, पारसवाद, भाषा धार्मिक या संप्रदायवाद के आधार पर एक पार्टी का गठन और संचालन की अनुमति नहीं होगी। एक पार्टी या संघ जिसे कानून के अनुसार गठित किया गया हो उसे कानून के आदेश के बिना भंग नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–36

कानून के अनुसार, वैध और शांतिपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अफगानिस्तान के लोगों को निहत्थे प्रदर्शनों को इकट्ठा करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद–37

अफगानिस्तान के नागरिकों के व्यक्तिगत संचार चाहे पत्र के रूप में हो या टेलीफोन अथवा टेलीग्राफ के माध्यम से या किसी अन्य साधन द्वारा की जाए उसकी गोपनीयता बरकरार रहेगी तथा राज्य इस पर कोई निगरानी नहीं रखेगा जब तक ये गैर कानूनी न हो।

अनुच्छेद–38

व्यक्तिगत निवास, अतिचार से प्रतिरक्षात्मक होंगे। राज्य सहित किसी के पास व्यक्तिगत निवास में मालिकों की अनुमति के बिना अंदर प्रवेश कर जांच करने का अधिकार नहीं होगा जब तक एक आधिकारिक अदालत में, स्थितियों, विधियों एवं कानून द्वारा इसे चित्रित नहीं किया जाता। किसी प्रत्यक्ष अपराध के मामले में यदि अधिकारी पूर्व में बिना किसी न्यायिक आदेश के व्यक्तिगत निवास में प्रवेश कर खोज करेगा तो खोज के उपरांत कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर उसे एक जायज न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद–39

1. प्रत्येक अफगान को देश के किसी भी भाग में यात्रा करने और बसने का अधिकार होगा, सिवाय कानून द्वारा निषिद्ध क्षेत्र में। प्रत्येक अफगान को अफगानिस्तान से बाहर यात्रा करने का अधिकार होगा और
2. कानून के प्रावधानों के अनुसार वापसी का भी। राज देश के बाहर भी अफगानिस्तान के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

अनुच्छेद–40

संपत्ति उल्लंघन से सुरक्षित होगी। संपत्ति प्राप्त करने और इसके मालिकत्व से किसी को रोका नहीं जाएगा, जब तक कि यह कानून के प्रावधानों द्वारा सीमित न हो। अदालत के निर्णय या आदेश के बिना किसी की संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी। निजी संपत्ति को कानूनी रूप से केवल सार्वजनिक हितों के लिए अधिग्रहीत किया जायगा और बदले में मुआवजे की अनुमति दी जाएगी। कानून के प्रावधानों के अनुसार निजी संपत्ति की खोज और प्रकटीकरण किया जाएगा।

अनुच्छेद–41

विदेशी व्यक्तियों को अफगानिस्तान में अचल संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। कानून के प्रावधानों के साथ पट्टा पूंजी निवेश के उद्देश्य से अचल संपत्ति के अनुसार अनुमति दी जाएगी। सम्पदा की बिक्री की अनुमति कानून के प्रावधानों के

अनुसार उन विदेशों के राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दी जाएगी, जिनका अफगानिस्तान एक सदस्य है।

अनुच्छेद–42

1. प्रत्येक अफगान राज्य के प्रावधानों के अनुसार करों और कर्तव्यों का भुगतान करेगा। कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर या शुल्क नहीं लगाया जाएगा। कर दरों और कर्तव्यों के रूप में कानून द्वारा सामाजिक न्याय के संबंध में भुगतान की विधि निर्धारित की जाएगी।
2. यह प्रावधान विदेशी व्यक्तियों और संगठनों पर भी लागू होगा। हर तरह का टैक्स, शुल्क के साथ–साथ भुगतान की गई आय एक ही राज्य खाते में जमा की जाएगी।

अनुच्छेद–43

शिक्षा अफगानिस्तान के सभी नागरिकों का अधिकार है, जो बी.ए. के स्तर तक राज्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा निःशुल्क प्रदान कराई जाएगी। अफगानिस्तान में अनिवार्य मध्यवर्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए, राज प्रभावी कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करेगा ताकि उन क्षेत्रों में मातृभाषाएँ जहाँ वे बोली जाती हैं उनके शिक्षण के लिए जमीन तैयार हो सके एवं शिक्षा का संतुलित विस्तार हो सके।

अनुच्छेद–44

राज्य संतुलित बनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित करेगा। महिलाओं एवं खानाबदोशों की शिक्षा में सुधार के साथ–साथ अशिक्षा को खत्म करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा।

अनुच्छेद–45

1. राज्य के सिद्धांतों के आधार पर एकीकृत शैक्षिक पाठ्यक्रम का विकास और कार्यान्वयन होगा।
2. अफगानिस्तान में मौजूदा इस्लामिक संप्रदायों के आधार पर स्कूलों के लिए धार्मिक विषय इस्लाम के पवित्र धर्म, राष्ट्रीय संस्कृति के साथ–साथ शैक्षणिक सिद्धांत और विकास किया जाएगा।

अनुच्छेद–46

उच्च, सामान्य और विशिष्ट शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना राज्य का कर्तव्य है। अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए उच्च, सामान्य और राज्य की अनुमति के साथ विशेष शैक्षिक और साक्षरता संस्थान की स्थापना की जाएगी। कानून के प्रावधानों के अनुसार राज्य विदेशी व्यक्तियों को उच्च, सामान्य और विशिष्ट संस्थानों को स्थापित करने की अनुमति देगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की शर्त है कि राज और अन्य संबंधित मामलों को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–47

राज्य ज्ञान, संस्कृति, साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करेगा। राज्य कानून के प्रावधानों के अनुसार लेखकों, अन्वेषकों और खोजकर्ताओं

के कॉपीराइट की गारंटी देगा और सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा, उनकी रक्षा करेगा एवं उनके परिणामों को प्रभावी बनाने का कार्य करेगा।

अनुच्छेद–48

काम हर अफगान का अधिकार है। काम के घंटे, प्रदत्त अवकाश, रोजगार और कर्मचारी अधिकारों और संबंधित मामलों को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा। व्यवसाय और शिल्प की पसंद कानून की सीमा के भीतर मुक्त है।

अनुच्छेद–49

जबरन श्रम वर्जित किया जाएगा। सार्वजनिक जीवन और आराम के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियाँ जैसे युद्ध, आपदा और अन्य समय में सक्रिय भागीदारी हर किसी के राष्ट्रीय कर्तव्यों में से एक होंगी। अफगानी बच्चों से जबरन श्रम कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुच्छेद–50

1. स्वस्थ प्रशासन बनाने और महसूस करने के लिए राज्य आवश्यक उपाय अपनाएगा। पूर्ण तटस्थता के साथ कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में देश की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने हेतु उपाय करेगा।
2. कानून के प्रावधानों के अनुसार अफगानिस्तान के नागरिकों को राज के विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
3. दूसरों के अधिकारों के साथ–साथ सार्वजनिक सुरक्षा पहुंचाने के अलावा इस अधिकार की कोई सीमा नहीं है। बिना किसी भेदभाव के कानून प्रावधानों के अनुसार क्षमता के आधार पर अफगानिस्तान के नागरिकों को किसी रोजगार में भर्ती किया जाएगा।

अनुच्छेद–51

प्रशासन के कारण से किसी भी व्यक्ति की क्षति मुआवजे के लायक होगी और अधिग्रहण के लिए वह अदालत में अपील कर सकता है। सिवाय निर्धारित शर्तों के, कानून, राज्य एक आधिकारिक अदालत के आदेश के बिना, अपने अधिकारों का दावा नहीं करेगा।

अनुच्छेद–52

राज्य निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल और रोगों के उपचार के साथ–साथ कानून के प्रावधानों के अनुसार सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा।

निजी चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के साथ स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार को प्रोत्साहित किया जाएगा और कानून के प्रावधानों के अनुसार राज्य द्वारा संरक्षित भी किया जाएगा। स्वस्थ शारीरिक शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय खेल को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्र आवश्यक उपाय अपनाएगा।

अनुच्छेद–53

1. राज्य चिकित्सा सेवाओं के साथ–साथ वित्तीय सहायता को विनियमित करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाएगा।

2. शहीदों और लापता व्यक्तियों के बचे लोगों और विकलांगों की समाज में सक्रिय भागीदारी हेतु कानून के प्रवधानों के भीतर रह कर पुनर्निवेश के लिए राज्य कार्य करेगा। राज्य सेवानिवृत्त लोगों के अधिकारों की गारंटी देगा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
3. बुजुर्ग, बिना देखभाल वाली महिला, विकलांग और गरीब अनाथ बच्चों के हित के लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार कदम उठाये जाएंगे।

अनुच्छेद–54

परिवार समाज का मूलभूत आधार है और राज्य द्वारा इसे संरक्षित किया जाएगा। राज्य परिवार के शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाएगा। विशेष रूप से बच्चे और माँ, बच्चों की परवरिश के लिए कदम उठाये जाएंगे साथ ही इस्लाम के पवित्र धर्म के विपरीत सिद्धांतों के उन्मूलन संबंधित परंपराओं का निषेध किया जाएगा।

अनुच्छेद–55

देश का बचाव अफगानिस्तान के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा। अनिवार्य सैन्य सेवा को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–56

संविधान के प्रावधानों का पालन, कानूनों का पालन, जनता का सम्मान और सुरक्षा अफगानिस्तान के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा। कानूनों की अज्ञानता के बहाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–57

कानून के अनुसार राज्य अफगानिस्तान में विदेशी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देगा। अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रावधानों की सीमा के भीतर, ये लोग राज्य के कानूनों का सम्मान करने के लिए बाध्य होंगे।

अनुच्छेद–58

1. अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के सम्मान के साथ–साथ उसे बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए, राज्य अफगानिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेगा। प्रत्येक व्यक्तिगत मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में व्यक्ति इस आयोग से शिकायत करेगा।
2. आयोग संगठन और संचालन की विधि द्वारा व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन का उल्लेख करेगा तथा उनके अधिकारों की रक्षा में उनकी सहायता करेगा। इस आयोग को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–59

किसी व्यक्ति को इस संविधान में निहित अधिकारों और स्वतंत्रता में हेरफेर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के साथ–साथ राष्ट्रीय के खिलाफ कार्य करने की अनुमति भी किसी को नहीं दी जाएगी।

अध्याय तीन : पीआर एक्सीडेंट

अनुच्छेद–60

1. राष्ट्रपति, अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य राज के प्रमुख होंगे,
2. प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
3. राष्ट्रपति के दो उपाध्यक्ष होंगे, पहला और दूसरा।
4. राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार राष्ट्र के दोनों उपराष्ट्रपति के नामों की घोषणा करेगा।
5. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, त्यागपत्र या मृत्यु के मामले में, पहला कुलपति कार्य करेगा जो इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार मान्य है। पहले उपप्रधान की अनुपस्थिति में, दूसरा कुलपति इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।

अनुच्छेद–61

मुफ्त, सामान्य, गुप्त और प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से मतदाताओं द्वारा डाले गए पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करके राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल चुनावों के बाद पांचवें वर्ष के अंतराल को समाप्त होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल के अंत से तीस से साठ दिन पहले या भीतर ही नए राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। अगर पहले दौर में किसी भी उम्मीदवारों को पचास प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिले तो दूसरे दौर के चुनाव होंगे। चुनाव की तिथि से दो सप्ताह के भीतर चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं और इस दौर में, केवल पहले दौर में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले दो उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। मतदान या चुनाव के बाद, लेकिन परिणामों की घोषणा से पहले यदि राष्ट्रपति के किसी उम्मीदवार की पहले या दूसरे दौर के दौरान मृत्यु हो जाती है तो कानून के प्रावधानों के अनुसार पुनर्मिलन आयोजित किया जाएगा।

अनुच्छेद–62

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होंगी–

1. उसका अफगानिस्तान का नागरिक, मुस्लिम, तथा अफगान माता–पिता से पैदा हुआ व्यक्ति होना अनिवार्य है। वह दूसरे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए,
2. उम्मीदवारी के दिन वह व्यक्ति चालीस साल से कम नहीं होंगे,
3. न्यायालय द्वारा वह नागरिक मानवता के खिलाफ अपराधों, आपराधिक कृत्य या वंचित होने का दोषी नहीं ठहराया गया है। राष्ट्रपति के रूप में कोई भी व्यक्ति दो से अधिक बार के लिए नहीं चुना जाएगा। यह प्रावधान लेख कुलपतियों पर भी लागू होगा।

अनुच्छेद–63

पद संभालने से पहले, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रियाओं के अनुसार निष्ठा की निम्नलिखित शपथ ली जाएगी–

"ईश्वर के नाम पर, सबसे अधिक दयालु, सबसे दयालु, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं इस्लाम के पवित्र धर्म का पालन और रक्षा करूंगा, सम्मान और देखरेख करूंगा। संविधान के कार्यान्वयन के साथ–साथ अन्य कानून, अफगानिस्तान की स्वतंत्रता राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हैं, और, सर्वशक्तिमान ईश्वर को साक्षी मान कर राष्ट्र एवं अफगानिस्तान के लोगों की सहायता और समर्थन, समृद्धि और प्रगति की दिशा में मेरे प्रयासों को बढ़ाने का कार्य करूंगा।

अनुच्छेद–64

राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे–

1. संविधान के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना,
2. देश की नीति की मूलभूत रेखाओं का निर्धारण और अनुमोदन राष्ट्रीय सभा के समर्थन में करना,
3. अफगानिस्तान के सशस्त्र बलों का प्रमुख कमांडर रहना,
4. नेशनल असेंबली के समर्थन के साथ युद्ध और शांति की घोषणा करना,
5. क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक निर्णय लेना,
6. सशस्त्र बलों की टुकड़ियों को राष्ट्रीय सभा के समर्थन के साथ अफगानिस्तान के बाहर भेजना,
7. इस संविधान के अनुच्छेद 69 में निर्धारित स्थिति को छोड़कर लोया जिरगा को आयोजित करना,
8. राष्ट्रीय की आपातकाल की स्थिति को राष्ट्रीय सभा के समर्थन के साथ समाप्त करना,
9. नेशनल असेंबली और लोया जिरगा के सत्रों का उद्‌घाटन,
10. गणतंत्र के उपाध्यक्षों के इस्तीफे स्वीकार करना,
11. केंद्रीय बैंक, राष्ट्रीय के प्रमुख, महान्यायवादी की नियुक्ति करना, सुरक्षा निदेशक के साथ–साथ हाउस ऑफ एंडोर्समेंट के साथ रेड क्रॉस के प्रमुख की बर्खास्तगी और इस्तीफे की स्वीकृति देना,
12. सदन के सदस्यों के समर्थन मे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के साथ–साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना,
13. कानून के प्रवधान के अनुसार न्यायाधीशों, सशस्त्र बल, पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ–साथ उच्च रैंकिंग अधिकारियों के इस्तीफे और बर्खास्तगी को नियुक्त करना, सेवानिवृत्त करना और स्वीकार करना,
14. अफगानिस्तान के राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय संगठन के विदेशी राज्यों के प्रमुखों की नियुक्ति करना,
15. अफगानिस्तान में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की साख स्वीकार करें,
16. कानूनों के साथ–साथ न्यायिक फरमानों का समर्थन करना,

17. कानून के प्रावधान के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संधियों के समापन के लिए क्रेडेंशियल पत्र जारी करना,
18. कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड और माफी को कम करना,
19. कानून के प्रावधानों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पदक, प्रतीक चिन्ह के साथ–साथ मानद उपाधियों को प्रदान करना,
20. कानून के प्रावधानों के अनुसार देश के प्रशासन में सुधार के लिए आयोगों की स्थापना करना,
21. इस संविधान में निहित अन्य अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना।

अनुच्छेद–65

राष्ट्रपति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक और साथ ही आर्थिक मुद्दों पर जनमत को बुला सकते हैं तथा जनमत संग्रह इस संविधान के प्रावधानों या इसके संशोधन की आवश्यकता के विपरीत नहीं होगा।

अनुच्छेद–66

इस संविधान में निहित अधिकारियों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति अफगानिस्तान के लोगों के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखेगा। कानून के प्रावधान के बिना राज्य की संपत्ति राष्ट्रपति बेच नहीं सकता। पद की अवधि के दौरान, राष्ट्रपति के पद की स्थिति का उपयोग भाषाई, संप्रदायवादी, आदिवासी और धार्मिक के साथ–साथ पार्टी के हित के लिए भी नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–67

इस्तीफे, असाध्य बीमारी, महाभियोग या राष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में, राष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों का पालन प्रथम कुलपति करेगा। राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय सभा को त्यागपत्र देंगे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक असाध्य बीमारी की पुष्टि एक अधिकृत चिकित्सा टीम द्वारा सत्यापित की जाएगी।

ऐसे मामलों में, नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव तीन महीने के भीतर ही होंगे।

संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, पहले उपाध्यक्ष–अध्यक्ष, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए, निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे–

1. संविधान में संशोधन;
2. मंत्रियों को खारिज करना;
3. एक जनमत संग्रह को बुलाना ।

खुद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कुलपति इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार, नामांकन कर सकते हैं।

अनुच्छेद–68

यदि कोई भी उप राष्ट्रपति इस्तीफा देता है या मर जाता है, तो किसी अन्य व्यक्ति को, राष्ट्रपति सदन के सदस्यों के समर्थन के साथ नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रपति तथा प्रथम राष्ट्रपति के एक साथ मृत्यु के मामले में द्वितीय उप राष्ट्रपति हाउस ऑफ एल्डर्स के राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और विदेश मंत्री इस क्रम में आयंगे, और, इस क्रम के अनुच्छेद 67 के अनुसार राष्ट्रपति के कर्तव्यों को ग्रहण करेंगे।

अनुच्छेद–69

राष्ट्रपति राष्ट्र के साथ–साथ लोक सभा का भी जिम्मेदार होगा, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के साथ। मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप, राष्ट्रद्रोह है।

साथ ही राष्ट्रपति के खिलाफ एक अपराध के लिए लोक सभा के सभी सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों के बहुमत की मांग की जाएगी। अगर इस मांग को दो तिहाई सदस्यों की मंजूरी मिल जाती है तो एक महीने के भीतर लोया जिरगा को बुलाया जाएगा।

यदि लोया जिरगा, बहुमत से, आरोप को मंजूरी दे देते हैं, तो राष्ट्रपति अपने पद से निष्कासित होंगे। और इस मुद्दे को एक विशेष अदालत में भेजा जाएगा, हाउस ऑफ एल्डर्स के अध्यक्ष, लोक सभा के तीन सदस्य, और तीन लोया जिरगा द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के सदस्य शामिल होंगे। लोया जिगरा द्वारा नियुक्त व्यक्ति मामले को प्रस्तुत करेगा। ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 67 को लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद–70

राष्ट्रपति का वेतन और खर्च कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा। राष्ट्रपति, सेवा की उनकी अवधि पूरी होने के बाद, बर्खास्त किए जाने के अलावा, कानून के अनुसार अपने जीवन के बाकी के लिए राष्ट्रपति पद के वित्तीय लाभ के हकदार होंगे।

अध्याय चार : सरकार

अनुच्छेद–71

सरकार में उन मंत्रियों को शामिल किया जाएगा जो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में काम करते हैं। मंत्रियों की संख्या के साथ–साथ उनके कर्तव्यों को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–72

मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होंगी–

1. यदि मंत्री पद के उम्मीदवार के पास दूसरे देश की नागरिकता के साथ–साथ अफगानिस्तान की नागरिकता है, तो हाउस ऑफ पीपुल को नामांकन को अस्वीकार या अनुमोदन करने का अधिकार होगा,
2. उच्च शिक्षा, कार्य अनुभव के साथ–साथ एक अच्छी प्रतिष्ठा होगी,
3. उम्र पैंतीस साल से कम नहीं होनी चाहिए,
4. अदालत द्वारा मानवता के खिलाफ अपराधों, आपराधिक कृत्य या वंचित होने का दोषी नहीं ठहराया गया है।

अनुच्छेद–73

मंत्रियों की नियुक्ति नेशनल असेंबली के सदस्यों में से या बाहर के सदस्य में से की जाएगी। यदि नेशनल असेंबली के एक सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और वह व्यक्ति नेशनल असेंबली में सदस्यता हार जाता है तो इसके बजाय, एक अन्य व्यक्ति को कानून के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

अनुच्छेद–74

पद ग्रहण करने से पहले, मंत्री निम्नलिखित की उपस्थिति में शपथ लेंगे–

राष्ट्रपति :

"भगवान के नाम पर, सबसे अधिक दयालु, सबसे दयालु, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं मैं इस्लाम के पवित्र धर्म की रक्षा करूंगा, संविधान और अन्य कानूनों का सम्मान करूंगा। अफगानिस्तान के नागरिकों के अधिकारों के साथ–साथ स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और अफगानिस्तान के लोगों की राष्ट्रीय एकता और मेरे सभी कार्यों में सर्वशक्तिमान के विचार की उपस्थिति है तथा मैं सौंपे गए कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाऊंगा।"

अनुच्छेद–75

सरकार के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

1. इस संविधान के प्रावधानों, अन्य कानूनों, और न्यायालयों के अंतिम निर्णयों को निष्पादित करना,
2. स्वतंत्रता का संरक्षण, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, हितों की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अफगानिस्तान की प्रतिष्ठा बनाए रखना,
3. सार्वजनिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना और हर प्रकार के प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना,
4. बजट तैयार करना, राज्य की वित्तीय स्थितियों को विनियमित करना और साथ ही जनता की सुरक्षा करना,
5. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी विकास कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित करना,
6. वित्तीय वर्ष के अंत में, नेशनल असेंबली को रिपोर्ट करना,
7. अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो इस संविधान, सरकार की जिम्मेदारियों और अन्य कानूनों के अनुसार हैं।

अनुच्छेद–76

देश की नीति की मूल पंक्तियों को लागू करने और अपने कर्तव्यों को विनियमित करने के लिए, सरकार नियमों का पालन करने के साथ–साथ वसीयत भी करेगी, जो शरीर या किसी नियम की भावना के विपरीत नहीं होगी।

अनुच्छेद–77

मंत्री अपने कर्तव्यों का पालन प्रशासनिक इकाइयों के प्रमुख के रूप में करेंगे।

इस संविधान के ढांचे के साथ–साथ अन्य कानून भी निर्धारित हैं। मंत्री अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों के लिए राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा के लिए जिम्मेदार होंगे।

अनुच्छेद–78

यदि किसी मंत्री पर मानवता के खिलाफ अपराधों, राष्ट्रीय राजद्रोह या अन्य अपराधों के आरोप हैं, तो मामला, एक विशेष अदालत के समक्ष इस संविधान के अनुच्छेद एक सौ चौंतीस के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुच्छेद–79

प्रतिनिधि सभा के अवकाश के दौरान, सरकार, किसी विशेष मामले में बजट और वित्तीय मामलों को छोड़कर विधायी फरमान जारी कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा समर्थन के बाद विधायी फरमान, कानून के बल पर अधिग्रहण करेगा।

तीस दिनों के भीतर विधान सभा को अपना पहला सत्र बुला राष्ट्रीय सभा में उस फरमान को प्रस्तुत करना होगा और अगर नेशनल असेंबली द्वारा फरमान अस्वीकार कर दिया गया, तो वह अमान्य हो जाता है।

अनुच्छेद–80

अपने कर्तव्य के कार्यकाल के दौरान, मंत्री भाषाई, संप्रदायवादी, आदिवासी, धार्मिक या पक्षपातपूर्ण कार्यों आदि के लिए अपने पदों का उपयोग नहीं करेंगे।

अध्याय पाँच : नेशनल असेंबली

अनुच्छेद–81

अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य की नेशनल असेंबली, उच्चतम विधायी के रूप में, अपने लोगों की इच्छा को प्रकट करेगी और साथ ही पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रत्येक विधानसभा का सदस्य अफगानिस्तान के लोगों के सर्वोच्च लाभ तथा सामान्य हितों के अनुसार मतदान करता है।

अनुच्छेद–82

नेशनल असेंबली में दो सदन होते हैं– हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ एल्डर्स। कोई व्यक्ति एक ही समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा।

अनुच्छेद–83

लोक सभा के सदस्यों को मुफ्त, सामान्य, गुप्त और प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से लोगों द्वारा चुना जाएगा। नए चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद पुरानी कार्य अवधि, समाप्त हो जाएगी और नयी संसद काम शुरू करेगी। लोक सभा के सदस्यों का चुनाव हाउस ऑफ पीपल के कार्यकाल की समाप्ति से 30–60 दिन पहले आयोजित किया जाएगा।

लोक सभा के सदस्यों की संख्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कुल जनसंख्या के अनुपात में होगी, अधिकतम दो सौ पचास व्यक्तियों से अधिक नहीं।

निर्वाचन क्षेत्रों के साथ–साथ अन्य संबंधित मुद्दों का चुनाव कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

कानून मतदाता प्रणाली, सामान्य और निष्पक्ष माध्यम से प्राप्त उपायों को अपनाएगा जिससे देश के सभी लोगों के लिए प्रतिनिधित्व होगा और हर प्रांत में कम से कम दो महिला सदस्य प्रत्येक प्रांतीय सदन के लिए निर्वाचित होंगी।

अनुच्छेद–84

हाउस ऑफ एल्डर्स के सदस्यों को निम्नानुसार चुना और नियुक्त किया जाएगा–

1. प्रत्येक प्रांतीय परिषद के सदस्यों में से एक व्यक्ति चार साल के कार्यकाल के लिए संबंधित परिषद द्वारा चुना जाएगा,
2. एक तिहाई सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पांच साल के लिए नियुक्त किया जाएगा।

अनुच्छेद–85

विशेषज्ञों और अनुभवी व्यक्तित्वों के बीच विकलांगों के साथ–साथ खानाबदोशों में से भी दो की नियुक्ति होगी।

राष्ट्रपति इनमें पचास प्रतिशत महिला सदस्यों को नियुक्त करेंगे।

हाउस ऑफ एल्डर्स के सदस्य के रूप में चयनित व्यक्ति संबंधित परिषद की सदस्यता खो देंगे। एक अन्य व्यक्ति को कानून के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय सदस्यता के लिए उम्मीदवार बनता है या नियुक्त किया जाता है उसके पास विधानसभा चुनाव की शर्तों को पूरा करने के अलावा निम्नलिखित योग्यताएं भी होनी अनिवार्य हैं–

1. वह अफगानिस्तान का नागरिक होगा या उसने राज्य की नागरिकता उम्मीदवारी की तारीख या नियुक्ति से कम से कम दस साल पहले प्राप्त की होगी,
2. मानवता के विरुद्ध अपराध के साथ–साथ अपराध या अभाव के लिए उसे अदालत द्वारा नागरिक अधिकारों से भी दोषी नहीं ठहराया गया है,
3. हाउस ऑफ पीपल के लिए उम्मीदवारी हेतु उम्मीदवार ने बीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और हाउस ऑफ एल्डर्स की उम्मीदवारी की नियुक्ति के लिए तीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

अनुच्छेद–86

स्वतंत्र चुनाव आयोग कानून के प्रावधानों के अनुसार नेशनल असेंबली के सदस्यों की चुनाव साख की समीक्षा की जाएगी।

अनुच्छेद–87

नेशनल असेंबली के दो सदनों में से प्रत्येक, अपने कार्य अवधि की शुरुआत में,विधायिका के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में एक सदस्य को चुनेंगे, और दो सदस्यों को पहले और दूसरे प्रतिनियुक्ति के रूप में और एक साल की अवधि के लिए सचिव और सहायक सचिव के रूप में दो सदस्य को चुना जायगा

ये व्यक्ति हाउस ऑफ पीपुल्स के साथ–साथ हाउस ऑफ एल्डर्स की प्रशासनिक टीमों का गठन करेंगे। प्रत्येक सदन के आंतरिक कर्तव्यों, प्रशासनिक टीमों के कर्तव्यों का निर्धारण विनियमों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद–88

आंतरिक कर्तव्यों के विनियमों के अनुसार चर्चा के तहत नेशनल असेंबली के दो सदनों में से प्रत्येक मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग बनाएगा।

अनुच्छेद–89

हाउस ऑफ पीपल के पास एक तिहाई सदस्यों के प्रस्ताव के द्वारा एक विशेष आयोग स्थापित करने का अधिकार होगा जिसका कार्य सरकार की समीक्षा करने के साथ–साथ इसके कार्यों की जांच करना होगा। पूर्वोक्त आयोग के संचालन की संरचना और विधि को आंतरिक कर्तव्यों पर विनियम द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अनुच्छेद–90

नेशनल असेंबली में निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

1. कानूनों या विधायी फरमानों का संशोधन,या निरस्तीकरण,
2. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और साथ ही तकनीकी विकास कार्यक्रमों की स्वीकृति,
3. राज्य के बजट की स्वीकृति के साथ–साथ ऋण प्राप्त करने या देने की अनुमति,
4. प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण, संशोधन और या निरस्तीकरण,
5. अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का सत्यापन, या सदस्यता की समाप्ति,
6. अन्य प्राधिकरण इस संविधान में निहित हैं।

अनुच्छेद–91

हाउस ऑफ पीपल में निम्नलिखित विशेष अधिकारी होंगे–

1. अनुच्छेद 92 के अनुसार प्रत्येक मंत्री से सत्र के बारे में निर्णय लें।
2. विकास कार्यक्रमों के साथ–साथ राज्य के बजट पर निर्णय लेना।
3. इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नियुक्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करना।

अनुच्छेद–92

हाउस ऑफ पीपल, अपने सभी सदस्यों के बीस प्रतिशत के प्रस्ताव पर मंत्रियो से खोज करेगा। यदि मंत्रियो का जवाब संतोष जनक नहीं रहा तो ये सदन अविश्वसनीय मत की घोषणा करेगी जो हर मंत्री के ऊपर तभी लागू होगा जब ये मत ठोस कारण से हो तथा अधिकतम सदस्यों द्वारा पारित हो।

अनुच्छेद–93

कोई व आयोग किसी भी मंत्री से किसी मुद्दे पर प्रश्न कर सकता है जिसका जवाब उस मंत्री को लिखित या मौखिक रूप में देना होगा।

अनुच्छेद–94

कानून वही होगा जो नेशनल असेंबली के दोनों सदनों को मंजूर हो और राष्ट्रपति का समर्थन हो। यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय संघ द्वारा स्वीकृत किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तो वह इसमें अपनी अस्वीकृति के कारण देते हुए हाउस ऑफ पीपल के पास जिस तारीख को इसे प्रस्तुत किया गया था उससे पंद्रह दिनों के भीतर वापस भेज देगा। अवधि की समाप्ति से पहले अगर हाउस ऑफ पीपुल इसे दो तिहाई सदस्यों के मत के साथ फिर से लागू करता है तो मसौदे को समर्थन और लागू करने योग्य माना जाएगा।

अनुच्छेद–95

मसौदा कानूनों का प्रस्ताव, सरकार या राष्ट्रीय सभा के सदस्यों द्वारा बनाया जाएगा या न्यायपालिका को विनियमित करने के क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सरकार के माध्यम से। बजट और वित्तीय मामलों के कानूनों के प्रारूपण के लिए प्रस्ताव केवल सरकार की ओर से बनाए जाएंगे।

अनुच्छेद–96

यदि किसी कानून का मसौदा तैयार करने के प्रस्ताव में नए कर लगाना या राज्य की आय में कटौती शामिल है, तो उसे इस शर्त पर नेशनल असेंबली के कार्य एजेंडे में शामिल किया जाएगा कि प्रस्ताव के पाठ में क्षतिपूर्ति स्रोत का पूर्वानुमान भी लगाया जाएगा।

अनुच्छेद–97

मसौदा कानूनों के लिए प्रस्ताव पहले सरकार द्वारा हाउस ऑफ पीपल में प्रस्तुत किए जाएंगे। लोक सभा बजट और वित्तीय मामलों सहित मसौदा कानूनों पर विचार करेगी। साथ ही ऋण प्राप्त करने या देने के प्रस्ताव पर भी। बहस के बाद लोक सभा या तो अनुमोदन करेगी या अस्वीकार कर देगी। मसौदा तैयार करने में हाउस ऑफ पीपल के द्वारा एक महीने से अधिक की देरी नहीं की जायगी।

प्रस्तावित मसौदे को मंजूरी देने के बाद लोग इसे हाउस ऑफ एल्डर्स को भेजेंगे। पंद्रह दिनों के भीतर हाउस ऑफ एल्डर्स इस पर फैसला करेगा। प्रस्तावित मसौदे के बारे में निर्णय लेने में यह सदन कानून, नेशनल असेंबली संधियों और विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देंगे।

राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे मसौदे पर तत्काल विचार की आवश्यकता होती है।

कानून बनाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में से दस सदस्यों द्वारा किया जाता है, सदन के एक पांचवें हिस्से की मंजूरी के बाद जहां इसे शुरू किया गया था वही सदन काम के एजेंडे में शामिल है।

अनुच्छेद–98

सरकार का राज्य बजट और विकास कार्यक्रम, हाउस ऑफ एल्डर्स के द्वारा अपने सलाहकार विचारों के साथ द हाउस ऑफ पीपल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रपति द्वारा समर्थन के बाद हाउस ऑफ पीपल के निर्णय को को हाउस ऑफ एल्डर्स को प्रस्तुतीकरण के बिना लागू किया जाएगा।

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले अगर कुछ कारणों से बजट को मंजूरी नहीं मिली है तो नए बजट के पारित होने तक वर्ष का बजट लंबित लागू किया जाएगा। सरकार चौथी तिमाही के दौरान नये वर्ष का बजट, इस वर्ष के बजट की दीर्घ जानकारी के साथ नेशनल असेंबली के समक्ष पेश करेगी। कानून के प्रावधान के अनुसार इस वर्ष के बजट का हिसाब छह महीनों के भीतर नेशनल असेंबली को सरकार द्वारा प्रदान कराया जाएगा। हाउस ऑफ पीपल बजट को प्राप्त करने के बाद स्वीकृत करने के लिए एक महीने से ज्यादा का समय नहीं ले सकते, तथा ऋण सम्बंधित प्रस्ताव पर पंद्रह दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लिया जा सकता।

यदि निर्धारित समय के भीतर सदन द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती तो बजट को स्वीकृत माना जाएगा।

अनुच्छेद–99

यदि, नेशनल असेंबली के सत्रों के दौरान, वार्षिक बजट या विकास कार्यक्रम या राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और देश की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दे चर्चा के तहत हैं, तो विधानसभा के सत्र मामले के लंबित निर्णय को समाप्त नहीं करेंगे।

अनुच्छेद–100

यदि एक सदन दूसरे के निर्णयों को अस्वीकार करता है, तो एक संयुक्त आयोग में एक समान सदस्यों की संख्या शामिल होती है और निर्णय के अंतर को हल करने के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों के साथ एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा समर्थन के बाद लागू किया जाएगा। अगर संयुक्त आयोग अंतर को हल नहीं करता है तो निर्णय को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हाउस ऑफ पीपल को इसे अपने अगले सत्र में बहुसंख्यकों के साथ पारित करना होगा। यह फैसला, हाउस ऑफ एल्डर्स के समक्ष प्रस्तुत किए बिना, एक बार राष्ट्रपति समर्थन द्वारा प्रख्यापित किया जाएगा।

अनुच्छेद–101

नेशनल असेंबली के किसी भी सदस्य पर मतदान के कारणों के लिए तथा कर्तव्य प्रदर्शन के दौरान व्यक्त किए गए विचारों पर कानूनी रूप से मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

अनुच्छेद–102

यदि नेशनल असेंबली के सदस्य पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो वह व्यक्ति उस सदन को सूचित करेगा जिसका वह सदस्य है, और जिम्मेदार पर कानूनी कार्यवाही होगी। यदि प्रत्यक्ष जुर्म जिया गया है तो जिम्मेदार व्यक्ति को बिना उसके सदन की मंजूरी के भी हिरासत में लिया जाएगा।

यदि इस मामले में कानूनी अभियोजना दोषी का निरोध चाहती है, तो उसे सदन के पास इस प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति हेतु दर्ज करना होगा। यदि आरोप सदन के अवकाश के वक्त लगाया गया हो, तो गिरफ्तारी की इजाजत सदन के प्रशासनिक बोर्ड द्वारा लेनी पड़ेगी और मुद्दे को सदन के पहले सत्र के समक्ष फैसले हेतु रखा जाना चाहिए।

अनुच्छेद–103

मंत्री राष्ट्रीय सभा के किसी भी सदन के सत्रों में भाग ले सकते हैं। नेशनल असेंबली की सभा अपने सत्र में मंत्रियों की भागीदारी की मांग कर सकती है।

अनुच्छेद–104

नेशनल असेंबली के दोनों सदन अपने सत्र को समवर्ती रूप से बुलाएंगे, लेकिन अलग से। दोनों सदनों के सत्र निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत संयुक्त रूप से आयोजित किए जाएंगे–

हालात–

1. जब विधायी शब्द या वार्षिक सत्रों का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है,
2. जब राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाए, लोक सभा के अध्यक्ष संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेंगे।

अनुच्छेद–105

नेशनल असेंबली के सत्र तब तक खुले रहेंगे जब तक कि विधानसभा के अध्यक्ष या नेशनल असेंबली के कम से कम दस सदस्य अपनी गोपनीयता और विधानसभा अनुदान का अनुरोध करते हैं । कोई भी बल द्वारा राष्ट्रीय सभा भवन में प्रवेश नहीं करेगा।

अनुच्छेद–106

नेशनल असेंबली के प्रत्येक सदन के मतदान का कोरम सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति पर पूरा होगा और निर्णय वोट के बहुमत के साथ लिया जाएगा जब तक यह संविधान नहीं कहता है, तब तक सदस्य उपस्थित रहेंगे।

अनुच्छेद–107

नेशनल असेंबली सालाना दो नियमित सत्र आयोजित करेगी। दोनों का कार्यकाल नियमित है। सत्र हर साल नौ महीने का होगा और जब जरूरत होगी, विधानसभा इसका विस्तार करेगी। अवकाश के दौरान विधानसभा के असाधारण सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाएंगे।

अनुच्छेद–108

नेशनल असेंबली के सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र और बर्खास्तगी, विकलांगता या बाधा के मामलों में जो कर्तव्य के स्थायी प्रदर्शन या निबटान को बाधित करती है, कानून के प्रावधानों के साथ विधायी अवधि की शेष अवधि के लिए नया प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। नेशनल असेंबली के सदस्यों की उपस्थिति और अनुपस्थिति से संबंधित मामले को आंतरिक कर्तव्य कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद–109

विधान सभा के अंतिम वर्ष के दौरान नेशनल असेंबली के चुनाव कानून में संशोधन के प्रस्ताव को कार्यसूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

अपनी प्रगति जांचिए

5. अफगानिस्तान के संविधान की पुष्टि कब की गई?

(क) 13 दिसम्बर, 2003 को	(ख) 26 जनवरी, 2004 को
(ग) 4 जनवरी, 2004 को	(घ) 15 अगस्त 2003 को

6. अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है?

(क) काबुल	(ख) अफगानिस्तान
(ग) लाहौर	(घ) दुबई

5.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (क)
3. (ग)
4. (घ)
5. (ख)
6. (क)

5.6 सारांश

नेपाल ने अपने अंतरिम संविधान (2007) को हटा कर नया संविधान 20 सितम्बर 2015 को लागू किया। यह 35 भागों, 308 अनुच्छेदों और 9 अनुसूचियों में विभाजित है। संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है–

हम सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता,

नेपाल की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रीय एकता, स्वाधीनता और स्वाभिमान को अक्षुण्ण रख कर जनता के सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता और स्वशासन के अधिकार को आत्मसात् करते हुए,

राष्ट्रहित, लोकतंत्र और अग्रगामी परिवर्तन के लिए जनता के निरन्तर चलते आ रहे ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग और बलिदान के गौरवपूर्ण इतिहास को स्मरण कर एवं शहीदों तथा लापता और पीड़ित नागरिकों का सम्मान करते हुए,

संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम से स्थायी शान्ति, सुशासन, विकास एवं समृद्धि की आकांक्षा को पूरा करने के लिए संविधान सभा द्वारा पारित इस संविधान को जारी करते हैं।

यह संविधान नेपाल के मौलिक कानून के रूप में है। इस संविधान से असंगत कोई भी कानून महत्वहीन माना जाएगा।

सभी नेपाली लोग, बहु–जातीय, बहुभाषी, बहु–धार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषताओं और भौगोलिक विविधताओं के साथ, सामान्य आकांक्षाएं रखते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय हित और समृद्धि के प्रति निष्ठा के बंधन से एकजुट होते हैं। इस प्रकार नेपाली राष्ट्र का सामूहिक रूप से गठन होता है।

स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता, नेपाल की गरिमा की रक्षा, नेपाल के लोगों के अधिकार, सीमा सुरक्षा, आर्थिक भलाई और समृद्धि नेपाल के राष्ट्रीय हित के मूल तत्व होंगे।

नेपाल में मातृभाषा के रूप में बोली जाने वाली सभी भाषाएँ राष्ट्र की भाषाएँ हैं।

देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा नेपाल की आधिकारिक भाषा होगी।

नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दो त्रिकोणीय आकृतियों को ऊपर–नीचे रखकर बनाया गया है। जिनमें गहरा लाल रंग का आधार होता है और गहरे नीले रंग की सीमाएं होती हैं। ऊपरी भाग में सोलह में आठ दिखाई देने वाली किरणों के साथ अर्द्धचन्द्र का एक सफेद प्रतीक होता है और निचले हिस्से में सूरज की बारह किरणों का एक सफेद प्रतीक होता है।

बुरांश का फूल (Rhododendron Arboreum) राष्ट्रीय फूल है, गहरा लाल रंग राष्ट्रीय रंग है, गाय राष्ट्रीय पशु है और लोपोफोरस नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है।

भूटान साम्राज्य के संविधान को 2008 में अपनाया गया, जिसने भूटान के विकास को एक निरंकुश राजशाही से लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र तक चिन्हित किया। संविधान के कुछ प्रावधान की चर्चा निम्न है–

भूटान एक संप्रभु साम्राज्य है जिसकी प्रभु सत्ता भूटान के लोगों में निहित है।

सरकार का रूप लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र का होगा।

भूटान की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सीमा अनुल्लंघनीय है। क्षेत्रों की सीमा में किसी भी तरह का परिवर्तन तभी किया जा सकता है जब संसद के कुल सदस्यों में से तीन–चौथाई सदस्यों का बहुमत इस विषय पर अपनी सहमति दे।

भूटान का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक इस संविधान की पहली अनुसूची मे निर्दिष्ट किया जाएगा।

भूटान का राष्ट्रीय गान इस संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा।

भूटान का राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष दिसंबर का सत्रहवाँ दिन होगा।

दजोंगखा भूटान की राष्ट्रीय भाषा है।

यह संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून है।

इस संविधान को अपनाने के समय भूटान के क्षेत्र में सभी कानून लागू होंगे तथा संसद द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित होने तक जारी रहेंगे। हालांकि, किसी कानून के प्रावधान चाहे वे इस संविधान के लागू होने से पहले या बाद में बनें, जो इस संविधान के साथ असंगत हैं, वे मान्य नहीं होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय इस संविधान का संरक्षक और इस पर अंतिम प्राधिकारी होगा।

खनिज संसाधनों, नदियों, झीलों और जंगलों पर अधिकार राज्य के पास निहित होंगे और राज्य की संपत्ति होंगे, जिन्हें कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अलगाव होगा और संविधान द्वारा इनके लिए प्रदान की गई सीमा को छोड़कर एक–दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण अस्वीकार्य है।

अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के वर्तमान संविधान पर संवैधानिक लोया जिरगा (13 दिसंबर, 2003 से 4 जनवरी, 2004) में देश भर से 500 से अधिक अफगान पुरुषों और महिलाओं की सहमति व्यक्त की गई थी।

26 जनवरी, 2004 को काबुल में एक समारोह में राष्ट्रपति हामिद करजई द्वारा औपचारिक रूप से इस संविधान की पुष्टि की गई।

इस संविधान की कुछ विशेषताओं पर चर्चा कुछ इस प्रकार है–

अफगानिस्तान एक इस्लामी गणराज्य, स्वतंत्र, एकात्मक और अविभाज्य राज्य होगा।

पवित्र इस्लाम धर्म इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है। अन्य विश्वासों के समर्थक उनके धार्मिक अनुष्ठान के प्रदर्शन में कानून के दायरे में स्वतंत्र होंगे।

अफगानिस्तान का कोई कानून इस्लाम के पवित्र धर्म के सिद्धांतों और प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

अफगानिस्तान में राष्ट्रीय संप्रभुता राष्ट्र से संबंधित होगी और इसके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होगी।

अफगानिस्तान राष्ट्र उन सभी व्यक्तियों से बना है जिनके पास अफगानिस्तान की नागरिकता है। इसका समावेश पश्तून, ताजिक, हजारा, उजबेक, तुर्कमान, बलूच, पचौ, नूरिस्तानी, अयमक, अरब, किरगीज, कजिलबश, गुजुर, ब्राहुई और अन्य जनजातियों से होगा। अफगान शब्द प्रत्येक अफगानिस्तान के नागरिक पर लागू होगा। यहां का कोई भी व्यक्ति नागरिकता से वंचित नहीं रहेगा।

नागरिकता और शरण संबंधी मामलों को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

इस संविधान के प्रावधानों और अन्य कानूनों को लागू करना, स्वतंत्रता का बचाव करना, राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा तथा रक्षा क्षमता प्राप्त करना देश तथा राज्य के मौलिक कर्तव्य होंगे।

राज्य सामाजिक आधार पर एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज बनाने के लिए बाध्य होगा जिसमें न्याय, मानवीय सम्मान की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा, लोकतंत्र की प्राप्ति, राष्ट्रीय एकता के साथ–साथ सभी लोगों और जनजातियों के बीच समानता

और संतुलन हासिल करना और देश के सभी क्षेत्रों का विकास के जैसे बिंदु शामिल होंगे।

5.7 मुख्य शब्दावली

- **अंतरिम** : दो समयों के बीच का, मध्यवर्ती।
- **अक्षुण्ण** : अखंडित, अभग्न।
- **अधिवास** : निवासी, वासस्थान।
- **संप्रभुता** : संपूर्ण अधिकार प्राप्त होने की स्थिति।
- **स्वायत्त** : जो अपने ही अधीन, अपने ही अधिकार में हो।
- **अतिचार** : अतिक्रमण, मर्यादा का उल्लंघन।
- **प्रख्यापित** : जो सर्वसाधारण को विज्ञापित कर दिया गया हो, जिसकी विघोषणा कर दी गई हो।

5.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. नेपाल का संविधान कितने भागों, अनुच्छेदों और अनुसूचियों में विभाजित है?
2. नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज में किन आकृतियों और रंगों को शामिल किया गया है?
3. भूटान का राष्ट्रीय दिवस कब होता है?
4. कौन–सा धर्म भूटान की आध्यात्मिक विरासत है?
5. अफगानिस्तान के संविधान की पुष्टि किसके द्वारा की गई?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. नेपाल के संविधान की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
2. नेपाल के नागरिकों के अधिकारों की समीक्षा कीजिए।
3. भूटान के संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
4. भूटान की संसद की समीक्षा कीजिए।
5. अफगानिस्तान के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

5.9 सहायक पाठ्य सामग्री

Kapur, A.C. and K.K. Mishra. 2006. *Selected Constitutions*. New Delhi: S Chand Publishing.

Mahajan, V.D. 1998. *Selected Modern Governments*. New Delhi: S Chand And Company.

Bhagwan, Vishnoo, Vidya Bhunan and Vandana Mohla. 2012. *World Constitutions: A Comparative Study*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.

Chaudhary, Saurabh and Nagendra Prasad Chaudhary. 2012. *Constitutional Evolution in Nepal*. New Delhi: Pentagon Press.

Kinga, Sonam. 2019. *Democratic Transition in Bhutan: Political Contests as Moral Battles*. London: Taylor & Francis.

Khan, Sultan Mohammad. 2017. *The Constitution and Laws of Afghanistan*. London: Fb&C limited.

टिप्पणी

टिप्पणी